राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 19

गुरुवार,

26 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, राम राम साहब, नमस्कार। सबको राम राम। हमारा तो है ही राम।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वर्ल्ड कप का ...

श्री अध्यक्ष: नहीं बैठिए आप, क्वश्चन आवर में नहीं। नो, नो, प्लीज सिट डाउन। प्रश्नकाल श्री कैलाश चौधरी।

जैसलमेर व बाड़मेर जिले की लम्बित पेयजल परियोजनाएं

381. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आजादी के 68 वर्ष बाद भी बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में पानी की समस्या के समाधान के लिये बाड़मेर लिफ्ट कैनाल, पोकरण फलसूण्ड परियोजना और जोधपुर समदडी घवा परियोजनाओं का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाकर उक्त जिलों की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जी नहीं। बाड़मेर जिले के 4 शहर (बाड़मेर, बालोतरा, समदड़ी व सिवाना), 2270

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ग्राम एवं 4400 ढाणियां तथा जैसलमेर जिले के 2 शहर (जैसलमेर व पोकरण), 740 ग्राम (140 ग्राम नहरी योजना से लाभान्वित) एवं 1399 ढाणियां विभिन्न जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के शेष अलाभान्वित ग्राम क्रमश: 182 एवं 16 में स्थानीय टांकों से पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन किया जाता है।

पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के 5 शहर (बाड़मेर, बालोतरा, समदडी, सिवाना एवं पोकरण) तथा क्रमश: 1295 एवं 348 ग्रामों को स्वच्छ नहरी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 4 वृहत् पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से बाड़मेर जिले के 1009 ग्राम एवं जैसलमेर जिले के 177 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना से बाड़मेर जिले के बाड़मेर शहर व 8 ग्राम पूर्ण रूप से तथा 66 ग्राम आंशिक रूप से, उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप परियोजना से कस्बा समदड़ी आंशिक रूप से, 30 ग्राम पूर्ण रूप से व 20 ग्राम आंशिक रूप से तथा पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना से पोकरण शहर आंशिक रूप से वर्तमान में लाभान्वित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्णित तीन वृहत् पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति में बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के क्रमश: 1090 एवं 348 ग्राम सम्मिलित हैं। इनमें से बाड़मेर जिले के 804 ग्राम एवं जैसलमेर जिले के 177 ग्रामों को इन परियोजनाओं से लाभान्वित करने हेतु इनका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के क्रमश: शेष 286 एवं 171 ग्रामों की स्वीकृत योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रगतिरत परियोजनाओं को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यादेश अनुरूप निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) उपरोक्तानुसार। परियोजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, यह जो चार योजनाएं हैं यह बाड़मेर जिले के लिये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बाड़मेर जिले में पानी

(श्री कैलाश चौधरी)

की हमेशा बहुत समस्या रही है और पूरा बाड़मेर जिला इन योजनाओं की तरफ देख रहा है। यह योजना 2008 में प्रारम्भ हुई जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय वसुंधराजी के समय में और उन्होंने उद् घाटन भी किया, उसके बाद में काम भी शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस का शासन आया तो यह ठंडे बस्ते में पड़ गई और पांच साल तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद काम शुरू हुआ है। हमारी मंत्री महोदयजी ने जो मुझे उत्तर दिया है उसमें यह जो पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना स्कीम नम्बर 2 उसमें पाइंट 2 पर है एसपीआर 2 अ बीलिया से संतरा भाखरी तक आधारभूत कार्य है इसमें 230 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। जिस एसपीएमएलपी कम्पनी को यह काम दिया उसने अभी तक 97 करोड़ का काम किया है क्योंकि यह जो क्षेत्र है इससे आगे का काम तो हो गया, पीछे का काम भी हो गया, यह जो लाइन है इस जगह पर काम नहीं हुआ है, कई जगह पर टुकड़ों-टुकड़ों पर हुआ है। यह कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आगे की स्कीम भी पूरी नहीं होगी और काम भी पूरा नहीं होगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम को आप कब तक पूरा करेंगे ताकि यहां की जनता को पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है वास्तव में उनका कहना भी सही है कि यह जो योजना 2008 में माननीय वसुंधराजी के पिछले कार्यकाल में शुरू हुई थी, मुख्य मंत्री रहते हुए उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया था 1 सितम्बर, 2008 को और जो शिलान्यास किया था उसमें उन्होंने बजट का भी प्रोविजन रखा था। माननीय अध्यक्षजी, यह शिलान्यास हुआ था उम्मेद सागर धवा की जो योजना थी उसकी कल्याणपुर में उसका शिलान्यास किया गया था उनके द्वारा। बाड़मेर में शिलान्यास किया गया था बाड़मेर लिफ्ट की यह जो योजना है और पोकरण फलसूण्ड बालोतरा योजना जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उस योजना का शिलान्यास भी पोकरण में किया गया था। उस समय लगभग ढाई सौ करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया गया था। पूर्ववर्ती सरकार के समय पूरे पांच साल यह योजना पूरी तरह से खटाई में रही और जाते-जाते उन्होंने इस योजना को फिर से शुरू किया। कुछ पाइप लाइन डालने का काम उन्होंने प्रारम्भ किया था। इस योजना में एसपीआर वन का

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जो काम है वह 2008 में शुरू हुआ था, 2010 में पूरा हो गया। जिसके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, यह बात सही है एसपीआर 2 ए जो है, बीलिया से संतरा भाखरी तक जो आधारभूत कार्य करना था उसमें इस योजना में 115 किलोमीटर पाइप लाइन लगाई जानी थी। अभी तक मात्र 55 किलोमीटर पाइप लाइन लगी है वह भी हमारी माननीय वसुंधराजी ने जो रिव्यू मीटिंग ली, उस सबके बाद काम में जो प्रगति आई है, उस काम की प्रगति के बाद यह 55 किलो मीटर पाइप लाइन लगी है। यह बात सही है इसमें जो व्यय होना था 226.36 करोड़ की योजना है उसमें से मात्र अभी तक 100 करोड़ के करीब खर्च हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाती हूं कि यह कार्य तो पूरा हो जाना था 19.03.2015 को लेकिन डिले हुआ है और अब इस काम को हम 31.12.2015 तक पूरा करवा लेंगे, इस बारे में मैं आश्वस्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न ।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, यह जो उम्मेदसागर धवा स्कीम है उसका पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बरनावा पहुंच गया है और उससे आगे की जो लाइन है वह डाल दी गई है। एक दूसरा स्थान है जो बाड़मेर लिफ्ट स्कीम से है, उसमें खानजी का तला वहां पर भी पानी पहुंच चुका है। उसका कनेक्शन कर दिया जाता है और बूस्टर लगा कर अगर उसको शुरू कर देते हैं तो मैं सोचता हूं कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के आधे क्षेत्र पानी पी सकते हैं। मैं मंत्री महोदयजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बरनावा और खानजी का तला है इस जगह पर आप बूस्टर कब तक लगा कर इसको शुरू कर देंगे, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है यह बरनावा से आगे तक की पाइप लाइन तो हम डाल चुके हैं, इसमें केवल इलैक्ट्रिसिटी के कनेक्शन लेने तक की बात थी और कल 20 लाख का हम लोगों ने इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को डिमांड नोट भी जमा करा दिया है। मैं यह कह सकती हूं कि एक महीने में इसका काम शुरू हो जायेगा। इसी तरीके से जो खानजी का तला गांव का इन्होंने कहा है इसमें एक तीन किलोमीटर का टुकड़ा छूटा हुआ है जिसमें हमें पाइप डालना बाकी है, उस पाइप को भी हम प्रायोरिटी से डलवा देंगे और इसके लिये भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि यह भी हम एक माह में शुरू करवा देंगे।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री शैतान सिंह।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्षजी, आपके मार्फत मैं मंत्री जो को बताना चाहता हूं कि ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बताओ मत, पूछो।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): यह जो स्कीम है पोकरण फलसूण्ड बालोतरा सिवाना लिफ्ट कैनाल यह मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण से नाथना से शुरू हुई है जिसका बीलिया तक पानी आ गया। चूंकि यह हमारी मुख्य मंत्री जी वसुंधराजी के समय में शुरू हुई थी यह एक साल में पानी पोकरण आना था लेकिन पिछली सरकार ने जाते-जाते 2013 में उसका उद् घाटन किया। पूरे कार्यकाल में मात्र पोकरण तक पानी लाये जबकि यह स्कीम पूरी पहुंच रही थी। उसके बाद में मेरे दो पैकेज हैं इसमें...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिए।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): थर्ड बी और थर्ड ए, माननीय अध्यक्षजी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि रामदेवरा उसके साथ है, पूरे भारत के दर्शनार्थी वहां आते हैं और हमारे वहां दो साल से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जबकि इस काम का पूरा होने का समय भी बीत गया है, कब तक पूरा करेंगे यह बतायें और थर्ड ए की क्या स्थिति है, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने पूछा है जैसलमेर जिले के जो थर्ड ए में 106 गांव हैं एसपीआर थ्री ए उसका नाम है, इसके लिये हमने जो कार्यादेश दिया था वह 26.07.2013 को दिया था, अभी इसका कार्यादेश हुआ है इसमें 662 किलोमीटर की पाइप लाइन डालनी है। वर्तमान में 25 किलोमीटर की पाइप लाइन डली है। यह काम 2013 में दिया गया था, इस काम को इन्हें दो साल में पूरा करना था लेकिन अभी यह काम 7वें महीने में पूरा होना है, इसकी बजाए 31.12.2015 तक इस काम को पूरा कर लेंगे। ऐसा हमने जो रिव्यू मीटिंग ली है उस रिव्यू मीटिंग के अन्दर कान्ट्रेक्टर्स से बातचीत करके हम लोग निर्णय कर पाए हैं, वह लगभग 31.12.2015 तक इस काम को हम लोग पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री हमीरसिंह भायल। नो, बाड़मेर वाले पहले, प्राथमिकता उनको।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): अध्यक्ष महोदय, एक...

श्री अध्यक्ष: नहीं आपने पूछ लिया। आप बाद में पूछ लेना, व्यक्तिगत पूछ लो। हमीरसिंह भायल।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): मंत्रीजी थर्ड बी का जवाब दें। थर्ड ए और थर्ड बी दोनों मेरे हैं। थर्ड बी का जवाब दें जिसमें रामदेवरा...

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अच्छा मैं बता देती हूं। माननीय अध्यक्षजी, थर्ड बी का भी इनका बता देती हूं। एसपीआर थ्री-ए का मैंने आपको बताया, यह क्लस्टर का था। थर्ड-बी है वह इनके 71 गांव के क्लस्टर की योजना है। उस योजना का काम, 24.8.2012 को दे दिया गया था वर्क आर्डर। उसे कम्प्लीट 15.4.2014 में होना था। यानी दो साल में यह काम भी कम्पलीट होना था। बहुत ही ज्यादा धीमी गति से यह काम चल रहा है। इसमें रिव्यू होने के बाद 13 परसेंट, यह 2014 को पूरा होना था लेकिन जब हमने अपनी रिव्यू मीटिंग की तो उस रिव्यू मीटिंग में आया कि उसमे कोई प्रगति नहीं है। तो अब तीन महीने के अन्दर जो प्रगति हुई वह 13 परसेंट की प्रगति हुई है। अब जिस तरीके से यह डिले हुआ है क्योंकि 2014 में यह काम पूरा होना था लेकिन अब हमने इसमें तय किया कि जो कम्पनी है उसको हम रि साइन कर दें, उसके कान्ट्रेक्ट को कैंसिल कर दें। यह हमने हमारी मीटिंग के अन्दर तय किया है। हमने इसको कैंसिल करने का तय किया है। वह हम कैंसिल कर देते हैं ताकि नया टैण्डर हो जाए और नये सिरे से इस काम को शुरू कर सकें।

श्री अध्यक्ष: हमीरसिंह भायल।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): समय लगेगा, इसी फर्म से बाउण्डेड करके काम कराया जाए क्योंकि थर्ड–ए भी इसी का है।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए आप।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): थर्ड बी भी इसी को देकर वापिस काम कराया जाए।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए शैतानसिंहजी, आप विराजिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी

(श्री हमीरसिंह भायल)

योजना से उम्मेद सागर धवा, यह 2013 में पूरा होना था और 2012 तक मात्र समदड़ी तक पानी पहुंचा था। एक साल में 57 में से 35 गांवों तक तो पानी पहुंच गया है। यह उम्मेद सागर धवा योजना है, इसमें जो काम बाकी रहा है वह शीघ्र पूरा हो। पोकरण फलसूण्ड से मेरी विधान सभा के 101 गांव हैं। थर्ड पार्ट, सैकिण्ड पार्ट दोनों में मेहरबानी करके, नर्मदा से 13 गांव हैं। आगे के पाइप लाइन का काम तो शुरू हो गया, बिलिया और संतराभाखरी में तो रुका हुआ पड़ा है। माननीय मंत्रीजी ने जवाब तो दिया है। जोधपुर में जो मीटिंग रखी थी, मैं धन्यवाद देता हूं कि सब आफिसर्स को बुलाकर यह कहा था कि इस काम को जल्दी पूरा करें। पर समय रहते इस गर्मी में जल्दी नहीं हुआ तो...

श्री अध्यक्ष: सवाल करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): पीने के लिए पानी नहीं है। आगे भयंकर गर्मी में परेशानी हो जाएगी। यही मेरा निवेदन और प्रार्थना रहेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जिस योजना के बारे में इन्होंने कहा है उम्मेदसागर धवा समदड़ी पार्ट थ्री, यह योजना का नाम है। इसमें कार्यादेश जारी करने की दिनांक है वह 23.8.2012 है इसको 1.9.2015 को पूरा होना है यह 177.35 करोड़ की योजना है। इसमें एक डीआई पीवीसी पाइप लाइन डालनी है 732 किलोमीटर तक डल चुकी है, इसमें 855 में से 732 किलोमीटर डल चुकी है। दो पम्प हाउस बनाने हैं, जिसमें अभी पम्प हाउस बने नहीं हैं। हमें 46 ओएचएसआर बनानी थी उसमें से 40 ओएचएसआर बन चुकी है। पीएसपी हमें 180 देने हैं, वह पीएसपी कनेक्शन अब देने हैं। यह जो काम है इसमें 30 गांव लाभान्वित हो चुके हैं, 180 में से, बाकी भी और शेष होने हैं। यह काम 1.9.2015 को पूरा होना है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह विश्वास दिलाती हूं कि मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि इस काम को हम समय रहते हुए, आन टाइम पूरा कराएं। यह मैं विश्वास दिलाती हूं कि 1.9.2015 तक इसके कार्य पूर्ण करने की तिथि है, तब तक वह पूरा कर लेगा, ऐसा हमें विश्वास है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर लिफ्ट पाइप लाइन है, पेयजल पाइप लाइन जा रही है उसमें फर्स्ट और सैकिण्ड फेज था, फर्स्ट फेज हमारा था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय पक्षपातपूर्ण रहा, सैकिण्ड फेज आ गया, उसमें 171 गांव आते हैं, एक्चुअली डेढ़-डेढ़ साल से लगातार टैण्डर हो रहा है, चल रहा है, उसके कब तक टैण्डर होंगे और कब तक काम शुरू होगा? साथ ही निवेदन और है कि एसएमजी के 245 आरडीसी, पहले 600 लाख काम था वह वापस एक्सटेंड करके उसको 900 लाख का करवाया, लेकिन काम करने की उस कान्ट्रेक्टर की समयावधि थी वह भी पूरी हो गई। 105 आरडी रामगढ़ से जिन चार ग्राम पंचायतों को पानी पहुंचाना था वह कार्य कब तक पूरा होगा।

दूसरा निवेदन उसके साथ ही है...

श्री अध्यक्ष: बस हो गया ।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): एक आपके एनआरडीए के अन्दर कई सैकड़ों जीएलआर एवं पाइप लाइन व पशु खेलियां बनी हुई हैं, उनमें आज तक जैसलमेर जिले में एनआरडीए में कई जीएलआर में पानी नहीं पहुंचा है। बनी हुई सूखी पड़ी है। उन जीएलआर में कब तक पानी पहुंचेगा ।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं, पहली बात बाड़मेर लिफ्ट परियोजना फेज टू के बारे में पूछी और दूसरा बाड़मेर लिफ्ट परियोजना फेज टू का पार्ट सी और पार्ट डी के बारे में आपने पूछा, पार्ट सी और पार्ट डी की निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं इसलिए अब निविदा आमंत्रित की जानी है। बहुत शीघ्र ही हम इसकी निविदाएं आमंत्रित कर देंगे। इसमें प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थे वह पूर्व में बने हुए थे उसमें कुछ चैंजेज किये गये हैं। अब चैंजेज हो चुके हैं, इसलिए अब हम लोग तुरन्त टैण्डर इन्वाइट कर लेंगे।

जहां तक सवाल है, बाकी के बाड़मेर लिफ्ट का पार्ट ए है, पार्ट बी है उसमें भी 26 परसेंट काम ए में हो चुका है, 29 परसेंट काम बाड़मेर लिफ्ट परियोजना टू में हो चुका है। इसकी कम्प्लीशन डेट है, सम्भावित दिनांक है, दोनों ही योजना, ए और बी के लिए 31.12.2015 तक पूरा करना है। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना का....

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आ गया जवाब, आ गया। अगला प्रश्न विद्याशंकर नंदवाना।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, एक... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप मिल लीजिए। श्री विद्याशंकर नंदवाना।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): 90 महीने से काम चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना, बैठिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तरुण राय जी बैठिए। (व्यवधान) तीसरा पूरक प्रश्न हो गया। आप कृपया बैठिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): वहां राजस्थान सीमा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है इनका। (व्यवधान)

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): चौहटन में कोई योजना नहीं है पानी की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप व्यवधान मत डालिए। अंकित नहीं हो।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। जवाब देने की जरूरत नहीं है। नो, मैं यह परम्परा नहीं डाल सकता।

पीपल्दा की ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टे

382. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2010 से 2014 तक किन-किन व्यक्तियों को पट्टे जारी किए गए? जारी किए गए पट्टों की सूची मय लाभार्थियों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के इटावा कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2005 से 2010 तक कुल कितने पट्टे किस-किस नाम से जारी किए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम पंचायत इटावा द्वारा वर्ष 2005 से 2010 तक जारी किए गए पट्टों के शुल्क के रूप में पट्टेधारी से कितनी-कितनी राशि ली गई ? पट्टेवार ली गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा जारी करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की पंचायत समिति सुल्तानपुर में सम्मिलित 18 ग्राम पंचायतों में सिंचित क्षेत्र होने के कारण आबादी भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज होने के कारण वर्ष 2010 से 2014 तक एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की पंचायत समिति इटावा में सम्मिलित 30 ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में जारी पट्टों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2005 से 2010 तक कुल 2167 पट्टे जारी किए गए हैं। जारी किए गए पट्टों की नाम सहित सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) ग्राम पंचायत इटावा द्वारा वर्ष 2005 से 2010 तक जारी किए गए पट्टों के शुल्क के रूप में 50 वर्ष से अधिक काबिज व्यक्तियों से 100 रुपये एवं 25 वर्ष से अधिक 50 वर्ष से कम काबिज व्यक्तियों से 200 रुपये पट्टे की राशि ली गई है। पट्टेवार ली गई राशि का विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, एक।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 140 से 168 तक ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा जारी करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उक्त प्रक्रिया में सिवाय चक भूमि, वन भूमि, गैर मुमकिन आबादी, चरागाह भूमि, तालाब, तलाइयां, पर पट्टे बनाए जा सकते हैं क्या ? यदि नहीं, तो टारगेट पूरे करने के लिए इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री बी पी एल आवास में जारी किए गए पट्टे उक्त नियमों की पूर्णतया अवहेलना करते हैं। ऐसे और अन्य प्रकार से बनाए हुए पट्टों की क्या आप जांच करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय, आराम से जवाब दीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि क्या तालाब, अंगोर,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ओरण, तलई, इनके ऊपर इन्दिरा आवास के लिये पट्टे जारी किये गये हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास योजना तथा मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना में लाभार्थी के पास या तो स्वयं का निर्विवादित कब्जाशुदा भूखण्ड होना चाहिए, या ग्राम पंचायत द्वारा उनके पक्ष में पट्टा जारी किया जाना चाहिये। यदि किसी ग्राम पंचायत में ऐसे प्रकरण हैं, जहां पट्टे के बिना भी इन्दिरा आवास योजना के आवास स्वीकृत किये गये हैं तथा अभी भी लाभार्थी भूखण्ड आबंटन की पात्रता रखता है तो ग्राम पंचायत नियमानुसार उसके पक्ष में पट्टा जारी कर नियमन कर सकती है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रकरण आप मेरे सामने लाये हैं, इस प्रश्न के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर ऐसे इन्दिरा आवास के गलत पट्टे जारी किये गये हैं तो मैं मुख्यालय से टीम भेज कर जांच करवा लूंगा और अगर गलत पट्टे जारी किये गये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र पूर्णरूपेण सिंचित क्षेत्र है। पंचायत समिति सुल्तानपुर की 18 पंचायतें सिंचित एवं आबादी भूमि के कारण राज्य सरकार के खाते दर्ज होना बताया गया है। जबकि उक्त इटावा पंचायत समिति की 30 ही पंचायतें कमाण्ड क्षेत्र में घोषित हैं। यहां जारी किये गये पंचायत समिति इटावा द्वारा हजारों की संख्या में पट्टे, जिसकी सूची आपने मुझे उपलब्ध कराई है, साथ ही ग्राम पंचायत इटावा द्वारा पचास रुपये, सौ रुपये और दो सौ रुपये में आवासीय भूखण्डों के लिये पट्टे जारी किये गये हैं। ऐसे जो पट्टे जारी किये गये हैं, जिनमें नियमों की अवहेलना हुई है, पंचायत समिति इटावा की इन सभी पंचायतों के पट्टों की क्या माननीय मंत्री महोदय जांच कराएंगे और जांच कराएंगे तो क्या वह, जो 10-10, 15-15 साल से लम्बित जांचें हैं, क्या उनकी समयबद्ध जांच कराने का प्रयास करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि यह मामला वाकई में बहुत सीरियस है। वर्ष 2005-2010 के बीच में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा कुल 2167

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पट्टे जारी किये गये थे। इन पट्टों के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर, कोटा के सामने एक शिकायत प्रस्तुत हुई थी। जिला कलक्टर, कोटा को शिकायत मिली। उसके बाद में जिला कलक्टर, कोटा ने तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त करके इसकी जांच करने के लिये कहा। तहसीलदार, इटावा ने 17 पटवारियों की टीम बनाकर इसकी जांच करवाई। जांच में यह पाया गया कि 2167 पट्टों में से 253 पट्टों में विभिन्न अनियमितताएं पाई गयीं, जिनमें 17 पट्टे तो ऐसे दे दिये कि प्राइवेट स्कूलों की जगह आवासीय पट्टे जारी कर दिये। 43 पट्टे पांच वर्षों के दौरान खरीदे गये मकानों का पंजीयन आय को नुकसान पहुंचाते हुए आवासीय पट्टे जारी कर दिये गये। 29 पट्टे मैन रोड या व्यावसायिक जगह के आवासीय पट्टे दे दिये, 48 पट्टे खातेदारी कृषि भूमि के आवासीय जारी कर दिये, 3 पट्टे सिवाय चक भूमि के दे दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 108 पट्टे मौका मिलान नहीं होना तथा विवादित भूमि पर पट्टे जारी कर दिये। एक तो ऐसी जगह, दो पट्टे, पांच पट्टे तो ऐसे कर दिये जो दो बार पट्टे जारी कर दिये गये। इस प्रकार कुल 253 पट्टों में अनियमितता पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही हेतु सम्भागीय आयुक्त, कोटा को प्रकरण प्रेषित किया जा चुका है। सम्भागीय आयुक्त, कोटा द्वारा प्रकरण को दर्ज किया जाकर आरोपित सरपंच को नोटिस जारी किया जाकर आरोप-पत्र जारी किया गया है, जो कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सम्भागीय आयुक्त, कोटा से प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि डिले हुआ है, तो यह एक प्रक्रिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें समय लगता है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्पूर्ण प्रकरण को देखने के बाद मैंने पाया है कि ग्रुप सचिव और सरपंच की बहुत भारी गलतियां हुई हैं। मैं आज ही इस सदन में उस ग्रुप सचिव को सस्पैंड करता हूं और उस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही, जो 253 पट्टे किये हैं, इनकी जो निगरानी ए.डी.एम. में चल रही है, वह भी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत कार्यवाही होगी और धारा 38 में सम्भागीय आयुक्त के पास जो कार्यवाही चल रही है, उसमें भी नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। राज्य सरकार के पास आने के बाद नियमानुसार विधिसम्मत

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कार्यवाही करके जो भी दोषी होगा, चाहे सरपंच दोषी हो, चाहे अधिकारी दोषी हो, चाहे कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई, पहला पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक कानूनी प्रश्न है कि ग्राम पंचायत पट्टा जारी करती है, नि:शुल्क, उस किसान को बैंक से लोन लेना पड़ता है तब बैंक वाले कहते हैं कि तहसील में जा करके इसकी रजिस्ट्री करवाओ। उसमें कायदा यह है कि एक महीने तक रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी लगती है तीन सौ रुपये, छह महीने तक लगती है डी.एल.सी. की आधी रेट, छह महीने के बाद जो डी.एल.सी. रेट है उस आधार पर उस पट्टे की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। किसान रजिस्ट्री कराता है और बैंक में मोरगेज रखता है पट्टा। बैंक उस रजिस्ट्री को मोरगेज नहीं करती है, मोरगेज केवल मात्र पट्टे को करती है, तो फिर बेचान रजिस्ट्री कराने से मतलब क्या है। कम से कम यह व्यवस्था होनी चाहिए, जो नि:शुल्क पट्टे किये जा रहे हैं, उनकी वैल्यू हो, या तो इसमें कोई अमेंडमेंट हो, या इसमें कोई व्यवस्था दी जाए ताकि किसान, क्योंकि कोई जानकारी होती नहीं है उस बेचान डीड की, फायदा ले सकें।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह सिर्फ पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष: वह जनरल किया है, इसका कोई जवाब हो तो दे दीजिये, जनरल सवाल है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पट्टों की एक प्रक्रिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्टाम्प वाली प्रक्रिया है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पट्टों को देने की एक प्रक्रिया है, वह नियम 140 से 167 के बीच में लिखी हुई है। स्वयं पढ़ लें और पढ़ करके इसमें जो भी ज्ञान अर्जन करना हो तो आप मेरे से मिल लें, वह ज्ञान अर्जन कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री रामहेत सिंह यादव। (व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये, नम्बर आ गया। मैं सिर्फ तीन लूंगा। श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008 से 2013 तक पंचायत समिति मुख्यालय और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बने थे, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनकी कीमत क्या थी, क्या इनमें टायलेट और सीढ़ी-जीना बनाने का प्लान था। क्या ये बनाये गये! नहीं बनाये गये तो उसमें जो घोटाला हुआ है, उसकी जांच भी आप कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजीव गांधी सेवा केन्द्र का मामला इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि उनकी कितनी कीमत लगी।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा, अगला सवाल। श्री संदीप शर्मा, तीसरा सवाल। आप बैठिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इटावा, पीपल्दा क्षेत्र का है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। श्री संदीप शर्मा। तीसरा सवाल, अब नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सबसे पहले तो जो आदरणीय मंत्रीजी ने स्टेप लिया, उसका बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिये ग्राम पंचायतवार शिविर लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक एवं क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्रों में आवासविहीन लोगों को बसाने के लिये कोई विशेष योजना का विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जनरलाइज मत कीजिये। हां, आप जवाब दे दीजिये। (व्यवधान) नहीं, मिस्टर, बैठिये। नो, तीसरा सवाल हो गया, अब कोई नहीं होगा।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इटावा, पीपल्दा का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं होगा, नहीं होगा। आप बैठिये। (व्यवधान) कृपया बैठिये। आप जवाब दीजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी आवश्यकता महसूस होती है, समय-समय पर शिविर लगाये जाते हैं और वैसे भी पंचायत को पूर्ण अधिकार होता है, नियम 140 से

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

168 के बीच में पट्टा देने की उनको पावर दे रखी है। नियमों, प्रक्रिया में ले करके वे पट्टे जारी कर सकते हैं। इसलिये राज्य सरकार के स्तर पर, सरकार को निर्देश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री अमृतलाल।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): मेरा छोटा सा सवाल है, इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: तीन सवाल करने का है, पूरक प्रश्न। (व्यवधान) नहीं, मैं अलाऊ नहीं करुंगा, नो, नो, नो। श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): प्रश्न संख्या 383 ।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): कुछ और ग्राम सेवकों के खिलाफ, यह बता दें कि पीपल्दा में, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। नहीं, मैं चौथा सवाल अलाऊ नहीं करुंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मेरा एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं करुंगा, आपसे कह दिया। व्यवस्था है तीन पूरक सवालों की। कृपया विराजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर बात है। मैं इसमें एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नो, नो, नो। तीन पूरक प्रश्नों से ज्यादा नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक छोटा सा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिये। बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं, आप जवाब दीजिये। (व्यवधान)

उदयपुर जिले में सलूम्बर से ऋषभदेव तक सड़क का निर्माण

383. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में स्टेट हाई-वे 53 पर स्थित कीरकी चौकी से ऋषभदेव तक रोड सुदृढ़ीकरण के कार्य के तहत कीरकी चौकी से सलूम्बर तक सड़क का कार्य गत दो वर्ष पूर्व पूर्ण कर दिया गया है, किन्तु

(श्री अमृतलाल)

सलूम्बर से ऋषभदेव तक रोड सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सलूम्बर से ऋषभदेव सड़क का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.2 (68)PW/AS/2000/D-419, दिनांक 30.3.2010 द्वारा ऋषभदेव-सलूम्बर एस.एच.-53 (70 किलोमीटर) एवं सलूम्बर-कीरकी चौकी एस.एच.-53 (69 किलोमीटर) सड़कों को बी.ओ.टी. (टोल एवं एन्यूटी) आधार पर आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा विकसित करने हेतु राशि रुपये 90.00 करोड़ प्रति कार्य की सैद्धांतिक स्वीकृत जारी की गई थी। प्रति परिशिष्ट '1' पर प्रस्तुत है।

उक्त दोनों निर्माण कार्यों को बी.ओ.टी. आधार पर विकसित करने हेतु आर.एस.आर.डी.सी. के द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई गई, जिसमें सलूम्बर-कीरकी चौकी सड़क का प्रस्ताव वायबल पाया गया एवं ऋषभदेव-सलूम्बर सड़क का प्रस्ताव वायबल नहीं पाया गया। प्रति परिशिष्ट '2' पर प्रस्तुत है।

तदनुसार राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.7(1434) अनु.2/2010/डी-302, दिनांक 16.12.2010 से सलूम्बर-कीरकी चौकी सड़क (69 किलोमीटर) के विकास हेतु राशि रुपये 163.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, प्रति परिशिष्ट '3' पर प्रस्तुत है। उक्त स्वीकृति के तहत सलूम्बर-कीरकी चौकी सड़क का कार्य माह सितम्बर, 2012 में पूर्ण कर दिया गया।

ऋषभदेव-सलूम्बर सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य बी.ओ.टी. आधार पर वायबल नहीं पाये जाने पर नहीं करवाया जा सका।

(2) सलूम्बर से ऋषभदेव तक सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए राशि रुपये 42.71 करोड़ की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर। बहुत सीमित सवाल है यह। बहुत सीमित सवाल है।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि आपने सलूम्बर से

(श्री अमृतलाल)

ऋषभदेव का जो रोड वायबल होना नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? वायबल होने की क्या शर्तें हैं? क्या इस ट्राइबल एरिया में निवासियों को हम यह सड़क सुविधा भी नहीं दे सकते हैं? इस सड़क के बनने से 70 किलोमीटर की दूरी जब कम हो रही है और उसका निर्माण किस आधार पर वायबल नहीं होना बता रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि इस जनजाति एरिया में, हम सब आदिवासियों के नियम की बात होती है और अन्य क्षेत्रों में नियम दरकिनार करके सड़कों का निर्माण किया जाता है तो माननीय मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सलूम्बर से ऋषभदेव का जो प्रस्ताव आया था, उस समय यह नान-वायबल था इसलिए नहीं बना। अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिन 20 हजार किलोमीटर सड़कों की चर्चा की है और यह चूंकि, हमारा स्टेट हाई-वे नम्बर-53 है तो हमने द्वितीय चरण में इसको ले रखा है।

अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र में, तो उलटा यह है कि हमारे को इस हैड में पैसा देना ही होता है इसलिए सड़कें भी बहुत ज्यादा हम देते हैं। मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि आप पर तो जो स्नेह हमारा रहा अगर आपने यह बात कही है, जब मैं यह कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं अन्यथा मैं नहीं करता। आपको हमने नाबार्ड, आर.आई.डी.एफ. 30 में नोन-पैचेवल रोड है, सबसे ज्यादा सड़कें आपके विधान सभा क्षेत्र में, हमने 23 सड़कें दी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप इस सवाल का जवाब दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, यही है, 23 सड़कें दी हैं। इन्होंने कहा ध्यान नहीं रखते इसलिए मैंने यह जवाब दिया है। सबसे ज्यादा काम दिया है इस वर्ष में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल तो यह है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और आपका काम भी शुरू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): मैं मंत्री साहब से यह निवेदन करूंगा कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सलूम्बर में

(श्री अमृतलाल)

स्वयं मंत्री महोदय और हम साथ रहे हैं। इन्होंने जो 23 रोड्स स्वीकृत की हैं उनके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन उस मौके पर यह भी था कि सलूम्बर, उदयपुर से बांसवाड़ा रोड सलूम्बर पर, सलूम्बर का डिवाइडर और बाई-पास की बहुत भारी समस्या है और उसको सात मीटर चौड़ा करने का भी माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। यह कब होगा? मेरा आपसे निवेदन है कि आज ही वह घोषणा करें, सलूम्बर डिवाइडर और बाई-पास की और 42 करोड़ रुपये का, जब यह 70 किलोमीटर कम एरिया हो जाएगा और सरकार ने 42 करोड़ रुपया ज्यादा बताया है तो यह मेरे ध्यान से अलग बात है, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। सवाल का जवाब दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, शहर के अन्दर जो स्टेट हाईवे निकल रहा है, बांसवाड़ा के लिए जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से तो उसमें साढ़े तीन किलोमीटर के लगभग बाई-पास की डिमांड आपने कर रखी है चार लेन की तो उसका प्रस्ताव तो हमने तैयार करवाया है और अगले वित्तीय वर्ष में जैसे ही फंड्स आएगा तो उसमें प्राथमिकता के आधार पर लेंगे।

दूसरा, हमारा जो बाई-पास, उस समय इन्होंने मांग की थी, उसकी पूरी स्टडी, फिजीबिलिटी हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको हमने ले ही रखा है पहले भी, तो उसका भी निर्माण हम करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री रणधीर सिंह भीण्डर, आपसे सम्बन्धित है, यह आपका भी नेशनल हाई-वे है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कीरकी चौकी से सलूम्बर रोड मंत्री महोदय ने बताया कि कम्प्लीट हो चुका है लेकिन उसके बीच में चारगजा गांव पड़ता है तो उस चारगजा गांव का बाई-पास बनना था और वह 'जी' शिड्यूल में भी सम्मिलित था, जब स्वीकृत हुआ था तो उस चारगजा गांव में बाई-पास क्यों नहीं बनाया गया?

दूसरा, पिछली सरकार ने इसी कीरकी चौकी से बिछेवाड़ा तक मेगा हाईवे डिक्लियर किया था लेकिन वह घोषणा कागजों में ही रह गयी, उसका यह सरकार क्या करेगी? उसके बारे में भी कुछ बतायें।

श्री अध्यक्ष: बताइए न। माननीय मंत्री महोदय, सवाल का जवाब दीजिए न, पूरक प्रश्न किया है इन्होंने।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मैं वापस बोल दूं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): पिछली बार कीरकी चौकी से सलूम्बर आपने बताया कि कम्प्लीट हो चुका है। उसके बीच में एक गांव पड़ता है चारगजा, जिसका बाई-पास बनने वाला था लेकिन 'जी' शिड्यूल में होने के बावजूद वह बाई-पास नहीं बनाया और वह रोड उस गांव के बीच में से निकल रही है, आबादी उससे प्रभावित हो रही है।

दूसरा, पिछली सरकार ने इसी कीरकी चौकी से बिछिवाडा को मेगा हाईवे घोषित किया था लेकिन वह कागजी कार्यवाही रही और वह कागजों में ही रह गयी कार्यवाही। आप क्या करने वाले हैं? इस बारे में बतायें।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कीरकी चौकी से सलूम्बर जो सड़क बनी हुई है उस पर जिस गांव की आपने चर्चा की है, बाई-पास की तो उसका एक बार सर्वे करवा लेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा तो अभी कहां करेंगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टैक्निकल बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। नहीं, यूं नहीं। आप पहले इजाजत लें। जवाब आ गया आपका? दूसरा पूरक प्रश्न। आपका रेलेवेंट है नहीं इससे? इस सवाल से सम्बन्धित है आपका सवाल? नहीं है तो फिर ठीक है। श्री गौतम मीणा। इनका सम्बन्धित है। नहीं, आपका तो इधर है नहीं।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि सरकार आपके द्वारा उदयपुर सम्भाग में आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में पधारे थे। लसाड़िया से धरियावद सड़क, कालीपेच से बांसी और जो-जो भी सड़कें हैं, आपने स्वयं ने देखी और आपने घोषणा की। क्या मंत्री महोदय, यह जो-जो भी आपने घोषणा की है वह इसी वर्ष में आप पूरी करेंगे?

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से सम्बन्धित प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गौरव पथ?

श्री गोतमलाल (धरियावद): गौरव पथ नहीं, जो पुरानी सड़क थी जो ...(व्यवधान)

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): मेरा वहीं का मामला है, ऋषभदेव का ही मामला है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, मैं आपको एक मौका दूंगा। इनके बाद आप।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नवीनीकरण सड़क का करना है, जो धरियावद से लसाड़िया और फिर पांनू से पिला के बीच में छह किलोमीटर, इस सड़क के बनने से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सम्बन्धित है आदिवासी क्षेत्र से। (व्यवधान)

श्री गोतमलाल (धरियावद): नवीनीकरण करने से उदयपुर और प्रतापगढ़ बिलकुल सीधा जुड़ जाएगा कुरावड़, बम्बारा होकर, बम्बारा तक स्टेट हाईवे बना हुआ है और पिला से पांनू से लसाड़िया तक पांच मीटर सड़क है और लसाड़िया से धरियावद के बीच में जो तीस किलोमीटर सड़क आपने देखी है, उसकी नवीनीकरण करने की आपने घोषणा की और कालीपेच से बांसी सड़क, इन सड़कों का आप इसी वर्ष में करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय। इनके बाद आपका करना, ऋषभदेव से सम्बन्धित है?

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सुशीलजी हाथ नीचे कीजिए। हर बार हाथ खड़ा करते हैं वह सम्भव नहीं है मेरे लिए। अब होगा इनका।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी देख लें प्लीज।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इधर आपसे सम्बन्धित नहीं है यह।

श्री रमेश (सपोटरा): यह सलूम्बर की ही बात है। ऋषभदेव की ही बात है, मैं कोई दूसरा प्रश्न नहीं, इससे बाहर नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप विराजिए। नो, मैं ले रहा हूं और तीन से ज्यादा नहीं कर सकता। मैं ले रहा हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): दस दिन में पहली बार सप्लीमैंट्री कोई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। बहुत बोल रहे हैं आप।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: हर समय क्या हरेक को देना जरूरी है क्या? यह आदिवासी क्षेत्र का मामला है। हां, जवाब दीजिए आप गोतमजी का।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ.-20 में माननीय सदस्य ने प्राथमिकता के आधार पर जिन सड़कों की सूची दी थी, उनकी स्वीकृतियां तो हमने जारी कर दी हैं और जिस बीस किलोमीटर सड़क की आपने लसाड़िया-धरियावद वाली बात कही है उसको आर.आई.डी.एफ-21 में हम ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अहारी साहब। यह ऋषभदेव के ही हैं।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋषभदेव से सराड़ा जो सड़क है वह वर्षों पुरानी सड़क है उस सड़क को चौड़ा करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, लसाड़िया से आने वाले विधायक महोदय ने बताया कि ऋषभदेव सलूम्बर को जोड़ता है। सलूम्बर से धरियावद, प्रतापगढ़ और मन्सोर और एम.पी. पूरा क्षेत्र जुड़ता है, तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सड़क को शीघ्रातिशीघ्र पूरी करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह दूसरा प्रस्ताव भी जो माननीय सदस्य ने बताया है यह भी हमारे अल्टरनेट-टू में हमने रजिस्टर कर रखा है और उस पर भी हम कार्यवाही करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री सुरेश सिंह रावत।

पुष्कर में विशिष्ट श्रेणी की फूल मण्डी बनाने की कार्य योजना

384. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2003 से 2008 के मध्य पुष्कर में विशिष्ट श्रेणी की फूल मण्डी बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सरकार की वर्तमान में इस दिशा में क्या कार्य योजना है एवं पुष्प उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पुष्कर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है?

(3) क्या यह सही है कि पुष्कर क्षेत्र में फूल के अलावा आंवला, गोंदा व सब्जियों का भी बहुतायत में उत्पादन होता है? यदि हां, तो क्या इसको

(श्री सुरेश सिंह रावत)

बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यहां मेगा फूड पार्क जैसी कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी), अजमेर के गौण मण्डी यार्ड पुष्कर में नवीन फूल मण्डी यार्ड का निर्माण किया जाकर भूखण्डों का आबंटन किया जा चुका है तथा फूलों का व्यवसाय हो रहा है।

उद्यान विभाग द्वारा अजमेर जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2014-15 में 27.7 हैक्टेयर क्षेत्र में गुलाब के बगीचों की स्थापना करवायी गयी है।

(2) जी हां। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाओं का क्रियान्वयन पुष्कर सहित सम्पूर्ण राज्य में किया जा रहा है।

(3) मेगा फूड पार्क की स्थापना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार की योजना के तहत की जाती है। मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति भारत सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उक्त आबंटित भूखण्डों में फूलों के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर सकते हैं क्या? अगर हैं, तो ठीक है। नहीं, तो उक्त भूखण्डों पर संचालित हो रहे व्यावसायिक गतिविधियों पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी? 2014-15 में 27.7 हैक्टेयर क्षेत्र में गुलाब के बगीचे की स्थापना कौनसी जगह की गयी? सरकार ने उक्त बगीचों पर कितनी कितनी राशि खर्च की, बतायें? क्या यह सही है कि मेगा फूड पार्क की स्थापना की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं पायी गयीं? हां, तो सरकार उक्त कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य के पहले पूरक प्रश्न में कृषि उपज मण्डी फल सब्जी अजमेर के सब-यार्ड पुष्कर के बारे में जिन भूखण्डों की बात कही गयी है, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां

(श्री प्रभू लाल सैनी)

पर 96 भूखण्ड हैं और 96 भूखण्डों में से 65 का आबंटन फूल व्यवसाय के लिये किया गया है। मैं यह भी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस स्थान पर 25 हैक्टेयर जमीन कृषि उपज मण्डी के नाम आबंटित की गयी है, अभी उसमें सिर्फ 15 बीघा का आबंटन हुआ है, शेष जो बचा हुआ है, उसमें किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों के बारे में भी यदि वह आबंटन की बात करेंगे तो उस पर सरकार प्रस्ताव आने पर निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं इतना ही निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि जो 65 भूखण्ड फूल के व्यावसायियों को दिये गये हैं, उनमें से मात्र 38 ने अपना काम पूरा कर लिया है और 15 अभी प्रक्रियाधीन चल रहे हैं।

दूसरा, आपने पूरक प्रश्न किया कि पुष्कर क्षेत्र में 27.7 हैक्टेयर में फूलों के बगीचे स्थापित करने की स्वीकृतियां हम लोगों ने 2014-15 में जारी की थीं और उसके अन्तर्गत बगीचों का क्षेत्रफल 27.71 हैक्टेयर था, उसमें लगभग 2 लाख 77 हजार से ज्यादा पौधे किसानों को उपलब्ध कराये गये और पौधों की कुल राशि 8 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान हुआ और अनुदान के रूप में 2 लाख 70 हजार रुपये माननीय अध्यक्ष महोदय, उन किसानों को दिया गया। जहां तक आपने पूछा कि उसके क्या प्रावधान हैं और क्या उसकी अनुदान राशि है तो फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्माल फार्मर और मार्जिनल फार्मर जो भी है उनको 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और इसके अलावा जो बड़े किसान हैं उनको 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है और उसके अलावा लगभग 40 हजार अधिकतम अनुदान के प्रावधान उस योजना के अन्तर्गत देय है।

तीसरा पूरक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेगा फूड पार्क के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, उद्योग विभाग इसको देखता है, लेकिन फिर भी मैं इसके संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा 2011-12 में भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में मेगा फूड पार्कों की स्वीकृति जारी हुई और राजस्थान में सिर्फ एक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, अजमेर में स्वीकृत हुआ और उसमें मैसर्स ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क के नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया। 50 एकड़ भूमि पर इसको बनाया जाना प्रस्तावित था, जो प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने के लिये भूमि की कीमत को छोड़कर बाकी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, कई प्रकार के उसमें 40 से ज्यादा लगभग प्रोसेसिंग यूनिट

(श्री प्रभू लाल सैनी)

एस्टेब्लिश होंगी या वहां पर पानी या रोड्स या जिस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, वह उस कम्पनी के द्वारा किया जाएगा और 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने के उसमें प्रावधान दिये गये हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, कोई भी स्वयंसेवी संस्था या कोई भी एन.जी.ओ. या कोई भी ग्रुप सीधा ही वहां पर एप्लाई करता है और एप्लाई करने के बाद में वह उसका परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद भारत सरकार के द्वारा सीधे ही उनको स्वीकृति जारी की जाती है। उसका जितना टाइम दिया हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में स्वीकृत हुआ है, फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सारे प्रकरण को दिखाकर उद्योग विभाग को इसके सारे प्रस्ताव हम लोग भिजवायेंगे ताकि इसमें जो भी कार्यवाही होगी, हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो मैंने प्रश्न पूछा अभी तक इन्होंने इसका पूर्ण उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि पुष्कर के अन्दर भूखण्डों के अन्दर सिर्फ फूलों का ही व्यवसाय हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर अन्य व्यवसाय हो रहे हैं, वहां टेलर की दुकानें चल रही हैं, और मोटर पार्टस की दुकानें लगी हुई हैं, और साथ ही हमारे मंत्री महोदय बहुत ही सीधे सच्चे हैं और गांव के हैं तो इनको अधिकारियों ने बिलकुल गलत जानकारी दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का पवित्र सदन है, यह राजस्थान की सर्वोच्च पंचायत है और इनको अधिकारियों ने बहुत ही गलत जानकारी दी है। खण्ड-1 के अन्दर अधिकारियों ने इनको यह बताया है कि उस मंडी के अन्दर ...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): उस मंडी के अन्दर फूलों का व्यवसाय चालू है, लेकिन मैं स्वयं देखकर आया हूं और आप स्वयं भले ही अभी मेरे साथ चलिये, वहां पर एक फूल का कतरा भी आपको नहीं मिलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे झूंठे अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें ताकि आगे से गलत जवाब नहीं मिले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, हो गया न। हो गया सवाल तो आपका।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): इन्होंने जिस मेगा फूड पार्क की बात की, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने दिया हो, लेकिन राजस्थान भी भारत में ही आता है और इसको 50 करोड़ रुपये का अनुदान भारत सरकार ने दिया। जिस कम्पनी की शुरूआती मंशा ही खराब हो, तो जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, उसको अपन ऐसे नहीं लुटा सकते।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): दिनांक 9.3.2015 को पत्र क्रमांक 108/15 का यह पत्र जारी हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस कम्पनी के खिलाफ 22 लाख रुपये की राजस्व तथ्यों को छुपाकर जो रजिस्ट्री कराई, उसकी चोरी की है। जिस कम्पनी की शुरूआती मंशा ही गलत है, तो उसको 50 करोड़ का अनुदान कैसे दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये हैं। पहला प्रश्न कि जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये, जिस मंडी में दुकानों का आबंटन किया है, और दुकानों के आबंटन की मंशा के विपरीत यदि कोई काम कर रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कृषि उपज मंडी अधिनियमों के अचल सम्पत्ति आबंटन नीति, 2005 के अन्तर्गत हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि फूल की मंडी है और फूल की मंडी का ऐसा व्यवसाय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक वह पूरा एस्टेब्लिश नहीं हो पाये, जब तक वहां आकर व्यापारी उसके कूलिंग चैम्बर की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि फूल किसान सीधा व्यापारी को अपने खेत से ही बेच देता है और बेचने के बाद, किसी भी मंडी में यदि फूल को लाकर रख दिया जाता है, तो फूल ऐसा आइटम है कि एक-दो घंटे में वह बिलकुल निश्चित रूप से खराब हो जाता है। इसलिये निश्चित रूप से इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने की भी आवश्यकता होगी। इसके बारे में जो भी समुचित कदम होंगे, वह उठायेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह भी कहना चाहूंगा, चूंकि वहां पर व्यापारी आकर अपना

(श्री प्रभू लाल सैनी)

व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहते, सिर्फ फूलों की सूखी पत्तियां सुखाने आदि का जो काम है, वह वर्तमान में होता है। ट्रेड के रूप में यदि हम देखें कि ताजा फूल वहां आकर बिकने का काम अभी पुष्कर में खेत से ही सीधे किसान लेकर जाते हैं फिर भी हमारा यह प्रयास होगा कि कोई न कोई कूलिंग चैम्बर की व्यवस्था भी हो सकती है तो मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा हम निश्चित रूप से स्थापित करेंगे। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि व्यापारियों के साथ बैठकर एक बार इस प्रकार की व्यवस्था कर लें, ताकि सरकार यदि कूलिंग चैम्बर भी बनाये तो उसका उपयोग भी सही हो जाये।

दूसरा प्रश्न आपने किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सीधा, सच्चा, भोले। उसका जवाब दो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सारगर्भित प्रश्न है, क्योंकि घनश्यामजी जैसे हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जो उठाया है...

श्री अध्यक्ष: आपको भोला नहीं मानते वह।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सीधेपन का जहां तक प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी जैसी दृष्टि है, सारी सृष्टि उसको वैसी ही नजर आती है। जहां तक पूरक प्रश्न का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस कम्पनी के बारे में जो प्रश्न उठाया है।

वैसे मैंने पहले ही निवेदन किया है कि चूंकि यह उद्योग विभाग से सम्बन्धित है और किसी भी कम्पनी का यहां से कोई भी प्रस्ताव राजस्थान सरकार के माध्यम से नहीं भेजा जाता बल्कि एल.ओ.आई. के माध्यम से भारत सरकार को सीधे ही कम्पनियां वहां पर करती हैं, वहां से सैंक्शन होती है।

श्री अध्यक्ष: यह बता चुके हैं आप। विराजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): फिर भी जो विषय है उसको गम्भीरता से दिखवाया जाएगा और जो भी कार्यवाही होगी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: जगदीश नारायणजी, पुष्कर तीर्थ और फूल, इसके बारे में आपका पूरक प्रश्न है?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): जी हां।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो ही प्रश्न पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। (व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप बैठिये, आप मिल लीजिए। आप दो पूरक प्रश्न कर चुके, ना। जगदीश नारायणजी, पुष्कर तीर्थ और फूल के बारे में है?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): इसी से सम्बन्धित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और उनको अच्छी तरह से पता भी है कि पुष्कर-अजमेर के बाद में फूलों की खेती के बारे में अगर कोई जगह है तो जयपुर जिला दूसरे नम्बर पर है और जयपुर जिले में मंडी में सबसे ज्यादा फूल अगर कहीं से आता है तो विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ से आता है। माननीय मंत्री महोदय ने कई बार जमवारामगढ़ का दौरा भी किया है, देखा भी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा गुलाब की खेती जमवारामगढ़ में होती है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस तरह से नहीं। नहीं, नहीं, नाट अलाऊ। बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): और जमवारामगढ़ के किसानों ने आपसे कई बार आग्रह किया है फूल मण्डी खोलने के लिए। मैं तो यह जानना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पूरक प्रश्न रेलेवेंट होना चाहिए। विराजिये आप। भागीरथ चौधरी, आपका है?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पुष्कर और फूल?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां पुष्कर और फूल।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कृषि मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आज पुष्कर विधान सभा क्षेत्र और मेरा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र जुड़ता

(श्री भागीरथ चौधरी)

हुआ है, अजमेर जिला पुष्कर के आसपास, यहां आंवला, जामुन, गोंदा, अमरूद और फूलों की बहुतायत से खेती होती है, आज यह स्थिति है कि वहां आंवले की ...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए पुष्कर के बारे में। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां वो उस से ही।

श्री अध्यक्ष: गड़बड़ मत कीजिए, सीधा सवाल कीजिए। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां, फूल और आंवले एक ही हैं। आंवले की बात है यह ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आंवले एक ही नहीं हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दें।

श्री अध्यक्ष: विराजो। जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था पुष्कर और फूल दोनों...(व्यवधान) जवाब देने की आवश्यकता नहीं। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, आंवले के जो बग़ीचे हैं, किसान उनको काटने पर मजबूर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, मैंने पहले ही आपसे कहा था। विराजिये।

राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल को पी.पी.पी. मोड पर चलाने की योजना

385. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पब्लिक सैक्टर की इकाइयां निरन्तर घाटे में चल रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी इकाइयां कब-कब से घाटे में चल रही हैं और अब तक किस-किस इकाई को कुल कितना-कितना घाटा हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

निरन्तर लाभ में चल रही हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितना-कितना लाभ हुआ?

(3) क्या सरकार राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल छह भागों में विभाजित कर पी.पी.पी. माडल पर चलाने की योजना बना रही है? यदि हां, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में 23 राजकीय उपक्रम हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इनमें से 12 राजकीय उपक्रम लाभ में चल रहे हैं एवं 11 राजकीय उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि आर.एस.एम.एम.एल. निरन्तर लाभ में चल रही है। विगत 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (31 जनवरी, 2015) तक लाभ निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

	2014-15(31 जनवरी, 2015 तक)	**2013-14**	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**
कर पश्चात लाभ	124.73 (अनअंकेक्षित)	260.99	410.94	281.30	188.54

(3) जी नहीं। आर.एस.एम.एम.एल. को विभाजित नहीं करना उसकी अनुषंगी (subsidiary) कम्पनियों को लाने का प्रस्ताव था। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल से अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 में संशोधन हेतु जारी अध्यादेश दिनांक 12.01.2015 एवं आर.एस.एम.एम.एल. की अंश पूंजी के विनिवेश की क्रिया, प्रक्रियाधीन होने से प्रस्तावित सात अनुषंगी (subsidiary) कम्पनियां बनाया जाना व्यवहारिक नहीं पाया गया। निर्णयों/आदेशों की प्रति परिशिष्ट '1' एवं परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न, डोटासरा जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आर.एस.एस., आर.एस.एम.एम.एल. कम्पनी जो है वो हमारे भारत का रतन है।

श्री अध्यक्ष: आपके आर.एस.एस. ही दिमाग में रहता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको आर.एस.एस. का भूत लग रहा है। आर.एस.एम.एम.एल. को ही आर.एस.एस. बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान का रतन है और आर.एस.एम.एम.एल. कम्पनी लाभ में चल रही है। मंत्रीजी ने यह बताया कि 2011-12 में 281.30 करोड़ का लाभ हुआ, 2012-13 में 410.94 करोड़ का लाभ हुआ फिर भी राजस्थान की सरकार और, माननीय मंत्री महोदय, आपकी सरकार सब्सिडरी कम्पनियां लाने का विचार रखती थी।

श्री अध्यक्ष: मना कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र का एम.एम.डी.आर. कानून आ गया और उसके कारण से आप जो प्राइवेट लोगों को देना चाहते हो वो नहीं दे सके लेकिन अब आप इसका डिस्इन्वेस्टमेंट करने का विचार रखते हैं, अगर आप इस तरह का डिस्इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो जो निरन्तर लाभ में चल रही है उस कम्पनी को आप शेयरों में लोगों को बेचना क्यों चाहते हैं? एक तो मेरा यह सवाल है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला बाद में, सैकिण्ड चांस दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी में है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं आपको सैकिण्ड चांस दे रहा हूं। हां, मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ सैक्रेटरीजी ने प्रपोज किया था कि सात सब्सिडरी कम्पनीज जो हैं राक फास्फेट लिमिटेड, जिप्सम लिमिटेड, लिग्नाइट लिमिटेड, एस.एम.एस. लाइमस्टोन लिमिटेड, लाइमस्टोन (सीमेंट) लिमिटेड, मल्टी मैटल लिमिटेड और रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड, उन्होंने प्रपोज किया था कि यह सात सब्सिडरीज बनायी जाएं।

यह जो प्रपोजल था इसका आधार अध्यक्ष महोदय, यह था कि कई ऐसे मिनरल्स हैं जो अण्डर-एक्सप्लायटेड हैं, आर.एस.एम.एम.एल. में क्षमता

(श्री गजेन्द्रसिंह)

नहीं है उनको माइनिंग करने की। उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आर.एस.एम.एम.एल. के पास 12 हैक्टेयर लीज पर जिप्सम है और इसमें से तीन हजार हैक्टेयर है वो अन्एक्सप्लायटेड है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनियां तो बना ही नहीं रहे हैं, वो तो डिस्इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए न, तीन मिनट और रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सीधा सवाल पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डिस्इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान) क्या एम.एम.डी.आर. एक्ट में इसको मेन्डेटरी किया गया है? नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? इनके शेयरों को प्राइवेट लोगों को क्यों बेचना चाहते हैं? इसका कंट्रोल किस का रहेगा, कितने का शेयर होगा? लाभ में चलने वाली कम्पनी का क्यों करना चाहते हो? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): ड्राप हो गया प्रश्न ही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सक्षम नहीं हैं क्या उद्योग मंत्रीजी? डिस्इन्वेस्टमेंट आप समझोगे नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, आप डिस्इन्वेस्टमेंट समझोगे ही नहीं। यह बता देंगे।

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, बैठिये, बैठिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बीच में टोका गया। लाइमस्टोन के अन्दर चार हजार हैक्टेयर है और 500 हैक्टेयर अन्एक्सप्लायटेड है। इसके अन्दर खाली स्पेसिफिक मिनरल्स के लिए यह सब्सिडरी पी.एस.यू. बनाने की सोच थी। जोइंट वेन्चर पार्टनर को बुलाकर 49:51 का इसमें करने का और इसमें हमें रायल्टी ही नहीं मिलती इसके अन्दर हमें प्रीमियम भी मिलता।

आपने जैसे फर्माया एक्ट के जरिए यह सब कैंसिल हो गया और एक्ट के जरिए यह बोला गया कि लीज जो भी है वो अगर आक्शन से प्राप्त हुई हो तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और अलाटमेंट से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, जवाब आ रहा है, नो। इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जवाब आ रहा है, सुनिये पूरा।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अगर अलाटमेंट से प्राप्त हुई है तो हम उसको नहीं कर सकते ट्रांसफर।

अध्यक्ष महोदय, यह जो डिस्इन्वेस्टमेंट है बजट के अन्दर यह पैरा 229 में आपको पढ़कर बता देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, क्यों कर रहे हो? सिर्फ यह कि क्यों कर रहे हो? क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं आप बैठिये। बैठिये आप। (व्यवधान) वो जवाब दे रहे हैं न, आप बार-बार खड़े होकर क्यों सवाल करते हो, डिस्टर्ब करते हो। बैठ जाइये आप।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा 229 के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में बाजार से पूंजी एकत्र करेंगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, इनका जवाब नहीं दिया जाए। बिलकुल नहीं दिया जाए। बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डिस्इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? लाभ की कम्पनी को आप बेचना चाह रहे हो।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मंत्रीजी, मेरे भी अंबुजा कब चालू करोगे, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न आवर खतम हो रहा है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मेरी भी अंबुजा है वो कब चालू करेंगे, मंत्रीजी बताएं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई प्रश्न नहीं है। मान लो हमारी खासाकोठी है, दो करोड़ का लाभ कर रही है तो अगर उसको डिस्इन्वेस्ट करके सरकार को पांच करोड़ मिले तो कोई गलत काम थोड़ी ना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कर रह हो क्या? कर रहे हो क्या डिस्इन्वेस्टमेंट? अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पैरा 229, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में बाजार से पूंजी एकत्र करने में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब की तैयारी नहीं है, मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधान सभा है कि आपके उचक-उचक कर बोलने का अखाड़ा है। नहीं, बैठ जाइये। विधान सभा को मजाक बना करके रख रखा है आपने। उत्तर सुनते नहीं हैं, आपके उचक-उचक करने का अखाड़ा नहीं है।

प्रश्न काल समाप्त हुआ। प्रश्न काल समाप्त हुआ ...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 03 मार्च, 2015 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:-

पत्र क्रमांक : प (17)(30)राभ/2013/1863

दिनांक : 25 मार्च, 2015

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक एफ 10(17)विधान सभा/2014-15/6762 दिनांक 03 मार्च, 2015 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

सादर।

सद्‌भावी,

(कल्याण सिंह)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से यातायात विभाग द्वारा कार टैक्सी चालकों से एकमुश्त 15 वर्ष का अग्रिम टैक्स जमा कराने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जनवरी, 2014 में आयोजित लिपिक ग्रेड सैकण्ड की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत के राजकीय चिकित्सालयों में आवश्यक संसाधनों की कमी तथा नर्सिंग, पैरा मेडिकल स्टाफ, व डाक्टरों के पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री अशोक, सदस्य की ओर से जिला बूंदी के लिये वर्ष 2009-10 में स्वीकृत एनिकटों का लम्बे समयान्तराल के उपरान्त भी निर्माण नहीं होने एवं निर्माणाधीन एनिकटों का कार्य भी अधूरा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत बस्सी, जिला जयपुर में सार्वजनिक स्थलों के पास शराब की दुकानें संचालित होने एवं अन्य राज्य की शराब बिक्री होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान क्लीनिकल एस्टेब्लिशमैंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन) एक्ट, 2010 की अधिसूचना जारी होने से पूरी चिकित्सा व्यवस्था के प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अशोक, श्रीमती अंजू देवी धानका एवं श्री मनोज कुमार को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से अजमेर से उदयपुर के बीच संचालित बसों की छत से पार्सल चोरी की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य की ओर से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र सिंह भादू, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री विजय सिंह, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में ट्रोमा सेंटर एवं ब्लड बैंक की स्थापना करने आदि के सम्बन्ध में।

(5) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की आवासीय बस्तियों से गुजर रहीं हाइटेंशन लाइनों के तारों से घटित हो रहे हादसों के सम्बन्ध में।

(6) श्री विश्वनाथ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ के भूदान भूमि के करीब 500 काश्तकारों को खातेदारी हक देने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) सुश्री कीर्तिकुमारी, सदस्य की ओर से मांडलगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से टोडारायसिंह को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(10) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से सेही बांध का पानी पिंडवाड़ा तहसील में लाने की योजना बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद की खैरवा जाति के परिवारों को भी कोटड़ा तहसील के कथौड़ी परिवारों के समान राशन नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में राजस्व रिकार्ड में हुई भारी त्रुटियों के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को शून्यकाल में बोलने हेतु 56 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री शैतान सिंह, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 4 ग्राम पंचायतों को पोकरण तहसील में मिलाने व सांकडा को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री घनश्याम, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री अर्जुनलाल जीनगर, बनास नदी में बजरी का ठेका होने के बावजूद भी रायल्टी के नाके बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री फूलसिंह मीणा, हाउसिंग बोर्ड द्वारा पानोरो की मादड़ी व रीको द्वारा कलरवास औद्योगिक क्षेत्रों में अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, श्री अशोक।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: इन्फार्मेशन यहां नहीं होती।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: हां, तो क्या बोलना है आपको पाइंट आफ आर्डर में।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, यह फोटो देखो, जैसलमेर के अन्दर गायें मर रही हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है, यह नियमों में प्रावधान है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह आप देखो क्या हालत है बाड़मेर और जैसलमेर में गायें किस तरह से मर रही हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह माननीय गृह मंत्री जी को दे दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपदा मंत्रीजी, यह क्या हालात हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस हो गया। आप गृह मंत्रीजी को दे दीजिये। पाइंट आफ आर्डर से यह नहीं उठाया जा सकता है ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पशु शिविर जो खोले उनको बंद कर दिये।

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर रहा हूं न आपको कि गृह मंत्रीजी बैठे हैं उनको दीजिये। हां, अशोकजी, गुलाबजी को दे दीजिये आप। गुलाब चन्द कटारिया जी गृह मंत्री को।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बूंदी में स्वीकृत एनिकटों का निर्माण नहीं होने एवं निर्माणाधीन एनिकटों का अधूरा कार्य

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि बूंदी जिले में जिला जल निधि योजनान्तर्गत भू-जल स्तर में बढ़ोतरी और पशुओं के पेयजल आपूर्ति हेतु 2009-10 में 17 एनिकट स्वीकृत किये गये थे। 5 साल के बाद भी इनके निर्माण पूरे नहीं हुए हैं।

कई एनिकट हैं जिनमें कुछ व्यय हुआ है और बाकी पैसा अभी तक लगाया नहीं गया है। जैसे मूंडकसा एनिकट में 37 लाख 81 हजार, चैंता में 38 लाख 91 हजार रुपये, मूंडली में 38 लाख 58 हजार रुपये व्यय हो चुका है। बाकी का पैसा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के पास में पड़ा हुआ है और वह उन एनिकटों का काम पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे वहां पर यह पैसा लगाया हुआ भी कोई काम नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ एनिकट इन्होंने अप्रारम्भ दिखा रखे हैं, मैंने द्वितीय सत्र में एक प्रश्न लगाया था, संख्या 3458, जल संसाधन के जवाब में इनको जून, 2015 में पूरे करने का इन्होंने आश्वासन दिया था। कुछ एनिकट जो कि अप्रारम्भ दिखा रखे हैं, इनके ऊपर भी कुछ पैसा खर्च हुआ है, बोरखेड़ा में 2 लाख 49 हजार रुपये, सादेड़ा में 2 लाख 72 हजार रुपया, ठीकरिया चारण में 2 लाख 29 हजार रुपया, गुढागोकालजी में 44 हजार रुपया, बिहारीपुरा में 1 लाख 52 हजार रुपया, खटकड़ में 4 लाख 67 हजार रुपया अप्रारम्भ में भी लगाकर इन एनिकटों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा में प्रश्न का जवाब मिला

(श्री अशोक)

कि जून महीने में यह सारे एनिकट पूरे हो जाएंगे। यथास्थिति ही उन सभी एनिकटों की पड़ी हुई है, उसके बाद में एक रुपये का भी काम नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निर्देशित करवाना चाहूंगा कि वह जो अधूरे पड़े एनिकट हैं, जिनसे वहां के आम आदमी, किसान और पशुओं को राहत मिल सकती है, उनका काम तुरन्त प्रभाव से शुरू हो। जिन अधिकारियों ने इन 5 सालों में जो 30 करोड़ सैंक्शन पैसा है, उसमें से सवा से डेढ़ करोड़ रुपया लगाया, बाकी उनके पास ही पड़ा हुआ है।

इन पांच सालों में उस पैसे को उन्होंने कहीं और खर्च कर दिया या जो भी है उसके पास भी आपके पास रिपोर्ट भेजें ऐसे आपके कोई निर्देश हों, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आप रेस्पोंड करेंगे? विराजिए, वह रेस्पोण्ड करना नहीं चाहते। आपने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं कोई पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे क्षेत्र में चार-पांच गुण्डों ने एक व्यक्ति को मार दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, कोई पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन नहीं, इस किताब से बता दीजिए। श्रीमती अंजू देवी धानका। विराजो। (व्यवधान) विराजो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पाइण्ट आफ आर्डर मान लो।

श्री अध्यक्ष: पाइण्ट आफ आर्डर कैसे मान लूं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मान लो।

श्री अध्यक्ष: क्यूं मान लें? आप तो पुराने माननीय सदस्य रहे हैं। आप बहुत पुराने विधायक हैं आप नियम और प्रक्रिया यहां की जानते हैं और आप जानते हैं कि यहां पर नियमों में कैसे उठाए जा सकते हैं मसले, यहां पर पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन नाम की चीज तो इस नियमावली में है नहीं, आप पाइण्ट आफ आर्डर उठाया जा सकता है लेकिन वह समय पर। श्रीमती अंजू देवी धानका। (व्यवधान) आप बैठिए। महिला माननीय सदस्य बोल रही हैं, पहली बार बोल रही हैं, बोलने दीजिए। (व्यवधान) विराजो, पीछे आपके महिला माननीय सदस्य बोल रही हैं। आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हजारों लोग सड़कों पर बैठें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही करो, मैं गृह मंत्रीजी को निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप गृह मंत्रीजी से मिल लो, मेरा आपसे निवेदन है। श्रीमती अंजू देवी धानका।

बस्सी में सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानों का संचालन

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से आबकारी मंत्रीजी को निवेदन करना चाहती हूं कि आबकारी विभाग की जो नीति है वह 100 मीटर की डिस्टेंस तक कोई भी स्कूल, चिकित्सालय, मंदिर नहीं होना चाहिए लेकिन बस्सी में तीन दुकानें ऐसी हैं जो चिकित्सालय, स्कूल और मन्दिर तीनों के ही पास में हैं और एक घनी आबादी क्षेत्र में चल रही हैं जिसकी वजह से काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रशासन को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक लाइसेंस के ऊपर जो ऑनर है, दुकान का जिसने लाइसेंस लिया हुआ है वह तीन-तीन दुकानें संचालित कर रहा है और उससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि वहां मन्दिर के खुलने से, घण्टी बजने से लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं जितनी वहां की शराब की दुकान जो साढ़े पांच बजे खुलती है, मन्दिर छह बजे खुलता है, उसकी आवाज से खुलती है। तो मैं चाहूंगी कि मन्दिर इतने करीब है कि मन्दिर की जो बैल बजती है वह और शराब की दुकान जो साढ़े पांच बजे ही खुल जाती है उसका शोर पहले आ जाता है तो वह कितनी नजदीक होगी। उसी बीच में वह घनी आबादी है, आम पब्लिक है, वहां की परेशान होती है। कुछ उन्होंने शाखाएं खोल रखी हैं, बस्सी बस स्टैण्ड पर गोविन्द पब्लिक स्कूल के पास एक शराब की दुकान स्थापित है जिसकी दूरी 100 मीटर से भी कम है। दूसरी दुकान वार्ड नम्बर 12 गोपीनाथ मन्दिर से 50 मीटर एवं गंगा माता के मन्दिर से मात्र 10 मीटर एवं आयुर्वेदिक औषधालय से मात्र 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरी दुकान बस्सी चक पर बलराम आश्रम संस्कृत विद्यालय के पास एवं बालाजी मन्दिर के पास स्थित है जिसकी दूरी मात्र 50 मीटर है। उपरोक्त शराब की दुकानों का विद्यालय एवं मन्दिर और चिकित्सालय के पास होने के कारण...

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं। अनिता भदेलजी, मंत्रीजी, आप अपनी सीट पर जाइएगा।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्योंकि उसी शराब की दुकान से थोड़ी दूरी पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल है, तो वहां पर लड़कियां स्कूलों में आती जाती हैं, महिलाएं वहां पर चिकित्सालय जाती हैं तो मार्ग एक ही होने के कारण वहां पर 24 घण्टे लोगों का आम रास्ता है, लोग आते जाते रहते हैं जिसकी वजह से वहां पर महिलाओं, बच्चियों और लड़कियों को काफी दिक्कतें आती हैं। वहां पर लड़के वगैरह खड़े रहते हैं वह उन्हें फब्तियां कसते हैं, गाली गलौच करते हैं, गन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस पर मैं मंत्रीजी का जवाब जरूर चाहूंगी, इस फीलिंग के साथ आप मुझे जवाब दीजिए कि आपके घर की अगर बच्चियां हों या मेरी खुद की भी बेटी वहां हो तो हम क्या रेस्पोंस उस पर करेंगे वह रेस्पोंस मैं आपसे चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास यह पूरी पोथी है, जिसमें पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिए गए हैं, ग्रामीणों द्वारा बार-बार, एसएचओ को भेजे गए हैं प्रस्ताव, इसमें अखबारों की कटिंग के माध्यम से बार-बार मामले को उठाया जा रहा है लेकिन किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आबकारी विभाग वाले, प्रशासन पर डाल देते हैं और प्रशासन वाले आबकारी विभाग पर डाल देते हैं और दोनों की मिलीभगत से यह काम चल रहा है। यह मेरी समस्या नहीं है मेरे ख्याल से यहां पर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं वह सब इस बात का समर्थन करेंगे कि यह सभी जिलों की समस्या है कि इसकी सुनवाई नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपसी बातचीत नहीं, माननीय सदस्य, सुरेशजी रावत।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): एसएचओ इसमें एक कटिंग ऐसी है जिसमें यह लिखा है कि एसडीएम ने एसएचओ को कहा कि जाकर वहां जांच करे और वह जांच करने गया तो उसने वहां के ग्रामीण लोगों को डराया धमकाया, थाने लेकर गए, उल्टा उस दुकान वाले को जो शोपकीपर था शराब का, उसको कहने के बजाय उसने आम पब्लिक को परेशान किया और डराया धमकाया कि वह मामले को शान्त रखे ताकि उनका जो सुविधा शुल्क महीने का चलता रहता है वह चलता रहे। मैं यहां पर बिलकुल क्लीयर कहना चाहती हूं कि हर थाने और हर तहसील से ठेकों की बन्धी होती है और होती है और होती है। इसमें कोई दोराय नहीं और वह पूरे राजस्थान की समस्या है कि शराब के ठेकों की कोई सुनवाई किसी थाने और तहसील में नहीं होती और आम पब्लिक उसके लिए परेशान रहती है।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया, तीन मिनट से ज्यादा हो गए, चार-पांच मिनट।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे सिर्फ जवाब दिलवा दीजिए, धार्मिक स्थल है, चिकित्सालय है, स्कूल है वहां से हटाएंगे या नहीं हटाएंगे।

श्री अध्यक्ष: वह रेस्पोंड करेंगे, सरकार की तरफ से कौन रेस्पोंड कर रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी तहसील में 11 दुकानें स्वीकृत हैं। बस्सी की जिन दुकानों की चर्चा आपने की है वे एक समूह की चार दुकानें हैं जो गये 15 सालों से उन्हीं स्थानों पर संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आम तौर पर बहुत भ्रांति पैदा होती है एक्साइज रूल्स स्पेसिफिकली कहता है कि ''Minimum distance of 200 meters should be kept between the country liquor shop and hospitals, dispensaries, college institutions, places of public entertain-ment and public resort and places of common public workshop recognized by such by the Excise Commissioner." लोग इस 200 मीटर डिस्टेंस के बारे में आम तौर पर यह मानते हैं कि 200 मीटर एरियल डिस्टेंस है, हवाई। जबकि 200 मीटर एरियल डिस्टेंस का कानून में प्रोविजन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्टेंस को डिफाइन आप कैसे करेंगे, तय करेंगे, आगे यह एक्साइज एक्ट कहता है, सैक्शन- 3 ''Such distances would been the distances along regular approach roads in existence and in constant use and it should not be measured as a crow flies." आम तौर पर हम फ्लाई की डिस्टेंस को नापते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

जहां तक आपने चार दुकानों की चर्चा की और कहा कि वह 200 मीटर की प्रेस्काइब लिमिट में है। पहली दुकान आपने चर्चा की बस्सी बस स्टैंड पर है, वह दुकान गोविन्द पब्लिक स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर है। दूसरी दुकान जिसकी इन्होंने चर्चा की वह बस्सी के वार्ड नम्बर 12 में है, यह दुकान भी गये 15 साल से है और यह आयुर्वेदिक अस्पताल से 200 मीटर है और गोपीनाथजी के मन्दिर से भी 200 मीटर है। मुझे एक सज्जन ने कहा कि गोपीनाथजी के मन्दिर से 200 मीटर से थोड़ा सा कम बत्ती है। इस मामले में कम बत्ती है तो वार्ड 12 में यह दुकान है और जो गोपीनाथजी के मन्दिर से डिस्टेंस को दुबारा नपवा लिया जाएगा। तीसरी दुकान जिसके बारे में आपने चर्चा की, वह बस्सी चक की दुकान है जो बालाजी के मन्दिर से आप 50

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मीटर होना बता रहे हैं जबकि यह 200 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर है। एक दुकान है जो खटीकों की मण्डी में है उसके अन्दर भी किसी प्रकार का माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई आब्स्टेकल नहीं है।

जहां तक वहां पर न्यूसेंस पैदा होने का सवाल है, और एसएचओ के द्वारा कार्यवाही करने का सवाल है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से वहां पर पुलिस कार्यवाही करती है और पुलिस की कार्यवाही में किसी प्रकार की कमी है तो उस कमी को भी निश्चित रूप से दिखवा लिया जाएगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा क्लेरीफिकेशन ठीक करना चाहूंगा। क्योंकि आपके माध्यम से अभी जो जवाब प्राप्त हुआ है वह एरियल डिस्टेंस नहीं है वह तो समझ में आता है, नापा कहां से जाएगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा करना है, स्कूल के बाउण्ड्री के गेट से अगर नापेंगे तो वहां पर 15-20 मीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। वह क्लीयर नहीं है रूल।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री मनोज कुमार।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकिंग डिस्टेंस पर है वह, सबसे बड़ी बात कि वहां से बच्चियां और महिलाएं गुजर रही हैं तो आप यह इन्तजार करते रहो वह छेड़ते हैं और आप छिड़ते रहो। (व्यवधान) कोई बात नहीं, उस रास्ते से निकलो लेकिन हम नहीं हटाएंगे उसको। इसका मतलब तो यह हो गया...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो दिलवा दीजिए कि हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री महोदय से मिल लें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): हटाएंगे या नहीं हटाएंगे यह तो बता दीजिए मुझे।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना मंत्रीजी से।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): इसका जिस तरह से जवाब दिया मंत्रीजी ने उससे लगता है कि आप नहीं हटाएंगे, आप यह कह रहे हैं कि जो बच्चियां मुझसे सवाल करती हैं कि क्या हुआ तो मैं उनको यह जवाब दे दूं कि आपको छेड़ते हैं तो आप छिड़िए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मंत्रीजी नहीं हटाएंगे। मैं आपको कह रही हूं कि वाकिंग डिस्टेंस में है और आप उसमें वही आंकड़े वाली बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आप तो जवाब सही-सही दिलवा दीजिए कि वह हटाएंगे कि नहीं।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सरकार देगी वो ही होगा।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आप हटवाने का आश्वासन तो दिलाइये।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मनोज कुमार। सरकार जवाब देगी वो ही होगा।

क्लीनिकल एस्टेब्लिश (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट 2011 की अधिसूचना से प्रभावित चिकित्सा व्यवस्था

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के बारे में कहना चाह रहा हूं कि यह एक्ट विधान सभा में 2011 में पारित हो चुका। हालांकि इस एक्ट के नियम सरकार द्वारा आज दिन तक लागू नहीं किये गये थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने अधिकृत रूप से सूचना लागू करने के लिए अधिकारिक सूचना जारी की है, अधिसूचना जारी की है, उसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार ने एक कानून लाकर, सरकार के पास अपने साधन और संसाधन उपलब्ध है नहीं, राजस्थान में उनके पास अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करने की उनकी पूरी सुविधा नहीं है, उनके पास डाक्टर उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट का ध्यान रखिए आप, नहीं तो आइंदा से मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह एक्ट लाकर राजस्थान में एक इंस्पेक्टर राज लागू करने की मंशा सरकार ने बनायी है। राजस्थान में इससे पहले भी कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनसे सरकार, चिकित्सा विभाग से ही बात करना चाह रहा हूं कि मेडिकल में ड्रग कंट्रोलर की एक पोस्ट है और वह जिला हैडक्वार्टर पर है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कितनी मेडिकल की ऐसी दुकानें हैं जिनको आपने उस कानून के माध्यम से राजस्थान में नकली दवाइयां बेचने से रोका हो। वो सिर्फ मन्थली अपना धन इकट्ठा करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करती। इसमें

(श्री मनोज कुमार)

राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन ने राजस्थान में घोषणा की है कि आंदोलन किया जाएगा, अगर इस एक्ट में जो नियम है उस नियम में, मेडिकल एसोसिएशन ने इनके साथ वार्ता करने के लिए अस्पताल में कमेटी बनाने के लिए, एक नियामक कमेटी है जिसमें 30 प्रतिशत अपने सदस्य शामिल करने के लिए और जो पहले से अस्पताल चल रहे हैं जिनमें प्रोविजनल पंजीकरण की बात की है, उनके स्थायी पंजीकरण के लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जनता के हित को देखते हुए हमें सबसे पहले मेडिकल एसोसिएशन के लोगों से वार्ता करके इनके सुझाव, इनका जो सहयोग है, वह लेकर इन नियमों का सरलीकरण करके राजस्थान में आप जिस एक्ट की बात करना चाह रहे हैं, पिछली सरकार ने तो उन लोगों के सामने हाथ खींच लिए, लेकिन अबकी बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सरकार अपने तानाशाही और लालफीताशाही राज के कारण हमारे इस मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ एक एक्ट लाने का प्रावधान कर रही है। इस एक्ट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता के हित में या तो राजस्थान में स्वयं राज्य सरकार इतनी व्यवस्था करे कि मरीज को आप पूर्णत: व्यवस्था दे सकें, मरीज को इलाज दे सकें या जो प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं उनको आप व्यवस्थित करने के लिए पाबंद न करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उनका पूर्णत: सहयोग लेकर आप इसको लागू करें वरना आंदोलन हो जाएगा, राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पूर्णत: प्रभावित हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड करेंगे। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात सही कही कि 2010 के अन्दर केन्द्र सरकार पूरे देश के अन्दर क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट लेकर आयी थी। संविधान के आर्टिकल 47 के प्रावधानों के अनुसार यह एक्ट आया था और गजट में यह भारत सरकार ने साया भी कराया। यह बात भी सही है कि 9 अगस्त, 2011 को राजस्थान की विधान सभा ने इसे अडाप्ट किया, जून, 2013 के अन्दर तत्कालीन सरकार ने इसके रूल्स बनाये, रूल का नोटिफिकेशन भी किया, अब इसे संशोधित रूप से इसी 20 मार्च को राजस्थान विधान सभा में मैंने रखा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जितने भी निजी चिकित्सालय हैं इन पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण हो। इस एक्ट के माध्यम से मिनिमम स्टैण्डर्ड क्या हो, इसमें काम करने वाले कर्मियों की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो, इसके माध्यम से इनकी फीस का रेगुलरेट करना मुख्य उद्देश्य यह था।

अध्यक्ष महोदय, अभी स्वाइन फ्लू हुआ। हमने निजी चिकित्सालयों को कहा कि वे भी अपने चिकित्सालय के अन्दर स्वाइन फ्लू के रोगी आयें उनकी सूचना सरकार को दे, परन्तु हमारे पास कोई कानून नहीं था। यह जो रजिस्ट्रेशन का काम हम लेकर आये हैं, जो अथोरिटी बनेगी, यह राज्य स्तर पर बनेगी, जिला स्तर पर बनेगी। उसके अन्दर इनकी एसोसिएशंस के लोग भी शामिल होंगे। इस एक्ट को लागू करने के पीछे मंशा यही है कि इन चिकित्सालयों द्वारा आमजन से जो मनमानी फीस वसूल की जा रही है जांच के नाम पर, उस पर रेगुलेशन हो। हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिसमें हमें आवश्यकता पड़ती है, बीमारियां अलग-अलग हो रही हैं, हमें कई बार इनके डेटाज इकट्ठा करके रणनीति बनाने के लिए हमारे हैल्थ इंडीकेटर के लिए भी कई प्रकार की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से इसके पीछे राजस्थान के अन्दर सब जानते हैं कि बहुत सी संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन मिली है। राजस्थान के अन्दर 67 ऐसी जगह हैं जो सम्भागीय मुख्यालय में है, 67 चिकित्सालयों को रियायती दर पर जमीन मिली, उन्होंने सरकार के साथ एमओयू किया और एमओयू करके उन्होंने कहा कि जहां बिलकुल मुफ्त में टोकन पर जमीन मिली, एमओयू में लिखा कि हम 20 से 25 परसेंट बी पी एल को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा देंगे, जिनको आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर जमीन दी गयी उन्होंने कहा कि बी पी एल को 10 परसेंट सुविधा देंगे। आरक्षित दर पर जिसने जमीन ली उसने कहा कि 10 प्रतिशत बी पी एल को मुफ्त में सुविधा देंगे। इसके अलावा 55 ऐसे निजी चिकित्सालय और हैं जो राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा के लिए राज्य सरकार से एमओयू में हैं। इनका भी प्रतिमाह 5 बी पी एल परिवारों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार से एमओयू किया है परन्तु कोई उसकी पालना नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमने रोगी मित्र लगाये हैं। मैं निवेदन करूं इसको लागू करने से पहले हमने इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन से बात की, हमने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन से बात की। हमने निजी चिकित्सालय के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिनिधि हैं उनसे बात की और हमने कांग्रेस डाक्टर्स सैल के जो इंचार्ज हैं उनसे बातचीत की। अभी भी वार्ता के द्वार खुले हैं, परन्तु आज की आवश्यकता है क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की। इसके पीछे कोई इंस्पैक्टर राज लगाने की सरकार की मंशा नहीं है। हम रेगुलरेट करना चाहते हैं ताकि गरीब को पता तो हो कितनी फीस उसको देनी है। वरना यह जिस प्रकार का सिस्टम हो गया, जिसका जैसा चेहरा देखा वैसा उसको तिलक लगा दिया, जिससे मर्जी हो उतनी फीस ले लो। अध्यक्ष महोदय, अनक्वालिफाइड लोग भी अखबारों में पढ़ते हैं कि इलाज कर रहे हैं। इसलिए सारी चीजों का एक ही इलाज है कि राजस्थान में हम क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट लेकर आएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री हरीसिंह रावत। 295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बसों की छतों से पार्सल चोरी

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत बसों की छतों से पार्सलों की चोरियां हो जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि अजमेर से उदयपुर के बीच में जयपुर व सीकर से अहमदाबाद, सूरत जाने वाली एवं आने वाली बसों की छतों से लगातार पार्सलों की चोरियां हो रही हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. दिनांक 12.10.2014 को सूरत से जयपुर आते समय बस संख्या आरजे 30 पीए-1671 (श्रीनाथ ट्रेवल एजेन्सी, जयपुर) में एक पार्सल साड़ियों का कम मिला, जिसकी एफआईआर पुलिस थाना सुखेर, उदयपुर को पंजीकृत पत्र द्वारा भेजी गई एवं सम्बन्धित थानों में कापी भेजी गयी।

2. दिनांक 06.01.2015 को सूरत से जयपुर आते समय बस संख्या आरजे 30 पीए 1671 (श्रीनाथ ट्रेवल एजेन्सी, जयपुर) दो पार्सल साड़ियों के कम मिले, जिसकी एफआईआर पुलिस थाना केलवा जिला राजसमंद को ड्राईवर दातार सिंह, भीमसिंह एवं क्लीनर नारायण सिंह द्वारा पंजीकृत पत्र से भेजी गयी।

3. दिनांक 19.02.2015 को उदयपुर से जयपुर आते समय बस संख्या आरजे 30 पीए 1847 (श्रीनाथ ट्रेवल एजेन्सी, जयपुर) में 5 पार्सल कपड़े के, साड़ियों के कम मिले जिसकी सूचना पुलिस थाना विधायकपुरी जयपुर को पंजीकृत पत्र द्वारा दी गई एवं अन्य थानों को भी इसकी सूचना ड्राईवर नरेन्द्र सिंह एवं क्लीनर राजेश द्वारा दी गई।

(श्री हरिसिंह रावत)

4. दिनांक 19.02.2015 को जयपुर से अहमदाबाद जाते समय बस संख्या आरजे 45 पीए श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): (गोयल ट्रेवल्स, जयपुर) में 5 पार्सल साड़ियों के कम मिले, जिसकी मौखिक सूचना थाना भीम एवं अन्य थानों को दी गई।

5. दिनांक 11.03.2015 को जयपुर से सूरत जाते समय बस संख्या आरजे 36 पीए 1194 (श्रीनाथ ट्रेवल एजेन्सी, जयपुर) में से 15 पार्सल कपड़े के साड़ियों के कम मिले जिसकी एफआईआर संख्या 133/2015 पुलिस थाना भीम में लिखायी गयी।

6. दिनांक 12.03.2015 को वापी से सीकर आते समय बस संख्या आरजे 23 पीए 4281 (पवन ट्रेवल्स सीकर) में से 8 पार्सल कपड़े के साड़ियों के कम मिले, जिसकी एफआईआर पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर में दिनांक 14.03.2015 को दी गयी।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि पिछले 6 माह से उदयपुर से अजमेर के बीच में लगातार पार्सल चोरियों की घटनाएं घट रही हैं तथा पुलिस विभाग को भी सूचना दे दी गयी, परन्तु अभी तक इन वारदातों का कोई पता नहीं लग पाया है। आपसे निवेदन है कि संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करवाने की कृपा कराएं जिससे यात्री आपके आभारी रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'। माननीय गुलाबजी, यह व्यवस्था मत डालिये। 295 पर भी अगर आपने जवाब देना चालू कर दिया तो फिर ये 20-20 होंगे तो रेगुलर बिजनस भी नहीं हो सकेगा। यह व्यवस्था मत डालिये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं तो यह कह रहा हूं कि पुलिस की मिलीभगत जैसे शब्दों को सुनने के बाद भी अगर इसको निरुत्तर जाने दूंगा कि ऐसा लगता है कि यह सब पार्सल मैं ही उतार रहा हूं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, यह जरूर है कि घटनाएं हुई हैं, थाने पर इनका इन्द्राज हुआ है और मैंने इसके लिए स्पेशल टीम बनाकर भी निगरानी के लिए तो डाल दिया है लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताएगा कि ये सारी वीडियो कोचेज जितना सामान लादकर ले जाती हैं ये किस अधिकार से ले जाती हैं? कहीं इनकी बिल्टी कटती है, कहीं इनका रिकार्ड दर्ज होता है? जब गुम जाती हैं तो हमारे खाते में डाल देते हैं। बिना बिल्टी और बिना किसी टैक्स के लाखों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रुपये का रोज ट्रक जितना माल ऊपर लादकर ले जा रहे हैं उसके बारे में कभी कोई नहीं कह सकता है यह वीडियो कोच है। आखिर जब आप इतना काम करते हो तो जहां कहीं आपकी गाड़ी रोकते हो तो आपका कोई आदमी भी तो खड़ा रखो जो कम से कम आपके सामान की सुरक्षा करे। जब आप उस व्यापारी से बिल्टी का पैसा लेते हो, सब प्रकार का पैसा आप लेते हो और उसके बाद घटना हो जाने के बाद पुलिस की मिलीभगत जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं सोचता हूं कि हमारी तरफ से जो कुछ भी इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है उसकी कार्यवाही कर रहे हैं और निश्चित रूप से गैंग को पकड़ेंगे। यह कहकर भी दूर नहीं रह रहा हूं कि मेरा काम नहीं, मेरा काम है, जहां भी इसमें कमी है मैं उसको बरामदगी करने का प्रयास करूंगा। लेकिन बिना बात के इस प्रकार से न कोई सूचना है, न कुछ है और उसके आधार पर आप इतना बड़ा आरोप कि मिलीभगत के कारण से यह पार्सल उतर रहे हैं तो मिलीभगत में मेरी पुलिस नहीं, गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री उसका दोषी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। बैठिये आप। नहीं। 295 में इस तरह गुलाब जी ने आज भावनात्मक आकर दे दिया और उन्होंने रेस्पोंड कर दिया, यह अपवाद ही माना जाएगा। बाकी अगर ये 12-12 के रोज रेस्पोंड कराएंगे, हरेक समस्या किसी न किसी मंत्री से जुड़ती है तो मैं आइंदा अलाउ नहीं करूंगा। बैठिये आप। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

सूरतगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, सूरतगढ़ पंचायत समिति में 46 पंचायतें हैं। विद्यालयों के क्रमोन्नयन में मेरे सूरतगढ़ में (पूर्व में क्रमोन्नत छोड़कर) मात्र 16 माध्यमिक विद्यालयों को ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की काफी कमी है। प्राइमरी, मिडिल, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आधे से ज्यादा कम हैं जबकि सभी तरह के स्कूलों में 800 से ज्यादा अध्यापकों की सूरतगढ़ पंचायत समिति में कमी है। जिसके रहते ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई ना के बराबर होती है और खासकर के अनुसूचित जाति के बच्चों को अध्यापक नहीं होने से नुकसान उठाना पड़ता है। आर्थिक स्थिति से सम्पन्न लोग अपने बच्चों को निजी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

विद्यालयों में दाखिला दिला देते हैं, परन्तु किसान, मजदूर एवं अन्य दूसरी जाति के बच्चों का अध्यापक नहीं होने से पढ़ना मुश्किल हो गया है। सरदारपुरा खर्धा, भोपालपुरा, देइदासपुरा, मानेवाला सहित उच्च माध्यमिक में बच्चों की संख्या भी अधिक है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या निरन्तर घटना एक चिंता का विषय है। विषयवार अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा अपनी पढ़ाई के बारे में सोच समझ भी नहीं पाता कि उसे क्या पढ़ना है। जितने अध्यापक हमारे सरकारी विद्यालयों में हैं वे अपने कार्यालयों के लिए कार्य करते हैं और दोपहर का भोजन बच्चों को खिलाने का कार्य ही करते हैं। शहर व सड़कों के समीप के गांवों में अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से दोगुना से भी ज्यादा अधिक है जबकि दूर-दराज के गांवों में अध्यापकों की संख्या ना के बराबर है। ऐसे छात्रों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिल पाता है और सरकार की बच्चों की पढ़ाई की सारी योजना अध्यापकों की कमी के चलते धरी की धरी रह जाती है।

अत: सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में प्रिंसिपल, लैक्चरर, हैडमास्टर, द्वितीय श्रेणी के अध्यापक व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों सहित सभी तरह के स्टाफ की नियुक्ति करने का आदेश फरमाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विजय सिंह।

राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में ट्रोमा सेंटर एवं ब्लड बैंक की स्थापना

श्री विजय सिंह (नावां): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालय, कुचामन सिटी मरीजों एवं सुविधाओं के हिसाब से जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जहां प्रतिदिन का आउटडोर 1500-2000 का रहता है व इन्डोर मरीजों की संख्या भी भरपूर रहते हुए बैड आक्यूपेंसी की दर 100 परसेंट रहती है।

भौगोलिक दृष्टि से कुचामन अस्पताल, किशनगढ़-हनुमानगढ़, कोटपूतली-कुचामन, जयपुर-फलौदी मेगा हाइवे पर पड़ता है। उक्त पांचों बड़े सड़क मार्ग कुचामन शहर से होकर गुजरते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 100 शैय्याओं का चिकित्सालय है जहां पर की जाने वाली जांचों के प्रकार एवं

(श्री विजय सिंह)

संख्या जिला स्तरीय चिकित्सालयों से ज्यादा होकर मेडिकल कालेज स्तरीय है। ईको व टीएमटी जैसी जांचों की सुविधा भी यहां पर है। वातानुकूलित कैजुअल्टी वार्ड व आईसीयू वार्ड अलग से स्थापित है तथा जनरल वार्ड भी वातानुकूलित है। वर्तमान में ब्लड बैंक संचालन हेतु एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी एवं एक प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन भी यहां पर पदस्थापित है।

उपरोक्त पांचों मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को 100 किलोमीटर की दूरी से बीच में अन्य अस्पताल डीडवाना, लाडनूं, मकराना, नावां, खाटू, डेगाना एवं लोसल होने के बावजूद भी सुविधायुक्त एवं ख्याति प्राप्त अस्पताल कुचामन में ही एम्बुलेंसों के द्वारा मरीजों को पहुंचाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि से चारों ओर मेगा हाइवे पर स्थित होने, रोगियों की बहुलता एवं संसाधनों एवं सुविधाओं तथा पर्याप्त चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर यह चिकित्सालय ट्रोमा सेंटर व ब्लड बैंक की स्थापना हेतु एक उपयुक्त स्थान है। अत: ट्रोमा सेंटर व ब्लड बैंक की स्थापना हेतु आवश्यक आदेश प्रदान कराएं ताकि इस क्षेत्र की जनता को इसका उचित लाभ मिल सके।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर सरकार से आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर की आवासीय बस्तियों से गुजर रहीं हाइटेंशन लाइनों के तारों से घटित हो रहे हादसे

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295, विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार एवं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में कई स्थानों पर हाइटेंशन विद्युत लाइन आवासीय कालोनियों से होकर गुजर रही है। गत दिनों कई व्यक्तियों एवं विद्युत कर्मचारियों की हाइटेंशन तारों से चिपक कर आकस्मिक मृत्यु हो गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के अनन्तपुरा, शिवपुरा, महावीर नगर, आर.के. पुरम, विज्ञान नगर आदि क्षेत्रों में कई स्थानों

(श्री संदीप शर्मा)

पर हाईटेंशन लाइन आवासीय कालोनियों से होकर गुजर रही है जिससे कभी भी हादसे घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। कोटा शहर में कई स्थानों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करवाने का कार्य चल रहा है लेकिन कार्य की गति अत्यन्त धीमी होने के कारण निर्धारित समयावधि तक पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कोटा शहर के संकरे क्षेत्रों एवं गलियों में प्राथमिकता से केबलिंग की जानी थी लेकिन कोटा शहर में कई स्थानों पर केबलिंग के कार्य में अनियमितता बरती गई। अधिकारियों ने निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों को ताक में रखकर मनमाने तरीके से केबलिंग का कार्य किया तथा केबलिंग डालने के कार्य में जो रोड कटिंग की जानी थी उसमें बिना जन प्रतिनिधियों की राय के अच्छी गुणवत्ता की सड़क खोद कर खराब कर दी गई।

कोटा शहर में विद्युत व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से शहर के दादाबाड़ी, रानपुर एवं श्रीनाथपुरम में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है लेकिन भूमि सम्बन्धी समस्या के कारण अभी तक इनकी स्थापना नहीं हो पाई है। कोटा शहर की वर्तमान आबादी 11 लाख से अधिक है तथा 35 लाख यूनिट बिजली की खपत कोटा शहर में है। तकनीकी मापदण्डों के अनुसार यहां बिजली व्यवस्था हेतु जी.एस.एस. पर्याप्त संख्या से कम है। इस कारण लोगों को गुणवत्तायुक्त बिजली नहीं मिल पाती है। लोड अधिक होने के कारण बार-बार बिजली बन्द हो जाती है तो कई बार लोड कम-ज्यादा होने के कारण लोगों के बिजली के उपकरण जल जाते हैं। असमय बिजली बन्द होने के कारण लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हर वर्ष विद्युत तंत्र को सुचारू रखने में असफल रहने पर अभियंताओं को जन-आक्रोश का सामना करना पड़ता है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है। 2011 से 2015 के मध्य आबादी, हास्टल व व्यापार बढ़ने के साथ-साथ बिजली की मांग व लोड भी अधिक बढ़ता जा रहा है।

अत: मेरा राज्य सरकार एवं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि कोटा शहर की आवासीय बस्तियों से गुजर रहे हाइटेंशन तारों को शीघ्र भूमिगत कर एवं गलत तरीके से की गयी केबलिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। साथ ही कोटा में प्रस्तावित दादाबाड़ी, रानपुर, श्रीनाथपुरम में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना के लिए भूमि आबंटित कर शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विश्वनाथ मेघवाल।

छतरगढ़ तहसील में भूदान आबंटी काश्तकारों को खातेदारी हक

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में भूदान अधिनियम, 1954 में संशोधन कर समस्त भूदान आबंटी काश्तकारों को खातेदारी हक प्रदान किये थे। मेरी विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ में 4,000 से अधिक काश्तकारों को माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने खातेदारी अधिकार दिये थे, लेकिन छतरगढ़ के करीब 500 काश्तकारों को खातेदारी हक नहीं मिल पाया। इससे इन काश्तकारों को बैंक ऋण केसीसी, डिग्गी-फव्वारा, ट्यूबवैल आदि किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण इन विचाराधीन काश्तकारों की हालत अत्यन्त खराब है।

(1) भूदान विचाराधीन काश्तकारों को भूदान बोर्ड द्वारा भूमि आबंटन करीब 20-25 वर्षों से अधिक समय पहले हो गया था। भूदान बोर्ड द्वारा आबंटन पत्र/पट्टा भी इन सभी काश्तकारों को मिला हुआ है। यह सभी काश्तकार आबंटन से ही अपनी भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अपनी भूमियों में ढाणियां, घर बनाकर रह रहे हैं। इतने लम्बे समय से अपनी भूमियों को बंजड़ तोड़कर सुधारा, काबिल काश्त बनाया। लम्बे समय में काफी सारा श्रम व धन इन काश्तकारों ने वह्न किया है। अत: भूदान विचाराधीन काश्तकारों को काबिज काश्त अनुसार समपुष्ट दर्ज कर खातेदारी अधिकार दिलाये जायें।

(2) छतरगढ़ भूदान भूमि के विचाराधीन काश्तकारों को कुछ भूमि डबल आबंटित है, जिसमें जो काश्तकार भूमि पर आबाद होकर काश्त नहीं कर रहा है, उसे अन्यत्र भूमि आबंटित कर दी जाये।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लिखित 1 व 2 बिन्दु अनुसार निस्तारण करने पर कोई विवाद नहीं होगा। अत: समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जाये, जिससे बकाया काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था में दोषियों के विरुद्ध जांच व कार्यवाही की मांग

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष

(श्रीमती अलका सिंह)

उल्लेख के जरिये निवेदन है कि राजस्थान सरकार व केन्द्रीय सरकार का स्वच्छता का प्रमुख अभियान चल रहा है। इसका महत्व इसी से पता चलता है कि अभी आये केन्द्रीय बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान भी किया गया है। दोनों ही सरकारों द्वारा इसे विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की घोषणा के बाद भी इसकी सफाई व्यवस्था की तरफ कोई ठोस कार्यवाही ही नहीं की गई। पूर्ववर्ती सरकार के समय सफाई व्यवस्था ठेके पर दे दी गई, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाई। उनमें भी काफी भ्रष्टाचार रहा है। और तो और, जो स्थाई सफाई कर्मचारी हैं, जिनका बजट भी काफी है।

जयपुर अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन का हब भी है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते अधिकतर सफाई कर्मचारियों ने अपने स्थान पर रुपये 2,000/- मासिक पर कर्मचारी लगा रखे हैं। वे स्वयं ड्यूटी पर नहीं आते हैं, जबकि उन्हें रुपये 20,000/- मासिक वेतन मिलता है। अस्थाई कर्मचारी लगाकर ये लोग रुपये 18,000/- मासिक बचाते हैं व अपनी उपस्थिति मात्र लगाकर आफिसों से गायब हो जाते हैं। जयपुर शहर गंदगी से अटा पड़ा है और ये बीमारियां फैलाने का बहुत बड़ा कारण है। अत: इस सम्बन्ध में मैं नगरीय विकास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि उच्चस्तरीय जांच करवाई जाये एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये, ताकि राज्य के स्वच्छता अभियान को गति मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुश्री कीर्तिकुमारी।

माण्डलगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश का कैम्प कोर्ट

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि माण्डलगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायपालिका की स्थापना की जाये। अगर यह सम्भव नहीं हो सके तो मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि तब तक वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश का महीने में सात दिन के लिए कैम्प कोर्ट स्थापित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

इस सन्दर्भ में कुछ तथ्य श्रीमान् अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन में रखना चाहूंगी। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के साथ मेरा भी यह सौभाग्य है कि मैं इस विधान सभा में उक्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं एवं प्रथम बार महिला प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त है। यह विधान सभा क्षेत्र किसी पहचान का मोहताज नहीं है क्योंकि यह वही विधान सभा क्षेत्र है, जिसने दो बार सदन के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। विधान सभा क्षेत्र की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए बार एसोसिएशन, माण्डलगढ़ और बिजौलिया के अधिवक्तागणों द्वारा पिछले 20 वर्षों से निरन्तर मांग की जा रही है एवं कितनी ही बार सरकार के और उच्च न्यायालय के प्रतिनिधियों के बीच इस सन्दर्भ में सकारात्मक वार्ता हो चुकी है, लेकिन सहमति होने के बाद भी निराशा ही हाथ लगी है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की बिल्डिंग भी कोर्ट परिसर में बनी हुई है, परन्तु अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। इसलिए मैं कुछ तथ्य श्रीमान् की सेवा में निवेदन करना चाहूंगी।

भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो विधान सभा माण्डलगढ़ का क्षेत्र भीलवाड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी से प्रारम्भ होकर 108 किलोमीटर की दूरी तक स्थापित है एवं भीलवाड़ा जिले में कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहा है कि जहां के लोगों को न्याय पाने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती है।

भीलवाड़ा जिले में गंगापुर, शाहपुरा, गुलाबपुरा में वर्तमान में स्थायी रूप से अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश हैं तथा गंगापुर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश का कैम्प कोर्ट लगता है और कहीं पर लोगों को इतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है।

माण्डलगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की बिल्डिंग तैयार है केवल मात्र अधिकारी एवं स्टाफ की दरकार है। ऐसी परिस्थितियों में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन एवं विधि मंत्रीजी को माण्डलगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति किये जाने का अनुरोध करती हूं। वर्तमान में अगर स्थायी कोर्ट की स्थापना नहीं की जा सकती है, तब तक के लिए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश को कैम्प कोर्ट किये जाने का अनुरोध करती हूं, ताकि जनमानस को सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल।

टोडारायसिंह को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करवाना

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये टोडारायसिंह को पर्यटन स्थल घोषित करवाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह का वर्तमान नाम मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप सिसोदिया के पौत्र भीमसिंह के पुत्र रायसिंह के नाम पर पड़ा है। अरावली पहाड़ की बनास नदी के निकट इस शाखा का नाम तक्षकगिरी है। टोडारायसिंह नगर के तीनों ओर पहाड़ियां हैं तथा इस नगर में 365 बावड़ियां हैं। टोडारायसिंह कभी एक भव्य नगर रहा है, जिसकी भव्यता एवं समृद्धि आज भी यहां के ऐतिहासिक स्थलों में स्पष्ट झलकती है। नगर के किसी भी भाग को देखने पर हमें स्थापत्य कला की मनोहर छटा झलकती है। यहां के प्राचीन महल के नौ-नौ हाथ के छज्जे आज भी दर्शकों को आश्चर्य में डालते हैं। यहां का रूसी रानी महल, बावड़ियां, कुण्ड, बाग़-बगीचे, पर्वतीय गुफाएं, मंदिर, किले, तालाब, स्मारक आदि कला के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यहां की भोपत, किंगसी, जगन्नाथ बावडियों में स्थापत्य कला की अनोखी छटा है। यहां का हाडी रानी का कुण्ड भी प्रसिद्ध है, जो दर्शकों को भूल-भुलैया में डालता है। इस कुण्ड की झलक ''पहेली'' नामक फिल्म में देखने को मिलती है। बुद्धसागर झील व आनासागर झील प्राकृतिक छटा का अनुपम उदाहरण है। नगर के मध्य में गोपीनाथजी व कल्याणजी के विशाल मंदिर प्राचीन कलाकृति के अनोखे स्थल हैं। अपनी प्राचीन सुन्दरता के लिए कैलाश मंदिर, नीम की खान, लाडपुरा, तक्षकराज का मंदिर, श्याम देवरा, कालाकोट, भूतेश्वर महादेव मंदिर, पहाड़ पर स्थित किलेश्वर महादेव मंदिर, कौमोद्री, कुशाल बाग़, आसन की छतरी, गढ़ के बालाजी तथा नगर के 12 किलोमीटर दूर बीसलदेव मंदिर व बीसलपुर बांध सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रतिवर्ष यहां हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी भ्रमण के लिए आते हैं।

पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा टोडारायसिंह को पर्यटन स्थल घोषित करवाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया गया था लेकिन आज तक भी इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अत: मैं नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह नगर को पर्यटन स्थल घोषित कर ऐतिहासिक महलों, कुण्ड, बावड़ियों व मंदिरों हेतु जीर्णोद्धार का बजट भी आबंटित करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

सेही बांध का पानी पिंडवाड़ा तहसील में लाने की योजना

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 2005-2006 में भी सर्वे करवाया गया था और पिण्डवाड़ा तहसील में लगभग 500 फीट नीचे है। पाइपों द्वारा आसानी से पानी लाया जा सकता है कि सेही बांध में पानी पर्याप्त है। क्योंकि सेही बांध के आगे ऊपर एक काला बोर बांध है उसका पानी सेही बांध में आता है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सेही बांध के पानी को जवाई बांध में लेने का समझौता है। लेकिन कालाबोर पानी का जवाई बांध में ले जाने का समझता नहीं है। इसलिए जो पानी कालाबोर बांध का पानी सेही बांध में स्टोरेज होता है। वह पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा के आम जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो जाए ताकि गर्मी के दिनों में पीने के पानी से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीणा।

किशनगंज-शाहबाद की खैरवा जाति के परिवारों को भी कोटड़ा तहसील के कथौड़ी परिवारों के समान नि:शुल्क राशन

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहां सहरिया, खैरवा आदि अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है। खैरवा जनजाति के परिवार किशनगंज एवं शाहबाद में निवास करते हैं। यह जाति पूर्व में कत्था बनाने का कार्य करती थी तथा वर्तमान में मेहनत मजदूरी करके जीवनयापन करती है तथा शिक्षा के क्षेत्र में यह जाति बहुत पिछड़ी हुई है। भाजपा सरकार के द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में किशनंगज शाहबाद के खैरवा समाज को भूमि आबंटन किया था। इसी जाति के बहुत से परिवार उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में भी निवास करते हैं तथा इनको वहां पर कथौड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। किशनगंज शाहबाद की खैरवा जाति व उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में निवास करने वाली कथौड़ी अनुसूचित जनजाति दोनों एक ही जाति के लोग हैं। लेकिन उदयपुर जिले में कथौड़ी जाति को सहरिया अनुसूचित जनजाति के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा बारां जिले के किशनगंज शाहबाद में निवास करने वाली यही जाति जो खैरवा जाति के नाम से जानी जाती है वह इन सुविधाओं

(श्री ललित कुमार)

से वंचित है। किशनगंज शाहबाद में निवास करने वाली सहरिया अनुसूचित जनजाति के परिवारों के समान ही कथौड़ी को भी उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। वर्तमान में उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में रहने वाली कथौडी जाति को सरकार द्वारा प्रति माह 30 किलो गेहूं, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल, 1 लीटर देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री महोदय व माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करुंगा कि जब कोटड़ा तहसील की कथौड़ी जाति व किशनगंज शाहबाद में निवास करने वाली खैरवा जाति दोनों एक ही हैं तो फिर खैरवा जाति को कथौड़ी जाति के समान सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं।

अत: किशनगंज शाहबाद के खैरवा जाति के परिवारों को भी कोटड़ा तहसील के कथौड़ी परिवारों के समान प्रतिमाह 30 किलो गेहूं, 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल, 1 लीटर देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट 2015-16 में सहरिया जनजाति के 22 हजार 500 परिवारों व कथौड़ी जनजाति के लिए जिन सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया है उन सभी सुविधाओं का लाभ खैरवा जाति के परिवारों को भी उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

अजमेर जिले के राजस्व रिकार्ड में हुई भारी त्रुटियां

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर जिले के राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियों के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि अजमेर जिले के राजस्व रिकार्ड में आयी त्रुटियों के संदर्भ में अजमेर जिले के किसानों के सामने राजस्व रिकार्ड को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। आधार जमाबन्दी और वार्षिक जमाबन्दी का आपस में मिलान नहीं है, साथ ही नक्शों में भी भारी त्रुटियां हैं। सन् 1971-72 में अजमेर जिले का भू-संशोधन हुआ, उक्त रिकार्ड अक्टूबर, 1984 तक प्रभावशील रहा। इस अवधि में जितने भी राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन या नामान्तरण हुए, वह सभी उक्त अवधि की जमाबन्दी में अंकित किये गये। वर्ष 1984 में तत्कालीन राज्य सरकार ने भू-संशोधन को अमान्य घोषित कर उक्त रिकार्ड को सीज कर दिया। उक्त रिकार्ड

(श्री सुरेश सिंह रावत)

की न तो जमाबन्दी जारी की गयी, न नक्शों की प्रतिलिपि जारी की गयी। आज दिनांक तक भी इस अवधि की जमाबन्दी व नक्शों की प्रतिलिपि नहीं दी जाती है। 1984 में वर्किंग जमाबन्दी बनायी गयी। प्रशासन गांवों के संग अभियान में कैम्प के मार्फत 1972 से 1984 तक कुछ नामान्तरकरण को अंकित किया गया और कुछ को छोड़ दिया गया। फिर 2007 में आधार जमाबन्दी लागू की गयी। इस आधार जमाबन्दी में वर्किंग जमाबन्दी में अंकित नामांकनों को छोड़कर पिछले रिकार्ड को अंकित कर दिया गया। मौजूदा आधार जमाबन्दी में भारी खामियां हैं। वर्किंग जमाबन्दी और आधार जमाबन्दी का मिलान कर गांवों में कैम्प लगाकर कृषि भूमि का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक रिकार्ड लागू करने की अति-आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान राजस्व नक्शे और क्षेत्रफल का भौतिक सत्यापन कराएं तो भारी खामियां मिलेंगी। अत: उक्त रिकार्ड को अतिशीघ्र सुधारने के लिये मैं राजस्व मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, पर्ची के माध्यम से श्री शैतान सिंह।

सूचना

गौवंश की रक्षा

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण मामला है, आपदा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, गायें मर रही हैं, 90 दिन में शिविर बंद कर दिये हैं, 24 दिन से वहां लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में कम से कम आधी गायें मर चुकी हैं और बाकी वाली मर जाएंगी। अगर पशु शिविर शुरू नहीं किए तो, इतना महत्वपूर्ण मामला है। मैंने अभी फोटो बताये थे मंत्रीजी को, गायें मर रही हैं, इसका मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ ना।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आपने ध्यान खींच लिया है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्रीजी से जवाब दिलायें, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, मैं सरकार को कम्पेल नहीं कर सकता जवाब देने के लिए, आप बैठिये। आप सरकार पर जवाब के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। आप विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जहां गायें मर रही हैं और गाय का प्रश्न है, भूख से मर रही हैं। आपदा मंत्री जवाब देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजए। सरकार देना चाहेगी जवाब, आप देंगे, रेस्पोण्ड करेंगे क्या, बाकी आप दबाव नहीं डाल सकते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या वास्तव में गम्भीर है इसमें कोई दो-राय नहीं है। जिस समय जैसलमेर और बाड़मेर में अकाल की स्थिति बनी थी तभी मैंने सभी जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया था कि नवम्बर में कैम्प मत शुरू करवाओ आप। इसको आप आगे बढ़ने दो ताकि जब सबसे ज्यादा कठिन समय आएगा उस समय, आपदा राहत में 90 दिन का ही समय है। और उसके कारण से किसी का फरवरी 12 को पूरा हो गया 90 दिन शिविर को, किसी का 27 को हो गया, लेकिन लगभग सब के हो गया। यह महीना वास्तव में वहां के जितनी भी गौ-शालाओं से या जो कैम्प लग रहे थे उनको कष्ट है इसमें कोई दो-राय नहीं है। राज्य सरकार का मन इसमें बना है और मुख्य मंत्रीजी आज स्वयं दिल्ली जा रही हैं हमें जहां-जहां भी आवश्यक इसमें सहयोग और चाहिए उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और अगर मान लीजिए नहीं भी हो पाया तो राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यह मन बनाया है कि अप्रैल के बाद हम अपने राज्य के खर्चे से भी जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे लेकिन गो-वंश को बचाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री शैतान सिंह।

(13.00 बजे)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चार ग्राम पंचायतों को पोकरण तहसील में मिलाने व सांकड़ा को उप तहसील बनाना

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सदन की नेता और यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधराजी राजे का और राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण में दो तहसीलें हैं। जिसमें बनियाना तहसील की चार पंचायतें हैं, राजनीतिक भेदभाव की वजह से उन चार पंचायतों को बनियाना तहसील में दिया गया है। चूंकि उनके लिए पोकरण तहसील उपयुक्त था, रास्ते के हिसाब से, आवागमन के साधनों के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो चार पंचायतें बनियाना तहसील में हैं ओला, राजगढ़, भैंसड़ा, लूणाकलां।

(श्री शैतानसिंह)

इनको पोकरण तहसील में मिलाया जाए। इनमें से दो पंचायतें राजगढ़ व ओला की उप तहसील फलसूंड लगती है जिसकी दूरी उनके गांव से यातायात के रास्ते बस द्वारा 120 किलोमीटर से ऊपर है और फिर तहसील आने के लिए 70 किलोमीटर वापस बनियाणा आना पड़ता है और फिर वापस बस के द्वारा आने में लगभग ढाई सौ किलोमीटर की दूरी है और दो दिन लगते हैं। इसलिए इन चार तहसीलों को पोकरण तहसील में मिलाया जाए उसके साथ-साथ मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां उस एरिया का सबसे बड़ा गांव साकड़ा जो जैसलमेर जिले का सबसे पुराना और प्रसिद्ध गांव है, जो अपने नाम से उस क्षेत्र में पहचाना जाता है। आजाद भारत के समय राजस्थान के दूसरे मुख्य मंत्री श्री जयनारायणजी व्यास ने साकड़ा में गांधी मेला लगाकर और वहां जो डाकू ये साकड़ा के उन सभी को डाकू उन्मूलन करके और वापस मुख्यधारा से जोड़ा है। उस समय साकड़ा पंचायत समिति बनाई थी क्योंकि कई कारणों की वजह से साकड़ा पंचायत समिति का हैडक्वार्टर साकड़ा नहीं पोकरण हो गया। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद साकड़ा में आज तक उप तहसील नहीं है। राजनीतिक कारणों की वजह से क्योंकि वो एक विचारधारा का गांव है और वो पूरा का पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखता है।

श्री अध्यक्ष: आप मांग कर लीजिये।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): इसलिए उसको तहसील नहीं बनाया गया तो मेरा आपसे निवेदन है कि साकड़ा को उप तहसील बनायें जिसके कारण मैं आपको बताऊं कि साकड़ा पंचायत समिति का नाम साकड़ा से है, सबसे बड़ा गांव है और साकड़ा में जो पोकरण, बाड़मेर जाने वाले, बीकानेर से जो बाड़मेर बसें जाती हैं वाया साकड़ा निकलती है। जैसलमेर के लिए डायरेक्ट बसों की सुविधा है। साकड़ा से जोधपुर के लिए जो हमारा बड़ा शहर है उसके लिए भी साकड़ा से सीधी बसें जाती हैं 5-6 और साकड़ा में सबसे पुराना पुलिस थाना है, वहां सीएचसी बनी हुई है, हास्पिटल्स हैं इससे पहले 1982 में साकड़ा को लगभग-लगभग उप तहसील बनाना तय था फिर भी वो वहां न बनकर उस समय बनियाणा उप तहसील बनी और अब वो तहसील बन गई है पोकरण। तो बनियाणा तहसील है उससे चार ग्राम पंचायतों को वापस साकड़ा में लायें और साकड़ा को उप तहसील बनायें। वहां अभी पैट्रोल पम्प है, गैस एजेंसी है, सीनियर स्कूल है और वहां पीएचईडी का कार्यालय है जीएसएस बना हुआ है और सोलर अब भी उस क्षेत्र में है। कुल मिलाकर साकड़ा के क्षेत्र में अभी जो

(श्री शैतानसिंह)
भौगोलिक परिस्थिति बनती है उसमें ये चार पंचायतें मिलाते हैं तो नौ तो ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत साकड़ा उप तहसील में बन सकती हैं पांच ग्राम पंचायतें तो पोकरण तहसील की हैं और चार ग्राम पंचायतें बनियाणा तहसील की हैं तो कुल नौ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक उप तहसील बन सकती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): इसमें लगभग पचास राजस्व ग्राम हैं और मैं उसकी जनसंख्या के आकड़े दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष: ध्यान खींच लिया आपने।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पोकरण से आने वाले जिनका खुद का गांव साकड़ा है, महत्वपूर्ण गांव हैं इस बात को मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: तभी उठाया है उन्होंने जोरदार तरीके से।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जैसलमेर या बाड़मेर राजस्थान क्या हिन्दुस्तान में सबसे बड़े जिले हैं और जैसलमेर जो 38 हजार वर्ग किलोमीटर के अन्दर फैला हुआ है और वहां पर साकड़े से तहसील 42 किलोमीटर दूर है यह भी मालूम है। मैं वहां का प्रभारी पहले भी रहा हूं और आज भी हूं। आपका यह प्रस्तापा सरकार के पास पहले से कोई विचाराधीन नहीं था। मैं आपके इस प्रस्ताव को जिला कलक्टर से परीक्षण कराकर के मंगवाऊंगा और हमारी एक कमेटी रिटायर्ड आईएएस परमेशचंदजी की अध्यक्षता में बनी हुई है, माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके उनसे स्वीकृति लेकर और इस कमेटी की सिफारिश करवा करके अगर जब भी खुलेगी इस राजस्थान में कोई उप तहसील उसमें आपकी उप तहसील को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया जाएगा। यह आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ताली बजाइये। बस हो गया पूरा। श्री घनश्याम।

टोडाभीम में पेयजल की समस्या

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मेहर-मेहर। एक मिनट, घनश्याम तिवाड़ीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, एक मिनट दूसरी बात है आप कहें तो मैं पूछ लूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा स्पष्टीकरण। आप विराजें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आम तौर पर प्रेस दीर्घा में और ना पक्ष दीर्घा में सब जगह एक चर्चा है बहुत जोरों से कि साहब आज तक जितने हमारे अध्यक्ष हुए हैं वो सब गृहस्थ थे और उन्होंने रात को दस बजे तक, बारह बजे तक, तीन बजे तक सदन चला, कोई आपत्ति नहीं की और अब माननीय अध्यक्ष महोदय कुंवारे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप ये छेड़खानी क्यों कर रहे हैं मेरे से?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और फिर भी सायंकाल सात बजे तक ही चलाना क्यों चाहते हैं, तो मैंने मेरी बुद्धि से उनको जवाब दिया कि हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे वो गृहस्थ थे वो घर पर जाते थे तो खाना-पीना सब चीजें उनको यथावत मिल जाती थीं, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जाते हैं तो उनको सारी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है इसलिए सात बजे के बाद नहीं। इसके अलावा और कोई बात हो तो आप बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे कुंवारेपन पर इतना शोध क्यों कर रहे हैं?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा आम माननीय सदस्य करें कि नहीं करें लेकिन आप नेतृत्व करके इस बात को जरूर कहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य ने जो आप पर टिप्पणी की है ये आपकी दशा पर की है, सुदशा पर की है या दुर्दशा पर की है सोचना इस बात पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पर कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, पर आसन के बारे में विवरण किया है जो चित्रण किया है उसको माने वो दशा है, दुर्दशा है या सुदशा है या हम सब लोगों को नयी दिशा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जीवन से कई लोग प्रेरणा लेंगे तो कई लोग प्रभु से कहेंगे तो इसलिए क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आप ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तिन्हसी।

श्री अध्यक्ष: ये दुर्दशा कतई नहीं है। आपने भेदभरी भाषा बोली है जिसको मैं समझता हूं और मैं ध्यान रखूंगा। श्री घनश्यामजी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पेयजल समस्याओं के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में टोडाभीम में पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए अगर समय पर इस सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र की जनता आंदोलन पर उतारू हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो हैण्डपम्प वर्तमान में लगे हुए हैं उनकी स्थिति आप देखेंगे तो उनमें दस प्रतिशत हैण्डपम्प भी चालू नहीं हैं। जबकि मेरे द्वारा विभाग के अधिकारियों को बार-बार आग्रह करने के उपरांत भी सुना-अनसुना किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी को टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, लेकिन विभाग के कर्मचारी तीन-तीन, चार-चार रोज में एक-एक टैंकर भेजते हैं और आज उनकी जानकारी कर लें तो विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन चार-पांच टैंकरों का भुगतान उठा दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। आगामी गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए ध्यान देने की जरूरत है, जनता का जीना मुश्किल हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम केमरी, केमा, केमला, करीरी, नांगल शेरपुर, पदमपुरा, सहर, सोप, भीलापाड़ा, मेंढा का पुरा, तेसगांव, खेड़ला, बड़ा गांव, रलावता, बड़दाला, खूड़ा चेनपुर, सांवठा, मूंडिया, नादौती, सलावद, गड़खेड़ा, माचड़ी, जेचड़ी, धवान, धोलेटा, मोहनपुरा और जीतकीपुर, गुढाचन्द्रजी, मुहाना और कंदोली, भूपर, भादरपुर, गाजीपुर आदि ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवा साल बीत जाने के बाद भी पानी के लिए अपनी आवाज इस सरकार में उठाते आ रहे हैं परन्तु सरकार की आंखों में ही पानी नहीं है, सरकार जनता को क्या पानी पिलायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवा साल हो जाने के बावजूद भी सरकार आज दिन तक इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। करौली जिले से तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि समय रहते हुए पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है।

(श्री घनश्याम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह जिला करौली में एक कमेटी से सर्वे कराया जाए तो सरकार को पता लगेगा। इसी तरह से नादौती, सवाई माधोपुर, चम्बल पेयजल योजना को आठ वर्ष हो गये हैं इसका कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि ये योजना नादौती के लिए बनी थी। पांचना सिंचाई परियोजना से भी कोई पीने के पानी की योजना बनायी जानी चाहिए।

वैसे तो सड़कों के हालात भी बहुत खराब हैं। पानी, बिजली और सड़क के हालात जैसे-जैसे खराब होते जा रहे हैं इसी तरह से सरकार के हालात भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि मंत्रीजी से इस मामले में कोई जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मंत्री आज दिल्ली गयी हैं। श्री अर्जुनलाल जीनगर।

बनास नदी में रायल्टी के नाके बंद होने से उत्पन्न स्थिति

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी बहती है और इस बनास नदी में बहुत बढ़िया बजरी थी। 20 सालों से ठेके हो रहे हैं लेकिन पिछले एक साल से जब से पिछली सरकार ने पट्टे देने का प्रावधान किया तब से लगाकर पूरे राजस्थान में बजरी के पट्टे दे दिये, रायल्टी भी उसके साथ कर दी। पिछले 6 महीने से हमारे यहां जो ठेकेदार बजरी की रायल्टी वसूल करता था वह काम बंद करके चला गया। जब बजरी का काम ही बंद हो गया, रायल्टी के नांके बंद हो गये तो रायल्टी कोई देने वाला नहीं है तो लोग चोरी छिपे बजरी को ले जा रहे हैं। जब-जब चोरी छिपे बजरी ले जा रहे हैं आये दिन चोरी के केस बनते हैं। वहां के जितने भी आपरेटर हैं, ट्रैक्टर चालक है, ट्रक वाले हैं वह रायल्टी देना चाहते हैं लेकिन देवें किसको? मैं मंत्री जी से मिला, मैंने कहा कि मकान नहीं बन रहे हैं, निर्माण के काम नहीं हो रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण के काम बंद पड़े हैं ऐसी स्थिति में क्या करें। आपने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि सारे काम बंद करके हम रुक जायं क्या, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सब साधनों की हालत बड़ी बेकार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ऐसी स्थिति रही जब बजरी के पैसे देने के लिये लोग तैयार हैं और सरकार लेने को तैयार नहीं और ठेकेदार आए नहीं। मंत्रीजी से मैं मिला तो मंत्रीजी ने कहा आपके वहां के लोग ठेकेदार के साथ मारपीट करते हैं। मैंने कहा कि आज दिन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

तक ऐसा वाकया हुआ नहीं। 20 साल से जब बजरी का काम चल रहा था तो कभी मारपीट नहीं हुई। पिछले 6 महीने पहले एक लड़के को जो बस का ड्राइवर था बस लेकर बनाकिया के पास जा रहा था, उसको ठेकेदार के आदमियों ने बस में से उतारा, ठेकेदार के लोग बोलेरो लेकर आये, गाड़ी को आगे लगाया, हवाई फायर करके बस वालों को डराया और उस लड़के को गाड़ी से उतारा और उठा कर ले गये। जंगल में ले जाकर उससे मारपीट की और बोलेरो गाड़ी को उस पर चढा दिया। उसके 23 फ्रैक्चर हो गये और वह आज भी विकलांग होकर बैठा हुआ है। मैंने ठेकेदार के आदमियों से कहा कि इस गरीब आदमी की कुछ मदद करो और ठेका वापस चलाओ, हम सब साथ हैं, कोई चोरी करने के लिये तैयार नहीं है, पैसा देने को तैयार है, लेकिन ठेकेदार आ नहीं रहा, इस तरह से हमारे क्षेत्र में परेशानी हो रही है। आज बजरी भी ओवरलोड जा रही है, सडकें टूट रही हैं। हमने कहा कि इसको अंडर लोड करो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यह चाह रहा है कि मार्बल का भरा हुआ ट्रक तो ओवर लोड जा सकता है, बजरी से भरा हुआ ओवरलोड नहीं जा सकता। मैं तो यह चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में यह ओवरलोड की व्यवस्था बंद होनी चाहिये ताकि सड़कें सुरक्षित रह सकें।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास भीलवाड़ा जिला भी है, भीलवाड़ा जिले में बजरी के लिये 16 टन की रायल्टी दी जाती है क्योंकि कानून में प्रावधान है कि 16 टन से ज्यादा रायल्टी नहीं होती है लेकिन उसमें 40 टन बजरी भरी जाती है और ठेकेदार पैसा भी 40 टन का ले रहा है। यानी सरकार के खाते में आधा पैसा आ रहा है और आधा पैसा सीधा-सीधा टैक्स की चोरी करके ठेकेदार की जेब में जा रहा है। राजस्थान में ऐसी स्थिति बनी हुई है, मैं खनिज मंत्रीजी से कई बार मिला हूं, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था करें क्या? आज बजरी के लिये रात को चोरी करते हैं, जो बजरी के नियम बनाये गये हैं, जिनकी ठेकेदार को पालना करनी चाहिये आज की तारीख में 10 मीटर अन्दर खनन खोदने का नियम है लेकिन 30-30 मीटर के खड्ढे बनास नदी में हो गये हैं और उसको पाटने का काम नहीं किया, वृक्षारोपण का काम नहीं किया। यानी जो नियम दिये हैं उन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जो पाप किया वह हमको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मंत्री महोदय मेरा आग्रह है कि आप इस बजरी के बारे में कोई न कोई नियम बनायें। इस प्रकार से राजस्थान में खुली लूट हो जाये, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार के रहते हुए इस

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

प्रकार से जनता जनार्दन का पैसा कोई लूट कर ले जाये और राज का खजाना खाली रहे इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब तक ठेकेदार नहीं आए तब तक कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके रायल्टी वसूल करने का काम करें, आज ही ऐसे आदेश प्रदान करें, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कुछ हमको आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कपासन से आने वाले मेरे सम्माननीय साथी ने अपने क्षेत्र में जो बजरी का खनन बंद हो गया उसकी चिंता प्रकट की है। वास्तव में लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। हमने वहां पर एलओई धारक है उससे बातचीत की तो उसने कहा कि हमें गांव वाले नाके लगाने नहीं दे रहे, बदमाशी कर रहे हैं। 28.10.2014 को कलक्टर चित्तौड़ ने एक रेट निकाली थी, उस रेट पर उसको पोसा नहीं रहा था वह बोले यह अव्यावहारिक रेट है तो उसने 1.11.2014 से खनन बंद कर दिया था। अभी हम एक नियम बनाकर उस पर कार्यवाही करेंगे और अगर वह शुरू कर देता है तो ठीक है वरना हम खुद अपना वहां नाका लगायेंगे और वहां पर सारा कम्प्युटराइज्ड सिस्टम करेंगे, कैमरा वगैरह लगायेंगे। हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं अगर हम लगा सके तो निश्चित रूप से एक महीने में आपके यहां ही नहीं राजस्थान में और जहां-जहां भी बजरी की समस्या हो रही है, जहां भी ठेके पैंडिंग है, कुछ नहीं लगा रहे हैं, एलओई जारी नहीं हुई, उन सबको हम करवा देंगे। हमने काफी इसको नियंत्रण में लिया है, आज सुबह भी जब मैं आ रहा था तो मैं बजरी की जानकारी करके आया, यहां जयपुर में 35 रुपये घन फीट में बजरी मिल रही है, काफी कंट्रोल में है। इनके यहां जो समस्या है उसको हम एक महीने में निस्तारण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री फूल सिंह मीणा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ओवरलोड के बारे में बता दें, ओवरलोड का क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): हम वैब लगवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कम्प्यूटराइज्ड करवा रहे हैं, उसमें कैमरे लगा रहे हैं उससे सारी गड़बड़ियां रुक जायेंगी।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा, संक्षेप में।

पानोरो की मादड़ी व कलरवास औद्योगिक क्षेत्रों में अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा उदयपुर ग्रामीण में हाउसिंग बोर्ड के मार्फत जमीन अवाप्त करने के विषय में पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका धन्यवाद एवं आभार। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि पानेरयो की मादड़ी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा 1983 में नोटिफिकेशन दिया था और 2001 में जमीन अवाप्त की गई थी एवं अवार्ड जारी किया गया। किसानों का आज भी उस जमीन पर कब्जा है और वह खेती की जमीन है। वह किसान उसको छोडना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको बराबर जो जमीन मिलनी चाहिये वह नहीं दे रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड द्वारा 15 प्रतिशत जमीन देने का आग्रह किया, किसानों ने 15 परसेंट लेने से मना कर दिया। उनके बीच में कई दिनों तक यह संघर्ष भी चला मगर वह 15 परसेंट जमीन लेने को राज़ी नहीं हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब ऐसा ही मैटर उदयपुर में भुवाना पंचायत, जयपुर में पृथ्वीराज नगर और अजमेर में ट्रक टर्मिनल को 25 प्रतिशत जमीन देकर अवाप्त की गयी है तो हमारे उदयपुर के किसानों की जमीन के लिये 25 प्रतिशत देने में क्यों इंकार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1983 से आज तक उसमें गरीब किसान खेती कर रहे हैं और वह इस उम्मीद से वहां खेती कर रहे हैं कि जब दूसरों को दिया है तो हमको भी 25 प्रतिशत जमीन मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन किसानों ने दुःखी होकर सभी जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया मगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2008 में माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री गुलाबजी कटारिया साहब से भी मिले। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम इसको दिखवाते हैं अगर वाजिब है तो आपको भी दिया जायेगा मगर किसानों की किस्मत खराब थी वह सरकार चली गयी। जब पांच साल तक विपक्ष की सरकार रही उन्होंने उन किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब चुनाव आया तो किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, उन्होंने पूरी उम्मीद से समर्थन भी इनको दिया और उनकी किस्मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी। गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी उदयपुर आयीं तो उन किसानों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी से मुलाकात की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं इस मैटर को

(श्री फूलसिंह मीणा)

दिखवाती हूं। मैंने भी उनसे आग्रह किया कि दूसरी जगह 25 प्रतिशत दिया है तो इनको भी देना चाहिए। मैडम ने आश्वासन दिया था मगर चुनाव आने से समय नहीं मिला या कोई बात नहीं हो पाई होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन गरीब किसानों को जब दूसरी जगह 25 प्रतिशत जमीन दे रहे हैं तो उनको भी 15 प्रतिशत नहीं, 25 प्रतिशत जमीन देकर उनका ध्यान रखें। उनको वाजिब मुआवजा दें।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही रीको द्वारा एक मैटर और है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कलरवास रीको एरिया के अन्दर 250 हैक्टेयर जमीन किसानों की है, वह 2006 में अवाप्त की गई थी। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच इस प्रक्रिया को पूरी करने में 7-8 वर्ष लग चुके हैं। उस प्रक्रिया पर अभी तक उन गरीब किसानों को, 25 प्रतिशत देने के लिए वह तैयार हो गये हैं मगर आज तक गरीबों को 2006 से अभी तक खेती भी नहीं हो रही है और वह बेचारे इस आस में बैठे हैं कि हमें 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत हाउसिंग की जमीन देंगे और 5 प्रतिशत कामर्शियल जमीन देंगे। इस विश्वास पर वह अभी भी सब्र रखकर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 250 हैक्टेयर जमीन के अन्दर 90 प्रतिशत आदिवासी एरिया की जमीन है, उन आदिवासी परिवारों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाकर राहत प्रदान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रेस्पोंड कर लूं ?

श्री अध्यक्ष: यस, यस, वैलकम।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना हेतु गिरर्वा के अन्दर 304 बीघा जमीन 1983 में एक्वायर की गई। उसके बाद 1988 में, 2000, 2001 में अवार्ड भी पारित कर दिया गया। 1988 के अवार्ड में 45 बीघा जमीन का तो नगद मुआवजा दे दिया, खातेदार से कब्जा ले लिया और हाउसिंग बोर्ड ने वहां 887 बनाकर आबंटित भी कर दिए, बाकी जो जमीन थी, जिसका अवार्ड 2000 व 2001 में दिया उस कैश अवार्ड को लेने से खातेदारों ने मना कर दिया, कोर्ट में पैसा जमा करा दिया। अवार्ड जमा करा दिया गया। इसी बीच खातेदारों ने कहा कि हमें 15 परसेंट जमीन

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दी जाए। कैश अवार्ड, जब खातेदारों ने यह मांग की कि हमें 15 परसेंट जमीन दी जाए, तो 15 परसेंट जमीन देने का जब तय किया गया तो उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत नहीं 25 प्रतिशत जमीन दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय करीबन यह 94 खातेदार हैं। इन 94 खातेदारों में से 60 खातेदारों ने यह कहा कि अगर हमें 80 फीट और 90 फीट की सड़क के ऊपर जमीन दी जाए तो हम 15 परसेंट लेने को तैयार है। इस आधार पर हाउसिंग बोर्ड की लैण्ड रेगुलेशन कमेटी ने 2011 में तय कर दिया कि 15 परसेंट जमीन लेना चाहते हैं तो 80 फीट सड़क पर या 60 फीट सड़क पर उनको जमीन दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए उन्होंने अपनी स्कीम को रिवाइज भी कर दिया। रिवाइज करने के बाद जब 60 लोगों ने कंसल्ट दी थी उनमें से केवल 37 लोगों ने ही फार्मलिटीज को कम्पलीट किया, उनमें से 16 को अलाट कर दिया और बाकी लोगों ने कहा कि हमें अलाट मत करो, हमारे नोमीनीज को अलाट करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 के सरकार के सकुर्लर में कहा गया है कि जिस जमीन का एक्विजिशन किया गया है और एक्विजिशन के बदले जिन लोगों को जमीन दी जा रही है वह किसी को नोमिनेट करें उसको सीधा का सीधा जमीन का पट्टा दे दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस कारण से यह मामला अटका हुआ है।

मैंने आज ही अधिकारियों को कहा है कि बोर्ड के इस निर्णय को पलटकर, जो लोग 60 फीट या 80 फीट सड़क पर 15 प्रतिशत जमीन लेना चाहते हैं और केवल आबंटन इसलिए रूका हुआ है कि वह नोमीनी को पट्टा दिलाना चाहते हैं और यह नोमीनी को पट्टा नहीं देना चाहते। बाकी जो मामला आपने बताया है, मैं समझता हूं 80 फीट, 100 फीट जमीन पर अगर 15 प्रतिशत जमीन लेना चाहते हैं, जैसा कि 60 लोगों ने कहा था 94 खातेदारों में से, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनको जल्दी से जल्दी पट्टा दे दिया जाएगा। आपने कहा कि बाकी खातेदार जो 80 फीट और 100 फीट पर जमीन नहीं लेना चाहते, लेकिन 25 परसेंट जमीन लेना चाहते हैं, इस पूरे मामले को काम्प्रिहैंसिव ढंग से, लीगली एग्जामिन कराने के बाद क्या हो सकता है, इस पूरी चीज को करके, इसको जल्दी से जल्दी सलटा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें दो भाग थे एक तो माननीय मंत्रीजी का था, एक रीको का था। आप इजाजत दें तो माननीय सदस्य को सैटिसफाई कर दें?

श्री अध्यक्ष: हां ।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कलरवास एक्सटेंशन है उसके बारे में माननीय सदस्य ने फरमाया। इसके अन्दर 174 हैक्टेयर भूमि है उसका पजेशन ले लिया है। शेष 51 हैक्टेयर है वह हाई कोर्ट आर्डर में, किसानों ने अपना केस दर्ज कराकर वह स्टे में है। अभी वर्तमान स्थिति है उसमें एक्विजिशन आफ लैण्ड कम्पलीट हो गया है। कैश कम्पनसेशन भी कम्पलीट हो गया है। रिजर्वेशन लैटर भी इश्यू हो गए हैं। अलाटमेंट आफ लैण्ड है वह पेंडिग है, इसका कारण है कि अभी पोल्युशन बोर्ड से उसकी हमें क्लियरेंस, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो स्कीम थी लैण्ड फार लैण्ड या कैश फार लैण्ड। इसमें लैण्ड फार लैण्ड के अन्दर जमीन के एवज में जमीन में 894 एप्लीकेंट्स थे। इसके अन्दर 723 एप्लीकेंटस हैं उनको तो ले लिया गया है। 171 एप्लीकेंट्स हैं उनको खारिज किया क्योंकि टाइम पर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया। कम्पनसेशन जो अभी दिया गया है, टोटल कैश फार लैण्ड कम्पनसेशन 11.25 करोड़ बनता है, इसके अन्दर 8.29 करोड़ दे दिया है, शेष बचा है वह हाई कोर्ट के आर्डर की वजह से पेंडिग है।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण। श्री पुष्पेन्द्र सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-14

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनिय, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप श्रीमती किरण माहेश्वरी को डेपुटाइज कर रहे हैं। **श्री राजेन्द्र राठौड़**। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुना नहीं थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपके कान में मैल है वह निकलवा लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपत्ति किसको है इसमें।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैमोरेन्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

अतिरेक मांगें वर्ष 2011-12 का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2011-12 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015, श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर: स्थापित भी करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 श्री राजपाल सिंह, मुख्यमंत्री की ओर से रखेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: दूसरा, राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से आप इसको विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव कीजिए। राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा होगी। आज चूंकि गम्भीर विषय है इसलिये बिलकुल संक्षेप में अपने वक्तव्य दें। 10 से 15 मिनट से ज्यादा न लें, चार बजे हमें इस बहस को समाप्त करना है। उसके आगे मुख्य मंत्रीजी का जवाब भी होगा, सारा कार्यक्रम होगा। तो मैं निवेदन करता हूं आज की बहस को प्रारम्भ करने के लिये श्री जोगाराम पटेल। लेकिन आप जिस तरह से लम्बे-चौड़े वक्तव्य देने के आदी हैं, उसको जरा शोर्ट कीजिये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मेरा निवेदन था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वाले विषय को तो समय-सीमा में नहीं बांधें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, समय-सीमा में तो हर विषय बांधा जायेगा, यह अधिकार होना चाहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): थोड़ा रिलेक्सेशन दें।

श्री अध्यक्ष: रिलेक्सेशन यही है कि दस मिनट के बजाय पन्द्रह मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, पन्द्रह मिनट में तो भूमिका ही नहीं बांधी जाएगी, इतना गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, भूमिका नहीं, आप सीधा-सीधा बोलिये। बहुत बहस हो चुकी इस पर।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): गम्भीर विषय है थोड़ा।

श्री अध्यक्ष: गम्भीर है, इसीलिये तो कह रहा हूं, पन्द्रह मिनट दे दिये, दस के बजाय। आप तो वकील हैं, वैसे ही करना जानते हैं। बड़ी बहस भी करना जानते हैं और छोटी बहस भी करना जानते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज बड़ी बहस करने का मौका दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, आज तो उदार बनें, यह तो बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(13.31 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार। जब कभी राजस्थान की विधान सभा में अथवा भारतीय संसद में अथवा विभिन्न प्रदेशों के ऐसे ही पवित्र सदन में राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 अथवा राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 अथवा अन्य प्रदेशों में ऐसे ही विधेयक पर माननीय सदस्य अपने-अपने हिसाब से चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है।

हमारी यह प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हम जो आज यहां पर चर्चा कर रहे हैं, वह भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। सरकार जो आज 1 लाख 41 हजार 232 करोड़, एक लाख 46 हजार रुपयों का जो कंसोलिडेटेड फण्ड से खर्च की अनुमति इस सदन से प्राप्त कर रही है, यह अति महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, यह जो बुक हमें दी गयी है, बताया गया है, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, इन नियमों का जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वह अध्याय 18 है, अध्याय 18 में आय-व्ययक के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी गयी है। कैसे

(श्री जोगाराम पटेल)

बजट पेश होगा, किस तरह से बजट की प्रक्रिया को निपटाया जायेगा और आते-आते नियम 138 से लगाकर 145 तक कटौती प्रस्ताव आते हैं। कटौती प्रस्तावों के उपरान्त कंसोलिडेट फण्ड के सम्बन्ध में, कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में, यह सारी प्रक्रिया इसके तहत दी गई है। यह बताया गया है कि नियम 154 में विनियोग विधेयक है और नियम 154-ए में वित्त विधेयक है। इन सबका कांस्टीट्यूशनल मेन्डेट है, इन सबके पीछे संविधान की मान्यता है। आर्टिकल 208 में ऐसी विधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी-अपनी विधान सभाओं में कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम बनायें। ऐसे नियम बनाने का जो अधिकार है, वह संविधान-प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही राजस्थान की विधान सभा ने ऐसे ही यह कार्य संचालन के अधिकार बनाये हैं। परन्तु जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है ‘‘Regulation by the law procedure in the legislature of the State in relation to the financial business.” आर्टिकल 209 में यह जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका रेगुलेशन करने का पूरा का पूरा अधिकार संविधान के तहत इस विधान सभा को दिया गया है। आर्टिकल 204 में एप्रोप्रिएशन बिल है और आर्टिकल 205 में सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेज ग्राण्ट को बताया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसी के तहत बजट की यह सारी प्रक्रिया आपके सामने आयी है। आर्टिकल 293 में जो हम लोन लेते हैं, बोरोइंग जो स्टेट्स लेते हैं, जिसका लम्बा प्रोविजन है, मैं रेलेवेंटट आपके सामने पढूंगा ‘‘The executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may be so fixed.” तो इस सबके तहत ही आज मैं आपके सामने निवेदन करने आया हूं।

सबसे पूर्व महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, पक्ष-विपक्ष ने अपनी-अपनी बात रखी और इस सदन ने महामहिम को धन्यवाद अर्पित किया, जिसका जवाब आज महामहिम की ओर से धन्यवाद के रूप में आया। उसके बाद राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस पवित्र सदन में बजट रखा। आने वाले वित्तीय वर्ष में किस तरह से भावी योजनाएं हैं, कौन से फण्ड पर कितना खर्चा किया जायेगा और किस तरह से एक साल का जो आय-व्ययक है, उसको आपके सामने रखा। सबसे पहले बजट आता है। बजट के अनुमान के बाद रिवाइज्ड बजट आता है, अनुमान के बाद फिर रिवाइज्ड में एस्टीमेट बनते हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट के बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल आता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

आज, जैसा मैंने आपके सामने निवेदन किया, 1 लाख 41 हजार 232 करोड़, एक लाख 46 हजार का आपके सामने यह अनुमति लेने के लिये आया है, जिसको हम दूसरी भाषा में 14 अरब, 12 खरब, 32 करोड़, 1 लाख, 46 हजार रुपये बोलते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा अमाउण्ट है। इस अमाउण्ट को आज इस सदन की स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इस पर खर्च करेगी, लेकिन इस पर खर्च करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतने बड़े खर्च की अनुमति मिल रही है तो सभी माननीय सदस्यों को इस पर सतर्क रहने, अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपना पक्ष रखने और ट्रस्टी के रूप में, जो हम सब हैं, उन सबका दायित्व बन जाता है कि इस फण्ड का युक्तियुक्त रूप से, वाजिब रूप से, जिसके लिये फण्ड है, उसी में उपयोग हो। रुपये खर्च करने की अनुमति कंसोलिडेट फण्ड, जो हमारा एक अधिकार मात्र है, उससे लिया जा रहा है, इस वित्त विनियोग विधेयक के मार्फत। इसलिये विधायिका में इस निमित्त हमारे जितने भी हमारे साथी विधायक हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। आप देखें कि इस राजस्थान विनियोग संख्या-2, विधेयक, 2015 की धारा 2 के तहत जो कंसोलिडेट फण्ड्स हैं, कंसोलिडेट फण्ड्स भी कम नहीं हैं, जिस पर कोई डिबेट नहीं होती है, वह फण्ड भी 1 खरब, 68 अरब, 29 करोड़, 20 लाख, 47 हजार का है। यह इतना बड़ा फण्ड है, जिस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती, उस फण्ड को भी आप से आज अनुमति के तहत इस मद में, जो आज दिये गये हैं, उस मद के तहत खर्च किया जायेगा। उसके बाद दूसरा जो डिमाण्ड्स फोर ग्राण्ट्स है, उसके तहत भी जो रिमेनिंग अमाउण्ट है, उसका खर्चा किया जायेगा। इसलिये मेरा सबसे पहला निवेदन है कि यह आज की जो डिबेट है, वह अति महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण डिबेट पर हम सबको बहुत सतर्कता और, सावधानी से, जिम्मेवारी से और अपनी कर्तव्यपरायणता निभाते हुए इस पर अपना पक्ष रखना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यहां आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब पूर्व में यहां विराजते थे तो अपनी बहुत वाह-वाही लूट रहे थे। हमने तथ्यों के साथ यह बतलाया था कि सरकार का इस तरह से वित्तीय कुप्रबन्ध है, आंकड़ों सहित बताया गया था। आज भी मैं आपसे निवेदन करुंगा कि मौजूदा सरकार वित्तीय कुप्रबन्ध का जो आरोप लगा रही है, वह वास्तव में साबित किया है। अब जब भारतीय जनता पार्टी का शासन माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में बना है तो कुशल वित्तीय प्रबन्धन का

(श्री जोगाराम पटेल)

उदाहरण भी पेश किया है। पूर्व के खण्डकाल में जब भी सरकार रही, तब भी किया था और अब भी कर रही है। क्योंकि समय-सीमा बांध दी गई है, मैं आंकड़ों में कम जाकर आपके सामने कुछ सुझाव रखूंगा और मैं निवेदन भी करुंगा, मैंने कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में राय भी ली है, कई विधान सभाओं में जाने का मौका भी मिला है। लेकिन अनेक माननीय सदस्यों की यह राय है, यह वाजिब भी है और जरूरी भी है क्योंकि हमारे जो एम.पी. साहबान हैं, उनमें से कई हमारे एम.पी. साहेबान यहां विराजमान हैं, उनका पार्लियामेंट का बहुत गहरा अनुभव भी है, असेम्बली का भी बहुत लम्बा अनुभव है, हमारा अनुभव बहुत कम है लेकिन उनका बहुत गहरा अनुभव है। इस लिहाज से मेरा निवेदन यह है, सबसे पहला मेरा सुझाव है और मैं नम्रता से निवेदन करुंगा कि बहुत जरूरी कोई डिमाण्ड हो, वह पांच या दस से लगाकर, उस डिमाण्ड को विधान सभा में स्वीकृति ले ली जाए, पारित कर दी जाए। रिमेनिंग जो डिमाण्ड्स, जितनी भी है, उन रिमेनिंग डिमाण्ड्स को पार्लियामेंट की तरह जो कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों को सुपुर्द किया जाए। कमेटियों को सुपुर्द करने के पांच फायदे हैं। एक तो उसमें डिटेल्ड डिस्कशन होगा। डिटेल्ड डिस्कशन होने के बाद में उसकी वाजिब रिपोर्ट सदन में आयेगी। दूसरा है, उसमें एक्चुअल कितना खर्चा हुआ है, एक्चुअल खर्चा कितना नहीं हुआ है, इसकी भी डिबेट वहां पर होगी। तीसरा, हर सदस्य उस पर अपनी गहनता से विचार-विमर्श करेगा।

चौथा, कमेटी के सामने जो डिमांड जाएगी, उस डिमांड के कितने वर्षों का, किस तरह से आय व्यय में, प्रतिशत में कितना उपयोग हुआ है, उसकी क्या उपयोगिता रही है, डिमांड रखनी है या नहीं रखनी है, कितनी रखनी है, कम करनी है और अंत में उसके उपरांत जो रिपोर्ट आएगी और फिर सदन में अगर डिस्कशन होगा तो सदन का जो डिस्कशन होगा वह सबसे महत्वपूर्ण होकर वह डिमांड पारित होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह नयी परम्परा इस सदन में, पवित्र सदन में शुरू की जाए कि पूरी की पूरी डिमांड को विधान सभा, चाहे मुख बंद के हो, यहां डिमांड के रूप में लेकर की जाए, वह नहीं की जाए। बहुत जरूरी हो उनको ही किया जाए। रिमेनिंग डिमांड्स को पार्लियामैंट की तरह कमेटियों में भेजा जाए, डिस्कस किया जाए और तदुपरांत यहां पर मांगें आकर उनको पारित किया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव है माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में हम आरोप और प्रत्यारोप बहुत लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन

(श्री जोगाराम पटेल)

करूंगा कि जैसा बजट के सम्बन्ध में या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो सीधा प्रसारण होता है, वैसा प्रसारण क्यों नहीं हम इस बजट की डिबेट में भी रखें, हम क्या तथ्य बोल रहे हैं, हम किस जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, हम कौन से फैक्ट को गलत या सही कह रहे हैं या अपनी बात को छिपाकर बात कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरा सुझाव है कि इसका सीधा प्रसारण किया जाए ताकि प्रत्येक माननीय सदस्य जो हैं वह जनता के सामने अपना बता सकें कि मैंने जो बात कही है वह जिम्मेदारी से कही है। कितनी जिम्मेदारी से यहां पर रखी गयी है।

तीसरा, मेरा निवेदन कटमोशन के सम्बन्ध में भी है, कटमोशन जो आज पेश किए जा रहे हैं उन कटमोशन के सम्बन्ध में भी विशेष किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है। कटमोशन किस स्तर के आ रहे हैं, कटमोशन का समय पर जवाब नहीं आ रहा है, कटमोशन के सम्बन्ध में जितनी रेस्पांसिबिलिटी से गवर्नमैंट को जवाब देना चाहिए उस रेस्पांसिबिलिटी से जवाब भी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा यह भी निवेदन है कि हमने कटमोशन की व्यवस्था ऐसी कर दी है कि वह मात्र एक औपचारिकता बन कर रह गयी है जबकि कटमोशन सबसे महत्वपूर्ण अधिकार एक विधायक का है और वह उसके तहत यह डिमांड करता है कि यह ऐसा कार्य है या मेरा काम है, यह मेरे क्षेत्र का काम है, मेरी जनता का काम है, गरीब जनता का काम है उसका इस तरह से होना चाहिए और उस कटमोशन का अगर विधिवत लिखित में जवाब टाइम पर आ जाए या उस पर एक्ट-अपोन हो जाए, मेरे लिए जवाब दे देना ही सफिसिएंट नहीं है उस पर एक्ट-अपोन होना भी जरूरी है इसलिए मेरा यह भी निवेदन है कि इस कटमोशन का जो एक हमारा अधिकार है उसको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए।

हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है, हम जो यहां पर बोलते हैं या बाहर पब्लिक में बोलते हैं, किसी भी प्रिंट मीडिया या इलैक्ट्रिक मीडिया में बोलते हैं तो हम हमारी जनता को रि-प्रजेंट करते हैं, हम हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी जो कृति और वृत्ति है वह हमारा प्रतिबिम्ब है, हमारी जनता का और हमारी कृति और वृत्ति में हमारा जो प्रतिबिम्ब है, वह जनता का प्रतिबिंब हम में दिखता है और हमने आज दिन तक ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया है जिससे कि हमारा प्रतिबिम्ब धीरे-धीरे थोड़ा धूमिल हो

(श्री जोगाराम पटेल)

रहा है। अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि इन रिपोर्टस का स्टेटस क्या है, तो माननीय सदस्य यह देखेंगे कि कितनी ही ऐसी रिपोर्टस हैं जिनको नहीं देखा जा रहा है और हम जाकर कभी भी, किसी भी स्तर पर बिना किसी आधार के किसी पर आरोप लगा देते हैं। बिना किसी जिम्मेदारी के हम बोल लेते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा यह भी निवेदन है कि विधायिका का महत्व, है और विधायिका का मैटर आएगा तो विधायक स्वयं सबसे पहले, अगर जिम्मेदारी निभाएगा तो उस जिम्मेदारी के आधार पर ही वह उसमें अपनी बात कह सकेगा। इस सम्बन्ध में कई विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं उन सब का उद्धरण तो आपके सामने नहीं दूंगा लेकिन उन्होंने यह कहा है कि एक विधायक को पूर्ण जिम्मेदारी से रहना चाहिए ताकि वह जनता के सामने जाकर यह कह सके कि जो मैंने बात कही है वह वास्तविक है, सही है और जनता की आवश्यकता के अनुसार है।

सबसे महत्वपूर्ण मैं जो निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, हमारी विभिन्न विभागों की जो रिपोर्टस आ रही हैं, वह रिपोर्टस भी आज की तारीख में एक फार्मेलिटी के रूप में आ रही है उन रिपोर्टस पर कभी भी हाउस में डिस्कशन बिलकुल नहीं हो रहा है। कौनसा फैक्ट उसमें गलत लिखा हुआ है, कौनसा फिगर उसमें गलत लिखा हुआ है, कौनसी पहले की रिपोर्ट है, इन दोनों रिपोर्टस को मिलाया जाए तो कंट्राडिक्शन आ रहा है। हमारा बजटीय प्रावधान है, उससे कितनी वह समानता या असमानता रख रही है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि एक ऐसा भी प्रारम्भ किया जाए कि जितने भी विभागों की जो रिपोर्ट्स आ रही है उन रिपोर्टस पर हाउस में भी डिस्कशन होना चाहिए और जो रिपोर्ट विभाग दे रहा है, वह जिम्मेदारी से इस रिपोर्ट को हाउस में दे।

दूसरा, मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, जो सदन चल रहा है वह दिनों में थोड़ा कम है, समय में भी बांधा जा रहा है हमको। दिनों में भी हमको, बांधा जा रहा है हम अपनी पूरी बात नहीं कह पाते और इसलिए मेरी प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हाउस के समय को बढ़ाया जाए। पांच दिन अगर हाउस और चले तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर दो घंटे यहां दिन में हाउस चले जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इन पांच दिनों में और दो घंटे में अनेक माननीय सदस्य ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव सदन में रख सकते हैं जो इस राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए, राजस्थान की गरीब जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम आने वाले हैं

(श्री जोगाराम पटेल)

इसीलिए पहला निवेदन, दूसरा अंतिम निवेदन यह भी करूंगा कि सदन का समय जो है थोड़ा बढ़ाया जाए, चाहे वह घंटों के हिसाब से या चाहे दिनों के हिसाब से हो।

अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, कि प्लान बजट जो है, मैं यह कहूं कि इस सरकार ने अच्छा काम किया, उस सरकार ने अच्छा काम किया लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, वह आंकड़े यह बताएंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने कहा है वह नहीं हुआ है और जो प्लान बजट लाए वह खर्च नहीं कर पाए और इस वजह से धीरे-धीरे जो वित्तीय कु-प्रबंधन था, वह उस हालात में पहुंच गया कि इस आधार पर असहनीय हो गया।

उदाहरण के तौर वर्ष 2009-10 में इन्होंने प्लान बजट लगाया 18635 करोड़ रुपये का लेकिन खर्च हुआ 17841 करोड़ रुपये और 11 हजार नहीं, 1187 करोड़ रुपये शुद्ध कम खर्च हुआ यानी टोटल खर्च ही नहीं कर पाए। इसी तरह से वर्ष 2010-11 में यह प्लान लाये थे 23562 करोड़ रुपये का और खर्च कर पाए सिर्फ 20829 करोड़, इसी तरह से वित्तीय वर्ष 2011-12 में यह प्लान बजट लेकर आए थे 29261 करोड़ का और खर्च कर पाए मात्र 25039 करोड़, यहां पर भी करीब 4222 करोड़ रुपये कम खर्च कर पाये। अंत में इनका वित्तीय वर्ष, इनके कार्यकाल के दौरान रहा, वहां जो यह प्लान लेकर आए थे वर्ष 2012-13 में 36,363 करोड़ का और खर्च कर पाये सिर्फ 19220 करोड़, उसके बाद में कुछ महीने इनके पास रह गये थे, ऐसी स्थिति में इस आधार पर मैं यह निवेदन कर सकता हूं तथ्यों के साथ कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जो वित्तीय कु-प्रबंध था, उसकी वजह से जो प्लान यह लेकर आए थे, वह पूरी की पूरी राशि खर्च नहीं कर पाए।

दूसरा, जो वित्तीय कु-प्रबंधन का मैं आपके सामने जो उदाहरण रखना चाहता हूं वह यह है कि जी.डी.पी. के आधार पर कितना सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में आप खर्च कर पा रहे हैं और किस तरह से है? जब हमारा कार्यकाल आया था पूर्व में वर्ष 2003 से लगाकर 2008 के दौरान तो वहां तो जी.डी.पी. का जो टोटल खर्चा था वह 2004-05 में 24 परसेंट था, 2005-06 में 19 प्रतिशत था, 2006-07 में 18 प्रतिशत था, 2007-08 में 19 प्रतिशत था

(श्री जोगाराम पटेल)

और 2008-09 में 18 पाइंट कुछ प्रतिशत था। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, दूसरों को सेवा का मौका मिला और जो यहां विपक्ष में मेरे साथी बैठे हुए हैं, जब यह इधर बैठे थे तो उनमें यह धीरे-धीरे कमी होती गयी। जैसे 2009-10 में सीधा ही घट कर 18.3 हो गया, 2010-11 में 15.7 हो गया, 2011-12 में 15.6 हो गया और 2012-13 में 18 तक, कुछ प्रतिशत बढ़ा था तो इससे भी लगता है कि यह इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमैंट जो था वह सही नहीं था। बजट पूरा खर्च नहीं कर पाए और जो जी.डी.पी. का टोटल खर्चा था, वह जी.डी.पी. का टोटल खर्चा भी नहीं कर पाए और अगर आप यह देखेंगे, कैपिटल एक्सपैंडिचर को भी अगर आप देखेंगे तो ...(व्यवधान) सिर्फ पांच मिनट।

कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के पेटे भी पूर्व कार्यकाल के दौरान जहां 2004-05 में 8.6 में था, 2005-06 में 4.2 था, 2006-07 में 4.4 था, 2007-08 में 4.4 था और 2008 -09 में 3.7 था लेकिन ज्योंहि इनका कार्यकाल आया तो 2009-10 में 3.2 हो गया, 2010-11 में 2.6 हो गया और 2011-12 में 2.81 हो गया और 2012-13 में 3.91 हो गया तो मैंने दूसरा उदाहरण यह रखा कि इनके कार्यकाल के दौरान भी धीरे-धीरे फाइनेंशियल मैनेजमैंट की वजह से सरकार की इर्रेगुलरिटी, सरकार की गलत नीतियों के कारण, पूरा खर्चा नहीं करने के कारण, गलत खर्चा करने के कारण जो जनता को लाभ मिलने वाला था, वह लाभ नहीं मिल पाया।

कर्जे को, विकास की दर को, विज्ञापन पर जो इन्होंने खर्च किया इसका इंट्रेस्ट जो इन्होंने पेमेंट इन सबको मैं जोड़ देता हूं और मैं सीधा सा निवेदन करता हूं माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने कहा था कि हमने बहुत बड़ा बजट बना दिया, आप उसके साक्षी हैं, अनेक वरिष्ठ माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, विद्वान सदस्य विराजे हुए हैं, वह उसके साक्षी हैं, इन्होंने 97331 करोड़ 76 लाख 84 हजार की राशि का कंसोलिडेट फंड में खर्च करने हेतु लिया था। लेकिन इन दोनों में भी भारी अन्तर रहा और इनका भी पूरा खर्चा नहीं कर पाये। उसकी वजह से मैं यह सारे जो आंकड़े हैं, मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, हमारे कार्यकाल के दौरान, माननीय भैरोंसिंहजी के कार्यकाल के दौरान, माननीय वसुन्धराजी के कार्यकाल

(श्री जोगाराम पटेल)

के दौरान इनके कार्यकाल के दौरान खर्च नहीं कर पाये, फिर भी जो कर्जा बढ़ता गया, जो धीरे धीरे 53 हजार करोड़ से बढ़ता-बढ़ता 1 लाख 31 हजार करोड़ तक इनका कर्जा बढ़ता गया और इसी वजह से यह आज जो भारी कर्जा चढ़ा हुआ है। इसलिये पहला निवेदन तो यह करना चाहूंगा कि इनके वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण जनता को भारी हानि झेलनी पड़ी, जनता को भारी कष्ट झेलने पड़े व झेलने पड़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। 2011-12 का जो संशोधित अनुमान 56 हजार करोड़ का था, उसकी जगह 2012-13 में करीब 63 हजार करोड़ का संशोधित बजट आया। मैं इस सबको जोड़ने के बाद अभी जो सबसे बड़ा आया है 2014-15 का 96,668 करोड़ 33 लाख, इसके बाद अभी 2015-16 का जो अनुमानित बजट है, 1,11,361 करोड़, इतना बड़ा बजट है जिससे राजस्थान की जनता का फायदा होने वाला है, राजस्थान की जनता में खर्च होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बजट के मार्फत इस साल में होने वाले हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन उदाहरण कर रहा हूं जैसे सड़क तंत्र के सम्बन्ध में है, चाहे 20 हजार किलोमीटर की सड़कों का मामला हो, चाहे मिसिंग लिंक का मामला हो, चाहे गौरव पथ का मामला हो, चाहे और जो विभिन्न योजनाओं के तहत जिसका विवरण माननीय मंत्री महोदय ने कल सदन के सामने रखा, तो सड़क तंत्र जिस प्रदेश का मजबूत होगा, विकास का आधार उसी आधार पर तोला जाएगा। अब मैं विवरण के तौर पर जाऊं तो लम्बी-चौड़ी सड़कों की संख्या है, रुपयों की संख्या है, लेकिन एक उदाहरण सड़क तंत्र का तो आपके सामने है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा उदाहरण है शिक्षा के सम्बन्ध में। इनके कार्यकाल के दौरान स्कूलें खोल दीं तो अध्यापक नहीं। अध्यापकों की जो संख्या निर्धारित होती है कोई उसका बजटीय प्रावधान नहीं किया, तो स्कूलों की पूर्ण रूप से अव्यवस्था हो गयी थी। इनके कार्यकाल के सामने मेरी लिस्ट है...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह बोल रहे हैं उससे ज्यादा तो यह हाथ चला रहे हैं। हाथ चलाने की कहां जरूरत पड़ गयी? यहां तो बोलने की जरूरत है।

श्री सभापति: आप विराजें। क्या दिक्कत है आपको?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय महोदय, दिक्कत यह है जिस सदस्य के पास तथ्यों के आधार पर कोई बात नहीं हो तो इधर-उधर की बात करके वह अपना मन बहलाता है, तो इसमें मन बहलाओ, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्कूल के मेरे यहां इनके कार्यकाल के दौरान 4 स्कूलों के अन्दर तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार इनके द्वारा जो बच्चे लिखे गये थे या विद्यार्थी लिखे गये थे, वे थे 4 और अध्यापक 3 और 15 से 20 छात्रों की संख्या के जो विद्यालय थे, वह 30 विद्यालय थे, इन्होंने शहर के पास होने की वजह से लगाये 15 से कम छात्रों के 30 ऐसे विद्यालय थे, जिसमें किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8 यह लगाये पर मौजूदा खण्डकाल के दौरान, माननीय वसुन्धरा के कार्यकाल के दौरान हमारे मंत्रीजी ने जो व्यवस्था की, उससे काफी कुछ सुधार हुआ है, अध्यापकों की नियुक्ति हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): काफी विद्यार्थी ड्राप-आउट हो गये सरकारी स्कूलों से, या तो पढ़ाई छोड़ दी, या निजी स्कूलों में जाना पड़ा मजबूरी में।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह आपके कार्यकाल में हुआ है। (व्यवधान) इसलिये आपने सही याद दिलाया।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नामांकन भी बढ़ा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अगर यह साबित कर दें कि इन-इन कारणों से इस कार्यकाल के दौरान विद्यार्थियों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम हुआ है तो इसके लिये एक दिन की डिबेट अलग से रख दी जाए और इस तरह से कह दिया ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं और मैं साबित कर दूंगा आप कहोगे तब। कल ही रख लीजिये एक घंटे का, मैं साबित कर दूंगा कि जब आपने सरकार संभाली थी तब विद्यालयों की छात्र संख्या क्या थी और एकीकरण के बाद में कम हो गयी। यह मैं साबित कर सकता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2008 में कितनी थी, और अब 2013 में कितनी रही, इसकी भी डिबेट करवा लो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन है। समय का तो बीच में जो यह व्यवधान हो रहा है। आप इनको टोके साहब, बीच में मेरा समय नहीं

(श्री जोगाराम पटेल)

खराब करें। मेरा निवेदन यह था कि जो विद्यालय के सम्बन्ध में भी अध्यापकों की नियुक्ति छात्रों के अनुसार, वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति, सब्जैक्ट अध्यापक की नियुक्ति, इन सब आंकड़ों में नहीं जाकर मैं निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और कल सी.ए.जी. की रिपोर्ट भी हाउस में प्रस्तुत हुई और सी.ए.जी. की रिपोर्ट में अनेक बिन्दुओं पर पूर्व सरकार की जो फेल्योर है, उस फेल्योर के सम्बन्ध में लिखा है, बिजली के सम्बन्ध में अगर आप सी.ए.जी. की रिपोर्ट में देखें तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि 432 करोड़ रुपये तो इन्होंने बिल जारी नहीं किया जयपुर डिस्काम ने, इसी वजह से वसूल नहीं हो पाये। इतना ही नहीं, 1.10 लाख उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं करवाने के कारण इसमें भी बहुत करोड़ों रुपये इनके वसूल नहीं हो पाये। वर्ष 2013 में 26,203 उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थायी व अस्थायी रूप से नहीं काटे गये, 29 पाइंट कुछ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जयपुर डिस्काम ने साफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण 1.58 करोड़ उपभोक्ताओं से बिल के वसूल नहीं किए और करीब 432 करोड़ का क्या, कहीं बहुत ज्यादा एक तरफ तो 775 करोड़ की तीनों बिजली कम्पनियां हैं, वह घाटे में चल रही हैं और इनकी अकर्मण्यता की वजह से, टाइम पर वसूल नहीं कर पाने की वजह से...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वसुन्धरा राजेजी का जो यह कार्यकाल है, इसका भी उल्लेख है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, उस समय पूरी बात कर लें, दिक्कत कहां है? आप टोकते क्यों हो?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सी.ए.जी. ने जो सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में लिखा है और अनुदान के सम्बन्ध में, आपके सामने दो उदाहरण पढ़ना चाहूंगा। राज्य सरकार नये उधार लेने से पूर्व उधारों पर नियन्त्रण करने के उपाय खोज सकती है। जहां तक सम्भव हो, उपरोक्त शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है। वर्ष 2013-14 के दौरान 1,06,,452.16 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष, (व्यवधान) दो मिनट में खतम कर रहा हूं,

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। 96,718.25 करोड़ की राशि व्यय हुई एवं 9,733,91 करोड़ की बचत रही। सह-अनुदान के अन्तर्गत निरन्तर बचतों की समीक्षा में पाया गया कि एक लाख 957.25 करोड़ की बचतें मुख्यत: पदों के

(श्री जोगाराम पटेल)

रिक्त रहने, योजनाओं की वार्षिक परिव्यय वित्त में कटौती, भारत सरकार से नीतियों का अपर्याप्त कम प्राप्ति के कार्यों के कम निष्पादन आदि के कारण हुई। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है, 15 प्रकरणों में एक लाख 4032.14 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा 477 प्रकरणों में निधियों का पुनर्वियोजन अविवेक पूर्ण रहा। माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को 9,233.15 अवितरित किये गये। इससे इन नीतियों का उपयोग व विकास सम्बन्धी प्रयोजनों की गुंजाइश नहीं रही। चार प्रकरणों में, जो सौर ऊर्जा वाला है, सौर ऊर्जा में भी यह माना है कि इनकी वजह से यह सारी योजनाएं फेल हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ओनली एक मिनट, ज्यादा नहीं कहूंगा, एक लाइन है। मैं इसी वजह से निवेदन करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कम से कम चार साल लगेंगे और चार साल के बाद वह सिर्फ बैलेंस पर आएगा, तब जाकर राजस्थान का विकास होगा। इनके नेता ने इसी विधान सभा के इसी स्थान पर खड़े होकर कहा है कि हमारे सामने आप देख लो चुनाव हुए हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं चाहे असेम्बली के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, चाहे पंचायतों के हों, चाहे नगरपालिका के हों, कोई भी चुनाव हो, यह आइना है, इसी आइने में आप स्वयं अपने आपको तोलना, अकेले बैठकर तोलना, विवेचन करना तब पता लगेगा कि आप कहां पर खड़े हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बैठें। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(14.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, हम राज्य के बजट के थर्ड स्टेज पर चर्चा कर रहे हैं और हम तृतीय वाचन पर चर्चा करते हैं, उस समय हम सम्पूर्ण राज्य की वित्तीय स्थिति पर, हमारे राज्य के विकास पर जब चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं उस समय माननीय सदस्यों को दल की भावना से कुछ ऊपर उठकर वास्तविक तथ्यों की ओर हमें आकलन करना चाहिये, हमें सोचना चाहिये कि हम जो आज यह कर रहे हैं वह किस स्टेज पर है। यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो बजट का सारा काम है, जो हमारा यह विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक है, सभापति महोदय, सारी परम्पराएं, सारी व्यवस्थाएं धीरे-धीरे करके बदलती जा रही हैं। धीरे-धीरे डिमाण्ड्स की संख्या कम हो गयी। धीरे-धीरे वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर साथ-साथ चर्चा होने लगी। मैं जब पहली बार विधान सभा में आया था, माननीय सभापति महोदय,...

कम से कम दो दिन विनियोग विधेयक पर चर्चा होती थी।

और एक दिन वित्त विधेयक पर चर्चा होती थी और कई बार ऐसा भी हुआ कि वित्त विधेयक के अलावा जिन-जिन विधेयकों में अलग-अलग रूप से संशोधन किये वो अलग-अलग संशोधन भी आये, उन पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर मैं आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो इस बात पर करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 202 से लेकर 210 तक एक अधिकार है जो केवल-मात्र विधान मण्डल को प्राप्त है, राज्य के बजट का।

सभापति महोदय, यह बजट क्या है? आज तक इसको हम बजट के रूप में बार-बार बोलते रहे हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में यह परम्परा शुरू हुई। लाल चमड़े का एक बस्ता लेकर वित्त मंत्री उसमें डालकर आता था तो अध्यक्ष कहता था कि तुम्हारे लाल चमड़े का बैग खोलो। उस लाल चमड़े के बैग को फ्रेंच भाषा में बजैटी, बजैटी कहते थे और अंग्रेजी में फ्रेंच भाषा का रूपान्तरण बजट हो गया। इसलिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की नकल पर इसको बजट कहा जाने लगा। इसलिए इस बजट का हमारे संविधान से कोई लेना-देना नहीं है। हम यूज करते हैं शब्द को, हमारे यहां इसको आय-व्ययक अनुमान और वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो यह जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो पहला राज्यपाल महोदय अधिकृत करते हैं कि राज्य सरकार इस तारीख को अपना बजट पेश करेगी, उस दिन वित्त मंत्री का भाषण होता है। मुख्य मंत्रीजी वित्त मंत्री हैं तो उनका भाषण हुआ। पहला स्टेज पूरा हो गया, उस पहले स्टेज पर वाद-विवाद हो गया, उसका जवाब आ गया, समाप्त हो गया।

दूसरा स्टेज आता है डिमांड्स का, अनुदान की मांगों का जो अपने आर्टिकल 203 में उसका विधान है और उसमें दो प्रकार के चार्ज्ड हैं और वोटेड हैं। बहुत से ऐसे मुद्दों पर अब कभी चर्चा ही नहीं करते जो चार्ज्ड एक्सपेंडीचर है। जो हमारे ऊपर लिया गया हम से, हम वोट दें नहीं लेकिन वो चार्ज्ड है, वो तो हमको पास करना ही पड़ेगा। और कुछ वोटेड हैं तो उसकी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संख्या और कम हो जाती है। तो वो संख्या कम हो गयी। फिर 51 मांग हैं, 51 मांगों में 10, 11, 12, 13 मांग हम तय करते हैं, वो मांग तय करके उन पर विचार करते हैं फिर मुखबंद कर देते हैं, मुखबंद करके पारित करते हैं।

फिर यह 202, 204, फिर लेखानुदान से 2006 तक और यह सारा जो हमारा कांस्टीट्यूशन है उसमें जो एक अधिकार दिया गया है, कोई न्यायालय हमको आदेश नहीं दे सकता कि यह बजट आप पास करो और कोई संस्था हमको नहीं दे सकती। यह बजट पास करने का ट्रस्टी के रूप में जो अधिकार इस सदन को मिला हुआ है, सदस्यों के इस अधिकार की सुरक्षा की जाए, यह सबसे बड़ी बात है और इस बात पर सभी दलों को विचार करके इस बात से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए।

आज, सभापति महोदय, हम जब यहां चर्चा करने बैठे हैं तो सौभाग्य की बात है, एक-दूसरे दल के बारे में आलोचना-प्रतिलोचना होती है, हम भी करते हैं। लेकिन हम आज इस प्रजातंत्र के माध्यम से, इस विधान सभा के माध्यम से कितना छोटा-सा पहला बजट लेकर आये थे और आज हम 1 लाख 41 हजार 232 करोड़ 1 लाख 46 हजार रुपये की राशि का कंसोलिडेटेड फंड में से निकालने का अधिकार सरकार को दे रहे हैं। यह कंसोलिडेटेड फंड क्या है? सभापति महोदय, हमने अलग-अलग डिमांड्स पास कर दी। उन सारी डिमांड्स को पास करने के बाद में भी सरकार को, कोई रुपये पर यह लिखा हुआ नहीं है कि यह शिक्षा का रुपया है, यह चिकित्सा का रुपया है, यह कोई गृह मंत्रालय का रुपया है। तो रुपया तो सारा एक साथ है इसलिए यह रुपया जो एक साथ हमारे समेकित फंड में एकत्रित है, इस रुपये में से सरकार को निकालने का अधिकार देने का काम इस एप्रोप्रिएशन बिल में होता है।

यह जो दूसरा हमारा बिल है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक के सम्बन्ध में हम व्यापक चर्चा करते हैं जिसमें दो अलग-अलग डिफरेंस हैं। मैं दो लाइन पढ़ता हूं, सभापति महोदय, आपको पता लगेगा। वित्त विधेयक, इस प्रस्ताव पर कि वित्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाए, कोई सदस्य सामान्य प्रशासन, राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली स्थानीय शिकायतों या सरकार की आर्थिक या वित्तीय नीतियों से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा कर सकेगा। इस पर एक व्यापक चर्चा हो जाती है। जो हमारा विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तरनिहित प्रशासनिक नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदान की मांगें विचाराधीन थीं।

तो दो विषय हमारे सामने आ गये। जब हम एप्रोप्रिएशन बिल पर बात करते हैं उस समय वो मांगें जो हमने मुख बंद में पारित की हैं, जिन पर चर्चा नहीं की है उन पर हम एप्रोप्रिएशन पर विचार कर सकते हैं और सरकार की नीतियों और सरकार की शिकायतों के बारे में अगर कोई चर्चा करना चाहें तो वित्त विधेयक के प्रावधानों के अन्दर ही चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार से यह दोनों को मिलाकर करने से इसका व्यापक क्षेत्र हो जाता है, सभापति महोदय। लेकिन हम को देखते समय यह देखना पड़ेगा, एक-दूसरे पर छींटाकशी करें, जो हम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक-दो वाक्य पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

अभी एक छोटी-सी बात चली थी, पहले उसका स्पष्टीकरण कर देता हूं। चला सरकारी विद्यालयों में, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आ गया, सदन में दो दिन पहले पेश हो गया। सभापति महोदय, ये पांच इतने बड़े ग्रंथ हैं कि मैं पूरी रात इनको देखता रहा। अब मैं नहीं देख सकता, अब इनको देखे बिना पता लग नहीं सकता कि क्या हो। तो यह जो लगातार, धीरे, धीरे, धीरे करके विधायिका का जो कार्य यह ब्यूरोक्रेसी में केन्द्रित कर दिया गया है, अगर इसकी ओर माननीय विधायक ध्यान नहीं करेंगे तो हम जनता के ट्रस्टी होने के अपने काम को पूरा नहीं कर सकते। इसको हमको करना पड़ेगा।

मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इस बार जो सदन चला है वो काफी लम्बा चला है। आठ तारीख तक का हमारा कार्यक्रम तय हुआ है, आगे संसदीय कार्य मंत्रीजी पर है। सभापति महोदय, हमारे यहां दो मंत्री हैं। एक मंत्री हैं जो रोड बनाते हैं युनुस खान साहब और दूसरे मंत्री हैं जो रोड पर रोलर चलाते हैं, वो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं। (व्यवधान) हां, चलाते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): तभी तो रोड अच्छी बनती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अच्छी बन रही है रोड। तो वो उनकी इच्छा होगी तो दो-चार दिन और चल जाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, रोलर तक तो ठीक है बुलडोजर नहीं चलाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों के बीच है, राव साहब। आप जो इनके जाग्रत कर दोगे उसी काम को ये पूर्ण कर देते हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस बार बड़ी उदारता से सदन की कार्यवाही को आगे चलाने में मदद की और आज हम बिलों पर भी चर्चा करेंगे, सारा काम हो रहा है।

मूल बात जो कही थी मैं उस पर आना चाहता हूं कि इस पर जब चर्चा करते हैं तो, डोटासरा साहब, मैं आपके ध्यान में ला दूं, सरकारी विद्यालयों में नामांकन 15.71 परसेंट कम हुआ है और प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन 26.51 परसेंट बढ़ा है। यह 2014 का जो आपका प्रतिवेदन है उसमें है और इसको मान लेना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम हुआ है, यह हमारी कमजोरी रही है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम इतने बड़े बजट पर चर्चा करते हैं तो एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा। अब पुलिस की बहुत आलोचना करते हैं, अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि नहीं, नहीं, यह बात है गलत है। आप देखिये, पुलिस को हमको जो कुछ उपलब्ध कराना चाहिए था उसको हम उपलब्ध नहीं करा पाये। वार्षिक योजना भारत सरकार को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी, राज्य सरकार ने इस योजना का अपना अंशदान भी नहीं दिया क्योंकि राज्य सरकार पुलिस आधुनीकरण के लिए पृथक से वस्तुओं की खरीद कर रही थी। इसके अलावा राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं के तहत उपलब्ध धनराशि का 36 और 79 परसेंट के मध्य उपयोग नहीं कर सकी। पुलिस को आधुनीकरण करने के लिए भारत सरकार ने जो कांग्रेस पार्टी के इसमें पैसा दिया था उसका 79 परसेंट कम प्रयोग हुआ। इसके अलावा विधि विज्ञान में बड़ी संख्या में नमूने विश्लेषण के लम्बित थे जिससे पुलिस बल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लम्बित मामलों के लिए तकनीकी स्टाफ की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया गया। यह पुलिस के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। सारी बातों में, इतना बड़ा काम, दो बड़े क्षेत्र शिक्षा और गृह दोनों ही मामले में हमको जो मिला वो भी हम खर्च नहीं कर सके। इसका परिणाम होता है यह।

सभापति महोदय, मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि अभी जो माननीय जोगारामजी ने बात कही, मैं उनका कुछ हद तक समर्थन करता हूं। बजट क्या है? हम एक-दूसरे की आलोचना करते हैं।

कैसे बनता है बजट? बजट स्टीरियो टाइप बनता है। इस प्रक्रिया को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जरा माननीय सदस्य समझ लें। हम तो यहां बड़े प्रसन्न होकर कह देते हैं कि हमने यह कर दिया। हम करने वाले कहां हैं, हम किस जगह खड़े हैं, देखिये, 'राज्य सरकार के प्लानिंग विभाग द्वारा प्लान सीलिंग, विभागवार तैयार कर ली जाती है। विभाग अपनी तैयार कर लेते हैं। वित्तीय सीलिंग के अनुसार बीएफसी की बैठकें आयोजित कर ज्यादातर विभाग का बजट फिक्स कर दिया जाता है सितम्बर-अक्टूबर के महीने में ही। इन्हें संकलित कर प्रमुख वित्त सचिव बजट बना लेता है'। सारे डिपार्टमेंटों से सितम्बर-अक्टूबर में आ जाता है सारा काम। हम कहीं नहीं हैं एमएलए वगैरह। हम तो जनता में जाते हैं, यात्रा निकालते हैं। लोगों की शिकायतें लेते हैं या विधान सभा में शिकायतें बोलते हैं। हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। हमसे कौन ले रहा है?

जो डोमेन, जो केवल मात्र विधान सभा का अधिकार है, उस सारे अधिकार में विधायक कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। 'और उसे विधान सभा में प्रस्तुत कर देते हैं। विधान सभा कुछ मांगों पर विचार कर सम्पूर्ण बजट को पास कर देती है'। सरकार का करोड़ों रुपया 29 मार्च को, इसमें लिखा है, 29 मार्च को ही सारा का सारा विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। उनके वाउचर, बिल, काम सारे पहले हो जाते हैं। शुरू के 4 महीनों में एक कौड़ी खर्च नहीं होती है। आश्चर्य है कि 29 मार्च को जो पैसे जारी होते हैं, वे 31 मार्च को काम भी कमप्लीट हो जाते हैं, यह है बजट की प्रक्रिया तो।

जो एकमात्र इस विधान सभा का अधिकार है। कार्य की यू.सी. भी जारी कर देते हैं। यूजर सर्टिफिकेट भी हो जाता है। बुकिंग करके भी भेज देते हैं। यह कैसे होता है, यह जानते हैं प्रद्युम्न सिंहजी, यह कि सारा पैसा पी.डी. अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यह विकास के नाम का असत्य, झूठा माडल है। यह बनता है बजट। इस पर चर्चा करिये। इस प्रक्रिया को चेंज करिये। यह सारे जन प्रतिनिधियों की आंखों में एक तरह से धूल झोंकना है। हमको इस भ्रम को मिटाना पड़ेगा कि सारा बजट हम पास कर रहे हैं। हमको अधिकार है, कांस्टीट्यूशन ने हमको दिया है। जनता ने भी हमको दिया है। लेकिन हम इसको पास नहीं कर रहे हैं।

किस विभाग द्वारा कौनसे कार्य प्राथमिकता से कराये जायेंगे, यह विधान सभा के डोमेन में नहीं आता है। अगर आते, तो यह कटमोशन की प्रक्रिया यों ही शुरू की गयी थी। मुझे ध्यान है, पहली बार जब हम एमएलए बनकर आए थे तो हमने एक कटमोशन दिया था कि सीकर के सांवली में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

टी.बी. हास्पिटल था, उसमें 25 सीट बढ़ायी जाएं। प्रद्युम्न सिंहजी थे उस समय, मंत्री थे, उप मंत्री थे, 80 में आप। फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका मुझे नाम ध्यान नहीं है। मैंने कटमोशन दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि कट मोशन सरकार ने स्वीकार कर लिया था और 25 सीट सांवली में सरकार के खर्चे से टी.बी. की चलने लग गयी थीं। उसके बाद कटमोशंस का स्वरूप ही बदल गया।

अब तीनों कटमोशन सांकेतिक हो, कटौती का हो, उन सारे कटमोशन को सब प्रस्तुत किये हुए माने जाएंगे। न तो मंत्रीजी बोलते हैं कि उनको स्वीकार कर लिया गया है, न मंत्रीजी बोलते हैं कि अस्वीकार किया गया है। मंत्रीजी कहते हैं कि मैं 7 दिन में सबका जवाब, कई मंत्री और स्मार्ट होते हैं वह कहते हैं कि हम 3 दिन में, कई कहते हैं हम 2 दिन में इनका जवाब माननीय सदस्यों के पास पहुंचा देंगे। माननीय सदस्यों के पास जवाब पहुंच जाता है। कटमोशन की व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। जो सबसे बढ़िया हथियार था, वह हथियार भी समाप्त हो गया। क्या है कटमोशन का? स्वीकार किया, अस्वीकार किया? सारे अस्वीकार किये माने जाते हैं और उनका जवाब चला जाता है। यह जो अधिकार था वह अधिकार भी खतम हो गया।

कार्यों के गुणावगुण के आधार पर हम परीक्षण नहीं कर सकते, चर्चा भी नहीं कर सकते। मोटे रूप से सरकार की प्राथमिकता न होकर यह अधिकारियों की प्राथमिकता का बजट हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल के सारे रिकार्ड मेरे पास हैं, जो-जो बात कही, वह बात पूरी नहीं हुई। जिस जगह कही, वहीं बात पूरी नहीं हुई। फिर यह कैसे होगा? हम चर्चा यहां करते हैं कि वित्तीय प्रबंधन हमारा ठीक है। वित्तीय प्रबंधन उनका ठीक है। अब मैं आऊंगा उस पर। इसमें जन प्रतिनिधियों का जो रोल शून्य हो गया है। वह जन प्रतिनिधियों का रोल बढ़ाने की इस बजट में आवश्यकता है। इसी कारण से सरकारों के खिलाफ माहौल बनता है।

माननीय डोटासरा साहब, मैंने पूछा कि घाटा कैसे हो गया रेवेन्यू अकाउंट में। तो उन्होंने जवाब में कहा कि चुनाव के अंतिम समय में पेंशन में 2,224 करोड़ रुपये आपने ज्यादा खर्च कर दिये, इसलिए घाटा हो गया। रेवेन्यू अकाउंट में लिखा है। उन पेंशन लेने वालों ने कोई वोट भी नहीं दिये लेकिन वे क्यों नहीं दिये। क्योंकि यह 5 साल तक लगातार जो सरकार के खिलाफ माहौल बनता है, इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, वह जन प्रतिनिधियों के कारण से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं बनती है। वह अधिकारियों के कारण से बनती है। अधिकारी आधारित हो गया है कारण, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिये। विभाग के कार्यों का चिह्नीकरण करने के लिये विधायक दल में चर्चा होनी चाहिये।

कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले हम सब बैठे हैं। हमारी बजट पर कभी चर्चा नहीं होती। सरकार ने बजट का एक प्रोसेस तय कर रखा है, अधिकारियों ने। किसानों के कुछ प्रतिनिधियों को बुलायेंगे। व्यापारियों के कुछ प्रतिनिधियों को बुलायेंगे। वही लिस्ट है पुरानी। उसको झाड़कर, उसके पहले निकाल लेते हैं और उनको निमंत्रण चला जाता है। वहीं कुछ प्रमुख लोग आते हैं और आकर अपनी बात कह जाते हैं और चले जाते हैं। कौन किसानों का प्रतिनिधि आता है जी? जिनके खेत तबाह हो गये। जो उस पर डिपेंड करते हैं। उनका कभी कोई प्रतिनिधि आता है बजट के बारे में राय देने के लिये? कोई नहीं आता है। वहां बड़े-बड़े लोग आते हैं, वे अपनी बात कहकर चले जाते हैं। उनकी अख़बार में खबर आती है। सिस्टम बना हुआ है।

केन्द्र सरकार में सिस्टम बना हुआ है कि 48 घंटे पहले सबको बुलाकर के बंद कर देते हैं। वहां पहले हलवा बनता था, वैसा हलवा बनता है। हलवा बंटता है। अधिकारी हलवा खाते हैं, 48 घंटे तक बंद रहते हैं। फिर सीधे पार्लियामेंट में आ जाता है। फिर बजट पेश हो जाता है। यह चर्चा के आधार पर बने। सभी विभागों के प्लान संकलित करते हुए, उसके बाद अधिकारियों को भेजे जाएं और फिर वह विभाग का अपना बजट बनाकर फाइनेन्स मिनिस्टर को दें। फिर जब बजट आयेगा तब वह सरकार की और विधायकों की प्राथमिकता का बजट होगा।

इस सम्बन्ध में गम्भीर स्थिति और भी बनती है, एक और बड़ा पाइंट है। आप देखिये, माननीय सदस्य सभी हृदय पर हाथ रखकर विचार करें। हमने बजट पास कर दिया। बजट पास करने के बाद में चिकित्सा मंत्री को अधिकार नहीं है कि वह चिकित्सा का बजट खर्च करें। गृह मंत्री को अधिकार नहीं है कि वह अपना गृह मंत्रालय का करे। शिक्षा मंत्री को अधिकार नहीं है कि वह शिक्षा का करे। क्योंकि हर फाइल एफ.डी. के पास जाती है। क्या जरूरत है एफ.डी. के पास फाइल जाने की? जब विधान सभा ने बजट का अनुमोदन कर दिया है, उसके बाद में एफ.डी. के पास फाइल क्यों जाये? भारत सरकार में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। भारत सरकार में बजट पास होने के बाद में डिपार्टमेंट खर्च करते हैं। डिपार्टमेंट बात करते हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्या फाइनेन्स डिपार्टमेंट विधान सभा की मांग स्वीकृति को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। डिले कर सकता है। अडंगा लगा सकता है। जब फाइनेन्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एक हों तो फिर मिनिस्टरों की ताकत कमजोर हो जाती है। अगर फाइनेन्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अलग-अलग हों तो मुख्य मंत्री हस्तक्षेप करके उनका अधिकार बढ़ा सकता है। लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एक हों तो और भी समस्या होती है। यह कांग्रेस ने ऐसी परिपाटी शुरू कर दी कि प्रद्युम्न सिंहजी हट गये, तब गहलोत साहब ही बन गये परमानेंट रूप से।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पंडितजी, बीजेपी ने क्यों स्वीकार कर ली?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, हम तो नहीं करते। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। इस बजट प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है। यह बदलाव कैसे होगा? यह बदलाव जब होगा, मैं माननीय जोगारामजी के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करता हूं कि सारा का सारा बजट कुछ यहां स्टैंडिंग कमेटियों में भेजने की परम्परा हम प्रारम्भ करें ताकि 20 दिन, 30 दिन तक सारा बजट, पहले विधायक दलों की मीटिंग हो, सब विधायकों से राय जानकर, वह राय लेकर, उस राय को माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय मंत्रीगण अपने विभागों में भेजें। फिर विभाग उन पर कार्यवाही करके फाइनेन्स मिनिस्टर को भेज दें। फिर फाइनेन्स मिनिस्टर अपना बजट पेश कर दे। बजट पेश करने के बाद वह कमेटियों के पास चला जाये।

कमेटी में डिस्कस होकर फिर वह बजट आए और फिर वह पारित हो तो वह विधायकों का, विधान सभा का बजट होगा और वह प्रक्रिया शुरू करने का प्रयत्न हमको करना चाहिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले समय के लिए इसका मैं कहना चाहता हूं। पार्लियामेंट में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पार्लियामेंट का सिस्टम अडाप्ट करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, पार्लियामेंट का सिस्टम अडाप्ट करने से काम हो जाता पर उसमें विधायक दल की चर्चा जरूर जोड़नी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर मेरा यह कहना है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा काम जो हमको करना था

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वह था रोजगार सृजन। बार-बार हम चर्चा करते हैं यहां पर रोजगार। हमने इतना रोजगार सृजन किया, हमने इतना रोजगार सृजन किया। अब मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। माननीय प्रद्युमनसिंहजी, आप सुनें। माननीय सुराना साहब भी खूब जानते हैं। कभी मैंने उल्लेख किया था, वर्ष के अन्त में किए जाने वाले व्यय के आधिक्य की वजह से सम्बद्ध गुणवत्ता में होने वाले नुकसान को टालने के लिए विभाग को व्यय की प्रगति का वर्षपर्यन्त ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना चाहिए, यह लिखा है। पिछले दो साल का, 2014 तक, वर्ष के अन्त में 29 तारीख को किया और 31 तारीख को किया, इसलिए इसका करने के लिए करना चाहिए, एक बात तो उन्होंने यह कही। दूसरा जो वित्त के बारे में कहा है वह महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटा आपने 2.96 तक ले जाकर छोड़ दिया, अड़ ही गए 3 परसेंट के और वह भी आपके वित्तीय कुप्रबन्धन का बहुत बड़ा उदाहरण था। इसका फिर उन्होंने वर्णन किया है, सारा का सारा उस वर्णन में लिखा है कि सारी की सारी योजनाएं जो भारत सरकार की थीं, राज्य सरकार की थीं, आप देखिए, पेज 12.5, बजट के प्रमुख नीतिगत पहल, इसमें लिखा है, ऊर्जा विभाग, 100 करोड़ के समक्ष, वित्त विभाग के बजट अनुमानों में 20 करोड़ प्रस्तावित किए लेकिन आबंटन एक पैसा भी नहीं किया। ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया अगस्त, 2014 को, यह आपकी ऊर्जा की स्थिति है।

जल संसाधन विभाग की भी यही स्थिति रही। जल संसाधन के इन्दिरा गांधी कैनाल के लिए लिखा है कि 630 करोड़ की लागत का प्रावधान किया जाए, 31.83 करोड़ की स्वीकृति जारी की। वह स्वीकृति देर से जारी की इसलिए वह काम ही नहीं हुआ। वह सारा काम रह गया। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता क्षेत्र में पीआरआई व यूएलबी के माध्यम से नकद सहायता देने के लिए जो आपने पहले 1500 करोड़ की दी थी वह सहायता तो नहीं दी लेकिन नकद सहायता देने के लिए साड़ी वितरण का काम किया और उसमें 490.4 करोड़ का एक्सेस व्यय किया। जो घोषणाएं आपने की थीं बजट में, उनका प्रावधान नहीं किया आपने। लेकिन साड़ी दो-दो बांटो वोट के लिए, उसके लिए आपने बिना बजट के 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। यह कुशल प्रबन्धन है? इसको कुशल प्रबन्धन कहते हैं? यह काम आपने किया। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आबंटन में व्यय के संदर्भ में विचलन था, यह आपकी है 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसमें आपका भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो महीने ही आते हैं उसमें तो कुछ खर्च होता नहीं है। दिसम्बर तक का मैं बोल रहा हूं आपसे। उसमें शुरू का वित्तीय वर्ष के बजट आबंटन में व्यय के संदर्भ में विचलन था जिससे बजट प्रक्रिया की प्रत्यता, बजट अनुश्रवण तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न पैदा हो गया। सरकार का क्रियाकलाप ऐसा था कि जिससे बजट प्रबन्धन की सारी बात पर ही प्रश्न खड़ा हो गया। फिर कैसे राजस्थान में आप कुशल वित्तीय प्रबन्धन की बात करने की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बारे में अन्त में और कहेंगे कि निरन्तर सरकार को उन्होंने कहा है कि जितने काम थे, सचिवालय, जिला प्रशासन, राजस्व, ग्रामीण विकास, विविध सामुदायिक विकास और 17, सिंचाई, बिजली, सामाजिक सुरक्षा, जनजाति इन सारों में सरकार ने जो घोषणाएं की थीं, वे पूरी नहीं कीं और इन सब में बचत हुई और उसके बाद भी राजस्व घाटा? राजस्व खाते में घाटा, इससे अकुशल प्रबन्धन कोई हो नहीं सकता। पिछली सरकार का यह जो अकुशल वित्तीय प्रबन्धन था, उसको भोगना पड़ेगा लेकिन ...(व्यवधान) आप कहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, साल के एण्ड में जो बजट एस्टीमेट्स होते हैं, बीएफसी में जो फाइनलाइजेशन होता है, कहीं तो एक्सेस एक्सपेंडीचर हो जाता है, कहीं बचत होती है। आप कहीं का उठाकर देख लें, किसी साल का उठाकर देख लें, यह हमेशा से होता आया है, भारत सरकार में भी होता है। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन एजी का काम यह है कि एजी उस तरफ, आप कभी किसी साल की रिपोर्ट उठाकर देख लें, एजी हमेशा उस तरफ इंगित करता रहता है कि आपने। इतना प्रावधान किया, इतना खर्च नहीं हुआ, यहां एक्सेस कर दिया आपने, जब एक्सेस किया तो तिवाड़ीजी ने कह दिया कि वोटों के लिए किया है, कम खर्चा हुआ तो कह दिया कि आपका अकुशल वित्तीय प्रबन्धन है। सारी, तिवाड़ीजी, आप कंटीन्यू करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप और हम सब इससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि आरई होती है नवम्बर और दिसम्बर में। जितने बजट का लास्ट तीन दिन में दो पांच परसेंट, दस परसेंट का फर्क पड़े, समझ में आ सकता है, लेकिन अगर 75 परसेंट पैसा सारे बजट का लास्ट के मार्च में जो होता है यह वित्तीय कुप्रबन्धन है, चाहे वह आपके समय में हो चाहे हमारे समय में हो, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, पूरक बजट कब आता है? जब अर्जेण्ट आवश्यकता होती है, उसमें भी 4000 करोड़ रुपए बच जाएं, इससे ज्यादा बुरा प्रबन्धन हो नहीं सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह प्रबन्धन इंगित कर रहे हैं हम तो। वैसे तो, माननीय सभापति महोदय, साहित्य में एक शब्द है, 'पृष्ठ पेसण नहीं करना चाहिए, पिसे हुए को ज्यादा नहीं पीसना चाहिए इसलिए मैं इनको और ज्यादा नहीं पीस रहा हूं, बहुत ज्यादा हो गया है। हमारा जो बजट पेश हुआ ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब इनको भी थोड़ी घनश्याम लीला दिखा दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी तो मैं ही लीला भोग रहा हूं। मैं किसको लीला दिखाऊं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह पेज इंग्लिश का है तिवाड़ीजी, हिन्दी का पेज बदल सकता है, इसलिए कह रहा हूं, पेज बदल सकता है, आप देखेंगे, एजुकेशन, आर्ट एण्ड कल्चर इसमें सेविंग है 1203 करोड़ की, Posts remaining vacant. Less receipts of funds from the Govt. of India. उसमें रीजन भी दिए हैं Posts remaining vacant. Less receipts of funds from the Govt. of India and reduction in plan outlay of the scheme is not intimated in case of secondary education….486 पर है वह। भारत सरकार से पैसा नहीं आया, हाई कोर्ट और कोर्टों के आदेशों से पोस्टें नहीं भरी गईं, ये सब कई चीजें हैं, कई कारण होते हैं, अब उसमें सब चीज को जोड़ देना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सही बात है, माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में हमारी सरकार, जयपुर में हमारी सरकार तो सरकार जब आप सरकार से सरकार बात करे, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी फिर भी हथकड़ी पड़ी हुई थी तो फिर क्या हो सकता है? तो हम अब बताएंगे तो आपकी भी सुनेंगे, प्रजातंत्र का यही तो मजा है, आपकी भी सुनेंगे हमारी भी सुनाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो मैं विषय उठाना चाहता हूं कि इस काम को हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार सारा कटौती करके सारी बातचीत करके राजस्व आधिक्य का जो हमारा बजट लाए हैं इससे हमारा जो बजट की मूल बात है योजना में कटौती न करते हुए ...(व्यवधान) कुछ आपके लिए छोड़ देता हूं, सब मैं ही बताऊं, जरूरी थोड़े ही है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट आया है इसकी हमारे सभी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सदस्यों ने बहुत तारीफ की है, मैं भी इसकी तारीफ करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमने इस सारी स्ट्रेंथ के बाद में 556 करोड़ 82 लाख रुपए का राजस्व आधिक्य का बजट पेश किया है जिसमें 20609 करोड़ 75 लाख रुपए का कुल राजकोषीय घाटा रहेगा।

अब यह राजकोषीय घाटा है, वह पूंजीवादी व्यवस्था का एक प्रकार का अंग बन गया है, उसको भी नियंत्रित करने के लिए एफआरबीएम एक्ट पिछले सत्र में माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने पेश किया था और उसको नियंत्रित करने की कोशिश की थी। (व्यवधान) हां, तो वह उनका ही है। उसके लिए हमने उनको धन्यवाद दे दिया था।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप एमएलए फंड का पैसा तो बढ़वाओ। अब तो आपकी सरकार है। अब तो कुछ आप कराओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है, उस समय हम विपक्ष में थे और हमने मांग कर ली थी और हो गया काम। अब ये ड्यूटी आपकी है। आप विपक्ष में हो, आप मांग करो, फिर काम पूरा होगा। इसलिए मैंने मेरा... (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपकी बात को गहलोत साहब ने मानी, अब तो मैडम भी मानेंगी आपकी बात को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गहलोत साहब ने मेरी मानी, मैडम आपकी मानेंगी। यह तो बराबर का खेल है, भइया। कबड्डी में कोई काकाजी थोड़े ही होता है। उन्होंने मेरी मानी, वह आपकी मानेंगी।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इस बजट की सबने प्रशंसा की। सब प्रकार से इसको नियंत्रित किया गया और सबको धन्यवाद दिया गया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पहली बार मैंने सुना, आपने भी सुना। पिछले पांच साल में मंत्री पर्ची पर, स्थगन प्रस्ताव पर, किसी पर बिलकुल रेस्पोंड नहीं करते थे। इस बार हमारे मंत्रियों ने चार की चार पर्चियों पर, सब चीजों पर मंत्रियों ने रेस्पोंड किया। सब मंत्रियों ने अपने विभाग की डिमांड थी, उसमें बिना देखे, बिना पढ़कर बोले और एक प्रकार से इस परम्परा को वापस कायम करने की कोशिश की, इसलिए माननीय मंत्रीगण को भी धन्यवाद। पर माननीय मंत्रीगण को धन्यवाद बहुत लोगों ने... (व्यवधान) पर नहीं, परनामी। उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, आपको कोई दिक्कत है क्या कोई? दूसरों के नाम से जिनका नाम हो, उनको परनामी कहते हैं। काम दूसरा करे और नाम उनका हो। तो उनको धन्यवाद देने में आपको क्या दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप कहना चाहते हो कि उनका कोई काम नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्पष्टीकरण आप करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप परनामी कहकर परजीवी भी कहना चाहते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखो, मैं सूत्रकार हूं, भाष्यकार आप हो। मैंने सूत्र दे दिया, भाष्य आप करते रहो।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे मंत्रीगण भी तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने तारीफ की, लेकिन मंत्रियों की तारीफ कुछ कम हुई और मुख्य मंत्रीजी की सबने की। जो भी माननीय सदस्य खड़ा हुआ, मुख्य मंत्रीजी की तारीफ की, मैंने भी की। मंत्रियों की कम हुई। इसमें थोड़ा-सा यही है कि हमारे यहां एक किस्सा चलता है। इनका मनोबल बढ़ना चाहिये कि जिस साहस के साथ, हिम्मत से इन्होंने जवाब दिया हर चीज का। सदन में बैठे रहे। देखिये, डोटासराजी, कुछ बातों को हमको स्वीकार करना चाहिये क्योंकि इन्होंने जवाब दिया, बैठे रहे, रेस्पोंड किया, कार्यवाई की। पर इनका नाम कम रहा।

कहावत है, किसान को कोई एक सांप काट गया था, वह झाड़ा देने वाले के पास चला गया, बोले भाई झाड़ा दे दो। बोले, क्या लेते हो? दस रुपये, बोले, तुमको काला काटा है या किस रंग का सांप काटा है? तो काटा तो काला था। उसने कहा, मुझे तो भूरे रंग का सांप काट गया तो भूरे वाले के पाँच रुपये लगते हैं और काले वाले के 10 रुपये थे। उसने झाड़ा देना शुरु कर दिया। जब वह झाड़ा देता रहा भूरे वाले का तो किसान ने देखा कि साला, काटा तो काला है और झाड़ा यह भूरे वाले का दे रहा है। तो उसने कहा कि बीच-बीच में दो नाम काले वाले का भी ले लेना। तो मुख्य मंत्रीजी का नाम सबने लिया है तो बीच-बीच में दो नाम आप लोगों के भी ले लिये। (व्यवधान) अब इसकी व्याख्या आप कीजिये। मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब सबसे बड़ा प्रश्न इस बजट में निकलता है कि हम रोजगार के कितने संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं? मैं एक बहुत बड़ा वित्तीय प्रश्न आपके सामने उठाना चाहता हूं। वेज एण्ड मीन्स, पहले ओवरड्राफ्ट चलता था, अब ओवरड्राफ्ट नहीं चल रहा है। लेकिन, माननीय सदस्यगण, एक 100 रुपये का नोट आपके पास होता है, उस नोट को आप अपने पास रखते हो या बैंक में रखते हो तो इकोनोमी जनरेट नहीं होती है। राजस्थान में पिछले कुछ समय से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार ने गलत परम्परा डाली है कि वह इकोनोमी जनरेट करने के बजाय रिजर्व बैंक में वेज एण्ड मीन्स का पैसा रखकर ब्याज कमा रही है और उससे अपना घाटा पूरा करने की कोशिश कर रही है। इससे इकोनोमी जनरेट नहीं होती है। हम जब आज फाइनेंशियल बिल पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम यह रोजगार देंगे कैसे? क्या सरकार रोजगार दे पायेगी? 125 करोड़ लोगों को केवल भारत सरकार रोजगार नहीं दिला सकती, सात करोड़ लोगों में बढ़ती बेरोजगारी के कारण से राजस्थान सरकार सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं दे सकती। कौशल विकास से लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उद्यमिता। जब तक मध्यम दर्जे के और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं आयेगी, तब तक रोजगार पूरा नहीं होगा। इसलिए हमको कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करना पड़ेगा। इसकी ओर ध्यान नहीं है।

अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल बताया था कि एक कम्पनी ने ठेका लिया, पीपीपी मोड पर वह सरकार बनायेगी... सारी, पीपीपी मोड पर सड़क बनायेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सरकार ही पीपीपी मोड पर चल रही है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह मन की बात आई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बार पीने से हालत खराब हो जाती है तो तीन बार पी पी पी बोलने पर थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो यह पीपीपी मोड पर सड़क बनायेगी। उसका एमओयू किया और बैंकों से 250 करोड़ रुपये का लोन ले लिया और 3-4 करोड़ रुपये डिफाल्ट के पैसे जमा कराये और घर चले गये। यह एमओयू करने वाले जो लोग हैं, वह केवल बैंको से कर्जा लेने के लिए एमओयू नहीं करें, इस बात का सरकार ध्यान करे। यह आपके समय की बात थी लेकिन हमारे समय में भी यह घटित हो सकती है। उनका उद्देश्य तो अपना काम चलाना है। उस काम चलाने में से राज्य को हम बचायें, यह करना चाहिये। इसलिए इन उद्यमियों को बैंकों से लोन मिल सके, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये। आज भारत सरकार ने बैंकों को एक निर्देश जारी किया है जिससे लोन आसानी से छोटे, कुटीर और मध्यम उद्योगों को मिल सकता है। इसकी व्यवस्था की है। इस पर हमको जाना चाहिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब पिछले सरकार में 1,000 करोड़ रुपये सरकार के पास थे, जमा रहे, ब्याज लिया, अवमूल्यन हुआ, इकोनोमी नहीं बढ़ी। इसलिए अगर सरकार के पास जो सुझाव हैं और जो वेज एण्ड मीन्स का पैसा बैंकों में है, उसको निकालिये। शुरू के चार महीनों में 1.15 लाख करोड़ रुपये तो इकोनोमी में जितना पैसा है, इसका उतना प्रतिशत पैसा चार महीने बैंक में जमा रहता है और उसका ब्याज हम कमाते हैं, इकोनोमी वहां रुकती है और साल के अंत में कहते हैं कि हमारा लक्ष्य हम पूरा नहीं कर सके। इस बात की हमको ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिये। रोजगार के बिना हमारा काम नहीं होगा।

हमने चुनाव घोषणा पत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरी देने की बात कही थी। हमने शिक्षा में नौकरी देने की बात कही थी। हमने इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। इस प्रक्रिया को हमको पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरी सबसे बड़ी बात है, सभापति महोदय, मैं कहूंगा, कैग की रिपोर्ट आज की आज पढ़िये, जो रिपोर्ट अपनी ले-डाउन हुई है। बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने पैदा किया है राजस्थान के लिए। वह है खनन का, 5,708, केवल नौ ब्लाक की जांच की है। यह कैग की रिपोर्ट है, जो आज समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है गहलोत साहब की फोटो के साथ टाइम्स आफ इण्डिया में। इसमें आया है कि 5,708 बिना सरकारी अनुमति के, जांच के चल रही हैं और जिनके आवेदन हैं। स्वीकृति नहीं मिली वे 3,807 खान हैं और बिना आवेदन के 5,320 खान चल रही हैं। यह कैग की रिपोर्ट अप्रैल, 2012 से मार्च, 2014 के बीच की है। आप देखिये, जिस राज्य में इतना बड़ा खनन का माफिया पैदा हो, इतना बड़ा खनन अवैध रूप में जिसमें चल रहा हो, कितने बड़े राजस्व की हानि होती है। इसको कुशल वित्तीय प्रबन्धन कहते हैं। यह तो मैं नहीं कह रहा हूं। यह तो आज कैग की रिपोर्ट है। इसमें 289 लाइसेंस धारकों पर रुपये बकाया थे। एक केस में 80 लाख रुपये चुनाई पत्थर के मामले में 149 करोड़ रुपये सरकार ने माफ कर दिये। जिस पर आयोग ने, कैग ने सवाल उठाया। यह सरकार का 149 करोड़ रुपया राज्य की जनता का माफ करने का अधिकार किसने किसको दे दिया? यह अधिकार किसी को नहीं है, सभापति महोदय। यह जनता का पैसा आना चाहिये। यह कैग की रिपोर्ट है। यह टाइम्स आफ इण्डिया में आज प्रकाशित हुई है। मैंने भी पढ़ ली इसको। यह आपकी स्थिति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। तो इस प्रकार का यह काम चल रहा है, इस काम पर नियंत्रण करने की हमारी सरकार कोशिश करे तो ठीक होगा इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार ने नीति बनाई है कि खानें, हमने कोयले का स्कैम उठाया, हमने सब स्कैम उठाये, उन सारे के बाद में एक नियम, नीति तय हो गई कि खान का आबंटन नीलामी से होना चाहिए और राज्य सरकार अब जो भी खान आबंटन वो नीलामी से करे ताकि हमको निश्चित रूप से आय हो सके और इस प्रकार की कैग की रिपोर्ट हमारे खिलाफ न बने, यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए समय रहते हमको इस पर चेत जाना चाहिए।

दूसरी कैग की रिपोर्ट, जिस पर मैं कहना चाहूंगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, उसको आप अगर देखेंगे तो आपको और भी आश्चर्य होगा और माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय और प्रद्युम्न सिंह जी, आप भी मानेंगे कि हम पुलिस से कितनी अपेक्षा करते हैं लेकिन हम पुलिस के साथ कितना अन्याय करते हैं। मैं यहां कहने की स्थिति में हूं कि सबसे ज्यादा अपेक्षा पुलिस से है और सबसे ज्यादा उपेक्षा पुलिस की है। यह हमारे प्रशासन में हो रहा है। उनका सुबह से शाम तक कोई समय नहीं है और सारा काम उन्हीं के जिम्मे है। अब आप देखिये, कैग की रिपोर्ट है जो आज यहां सदन के पटल पर रखी गई है पुलिस के बारे में। क्या किया पिछली सरकार ने? 60 प्रतिशत हथियार खरीदे लेकिन पुलिस के पास नहीं पहुंचे, शेम, 100 परसेंट तय किए, 100 रुपये दिए, उसमें 60 रुपये का खरीदा लेकिन हमने पुलिस के पास पहुंचाया नहीं। कहां गये? खरीदा ही नहीं। हथियार खरीद कर रख दिए, फैक्ट्री ने सप्लाई ही नहीं किए, 15884 की अच्छी बंदूकों की आवश्यकता थी जिससे सीमा पर प्रहरी कर सके, आतंकवाद से लड़ सके। 3962 ही खरीदीं। हम हमारे सिपाही को बिना बुलेट प्रूफ जाकेट पहनाये एक मोटी-सी रायफल देकर रास्ते पर खड़ा कर देते हैं कि लुटेरे जा रहे हैं उनको रोक लेना। हम उनको रोकने के लिए खड़ा करते हैं या उनकी जान को खतरे में डालने के लिए खड़ा करते हैं? यह हमने किया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 59 प्रतिशत हथियार 9 जिलों के पुलिस थानों में आवश्यकता 1227 थी और 309 मिले। ये इसमें सारे नाम दिए हैं कि कौनसी मैगजीन खरीदते। यह आज के अख़बार डीएनए में इस सारे का पूरा विवरण भी छपा है और कैग की रिपोर्ट मैंने पढ़ ली। सभापति महोदय, यह कितना बड़ा काम हुआ कि आखिर हमने पुलिस के साथ भी, यह था क्या प्रशासन? न कुशल वित्तीय प्रबन्धन था,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

न कुशल आंतरिक सुरक्षा का प्रबन्धन था। यह इतनी बड़ी गलती करके हम इस सदन में बैठे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं दो बात, एक तो मेरी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में कहना चाहूंगा और एक और बात कहकर समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, मेक इन इण्डिया का नारा, मेक इन राजस्थान का नारा है। सांगानेर की प्रिंट हिन्दुस्तान और दुनियाभर में भारत का नाम करती है। उसमें इण्डस्ट्रियां चल रही हैं, उनके बचाव करने के लिए मैं मांग करता हूं कि सांगानेर को क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया जाना चाहिए। सांगानेर में इतने रंगाई-छपाई के उद्योग हैं, हाथ का कागज बनाने का उद्योग है, ये बहुत बड़े उद्योग हैं इसलिए उसको क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया जाए। परिशोधन यंत्र का सारा का सारा पैसा भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर उठाये ताकि वहां पर पर्यावरण भी बच सके। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पाली में किया वो यहां पर किया जाए, यह मेरा आपसे कहना है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि काला धन रोकना है उसकी एक रिपोर्ट आई है और वो भी बड़ी आंख खोलने वाली है। लाइजिज फोरेस, एक विश्व की बड़ी कम्पनी है जिन्होंने सारे दुनियाभर के काले धन के बारे में सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 2012 में भारत का 30 परसेंट काला धन भूमि में, रियल एस्टेट में लगा। उसके अनुसार अब हमारे गरीब आदमी की क्या स्थिति है वो समझिये कि भारत में एक सामान्य आदमी आज के काला धन के हिसाब से अगर मुम्बई में प्रोपर्टी खरीदने जाएगा तो उसको 500 वर्ष लगेंगे, हांगकांग में प्रोपर्टी खरीदने जाएगा तो 65 वर्ष लगेंगे, पेरिस में खरीदने जाएगा तो 62 वर्ष लगेंगे और न्यूयार्क में खरीदने जाएगा तो 47 वर्ष लगेंगे। तात्पर्य यह है कि कोई भी सामान्य आदमी और गरीब आदमी प्रोपर्टी नहीं खरीद सकता। दूसरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था में 105 लाख करोड़ रुपये ब्लैक मनी है और 3.5 लाख करोड़ रुपये की हमारी, इसमें जो हमारी कुल है प्रोपर्टी, भारत की सम्पदा, उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपया काला धन का है वो राजस्थान के हिस्से में भी आता है। उन्होंने उसका जो वर्णन किया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस सैक्टर में भ्रष्टाचार है और राजस्थान के हिसाब से माना जाए तो भ्रष्टाचार में 30x7, 2.1 हजार करोड़ रुपया राजस्थान में काले धन का प्रोपर्टी में लगा हुआ है और 2100 करोड़ रुपये राजस्थान में प्रति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वर्ष रियल एस्टेट के लोग अपने प्लान पास कराने के लिए सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार में खर्च करते हैं। तो 2100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हमारी ब्लैक मनी पैदा करने की फैक्ट्री रियल एस्टेट की काम करने वाली, सारे हमारे इंस्टीट्यूशन चाहे वो नगरपालिकाएं हों, नगर परिषद् हों, जेडीए हो, कोई दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो 2100 करोड़ का काला धन जनरेट करते हैं और इससे बड़ी हमारे सामने समस्या नहीं हो सकती।

मैं एक बात अन्त में माननीय गृह मंत्रीजी को सम्बोधित करके, माननीय मुख्य मंत्रीजी तो नहीं हैं, आप जो हम यहां पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग मुझे माफ करेंगे, दो आंदोलन भारत में बड़े हुए हैं, एक आंदोलन तो महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है पीछे जो भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसके कारण से हमको आजादी मिली और हमने सब काम कर लिया। एक आंदोलन हुआ है जब भारत में काला दिन आया था, जब सारे भारत को काल-कोठरी, जेल कोठरी बना दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर और आपातकाल लागू कर दिया गया था। मीसा लगाया, डी आई आर लगाया, लोगों को जेलों में डाल दिया। अटल जी की किडनी खराब हो गई थी, जे पी की किडनी खराब हो गई थी। अटल जी ने उस समय जेल में लिखा था कि ''काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नये गाता हूं''। वो गीत नये गाने का समय आया। एक जंग लड़ी गई 19 महीने तक और भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुन: स्थापना हुई। पिछली बार जब सरकार थी तब उन डी आई आर, मीसा के अन्दर बन्द लोगों की। नौकरियां चली गईं, जिनका काम चला गया, उनको पेंशन देने की घोषणा की लेकिन कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब ने आते ही पहला काम यह किया कि उस पेंशन को बन्द कर दिया। जबकि हमने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो थे या नहीं थे, केवल एक कमेटी के सर्टिफिकेट के आधार पर आज भी वो पेंशन ले रहे हैं, उनके बारे में श्रद्धा रखी और उनकी पेंशन बन्द नहीं की। पर कांग्रेस पार्टी ने बन्द कर दी। मैं उधर था, मैंने बोलकर यह कहा था कि जब भी हमारा राज दोबारा आएगा, हम जिस दिन से बन्द की थी उस दिन से चालू करेंगे। हमने उसको चालू नहीं किया, 1 जनवरी, 2014 से चालू किया। चालू करने के बाद भी उसमें बहुत कमियां छोड़ीं। मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं कि जिनके कारण से सत्ता परिवर्तन का काम चालू हुआ, जिनके कारण से लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई और जिन लोगों को अपना सारा जीवन समाप्त करके जाना पड़ा, मैं बहुत से लोगों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सारे लोग इन परिस्थितियों में हैं तो उनके बारे में सरकार निश्चित रूप से ध्यान करे, उनका जो भी सम्मान कर सकती है वो सम्मान करे। अगर सम्मान न भी कर सके तो अपमान तो न करे, उनको जो मिलने वाली चीज है वो समय पर मिल जाए, इस बात का ध्यान करे, यह मेरा आपसे विनीत आग्रह है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक हमको तय करना चाहिए कि हम आज विधायक हैं, जब भी हम हमारा वेतन बढ़ाते हैं तो अखबारों में आलोचना होती है। हम हमारा वेतन नहीं बढ़ाएं लेकिन हम हमारे से पहले वालों का और हमारे से आगे वालों का अगर बढ़ाने की पहल करें तो हमारे पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। आज पहले जो एम.एल.ए. है, जो एक बार एम.एल.ए. रहकर चला गया है उसकी स्थिति आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा सभी दलों से कि हमारे भूतपूर्व एम.एल.ए., मैं 100-50 के नाम गिना सकता हूं जिनकी स्थिति आज ठीक नहीं है। उन्होंने पूरा जीवन काम कर-कर के लगा दिया और उनमें कई नरेगा में काम करते हैं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सर, दो-तीन के नाम गिना दें जो भूतपूर्व विधायक हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो उनके नाम गिनाकर मैं उनको अपमानित नहीं करना चाहता। मैं उनकी सेवाओं को नमन करना चाहता हूं। और उसको सदन को भी नमन करना चाहिए। हम भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए। अन्त में सभापति महोदय, ...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, आपकी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जो आपातकाल में जेल गया, कोई मीसा में गया, कोई डी आई आर में गया, कोई 107, 116 में गया, कोई 151 में गया, 107, 116 और 151 के बंदी ये भी हैं जो 4 महीने भी रहे हैं, 6 महीने भी रहे हैं, 2 महीने भी रहे हैं, लेकिन उनको आपातकाल बंदी मानकर पेंशन नहीं दी जा रही, इसलिए गुलाब जी, इस पर आप विचार करें। जो भी 107, 116 में गया है या 151 में गया है उसको बंदी मानकर उनको पेंशन दी जानी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह विषय ध्यान में आ गया है और इसके लिए कमेटी बनकर उस पर विचार हुआ है। मैं सोचता हूं उसका परिणाम जरूर आएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह आए और अच्छा परिणाम आए, मैं यही प्रार्थना करता हूं। अंत में सभापति महोदय, आपने समय दिया, मैं एक बात कहते हुए समाप्त करता हूं। हमें समयबद्ध प्रशासन की आवश्यकता है कि टाइम बाउंड जो-जो घोषणाएं की हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं माननीय सदस्य तिवाड़ी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की आवाज उठाने वाले रामपाल जी जाट को इस सरकार ने जेल में डाल दिया, उनकी भी मांग करें। उनको भी रिहाई दिलाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): समयबद्ध प्रशासन, विकास की योजना समयबद्ध हो। पारदर्शी प्रशासन, पूर्णत: पारदर्शी प्रशासन हमारा होना चाहिए। सबके लिए प्रशासन, भेदभाव रहित सबके लिए प्रशासन हो। सामूहिक प्रशासन, सबका मिलकर प्रशासन हो। जिम्मेदार प्रशासन, जिम्मेदार हो। संवेदनशील प्रशासन, संवेदना हो। मजबूत प्रशासन, मजबूती आए। व्यावहारिक प्रशासन, व्यावहारिक रूप से प्रशासन हो। इन सबको मिलकर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम राजस्थान को इतनी बड़ी छलांग लगाएंगे कि आने वाले समय में राजस्थान आगे जाएगा। एक वाक्य कहकर समाप्त करता हूं। माननीय दोनों वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। (व्यवधान) अब थोड़ा-बहुत आपके लिए भी छोड़ देता हूं। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बारम्बार एक बात कही जाती है कि कुछ काम कांग्रेस वाले जाते-जाते कर गये। वे जाते-जाते कर गये तो वे चले गये। अब कुछ काम अपन आते-आते कर दो ताकि अपन आते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, जिस विषय पर बजट के नाम से हम चर्चा करते हैं, चाहे वह फर्स्ट रीडिंग हो, चाहे सैकिण्ड रीडिंग हो, चाहे वह कनक्लूडिंग रीडिंग हो, इसमें एक विषय कामन है। हम जिस भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उस शब्द की परिधि मुद्रा या पैसे तक सीमित है। हम एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो कितना पैसा हम खर्च करेंगे, उसकी बात करते हैं। हम फाइनेंस की बात करते हैं तो कितने पैसे का संचयन टैक्सेज के माध्यम से करेंगे, हम उसकी बात करते हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, इकोनोमिक्स का एक बड़ा टर्म है। डवलपमेंट का यार्डस्टिक क्या है? एप्रोप्रिएशन पर जब हम बात करते हैं तो क्या हम एप्रोप्रिएट करेक्टर को इस्तेमाल करने की बात करते हैं।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(14.54 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

Character that is based on financial prudence. क्या हम हमारे नैतिक दायित्व को निभाने के लिए फाइनेंशियल कंप्लीकेशंस के अनुशासन के जाल से हटकर एक समृद्ध नागरिक को सुशक्त स्वावलम्बी जीवन की व्यवस्था प्रदान करने का साहस करते हैं? या एक और नियम का इजहार करते हुए फाइनेंशियल अनुशासन अपने ऊपर लागू कर दें।

आदरणीय सभापति महोदय, जब हम दसवीं, बारहवीं में पढ़ते थे तो हमको मनी की डेफिनेशन समझायी गयी थी कि इकोनोमिक्स की अगर आप बात करेंगे तो पैसे की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमें कहा था कि मनी क्या है और मनी के फंक्शंस क्या हैं? आज भी हमें स्मरण है Money is the matter of functions for medium, major, standard and store. चाहे व्यक्ति व्यक्तिगत विकास की बात कर रहा हो, चाहे कोई कारपोरेट सैक्टर अपने स्वयं के कारपोरेट कम्पनी के विकास की बात कर रहा हो या लोक कल्याणकारी सरकार अपने विकास की बात कर रही हो, यह चीज, चार ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उसकी कार्यशैली पर और उसकी फाइनेंशियल हैल्थ को प्रतिबिम्बित करती हैं।

मैं इस मौके पर एक निवेदन करना चाहूंगा। अरविन्द क्रिस्टल करके एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने डैमोक्रेसी को डिफाइन किया है क्योंकि प्रजातंत्र के जनतंत्र की व्यवस्था का ही एक यह संवैधानिक सदुपयोग है जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति की विचारधारा को संप्रेषित करके सदन के माध्यम से इस प्रदेश की और इस देश की दिशा और दशा को प्रतिबिम्बित करते हैं। क्रिस्टल ने यह बात कही थी कि डैमोक्रेसी किस बात को गारंटी करती है। उन्होंने कहा था – Democracy doesn’t guarantee equality of conditions. डैमोक्रेसी में आपको इक्वलिटी आफ कंडीशंस की गारंटी नहीं है। Democracy guarantees equality of opportunities. जब तक इस मूल भाव को हम कल्याणकारी व्यवस्था के चरित्र का अभिन्न अंग नहीं बनाएंगे तब तक नियम और कायदे व कानून की परिरक्षित रक्षा में मानव के धर्म निर्माण में औचित्य जो इस सदन का है, उसे हम विवेकशील बना दें। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि किसी निर्वाचित सरकार के आलोचक के स्वरूप में सदन में कोई व्यक्ति खड़ा रहकर यह कह दे कि आपकी सरकार ने यह गलत किया, यह सरकार गलत है तो क्या यह सोचने को हम बाध्य नहीं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हैं कि जिस जनता के विवेक से सरकार का निर्माण हुआ है हम उस जनता के विवेक पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहे हैं? यह जनता का विवेक है कि सरकार बनाती है या सरकार को विपक्ष में बिठाती है। एक सरकार जब बनती है और किसी दूसरे दल की होती है और वह सरकार पराजित होती है तो विपक्ष के रूप में आती है।

आदरणीय, आप बताइए कि लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा शिरोधार्य मंच है। इस लोकतंत्र को दलतंत्र की तरफ हम ले जा रहे हैं। क्या दलतंत्र में, दल में और देश में द्वन्द्व का रिश्ता है? या देश और प्रदेश सर्वोपरि है और दल उसका पूरक है? इसके विकास की और समाज की विषमताओं का निराकरण करने का एक संसदीय संवैधानिक माध्यम है।

अब मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, बहुत-सी बातें आपने, बहुत-सी बातें लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने और पिछले वक्तव्य में आदरणीय लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी और एक बार श्रीमान राजाखेड़ा से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य ने भी यह बात कही।

(15.00 बजे)

मैं आदरणीय इतना निवेदन करना चाहता हूं हमारा कहीं भी इस पूरे के पूरे वित्तीय प्रबंधन में सीधा जुड़ाव नहीं है लेकिन वित्त की व्यवस्था के अन्दर इस सदन का संवैधानिक जुड़ाव है लेकिन अगर चीज सदन के सामने ही नहीं लाई जाए और सदन को उससे पृथक रखा जाए और फिर उस पैसे को खर्च कर दिया जाए जो राजस्थान के जन की सम्पत्ति है तो आप उसको संविधान का उल्लंघन मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आप कैग की 2014 की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, मैं आपको कैग की पहले 2013 की रिपोर्ट पर ले जाना चाहता हूं। आदरणीय, एफआरबीएम का एक्ट हमने वित्तीय अनुशासन के लिए लगाया और वित्तीय अनुशासक, मैं, हुकूम, आपका भी इसमें तवज्जोह चाहूंगा क्योंकि हो सकता है, एक सामान्य सदस्य के नाते मेरे समझ में से परे कोई चीज हो और मैं ऐसी बात कह दूं तो मैं उसको सुधारूंगा।

हमने एफआरबीएम एक्ट लगाया कि जिससे हम वित्तीय अनुशासित परिधियों में परिकल्पित उस कल्प वृक्ष की व्यवस्था करें जिसमें लोक कल्याणकारी, सदाचारी, वैश्विक संपदा को सृजन कर राजस्थान के हित में विसर्जित करें। आदरणीय, एक बात बताइए आप। तेरहवें वित्त आयोग के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उपरांत हमने अपने डैट्स को, डैट के रेशो को जीएसडीपी से हमने संशोधित कर दिया और संशोधित के उपरांत 2011-12, 2012-13, 2013-14 से हमने 39.3 से चालू किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारा 36.5 परसेंट होना चाहिए, यहह मारा एफआरबीएम एक्ट का संशोधित परिदृश्य है। अब आदरणीय, हमारा कर्जा है कितना? आपकी यह किताब बताती है कि आपका रेशो आफ टोटल आउण्ट स्टैण्डिंग डैट्स टू जीएसडीपी होना तो आपका पूरा का पूरा, आपके पास में लैक्सिटी तो थी, लिबर्टी तो थी 36.5 की, लेकिन आपने इसको केन्द्रित कर दिया 25.3 पर। किताब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे वित्तीय प्रबंधन और हो क्या सकता है। इससे ज्यादा प्रभावशाली वित्तीय प्रबंधन क्या हो सकता है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इस सारी चीज को जब हमने किया तो अल्टीमेटली हमारे सामने बात क्या आई कि हमने ऐसे कई बोरोइंग्स की, जिसको कैग आफ बजट बोरोइंग कहता है। जिसका बजट में और बजट के अभिलेखों में कहीं उल्लेख नहीं है। उन्होंने 2013 में यह कहा कि आपका रेशो 2013 में 40 परसेंट है। गारंटीज के रिडम्पशन और गारंटीज का अगर जो स्टेट ने दे रखी हैं जिसमें डिस्काम्स की बात आती है लेकिन सर एक और चीज भी है, आपने मुख्य मंत्री आवास योजना का भी तो किया था, उसका पैसा इस सदन से आपने नहीं लिया अभी तक। उस सदन से आज तक आपने वित्तीय अनुमति नहीं ली है। सिर्फ 2013 तक समाप्त...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनिये, महत्वपूर्ण बात है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम 2012 के वित्तीय वर्ष को समेकित कर लें, कंसोलिडेट कर लें तो जो हमारी डिक्लेयर्ड डैट्स हैं जो कि हम यह मानते हैं कि विदिन दा पैरामीटर्स ऑफ दा एफआरबीएम थी, वह 40 परसेंट को टच कर लेती और मैं उसी की एक व्यवस्था आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। अगर मैं आफ बजट बोरोइंग्स को जोड़ देता हूं, 2008-09 में चालू हो जाए तो 2008-09 में जब हम वित्तीय प्रबंध की उस व्यवस्थाओं से गुजर रहे थे, दा साइज आफ दा जीडीपी 2 लाख 30 हजार 949 था और टोटल गारंटीज जो आउट स्टैण्डिंग थी 1 लाख 8 हजार 768 । जब मैं 2014-15 में भी देखता हूं, उसके पहले मैं 2013-14 का जिक्र कर दूं और 2012-13 का जिक्र कर दूं। आपकी जीडीपी 4 लाख 70 हजार 178 है 2012-13 में, लेकिन आपके टोटल आउटस्टैण्डिंग गारंटीज हैं 1 लाख 87 हजार 677, अगर मैं परसेंटेज में करता हूं जो 39.91

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

परसेंट। अगर मैं 2013-14 का करूं तो 5 लाख 17 हजार 614 हमारी जीएसडीपी है, आउट स्टैण्डिंग गारंटीज हैं 2 लाख 14 हजार 863, उसमें अगर टोटल डैट्स को जोड़ देता हूं तो यह चला जाएगा 41.51 और अगर 2014-15 का करूं तो 5 लाख 74 हजार 549 हमारी जीएसडीपी है। इसमें अगर 2 लाख 38 हजार 408 जोड़ दूं तो यह चला जाएगा 41.49 परसेंट, 4 परसेंट मोर देन एफआरबीएम और इसका जिक्र सदन में नहीं होगा। इसमें मैंने वो 2 हजार करोड़ और नहीं जोड़े हैं जिसका कमिटमेंट है आपका 2014-15 का जो आफ बजट बोरोइंग का आंकड़ा है, जो कि कैग बताती है, वह टोटल 2520.44 करोड़ है जो हमने जिला परिषदों को गारंटीज के रूप में दे रखा है जिसको आपको चुकाना है। यह टोटल जाएगा साढ़े 4 हजार से 5 हजार करोड़ तक। अगर आप यह और जोड़ देंगे तो आपका टोटल डैट्स जो है वह 2 लाख 65 हजार करोड़ से ऊपर चला जाएगा। कैग ने 2013 की आदरणीय, रिपोर्ट में यह बात कही है इस प्रकार की आफ बजट बोरोइंग विधान सभा के और लेजिस्लेचर के फाइनेंसियल अधिकारों पर कुठाराघात है और कांस्टीट्यूशन का जो स्पिरिट है that this is the House for checks and balances on the public purse, it is total violation of that. Categorically they have concluded that statement. आप मुझे यह बताइए कि हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? अपना नाम अभिलेखों तक सीमित करने के लिए, archives of the Vidhan Sabha, में पत्रिकाओं के माध्यम से अखबारों में, आखिर इस बात को हम और आपको समझना पड़ेगा कि वित्त प्रबंधन के व्यवस्थित समूचे संगठनात्मक ढांचे में न तो आप पक्ष हैं और ना हम विपक्ष हैं। आप और हम सामूहिक रूप से सृजन करने वाले वो दायित्ववान व्यक्ति हैं जिनसे इस पूरे के पूरे सात करोड़ की राजस्थान की जनता ने अपने विवेक से आपको यहां भेजा है।

आदरणीय, एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं पिछली बार निवेदन कर रहा था तो मुझे पूरा स्मरण है कि राजाखेड़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने यह बात विनम्रतापूर्वक फरमाई थी कि कई बार पब्लिक सैक्टर यूनिट्स का फाइनेंसियल कंसोलिडेशन ढंग से नहीं होता और एरर्स रह जाते हैं उसको कंसोलिडेट करने में, लेकिन आदरणीय अगर पब्लिक सैक्टर यूनिट्स का फाइनेंसियल स्टेटमेंट, आडिटेड डाटा नहीं पहुंचे समय पर, तो आप जीएसडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं।

जिन इकोनोमिक एंटरप्राइजेज का, जिन वित्त सम्पदा का जिसमें राजस्थान की जनता का निवेश हुआ है, उन पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ऑडिटेड लेखे नहीं आए तो आपने जीएसडीपी केल्कुलेट की है तो वो जीएसडीपी गलत है और जीएसडीपी आपको मालूम है एक पर्टीकूलर ईयर के सर्विसेज प्रोड्यूस उनका बनाया हुआ...।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति जी, इसमें करेंट प्राइस का खेल हो रहा है।

श्री सभापति: करेंट प्राइस में तो करेंट आप ले आना। आप में है करेंट। आप बोलिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) हां, इनमें है करेंट, मैं वो ही तो कह रहा हूं लेकिन करेंट लगाओगे किसको आप?

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): करेंट का उपयोग नहीं है दुरुपयोग है।

श्री सभापति: करेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं वो?

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): नहीं, ये नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: तो?

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): करेंट का दुरुपयोग हो रहा है अब आप समझ जाइये।

श्री सभापति: चलिये, ठीक है। दुरुपयोग मत करना करेंट का आप। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये करेंट के बालाजी के पास रहते हैं।

श्री सभापति: हां, वो तो भगवा ले लिया उन्होंने। अब इनके करेंट से कोई खतरा नहीं है। ये भगवाधारी हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक बात मेरे सामान्य से मस्तिष्क में नहीं आती।

श्री सभापति: आपका सामान्य नहीं है मस्तिष्क।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज थोड़ा असली रूप में नहीं आ रहे हो। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): देखिये, जब आप आसन पर विराजे रहते हैं तो बहुत सी बात कहने को जी चाहता है, लेकिन अगल-बगल में देख कर संकोच भी कर लेता हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये काम अच्छा करते हैं आप।

श्री सभापति: सर्टिफिकेट देने वालों की आथोरिटी देख लीजिये आप। कालूलाल जी ने आपको सर्टिफाइड कर दिया है जहां भी आवश्यकता हो उस सर्टीफिकेट का आप प्रयोग कर सकते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): चीफ व्हिप के नाते इतना तो अधिकार है।

श्री सभापति: कर सकते हैं, साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं उस एक लाइन का विवेचन करना चाहता हूं जिसमें आफ बजट बोरोइंग्स की कंक्लूडिंग लाइन है, The control of legislature over state finances was also compromised.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक बात पूछना चाहता हूं कि स्टेट की गारंटी आपके समय में भी हुई है, कांग्रेस के समय में भी और हर राज्य में यह परम्परा है कि स्टेट गारंटी देती है और सीएजी ने आब्जरवेशन लिखा होगा लेकिन जब फिस्कल डेफीसिट निकालते हैं, जो भी इनका फार्मूला है वो सर्टीफिकेट फिर क्यों देते हैं? एक तरफ आब्जरवेशन देते हैं और दूसरी तरफ सर्टीफिकेट देते हैं। मैं आपको पढ़कर सुना दूं एक मिनट लगेगा, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। मैं आपकी बात को काट भी नहीं रहा हूं, सीख रहा हूं आपसे। Fiscal responsibility in budget management [FRBM Act] ये है इंग्लिश में पेज 37.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कौन से साल का है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ये है 2013-14 का। Eliminate revenue deficit by financial year 2011-12 and thereafter be revenue neutral or attain revenue surplus. यह अगर आपके पास इंग्लिश का है तो आप कालम देख लें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Is this the state of finance?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, फाइनेंस अकाउंट्स।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): Yes. Finance accounts.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर है, ...I do not have it.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब आप पढ़ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपको टोक नहीं रहा हूं Please continue. मेरा तो एक सवाल उठता है ये फिर इस बात का एफआरबीएम एक्ट का पालन किया गया, यह सीएजी सर्टीफिकेट देता हैं और एक तरफ आब्जरवेशन देता है। यह तो बड़ी कांट्राडिक्ट्री चीज दोनों हो गई है। मैं इस बारे में आपसे निवेदन कर रहा था। इसके ऊपर तो कभी आप पब्लिक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अकाउंट्स कमेटी में बैठें या सीएजी से चर्चा हो तब आप ये बात कहें। एक तरफ आप आब्जरवेशन देते हैं दूसरी आप सर्टीफिकेट देते हैं कि एफआरबीएम एक्ट का पालन हो गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इसके लिए कहा गया है, 'मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना, वादे वादे जायते तत्वबोध:'।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसका अर्थ समझा दें।

श्री सभापति: इसका अर्थ यह है कि **एक माननीय सदस्य** ने एक बात कही, **एक माननीय सदस्य** ने एक बात कही। 'मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना, वादे वादे जायते तत्वबोध:', उसके बाद जो सार निकलता है वो तत्व होता है। इसलिए उनका भाषण होगा फिर आपका भाषण होगा, फिर सार निकल जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, देखिये मैं बहुत आदर करता हूं श्री रावराजेन्द्र सिह जी का। ये बहुत योग्य हैं सीखने को मिलता है। एक जिज्ञासा हुई कि जो कह रहे हैं वो मैंने इनकी निगाह में डालने की कोशिश की थी।

श्री सभापति: नहीं, जायते तत्वबोध:। विराजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आदरणीय, इसलिए यह बात कह रहा हूं, जैसे ये संवैधानिक संस्था है वैसे कम्पट्रोलर एंड आडीटर जनरल भी कांस्टिटूश्नल बाडी है।

श्री सभापति: यस।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): किसी कांस्टिट्यूश्नल बाडी का इस प्रकार का आब्जरवेशन आये तो सदन को बाध्य होना चाहिए कि उसका विश्लेषणात्मक परीक्षण करके संवैधानिक जवाब दे और जिस मर्यादा में बंधने के लिए हमने नियम बनाये हैं, अगर शिथिलता प्रदान करनी है तो सदन प्रदान करे लेकिन सदन के बाहर का तंत्र जिसको हम अंग्रेजी में अफसर तंत्र कहते हैं। निर्वाचित कार्यपालिका को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी मर्यादा सदन में ज्यादा है आपकी मर्यादा सरकार में ज्यादा नहीं है, क्योंकि निर्वाचित कार्यपालिका ही उनके हर कृत्य का जवाब इस सदन में देती है। कहीं ये न हो जाए कि डेमोक्रेसी जो कि of the people, for the people and by the people. की जगह Democracy of the bureaucracy, by the bureaucracy and for the bureaucracy हो जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही हो रहा है आजकल।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आदरणीय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हम जब जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं और जब पूंजीगत खाते से डवलपमेंट का परचम फहराते हैं तो हम असेट्स बनाते हैं हम परिसम्पत्तियों का सृजन करते हैं उन परिसम्पत्तियों का मालिक कौन है? राजस्थान की जनता है और वो यहां के वित्त संसाधनों से परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है लेकिन आदरणीय, इस राजस्थान की जनता के धन से परिसम्पत्तियों के निर्माण होने के उपरांत उनका बेचान बगैर सदन की अनुमति से हो जाता है। जिस पैसे को खर्च करने का सदन का अधिकार है, उस सम्पदा को बेचने के लिए भी सदन से स्वीकृति लेनी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैंने शायद एक बार पहले भी दिया था, आदरणीय, एक छोटा सा हमारे जयपुर शहर में आज मेट्रो का बड़ा, मैट्रो को गतिशील करने के लिए आपकी कितनी सम्पदा को ट्रांसफर किया। मैंने सदन में पूछा था और 1 मई, 2011 का ये जवाब है। प्रश्न यह था कि शहर में मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने हेतु सरकारी भूमियों को बेचान का निर्णय किया गया है। यदि हां, तो किस-किस विभाग की कितनी-कितनी भूमि, कितनी धनराशि में और किसको बेचान का निर्णय किया गया? इसका उत्तर यह आया, जी, हां। जयपुर मैट्रो रेल परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि के विभिन्न स्रोतों में से एक स्रोत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन को आबंटित की जाने वाली भूमि का विक्रय भी है और भूमि कौन-कौन सी है, टोटल क्षेत्रफल है 5 लाख 9 हजार 710 स्कवायर मीटर, बीघा में कर लें तो 210 बीघा है, एकड़ में कर लें तो 120 एकड़ है और कहां है, दुर्गापुरा एग्रीकल्चर, वेटरनरी होस्पिटल, ओल्ड पागलखाना बिल्डिंग, फूस का बंगला, पीडब्ल्यूडी चौकी देवनगर, टोंक रोड।

श्री सभापति: ये पागलखाने को छोड़ कर अधिकांश मेरी कांस्टीट्युएन्सी में हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर आपकी अनुमति हो, उसको भी वहां...।

श्री सभापति: उन परिसम्पत्तियों को वहीं रहने दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो काम भी पागलों के डाक्टर के मंत्रीजी कर देंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): जवाहर नगर बाइपास पर जो जंक्शन बनना था 120 एकड़ परिसम्पदा का हस्तांतरण मैट्रो में हो गया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मेट्रो रेल कारपोरेशन को अनुमति किसने दी?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैट्रो रेल कारपोरेशन की पूरी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था आपके और हमारे अधीनस्थ नहीं है, वह देहली मैट्रो रेल कारपोरेशन के उस एक्ट से गवर्न्ड है। आपका अफसर जो वहां एसपी के रूप में उनके थानों में जायेगा, रेल से सम्बन्धित कोई भी शिकायत है, आपका सामान्य थाना वह शिकायत नहीं लेगा, मेट्रो थाना लेगा और मैट्रो थाने में जो आईपीएस आफिसर लगेंगे, आप आरपीएस आफिसर लगेंगे उनकी तनख्वाह कहां से दी जायेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान से दी जायेगी। आपकी सम्पदा गई। इस सदन से किसी की इजाजत नहीं ली गई। आपके अधिकारी डेपुटेशन पर गये, राजस्थान की विधान सभा से इसकी स्वीकृति नहीं ली गई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर अनुशासन में सिर्फ सदन रहे या संवैधानिक अनुशासन में तंत्र भी रहे। आप मत फरमाना because I have lost track.

श्री सभापति: नहीं, आप बोलिए, आज बड़े-बड़े लोग बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं माफी चाहता हूं, अगर मैंने आपको इंट्रप्ट किया हो तो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): No. No. It’s perfectly alright. I am grateful at to atleast find myself eligible enough by you to interrupt me.

श्री सभापति: यह परिसम्पत्तियों के लिये आप पूछ रहे थे कि इतनी परिसम्पत्तियां राजस्थान की चली गईं तो वह परिसम्पत्तियां परियों के पास चली गई क्या?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, अगर पोलीटिकल साइंस और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई छात्र हो और उसको यह प्रश्न किया जाये तो शायद जो आसन फरमा रहा है वह यही जवाब देगा कि क्या यह परियों के पास चली गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैट्रो चलेगी किससे? पांच लाख स्क्वायर मीटर का जयपुर मैट्रोपोलिस के दायरे में क्या वेल्युएशन हो सकता है, मेरी गणित के आंकडों से वह बाहर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी भी रियल एस्टेट का क्या वैल्यू है। वह तो जब बाजार में जाता है तब पता लगता है और उन्होंने यह बात कही है, यह हमने इसलिए ली है कि वायबिलिटी गैप को फिल करने के लिये हम इनका विक्रय करेंगे। यह इस आंसर में है जिस आंसर को मैंने कोट किया, उसके सैकिण्ड पैरा और फर्स्ट पैरा के आंसर में है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विचारधारा की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

क्रांति सदन में क्यों नहीं होती। विचारधारा की क्रांति सोवियत गणराज्य में हो गई। बहुत बड़े राज्य ने कम्युनिज्म को धिक्कार दिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 3 जून, 1955 को हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जब सोवियत रशिया की यात्रा पर जा रहे थे तो उनसे पूछा क्योंकि सोवियत रशिया का एक उप नाम और था, आयरन कर्टेन, जिसके पीछे क्या होता है, किसी को नहीं मालूम। यह कोल्ड वार के जमाने 1955 की, उन्होंने यह कहा कि आखिर आप ऐसे देश में जा रहे हैं जो देश कभी किसी को कुछ नहीं देता। उस आयरन कर्टेन के पीछे आप क्यों जा रहे हैं। उनका जवाब यह था सबसे मजबूत लोह यवनिका तो वह है जो लोगों के दिमागों में है और दीवार बनकर उन्हें दुनिया को उसके असली रूप में देखने से रोकती हो। आदरणीय, पक्ष और विपक्ष के रूप में ऐसे आयरन कर्टेन हमारे बीच में आ जाते हैं कि वास्तविक स्वरूप को देखने से हम वंचित हो जाते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैट्रो कोयले से चलेगी, डीजल से चलेगी, पैट्रोल से चलेगी, सौर ऊर्जा से चलेगी, फिलहाल तो आपके पास जो बिजली है चाहे वह हाइडल है, चाहे वह थर्मल है, उससे चलेगी और बिजली आपके पास है नहीं। काश्तकार को 6 घंटे बिजली देने के लिये दर-दर, गांव के गरीब तक बिजली पहुंचाने के लिये खंभा नहीं। सुबह 6 बजे से लगाकर रात को 10 बजे तक मैट्रो पटरियों पर तब भागेगी जब उसमें विद्युत प्रवाह होगा। आदरणीय गाड़ी तो मैंने आठ सलेण्डर मर्सडिज खरीद ली लेकिन मोटर साइकिल चलाने के पेट्रोल तक की मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आखिर वह चलेगी कैसे। मुनाफे का तो सौदा नहीं है। हालात तो यहां तक है कि पार्किंग का टिकट भी सामान्य पार्किंग से 5 रुपया कम रखा गया है, तो टिकट भी सब्सिडाइज्ड होगा। उस बिजली की खपत को किस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था में यह आर्थिक संरचना के माध्यम से हम सहन करेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

आदरणीय, बहुत बड़ी-बड़ी बात कही जाती है, मैं पूछना यह चाहता हूं कि जिस वक्त हमने रिसर्जेंट राजस्थान का एक सम्मेलन कराया था, आखिर यह क्या बात है कि 2009 से 2013 का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हम देख लें तो 40 हजार करोड़ के निवेश की कंपनियां राजस्थान छोड़कर चली गईं या निवेश करने से मना कर दिया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मार्क ग्लोबिक्स एनर्जी 20 हजार करोड़ का निवेश करने आई थी, पेंडेंसी पर डाल दिया, सेल हो गई।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कल्याणी स्टील 15 हजार करोड़ का करने आई थी, सेल कर दिया। अमेरिकन इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन पैट्रो कैमिकल में आया था, हम रिफाइनरी की बात कर रहे हैं वह पैट्रो कैमिकल में आया था, 2500 करोड, सेल। मोनित इस्पात एनर्जी लिमिटेड 8 हजार करोड, सेल। नंदन बायोमेट्रिक्स लिमिटेड रिनोबल एण्ड थर्मल एनर्जी 7500 करोड, सेल। एनटीपीसी, भेल यह तो दोनों गवर्नमेंट आफ इंडिया की कंपनियां थीं, 6000 करोड़ सेल। अगर निवेश का क्लाइमेट नहीं है और पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्ष में कंपनियां चली गई तो रातों रात चमत्कार हो सकता है क्या? आदरणीय, अगर आप अपने नाम के अलंकरण के शब्द के पूरे के पूरे स्वरूप में आ जायेंगे तब भी कलयुग में नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, यहां जवाब देने का मेरा, नो, नो, यहां जवाब देने का मेरा काम नहीं है। उनके विचार हैं, मेरे विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, सबके विचारों की भिन्नता हो सकती है।

श्री सभापति: माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, आप आसन को संबोधित करें। आप हीरालाल जी से क्यों उलझ रहे हैं? हीरा मुख से ना कहे, लाख है मेरो मोल। माननीय विराजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): प्रद्युम्न सिंह जी तो आदरणीय है, साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक बात तो आप भी स्पष्ट कराएं, हुक्म, आदरणीय सदस्य ने यह फरमाया कि सिर्फ प्रद्युम्न सिंह जी ही आदरणीय हैं, तो बाकी 199 क्या हैं?

श्री सभापति: बाकी माननीय हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): आप सब लोग परम आदरणीय हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय मैं निवेदन करना चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्रीजी, एक बात मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था, हमने इंटर स्टेट ट्रेड में सी फार्म और डी फार्म की अनिवार्यता नहीं कर रखी थी। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का, यूपीए वन के समय, 2009 के आसपास या 2010 में यूपीए टू के आसपास यह अमेंडमेंट आ गया कि सी फार्म, डी फार्म की अनिवार्यता है, 400 करोड़ का आदान प्रदान हो चुका था। बजटीय भाषण में उस समय की कम्पनियों को, जिन्होंने इस प्रकार का व्यवसाय किया, क्योंकि समय पर सर्कुलर इश्यू नहीं हो पाए थे, इसलिए उनको जानकारी नहीं थी और वह सी फार्म, डी फार्म की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाए। उसका फाइनेंस बिल के अन्दर जिक्र नहीं किया गया। इसलिए वह विसंगति रह गई। वह विसंगति कैग

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

के पकड़ में आ गई। तीन वर्ष के कार्यकाल के समय की परिधि है और स्पष्ट है, सीमित है, सुनिश्चित, उसको रेगूलाइज करने के लिए। गलती किसकी थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की थी। जब आपने रिबेट दिलाई तो फाइनेंस बिल में आपको उसको इनक्ल्यूड करना चाहिए था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पीएसी के मैम्बर हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): पीएसी का मैम्बर हूं तभी यह जानकारी....

श्री सभापति: नहीं फिर इसकी चर्चा, रिपोर्ट दे दी क्या।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, मैं इसलिए कह रहा हूं कैग की रिपोर्ट में आ गई। माननीय कैग की रिपोर्ट में। मैं पीएसी की कान्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कैग की रिपोर्ट में आ गई और कैग ने जब इस चीज का परीक्षण करवाया, जब कैग की रिपोर्ट में आ गई तो पब्लिक डोमेन में आ गई, यहां आई तभी तो हमारे सामने आई।

श्री सभापति: जी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, हमने पिछले फाइनेंस बिल में इसको रैगूलराइज कर दिया। हमने वैट 2003 के एक्ट नम्बर 4 में 51 ए के बाद 51-बी, अब हमारे पास अमाउण्ट स्पेसिफिक था, कैलकुलेटेड अमाउण्ट था, कामर्शियल टैक्सेज वालों को मालूम है, लेकिन हमने अमेंडमेंट क्या करवा दिया "Notwithstanding anything contained in this Act, the State Govt. is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may by notification in the Official Gazette and subject to such conditions as may be specified therein, allow, whether prospectively or retrospectively, a rebate upto the full amount of tax to such dealers or class of dealers as may be specified in the notification." फिर टैक्सेज एक्ट का अगर यह काम निर्वाचित कार्यपालिका का सदन में है, किसी एक विसंगति को दूर करने के लिए, इतना व्यापक अधिकार हम ब्यूरोक्रेसी को नहीं दे सकते। मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बिजली की व्यवस्था के अन्दर यह अव्यवस्था क्यों हुई। इसका एक बड़ा स्टेटिस्टिकली उदाहरण है। आदरणीय, यह 11-12 में छपा। केन्द्र में कांग्रेस, फिर भी राज्य को कम बिजली क्यों। आदरणीय, राज्य को वहां एक गैर आबंटित बिजली की मात्रा होती है, जब

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हम थे और कांग्रेस विपक्ष में थी, यूपीए वन थी, हम 17 परसेंट गैर आबंटित बिजली का परसेंटेज कर रहे थे, इनके समय 7 हो गया। सरकार इनकी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Our Govt. was fair with everyone.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): 2009 तक हम 17 परसेंट ले रहे थे, उसके बाद हम 7 परसेंट पर आ गए और फिर भी खूब खींचा हमने, लेकिन 15 से ऊपर नहीं निकल पाए। फेयरनैस दिखवाइये आप इसकी। आपके मुकाबले जम्मू कश्मीर 16 ले जा रहा था। हिमाचल 12 ले जा रहा था, जबकि उनके पास तो खुद के पास हाइडल है। छत्तीसगढ़ ले जा रहा था, जबकि उनके खुद के पास भी है।

श्री सभापति: बीच में राजस्थान है। ऊपर से ही जा रही है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): बीच में राजस्थान है। आदरणीय, उत्तर प्रदेश तो 20 तक ले गया। बात फेयरनैस की नहीं है, बात डियरनैस की है। How dear was that Govt. to the Central Govt. यह उसका फेयर स्टेटिस्टिकली है। मैं एक बात निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत समय ले लिया।

श्री सभापति: मैंने तो नहीं कहा आपको।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं फिर भी इस बात को समझ सकता हूं, 3 बजकर 36 मिनट हो गए।

श्री सभापति: ठीक है, आप समाप्त कर लें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, हमारे पास केन्द्र से बहुत से पैसे आए, विगत 5-6 साल में। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, शायद मैंने इसको पहले भी किया था लेकिन यह बार–बार स्किल डवलपमेंट की बात आती है और हमारे श्रम मंत्रीजी नहीं हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया कि हमारे पास जो पैसा आया आखिर उस पैसे का हमने कितना उपयोग किया। आदरणीय, यह आपका इकोनोमिक रिव्यू है, इसके अन्दर अगर आप दिखवाएंगे तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास, इसमें मिटिगेशन आफ पावर्टी इन वैस्टर्न राजस्थान की बात कर रहे हैं, जब बाड़मेर की बात करते हैं या इस प्रकार की बात करते हैं। हमने तो फिर भी 55.92 करोड़ इस्तेमाल किया है, इनके समय जीरो एक्सपंडीचर, 177 करोड़ रुपया आपके पास पड़ा रहा, जो उस परिक्षेत्र के लिए आया था जिस परिक्षेत्र को सर्वाधिक आवश्यकता

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

थी। 12-14, 11-12, आखिर संवेदनशीलता और संवेदना कि यह अंतिम परिकाष्ठा थी ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, लूणकरणसर से आने वाले सम्मानीय सदस्य आपसे, राजाखेड़ा के सम्मानीय सदस्य से भी और संसदीय कार्यमंत्री आपसे भी। मुझे बिल समझ में नहीं आता। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने एप्रोपिएशन के सम्बन्ध में बात करी। अब समझ में नहीं आता, बजट स्पीच में रेवेन्यू एक्सपंडीचर का टोटल 1 लाख 37 हजार, 713 करोड़ है। एफआरबीएम डाक्यूमेंट के पेज 13 पर 1 लाख 32 हजार 822 करोड़ है। एप्रोपिएशन बिल में 1 लाख 41 हजार 232 करोड़ है। मैं इकोनोमिक्स का सदस्य नहीं हूं, ना ही पोलिटिकल साइंस का हूं, इसलिए मेरे दोनों मतलब गलत नहीं लिए जाएं। यह विसंगति है या हमारे समझने में फेर है, उसका मेरा आसन से आग्रह है कि इसका स्पष्टीकरण सब सदस्यों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, राव साहब। **श्री रमेश** मीणा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मेरे सीनियर माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ बता दिया, मेरे इतनी जानकारी नहीं है, मैं तो सीख रहा हूं, नया-नया आदमी हूं, माननीय सदस्य।

श्री सभापति: आदमी पुराने हो, सदस्य नये हो।

श्री रमेश (सपोटरा): फाइनेंस की बात कर रहा हूं, साहब, फाइनेंस में। माननीय सभापति महोदय, आज वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है इस संदर्भ में मेरे भी कुछ विचार है उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आपने 2014-15 के परिवर्तित बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 6 हजार 124 करोड, 67 लाख रुपये बताई जो संशोधन अनुमानों के अनुसार 96 हजार 668 करोड़, 94 लाख रहीं।

राजस्व व्यय 1 लाख 5 हजार 387 करोड़, 19 लाख के स्थान पर केवल 1 लाख 887 करोड़, 94 लाख रहा। आपने बजट अनुमान 2014-15 में राजस्व आधिक्य 737 करोड़ 48 लाख रुपये का अनुमान लगाया, किन्तु वास्तव में राजस्व आधिक्य के स्थान पर आप राजस्व घाटे की स्थिति में रहे, जो 4219 करोड़ 61 लाख का रहा। आपके संशोधित अनुमानों के अनुसार 2014-15 में पूंजीगत व्यय में कमी आई। इस प्रकार कुल मिलाकर गुड गवर्नेंस

(श्री रमेश)

और कुशल वित्तीय प्रावधानों का शोर मचाने पर भी आप राजस्व घाटे को 4219 करोड़ 61 लाख रुपये पर ले गये।

यदि आप बजट अनुमान 2015-16 को देखें तो आपने राजस्व आधिक्य का पहले ही 2014-15 से कम जो 556 करोड़ 42 लाख रुपये का अनुमान लगाया, इससे स्पष्ट है कि आप स्वयं जानते हैं कि यह आधिक्य केवल आंकड़ों में है। वास्तविकता, जी.एस.डी.पी., जो 3 प्रतिशत से अधिक आ रही है, आपने इसको 2.9 प्रतिशत दिखाने का प्रयास किया है कि, वास्तव में आपके जो बजट प्रावधान अधिनियम, 2005 के अनुसार वैसे ऊपर जाएगी। आपको यह पता लग जाएगा, यदि एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन करें तो।

आपके वैट के बारे में, क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि वैट की जो सामान्य टैक्स दर 14 से 14.5 कर दी, अब रोजमर्रा की विभिन्न वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और महंगाई का जो झुन्झुना आपने हाथ में थमा दिया है, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में सीधे कुछ घोषणाएं नहीं की हैं, लेकिन जो बजट के दस्तावेज हैं, उसमें पैट्रोल-डीजल पर जो रोड सैस की दर एक रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये करने का इंतजाम किया है, इससे पैट्रोल और डीजल के दामों में दो रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी की आशंका है।

इसी प्रकार, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त विभाग का जिम्मा सम्भाल रही हैं, उन्होंने 556 करोड़ के राजस्व आधिक्य वाले बजट में 500 करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाये हैं और 200 करोड़ के टैक्स की जो राहत दी है, सब मिलाकर उस पर आधा परसेंट, सभी पर वैट बढ़ा दिया तो इस प्रकार आपने, मान लो एक तौला दिया और मन-भर का वज़न डाल दिया। तो एक आदमी पर कितना बोझ डाला है।

मेरा एक निवेदन था, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि पैट्रोल और डीजल की जो दरें हैं उनको कम करना चाहिये। हमारे सीमावर्ती जो स्टेट हैं, हरियाणा है या मध्य प्रदेश है या अन्य प्रदेश हैं, उनकी दरें, उनका वैट हमसे कम है। इसलिये हमारा जो राजस्व है वह अन्य स्टेट्स में चला जाता है। इसमें भी अन्य स्टेट्स से हमारी समानता होनी चाहिये।

आप जेम्स, स्टोन तथा सर्राफा डीलर्स के वर्तमान दर में जो 0.25 प्रतिशत था, उस कम्पोजिशन की राशि को आपने तो तिगुना कर दिया, 0.75

(श्री रमेश)

प्रतिशत कर दिया। इसका प्रभाव सीधा-सीधा, सोने-चांदी के भाव बढ़ेंगे। आम आदमी और किसान पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने देखा है, राजस्थान में अतिवृष्टि से किसानों को कितना नुकसान हुआ है, तो शादी-ब्याह और अन्य जो काम आने वाली चीजें हैं, उनको भी सरकार ने महंगा कर दिया है। इस पर सरकार विचार करे और यह कम्पोजिशन जो बढ़ाया है, तिगुना, इसको कम करे।

इसी प्रकार, आम आदमी, युवा है या व्यापारी है, मोबाइल सभी के काम आता है। उस पर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की जो रेट बढ़ाई है, वह भी हर आम आदमी के काम आने वाली चीज है। आपने लक्जरी होटलों में खाना महंगा किया है और इसके अलावा 125 सी.सी. के इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर आपने 6 प्रतिशत का जो एक साथ एकबारीय कर का प्रस्ताव लिया है, वह आम आदमी और युवाओं के लिये ठीक नहीं है। क्योंकि इसको ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे-बच्ची या आम आदमी खरीदते हैं। जो व्यापारी वर्ग या उद्योगपति हैं, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसका आम आदमी पर बहुत फर्क पड़ेगा।

आपने पैतृक सम्पत्ति लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दी। बैंक गारण्टी पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने से लागत में वृद्धि होगी।

बजट में, जो शहरों की ओर गांवों के लोग, या कहो शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं, इसके लिये सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि गांवों के आदमी शहरों की तरफ नहीं आयें। जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य की ठोस व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तब तक ग्रामीणों का पलायन शहरों की ओर रहेगा। केवल शिक्षा में सूर्य नमस्कार या शाला दर्पण, इनसे व्यवस्था नहीं हो पायेगी। सरकार को ठोस प्रयास करने होंगे। सरकार की एक अच्छी मंशा होगी तभी हम ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन रोक पाएंगे कि शहरों में लोग नहीं आयें और उनको वहां अच्छी सुविधाएं मिलें।

गत बजट में जो घोषणाओं की क्रियान्विति की स्थिति, गत बजट में हमने जो घोषणाएं कीं, उन पर भी विचार होना चाहिए कि हमने कितनी घोषणाएं पूरी कीं, कितनी प्रक्रियाधीन हैं या कार्य प्रगति पर हैं या हो नहीं पाएंगी। जनता को यह जानने का अधिकार भी है कि हम बजट में घोषणा

(श्री रमेश)

करते हैं, वे कितने काम नहीं हुए। पुरानी योजनाओं को फिर नये सिरे से उस बजट में इनलिस्टेड कर देते हैं, उनकी फिर दुबारा घोषणा हो जाती है। कुछ हमारे समय के जो काम चल रहे थे, इस सरकार ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। नई योजनाएं तो छदाम भर होंगी, बाकी तो वही काम चल रहे हैं, कोई नया काम या नया विजन सरकार के पास नहीं है। शहरी विकास जन सुरक्षा को लेकर बजट में कोई दूरगामी नई सोच नहीं है। ज्यादातर जो योजना हमारे द्वारा चलाई जा रही थी, उनको ही बढ़ाया है।

हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गौरव पथ की बात की, बीस हजार किलोमीटर सड़कों की बात की, अण्डर ब्रिज की बात की, ओवर ब्रिज की बात की। इतने कामों को बजट में गिनाने का जो प्रयास किया है, थोथी वाह-वाही करने का प्रयास किया है। लेकिन हम धरातल पर देखें तो आज 20 हजार किलोमीटर सड़कें। फिर नये सिरे से जो दिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सार्वजनिक निर्माण पर चर्चा हो चुकी, माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं उसी में बताना चाहता हूं कि 10 हजार किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण होगा।

श्री सभापति: सार्वजनिक निर्माण पर चर्चा हो चुकी है।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं इसीलिये कहना चाह रहा हूं, 20 हजार किलोमीटर सड़कों पर, माननीय सभापति महोदय, जब तक भूमि अवाप्ति बिल नहीं आयेगा...

श्री सभापति: आप देखिये, एक मिनट सुनें। एक मिनट सुनें।

श्री रमेश (सपोटरा): जो आप कहना चाह रहे हैं, वह मुझे जानकारी है। मैं थोड़ा सा एक शब्द कहूंगा कि जब तक भारत सरकार भूमि अवाप्ति बिल नहीं लायेगी तब तक हमारी यह सड़कें बनना बड़ा मुश्किल है, धरातल पर नहीं आ पायेंगी, ज्यादा नहीं कह रहा हूं उसमें।

अभी आपने प्रधान मंत्रीजी को खुश करने के लिये 7 लाख से ज्यादा शौचालयों के निर्माण और उसका इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी से कराने का किया है। हमें आशा है कि आपके ये 7 लाख शौचालय राजस्थान में बनें, स्वच्छता का एक मैसेज जाये। लेकिन यह घोषणा ही नहीं रह जाये।

आज प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, यातायात, वाहन-पार्किंग की

(श्री रमेश)

समस्या से जूझ रहे हैं और उसके बाद भी हमारी जो मैट्रो की व्यवस्था थी, बी.आर.टी.एस. के विस्तार की बात थी, उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। एक तरफ हम बात करते हैं कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, पर अनिच्छा से, मैट्रो का जो काम चल रहा है, वह भी इच्छा से नहीं चल रहा है, अनिच्छा से चल रहा है। अभी तक सैकिण्ड फेज की तैयारी होनी चाहिए थी। हमारे प्रधान मंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि जयपुर जैसे शहरों में मैट्रो की आवश्यकता है, दूसरी तरफ आपने उसको अनिच्छा के आधार पर, धरोहरों को तोड़ा गया है मैट्रो के चक्कर में, उनका भी ध्यान नहीं दिया गया। अवेयरनेस के हिसाब से उसका जो काम चल रहा है, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि यह मैट्रो सही प्रगति करेगी या जयपुर के लिये एक, जो नये जयपुर की बात करते हैं या जयपुर के आधुनिक युग की बात करते हैं, वह ऐसा सपना लग नहीं रहा है।

पानी के विषय में जो हमारी सरकार ने घोषणायें कीं कि कुछ योजनाएं थीं, उन पुरानी योजनाओं की इसी बजट में घोषणा कर दी। नागौर लिफ्ट परियोजना की बात करें, तीन साल पुरानी है, उसको नये सिरे से इसमें डाल दिया। आपने आर.ओ. प्लाण्ट की बात की थी कि हम आर.ओ. प्लाण्ट लगाएंगे। आर.ओ. प्लांट्स का क्या हश्र हुआ? कुछ तो चल ही नहीं पाए और कुछ चले। तो आपके अधिकतम आर.ओ. प्लांट राजस्थान में नहीं लगे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब तक इनकी मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी, सुधर नहीं पाएगी।

शिक्षा की बात मैं शार्ट में ही कहूंगा क्योंकि शिक्षा पर चर्चा हो चुकी है। आपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्कूल क्रमोन्नत किए हैं 12वीं तक के, उनमें व्यवस्था टीचर्स की हो और वहां पर उसमें बजट दिया जाए। शिक्षा में गुणवत्ता हो, गिरते स्तर पर आपने चिंता तो की है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है लेकिन उसके लिए आपने कोई अच्छे उपाय नहीं किए हैं। हायर एजुकेशन में आपने बहुत कम ध्यान रखा है। राजकीय विश्वविद्यालयों में कोई नए प्रावधान नहीं हैं। निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं है। अन्य स्टेट्स में जो हमारे रिटायर्ड लैक्चरार हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा रही है।

(श्री रमेश)

(15.51 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

रोडवेज की जो स्थिति आज राजस्थान में है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हमारे 52 डिपो में 21500 कर्मचारी, 11000 के करीब पेंशन-धारी, जिस स्थिति से आज रोडवेज के कर्मचारी जूझ रहे हैं, वह स्थिति बड़ी दयनीय है। तो सरकार ने कहा था कि हम 100 नए मार्ग खोलेंगे और बजट का रोडवेज को प्रावधान करवाएंगे। एक नए मार्ग का, प्राधिकरण की भी घोषणा की थी, वह भी नहीं हो पाया, उच्च मार्ग की और आज स्थिति यह बनी है कि इसको पी.पी.पी. माडल पर ले जाएंगे तो उस पी.पी.पी. माडल का भी कुछ नहीं हुआ। हमारे जो रोडवेज के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इसके बारे में भी सरकार को एक हस्तक्षेप करके इनकी व्यवस्था करनी चाहिए, एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए और राजस्थान रोडवेज को चलाने के सही प्रयास और सही दिशा में काम करना चाहिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलो। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): क्यों बंद करूं? थोड़े दो मिनट बोल लें।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप दो मिनट बोलिए।

श्री रमेश (सपोटरा): आपके सचेतकजी बोल रहे हैं बीच-बीच में। मैं कोई ज्यादा बात नहीं करता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतकजी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हम आपको टोक नहीं रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप सारी बातें वह बोल रहे हैं जो डिमांड पर बोल चुके हो। एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलिए। आप यह डिमांड पर मत बोलो एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलो। आप रिपीट मत करो।

श्री रमेश (सपोटरा): यह बिल ही है, आप उसको बिल ही समझ लें क्योंकि जो चीज है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं, राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स, वैसे आज ही क्वेश्चन आ चुका है, इसमें जो स्थिति आपने की है कि हमारे जो राजकीय उपक्रम हैं, 23 हैं उनमें से 12 तो लाभ में चल रहे हैं और 11 हानि में चल रहे हैं, लेकिन जो लाभ में चल रहे हैं उनकी भी स्थिति ऐसी हो गयी है अभी कुछ दिनों में कि वह घाटे की तरफ जा रहे हैं। उनको

(श्री रमेश)

घसीटते-घसीटते आप घाटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें आप एक निजीकरण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। वह सरकार की इस तरह की जो मंशा है, उसको सरकार ठीक करे, नहीं तो जनता सब देख रही है और यह ठीक नहीं रहेगा। जिस प्रकार 2011 में 281.30 करोड़ था, 2012-13 में 410.94 करोड़ का लाभ था, 2013-14 में 260.99 करोड़ का लाभ था और आप 2014-15 जनवरी तक 124.74 करोड़ पर ले आए। तो, सरकार की मंशा क्या है और इसी प्रकार आपके अन्य उपक्रम भी हैं जो घाटे में चल रहे हैं उनके बारे में सरकार उनको उबारने के लिए क्या प्रयास करेगी?

आपने ऊर्जा के क्षेत्र में भी ऐसे प्रयास किए हैं कि फागी और अन्ता में 765 के.वी. के जो हमने हमारे समय में स्टार्ट किए, उन्होंने भी इसमें, आपने बजट में प्रावधानों में दिखाया है कि हमने यह किया, यह अच्छा काम किया है। तो बिजली के क्षेत्र में भी जिस प्रकार का आपने जो घाटे का विवरण किया है कि पूर्व सरकार ने, हम 15 हजार पर छोड़ गये, आज 77 हजार से 90 हजार करोड़ पर पहुंच गया, तो यह एक दिन का काम नहीं है। 2007 से लेकर आज 2014 तक आ जाइए, हमने राज्य सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो या चाहे कांग्रेस की रही हो, इसमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया है लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से या हमारी राज्य सरकार की सही मंशा नहीं होने की वजह से जो इसमें छीजत, लोसेज बढ़े हैं और टेंडरों में अनियमितता हुई है और अन्य भी जो इस प्रकार की, अभी भी जयपुर में तारों को अंडर लाइन करेंगे, 80 करोड़ के माध्यम से तारों को नीचे डालेंगे, तो इस तरह की व्यवस्था है, यह करप्शन को बढ़ावा देने के प्रयास हैं। सरकार एक सही विजन और पूरे इस विभाग का थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाएं।

यदि हम बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो आपका बजट है और जो आज का वित्त विधेयक है, वह नाकाफी है और इस पर सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए। जो वैट लगाए हैं उनको कम करना चाहिए। आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए सबके लिए जो प्रयास होने चाहिए, एक उद्योगपति या कुछ विशिष्ट लोगों के लिए, बिल नहीं लाएं। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के दो सम्माननीय बुद्धिमान सदस्यों के विचार सुनने को मिले। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य को मैं सुन नहीं सका था।

मुख्य मंत्रीजी ने 2015-16 के जो बजट अनुमान यहां पर पेश किए, श्रीमान, उसमें पहले पैरा के अन्दर ही उन्होंने अपने भाषण में कहा कि – 'किस प्रकार की जर्जर अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी। मैं उन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहती हूं परन्तु यह एक कठोर सत्य है कि कुल मिलाकर प्रदेश वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार रहा है।'

पिछले साल के बजट भाषण में भी यही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीमारू राज्य कहा था। एक ऐसी ग्लूमी पिक्चर पुरानी सरकार की पेश करने की कोशिश की थी कि जैसे कि राज्य में कुछ बचा ही नहीं है। वित्तीय कुप्रबंधन रहा है।

पिछले साल भी मुझे बोलने का अवसर मिला था तो मैंने आकड़ों के आधार पर, रिपोर्टस के आधार पर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि स्टेट की फाइनेंशियल पोजिशन काफी साउंड थी। जो पैरामीटर्स ले-डाउन किए गये हैं, आखिर पैमाना क्या है? अर्थव्यवस्था को, कुप्रबंधन को नापने का, मिस्मैनेजमैंट को नापने का या जर्जरता को नापने का आखिर पैमाना क्या है? खाली मुंह से कह देने से तो जर्जर और कुप्रबंधन नहीं हो जाएगा।

सांगानेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ फिगर्स दिए, सी.ए.जी. की रिपोर्ट का उन्होंने आधार दिया और उन्होंने साबित करने की कोशिश की। मैंने उनको उस वक्त भी पोलाइटली बात बता दी थी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि ऐसी बात नहीं थी। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एफ.आर.बी.एम. एक्ट की पालना, 2014-15 में सिर्फ एक पैरामीटर से फेल हुए कि यहां आपने रेवेन्यू सरप्लस की बात की, इतने बड़े बजट के अन्दर करीब 1029 करोड़ का रफली, 1030 समझ लीजिए, उसका रेवेन्यू डेफिसिट आया। सिर्फ उस आधार पर कुप्रबंधन कह देना या जर्जर-अव्यवस्था कह देना, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं।

मैं आपके समक्ष, जो आज सुबह ही हमको फाइनेंस अकाउंट्स 2013-14 मिले सी.ए.जी. की तरफ से, उसमें से सिर्फ आपको पढ़कर सुनाना चाहता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं। एफ.आर.बी.एम., यह सबसे बड़ा पैरामीटर है एम.आर.बी.एम. एक्ट आपका, जो कि पास किया है हाउस ने, वह सेंट्रल गवर्नमैंट में भी लागू है और यहां स्टेट्स में भी लागू है, वही सबसे बड़ा पैरामीटर्स है। वैसे आपकी, जो आपने राज्य सरकार की ओर से जारी किया, मैं उसमें से ही पढ़कर सुना दूंगा आपको, सदन का ज्यादा समय नहीं बरबाद करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बरबाद नहीं होता है, सार्थक होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सारी, मैं बरबाद ही कहूंगा, क्योंकि उन्हीं बातों को दोहराऊं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बड़ा सार्थक है आपका, बोलिये।

(16.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, उसमें दो-तीन बातें कही गयी थीं श्रीमान् eliminate revenue deficit. अचीव किया 2011-12 में भी किया, 2012-13 में भी किया, but unfortunately it became revenue deficit in 2013-14. एक पाइंट के ऊपर आपका है by 139 crores इतने बड़े बजट के अन्दर नहीं होना चाहिए था, हुआ। इनका भी बताऊंगा, इनका 2014-15 में क्या हुआ इनका स्वयं का? यह reduced fiscal deficit यह भी अचीव हुआ। Reduce outstanding debts जी.एस.डी.पी. के मुकाबले में भी यह भी अचीव किया। as per advance estimates as of August 2014. 5 lakhs 688 crores for 2013-14 announced by the Central Statistics Organization and Economic Department of Govt. of India. यह जी.एस.डी.पी. का वहां भारत सरकार से उन्होंने एडवांस लिया था, उस आधार के ऊपर है। चलिये, अब इनका पढ़ लीजिये, वैसे सी.ए.जी. रिपोर्ट इज फाइनल। मैंने शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से भी कहा था कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेज के बारे में Final report can not be challenged anywhere. कहीं उसको नहीं कर सकते हैं, आडिटेड है, इन्होंने भी खुद माना है। इन्होंने, सी.ए.जी. ने एक जगह श्रीमान् जो कुप्रबन्धन की बात आप करते हैं, क्योंकि सोच का फर्क है, इसलिये कि अब सरकार का, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं फिर आगे चलूंगा। संशोधित अनुमान 2014-15 आपका राज था, आप फुलफ्लैजेड इस सरकार में आ गये थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 22,432 करोड़ देने का अनुमान किया था। परन्तु भारत सरकार के संशोधित

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अनुमानों के अनुसार इसमें 2,615 करोड़ रुपये की कमी आई। अब इस कारण से वह रेवेन्यू डेफिसिट हो गया और प्राइजेज कम हो गयीं। पी.ओ.एल. की प्राइजेज कम हो गयीं, वैट कम आया और आखिर क्या निकला? 4,219 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। आपने तो अपने रीजंस दिखा दिये, क्योंकि सरकार आपके पास थी, लेकिन मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार जो बात सदन में कही जा रही है, सदन के बाहर कही जा रही है और मूल कारण मैं समझता हूं सरकार ने जो लम्बे-चौड़े वादे किये हुए हैं चुनाव जीतने के लिये, उनकी पूर्ति नहीं करने का बहाना बना रही है कि हमें जर्जर अर्थ-व्यवस्था मिली, मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय। बाहर मीटिंगों में भी, सरकार के सारे मंत्री कहते हैं हमें तो जर्जर अर्थ व्यवस्था मिली है, खजाना खाली मिला है, तिजोरी खाली मिली है। तो, अध्यक्ष महोदय, रिपोर्टस और अन्य चीजें, दूसरी चीजें दर्शाती हैं इस बात को, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, फिर वेज एण्ड मींस नहीं रहा। वेज एण्ड मीन्स एडवांस नहीं था। ओवरड्राफ्ट नहीं था। ये भी तो पैरा-मीटर्स हैं, अध्यक्ष महोदय, उसका भी यूज कहीं नहीं हुआ है।

मेरा आपसे खाली कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत साउण्ड पोजीशन कहें, फिर अध्यक्ष महोदय, कटारिया जी नहीं हैं यहां पर। आज सुबह ही जब मैं उनका पढ़ रहा था तो कटारिया जी की याद आ रही थी। पिछले शायद 15 वर्ष के अन्दर भी इस साल में 2015-16 के अन्दर राज्य सरकार 20 हजार करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। स्वयं माना है, बजट में माना है। फिस्कल डैफिसिट का मतलब ही यह है कि आप लोन लेंगे, 20 हजार करोड़ का मुझे कभी याद नहीं पड़ता है। बुरे से बुरे टाइम के अन्दर 10-12-14-15-16, लेकिन 20 का आंकड़ा कभी नहीं पकड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 2014-15 में आपने कितना लिया?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): किसका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने कितना लिया? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): भिण्डा साहब, आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, आपसे पार नहीं पा सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 23,266 करोड़ का कर्जा नैट बोरोइंग 2013-14 में आपने लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैंने कहा, मैं करैक्शन के लिये तैयार हूं। मैं करैक्शन के लिये तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप इस तरह की बात कह रहे हो न। इस बार निश्चित तौर पर...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी बात सुन लें आप। मैं करैक्शन के लिये तैयार हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जो फिगर्स मेरे पास हैं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में इतनी बड़ी रकम नहीं ली गयी। आपके पास राज है, खंडन कर दीजिये। मैं माफी चाहूंगा। गलती करूंगा, गलतबयानी करूंगा तो I will say sorry. I quote wrong figures.

श्री अध्यक्ष: राजनीतिक माफी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बिल्कुल। बिल्कुल, कहना चाहिये, अध्यक्ष महोदय। यह तो यह बात रही यहां पर। अब कुछ दो-चार मुद्दे और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जो फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन आई है, जी.एस.टी. और फाइनेंस कमीशन, ये दो बड़े बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अध्यक्ष महोदय। पहले फाइनेंस कमीशन को ही ले लेते हैं। फोर्टींथ फाइनेंस कमीशन ने, अध्यक्ष महोदय, डिवोल्यूशन का फार्मूला जो उन्होंने दिया, कि उनकी टैक्स रेवेन्यू का 32 परसेंट के मुकाबले राज्यों को 42 परसेंट दिया जाएगा। बड़े-बड़े विज्ञापन छपे, अध्यक्ष महोदय। बीजेपी के राज के मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्रीजी की, वित्त मंत्रीजी की फोटो लगाकर, नीचे अपनी लगाकर अनप्रीसिडेंटेड, अभूतपूर्व, कि राज्यों को को-आपरेटिव फैडरलिज्म, टीम इंडिया, काइन करने में सब माहिर हैं नये-नये शब्द, 'टीम इंडिया' जैसे मेक इन इंडिया है न, अध्यक्ष महोदय, मेक इन राजस्थान है, उस पर भी आ जाऊंगा अभी आगे। 'टीम इंडिया' को-आपरेटिव फैडरलिज्म वह तो खैर फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता रहेगी, इन फण्ड्स को अपनी नीति बनाकर योजना के अनुसार यह खर्च करें, But what shall be the fate of ongoing projects क्या होगा? अब उन्होंने कहा कि इस साल 19 हजार करोड़ रुपया जो मिलता, करीब 9 हजार करोड़ रुपये का राज्य को एडिशनल मिलेगी टैक्सेज के थ्रू। ग्रांट्स वगैरह की जो स्थिति है, वह भी आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। तो यह भी एक मिथ है। जो फाइनेंस कमीशन ने दिया है, बाकी मैं उल्टी बात कह सकता था। वह राज्य के हित में कह रहा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं कि अब तो आपके पास पैसा ही पैसा है। आपको 32 से 42 कर दिया है, आप करिये। एक हाथ से दिया और एक हाथ से वापस ले लिया। अब कटौती कहां-कहां कीं उन्होंने क्योंकि अरूण जेटली साहब ने कहा खुद ही, कि मेरे पास I do not have much fiscal space left with me. उनका एक शब्द मुझे याद है। पार्लियामेंट में कहा कि I do not have much fiscal space left with me. चलिये। देखिये अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अन्दर जिस प्रकार से कटौती की गयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ पढ़कर सुना देता हूं अभी। प्लान का साइज भी घटा दिया एक लाख करोड़ से। कभी हिन्दुस्तान का प्लान साइज हर साल 10-15 परसेंट से बढ़ता था, हर साल का आप उठाकर देख लीजिये 10 परसेंट, 15 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान हमेशा बढ़ता था। और इस साल उसके अन्दर एक लाख करोड़ की कमी आयी है। अब उसका असर तो स्टेट्स पर पड़ेगा ही। जो राज्यों को प्लान के जरिए असिस्टेंस मिलती थी वो निश्चित रूप से आपको कम मिलेगी।

इसमें सबसे नोट करने वाली बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, नेशनल हैल्थ मिशन 2014-15 के बजट के अन्दर था 21650 करोड़ रुपये, रिवाइज के अन्दर कर दिया 17434 और 2015-16 के अन्दर इन्होंने कर दिया 18 हजार। जो ओरिजनल 2014-15 का 21 हजार था वो 18 हजार रह गया। इसी तरह हाउसिंग फोर रुरल इंदिरा आवास योजना, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, बैकवर्ड एरिया। मतलब सारे के सारे, I don’t want to take much time, जो आपके इम्पोर्टेंट सैक्टर्स थे and, shockingly, sub-plan for SC & ST, उसमें मेजर कटौती कर दी गयी है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्लान बहुत बड़ा आएगा और दबी सी आवाज में, वाई.वी. रेड्डी साहब ने, जब इन्होंने, अरुण जेटली साहब ने यह कहा कि I don’t have much fiscal space left with me तो मिस्टर रेड्डी ने कहा कि आलमोस्ट जो पिछले चार-पांच फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसी के अनुसार स्टेट्स को टोटल डिवोल्यूशन 62 परसेंट के करीब जाएगा with tax and grants, etc. तो कोई कमी आयी नहीं है।

अब स्टेट पर इसका क्या असर आएगा? मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि किस-किस मद में कटौती होगी अभी निश्चित नहीं है, हम को बाद में इंडिकेट करेंगे या तो री-कास्ट करेंगे बजट को या फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेकर आएंगे, एक्सेस ग्रांट्स लेकर आएंगे। श्रीमान, दो ही उपाय हैं, बैस्ट वे तो होगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेकर आयें।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं कोई आलोचना की खातिर नहीं कह रहा हूं। जो देश के अन्दर एक वातावरण बनाया गया कि भारत सरकार राज्यों के संग बहुत उदार रही है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर टैक्स बायेंसी ही नहीं, श्रीमान, इकोनोमी के अन्दर कहीं कोई सुधार के लक्षण ही नहीं हैं क्योंकि पिछले साल ही जब टैक्स रेवेन्यू में आपका डिवोल्यूशन के अन्दर 2022 सौ करोड़ रुपये आपके काट दिये तो भविष्य का क्या होगा?

हालांकि मेक इन इंडिया की बात चल रही है, कारपोरेट्स को खुश करने की बात चल रही है। सारी नीति बी.जे.पी. शासित राज्य और केन्द्र सरकार की कारपोरेट्स के हित के अन्दर, कारपोरेट्स भारत के भाग्य विधाता हैं, देश की गरीबी, भुखमरी, विकास, बदहाली एक कारपोरेट बन गयी है। कई अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं। आपने कारपोरेट टैक्स कम कर दिया। आप कहेंगे अपने से क्या मतलब है। यहां भी आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जो दीजिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अब वहां दिल्ली में पैसा नहीं है क्योंकि आपका पी.पी.पी. माडल फेल हो गया। वहां पैसे ही नहीं हैं। नितिन गडकरी साहब का, हिन्दुस्तान टाइम्स का कान्क्लेव हुआ, मैंने उनका भाषण पढ़ा कि this model has failed; banks are not giving money, they are not advancing क्योंकि बैंकों के डूबत खाते का पैसा जिसे कहते हैं नोन प्रोडक्टिव एकाउंट, एन.पी.ए., 12 per cent of total assets, 12 परसेंट टोटल एसेट्स का जहां एन.पी.ए. हो जाए वो आप कहां देंगे? लेकिन कारपोरेट्स को खुश करना है तो पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग से कहा जा रहा है कि अब आप इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अन्दर इन्वेस्टमेंट करें। उनकी बैलेंस शीट का क्या होगा? जो भारत सरकार को डिविडेंट देते थे उसका क्या होगा? बहुतों के पास, पब्लिक के पास भी शेयर्स थे, उनके डिविडेंट का क्या होगा, उनका पैसा वहां फसेगा?

राजस्थान में 20 हजार किलोमीटर सड़कें पी.पी.पी. माडल में बनायी जाएंगी, 15 महीने में कहीं कोई नतीजा दिखता नहीं है। अभी है नहीं, मंत्रीजी ने स्वीकार किया, अब कोशिश करेंगे वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की। कहीं एशियन डवलपमेंट बैंक से लोन लेने की कोशिश करेंगे। वो भी भारत सरकार के थ्रू होगा, आप डाइरेक्ट नेगोशिएशन नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट जो भी बात करेगी वो भारत सरकार के जरिए बात करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज जो स्थिति

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बन रही है उसमें राजस्थान को बहुत चौकस रहने की आवश्यकता है और पुरानी सरकार पर आरोप लगाने के बजाए सरकार को भविष्य की सुध लेनी चाहिए और अपने हाउस को, अपने फाइनेंसेज को आर्डर में रखने की चेष्टा करनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक नहीं सुनना चाहती। 1998-2003 की अन्दर वाकई में राजस्थान की फाइनेंसेज की हालत बहुत खराब थी and I had the misfortune of dealing with this department.

श्री अध्यक्ष: वाय?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी बदकिस्मती थी।

श्री अध्यक्ष: Why misfortune?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना, ना, साहब। रोज गालियां पड़ती थीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: You were fortunate enough that you were ….

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, रोज गालियां पड़ती थीं। वो कटारिया जी कहते थे कर्ज ले-लेकर घी पी रहे हो। इधर बैठते थे कटारिया जी।

श्री अध्यक्ष: आप पानी पी लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो हैं नहीं, उनको मैं कह रहा था। कटारिया जी अगर होते, मुझे उनके भाषण याद हैं, वो संस्कृत में कोई श्लोक कहते थे …(व्यवधान) हां फिर आप सुना दीजिए।

वो मुझे याद नहीं है लेकिन उसका अभिप्राय यह था …

श्री अध्यक्ष: 'यावत जिवेत सुखम जिवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत।' (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कटारिया जी यहां बैठते थे और हर मौके पर, कर्ज का घी ले-लेकर पी रहे हो, मौज कर रहे हो, राज्य को चला रहे हो। राजस्थान की हालत नहीं थी. Every State Government was bleeding. क्योंकि जब प्रधान मंत्रीजी से बहुत सारे मुख्य मंत्री, कांग्रेस राज्यों के मुख्य मंत्री मिले थे, उस वक्त कांग्रेस की काफी सरकारें थीं और हमारे साथ पंजाब के लोग भी थे, कहने का मतलब है, यशवन्त सिन्हा साहब बोले, तो हमारी कौनसी हालत अच्छी है, हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। एक वो समय था। माननीय मुख्य मंत्री यहां सदन में हैं नहीं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं, ऐसा नहीं है, it's not ..., कोई आवश्यक नहीं है कि वो आएं, नोट कर रहे होंगे लोग।

जब उनका राज आया, कुशल वित्तीय प्रबन्ध, श्रीमान, कुशल वित्तीय प्रबन्ध ऐसा था, मैंने उस वक्त भी फिगर्स दिये थे, एक का जवाब नहीं दिया था। राज्यों का रिजर्व बैंक की सिक्योरिटीज में उस कार्यकाल के अन्दर 65 हजार करोड़ रुपया जमा था जिसको खर्च नहीं कर पाये। जितना प्रोजक्शन था फाइनेंस कमीशन का उससे ड्योढ़े पैसे मिल रहे थे। सब राज्यों की यह हालत थी, सब के ओवर ड्राफ्ट खतम हो गये, कोई वेज एण्ड मीन्स मिल गये, एक राज्य नहीं गया था, उस बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं है, वो समय निकल गया। आज जो इन्होंने प्रोजक्शन दिया है फाइनेंस कमीशन का 2020 तक का, 2015-20 के बीच में जो प्रोजक्शन दिया है, ईश्वर करे राज्य हित में वो उनका प्रोजक्शन सही निकले। मैं राज्य हित की बात कर रहा हूं, पार्टी हित की बात नहीं कर रहा। राज्य हित में सही निकले लेकिन you have to be very cautious.

अध्यक्ष महोदय, अब जी.एस.टी. के ऊपर आता हूं। आज जी.एस.टी. की हालत यह है कि प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाने का केन्द्र सरकार का, कारपोरेट है, इन्कम टैक्स है लेकिन कन्जूमर के ऊपर टैक्स, जिस श्रेणी में वैट आता है, यह राज्य का अधिकार है। जी.एस.टी. की मांग बहुत दिनों से चल रही है, कोई नई मांग नहीं है। कांग्रेस के समय थी, राज्यों में सहमति नहीं बनी थी इसलिए वो चल नहीं रहा था। कहीं कम्पनसेशन का सवाल आता था, कहीं राज्य की आटोनोमी का सवाल आता था।

कहीं फैडरल स्ट्रक्चर का सवाल आता था। उसके ऊपर सहमति नहीं बनी थी। अब और दबाव है। कारपोरेट जगत का दबाव है कि जीएसटी लाइये।

अध्यक्ष महोदय, सब समय एक सा नहीं रहता है। आज दिल्ली में एक पार्टी की सरकार है, यहां भी उसी पार्टी की सरकार है। कभी भविष्य में कोई अजीबो-गरीब कोअलिशन बन गया और आप राज्य के हितों को एब्डिकेट कर दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, 1946-47 में जब इन्टरिम गवर्नमेंट बनी थी, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में झगड़ा पड़ा था होम डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लेकर के। क्योंकि कांग्रेस होम डिपार्टमेंट देना नहीं चाहती थी। लियाकत अली खां को फाइनेन्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

डिपार्टमेंट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो जानता नहीं हूं फाइनेन्स डिपार्टमेंट चलेगा कैसे? But there were some good Officers. जो उनसे सहानुभूति रखते थे उनसे। उन्होंने कहा कि हम चलवायेंगे आप क्यों परेशान हो रहे हैं और जो उन्होंने कहर ढाया है वहां पर। पाकिस्तान बनने के कई कारणों में से एक कारण वह भी था, जिन्ना तो मांग कर ही रहे थे। लेकिन जो रोजमर्रा के प्रशासन के अन्दर जो कठिनाई आ रही थी फाइनेन्स डिपार्टमेंट उन्होंने ले लिया था।

कहीं भविष्य के अन्दर कोई कोअलिशन दिल्ली में ऐसा बन गया और आपने अपने राइट्स को एब्डिकेट कर दिया, राज्यों ने। चलिये, वह सब्जबाग दिखा रहे हैं कि आपको 4 साल तक 100 परसेंट कम्पनसेशन देंगे वैट लोसेस का और फिफ्थ ईयर के अन्दर आपको 75 परसेंट लोसेस का देंगे। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है क्योंकि पिछली दफे का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। सीएसटी का पैसा अभी तक राज्यों को नहीं मिला है। जो सीएसटी के लोसेस देने की बात थी, जब सीएसटी की जगह वैट इंट्रोडयूस हुआ था। उसका पैसा देने की बात चली थी, उसमें से राजस्थान का पूरा पैसा आया कि नहीं आया, मुझे पता नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं आया। आज दिन तक नहीं आया है। तो इनकी बात का क्या इत्मीनान है। हमारे मुख्य मंत्रीजी के प्रतिनिधि के रूप में राजपाल सिंह जी गये थे। पहले तो इन्होंने वहां अपोज किया। बहुत लोगों ने अपोज किया था। यह अकेले नहीं थे। डांट पड़ी तो बाहर आकर कह दिया कि बहुत अच्छा है। हम तो राज़ी हैं उसके लिए। पड़ी डांट कस के। मैं देख रहा था कि बाहर आकर टी.वी. वालों से कह रहे थे, नार्थ ब्लाक के बाहर।

श्री अध्यक्ष: यह डांट पड़ी तो आपको कैसे मालूम पड़ा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अन्दर की बातें आ जाती हैं साहब। यही तो लोकतंत्र है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अन्दर की बात को अन्दर ही रहने दो न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज क्या है? आज आप इंडस्ट्रीज को कुछ इंसेंटिव देना चाहते हैं क्योंकि सारे राज्यों में होड़ मची हुई है, इंडस्ट्री अपने-अपने राज्य में लाने के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लिए। कहीं तो कस्टमाइज्ड पैकेज देने की बात कर रहे हैं। वैट में रिलेक्सेशन देने की बात कर रहे हैं। कोई इंसेटिव। बाकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प डयूटी, यह तो कामन चीजें हैं। जमीन, जमीन का मसला दूसरा है, उस पर अलग चर्चा करुंगा श्रीमान। यह सब किसलिए कह रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि जीएसटी के लिए देश के कारपोरेट जगत का, पूंजीपतियों का जबरदस्त दबाव है कि जीएसटी बिजनस के लिए बहुत आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी सोच का फर्क आ गया कि जब तक पूंजी निवेश देश के अन्दर नहीं होगा, तो रोजगार सृजन नहीं होगा। नौकरियां कहां से आयेंगी। मुख्य मंत्रीजी ने 15 लाख जाब्स की बात की। प्रधान मंत्रीजी ने 5 करोड़ की बात कही 5 साल के अन्दर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पूंजी निवेश ज्यादा होने से नौकरियां कम होती हैं। आज के जो अर्थशास्त्री हैं उनका यही कहना है कि कारपोरेट सैक्टर में जितना अधिक पूंजी विनिवेश होगा, उतनी नौकरियां कम होंगी। मध्यम दर्जे के जो उद्योग होंगे उनमें जितना विनिवेश होगा उतनी नौकरियां ज्यादा होंगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपकी बात पर ही आ रहा था तिवाड़ी जी लेकिन सोच का फर्क आ गया न। आज तो They are dictating terms. मैं सही कह रहा हूं। थोड़ा पढ़ने-लिखने का शौक है। बाकी तो अख़बार लगे हुए हैं, कारपोरेट हाउसेज के अख़बार हैं, वह तो आपकी सुबह भी जय, आपकी शाम को भी जय, आपकी रात को भी जय। सरकार की जय-जयकार हो रही है। बाकी टी.वी. चैनल्स का आपको मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि They are all controlled by Corporate Houses now majority of them.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि अब मैकेनाइजेशन इतना हो गया है, चाइनीज प्रेसिडेंट आये इंडिया, गुजरात गये। मकसद वही था कि हिन्दुस्तान में बनायें आकर के। चाइना की इतनी बड़ी आबादी है, आपसे बड़ी आबादी है। उनको अपनी बड़ी आबादी को फीड करना है। वैसे भी उनकी इकोनामी में स्लम्प आ रहा है। जो पीक पर थे वह नीचे आने लगे हैं। वह काहे के लिए आएंगे। बराक ओबामा साहब आये यहां पर, कुछ तैयारी होगी, कुछ इनवेस्टमेंट आयेगा। वह जाते-जाते सेक्युलरिज्म के ऊपर नसीहत देकर चले गये और हेठी हो गयी हमारी। वह धर्मनिरपेक्षता की बात करके चले गये।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नतीजा अभी तक कुछ निकला नहीं है। मुख्य मंत्रीजी सिंगापुर होकर आयीं। सफलता मिले, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि राजस्थान का भला हो। अब जापान जाने की बात चल रही है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जा रही हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जायें न, अच्छी बात है। हमें क्या एतराज है, She should go. नहीं, नहीं, कोई प्रोब्लम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। किसी जमाने में होता था कि विदेश चले गये। विदेश तो आजकल घर-आंगन हो गया है लोगों का।

एक माननीय सदस्य: यह रहते भी विदेश में हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): घर-आंगन हो गया है विदेश। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से मीडियम स्केल के एंटरप्रिन्योर्स महीने में दो दफे, तीन दफे सिंगापुर जा रहे हैं। कोई चाइना जा रहा है, Nothing big about it. इतनी बड़ी इकोनामी के अन्दर 5-10 लाख रुपये खर्च हो गये तो Heavens are not going to fall. मैं इस बात को कतई मानता नहीं हूं, I am not a orthodox. मैं आपकी क्रिटिसिज्म करने वाला भी नहीं हूं। सफलता मिले।

श्री अध्यक्ष: विशालता है आपकी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, विशालता नहीं है, हकीकत है, साहब। आप हर चीज के अन्दर, छोटी-छोटी बातें, विदेश गये थे, कुछ नतीजा नहीं। इतना खर्चा कर आये। यह टुच्चेपने की बातें होती हैं इस तरह की, इस युग के अन्दर। मैं इसके बहुत खिलाफ हूं जो यह कहते हैं वह ऐसे लोगों की मनोवृत्ति का परिचायक है। आज कौनसी बड़ी बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह आता है कि Rajasthan is a land of State. आप वातावरण पैदा करेंगे। यहां पर जितने कारपोरेट हाउसेज हैं, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहा हूं For a year इंडस्ट्री सैक्रेटरी बनाता है सब चलो कलकत्ते, चलो, बम्बई चलो, बंगलौर चलो, लेकर आयेंगे इनवेस्टमेंट। कोई नहीं आता। ऐसी-ऐसी शर्तें रखते हैं कि जेब काट लें राज्य की। यहां गिना रहे थे, मुझे फैक्ट्स नहीं पता हैं कि क्यों नहीं लगे। चले गये, क्योंकि इतनी डिमांड्स हैं उनकी। इतने कन्सेशन मांगते हैं वह। इतने कन्सेशन मांगते हैं, आपकी क्लियरकट पालिसी है कि इस फ्रेम वर्क में आप आना चाहो तो आप आ जाओ। यह कस्टमाइज्ड पैकेज है। Over and above, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के खिलाफ लड़ाते हैं। हमको तो वहां यह मिल रहा है, हमको तो वहां वह मिल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रहा है। तिवाड़ी जी जो कह रहे थे कि अपने राज्य के अन्दर, अपने को बड़े उद्योगों की बनिस्पत अपने को मिडिल लेवल के, जो बीच के उद्योग हैं, उसमें एम्पलायमेंट भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको टैक्सटाइल मिल्स का उदाहरण देता हूं। टैक्सटाइल मिल्स के अन्दर पुराने वक्त में एक लूम के ऊपर 4-5 आदमी लगा करते थे, राठौड़ साहब। जब से शुगर लूम आये हैं, 4-5 लूम्स का क्लस्टर लगा लिया एयरकंडीशन कमरे में, एक आदमी कम्प्यूटर पर बैठा हुआ लूम चला रहा है, 24 के मुकाबले एक आदमी रह गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि We should protect. We should encourage small scale industries and medium industries.

आप जितना पैसा इसमें खर्च करने की बात कर रहे हैं उसके मुकाबले में अब आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं गुजरात में हो रहा है, कहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं बिहार में हो रहा है, ऐसी खुशामद हो रही है कारपोरेट्स की ये ही भारत के विधाता हैं श्रीमान।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे जीएसटी के बारे में कहा, मैं सरकार से फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपने अधिकारों पर कुठाराघात मत कीजिए, भविष्य की कन्टीन्जेंसी को ध्यान में रखते हुए भी आप कृपया जीएसटी के लिए राज़ी मत होइए, मैं बहुत विरोध करता हूं इसका। अभी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, भगवान चाहे पास नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी स्टेट उसका विरोध कर रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पर कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरी समझ में तो, मेरे पर्सनल विचार हैं, मैं कांग्रेस के समर्थन से बंधा हुआ भी नहीं हूं। मेरे ये अपने पर्सनल विचार हैं कि राज्य का हित सर्वोपरि है, सबसे पहले है। राज्य का हित सर्वोपरि है। करे, कोई करे लेकिन यह मेरी बात मानेंगे थोड़े ही?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): समझ में आई पर देर से आई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह मेरी बात सुनेंगे थोड़े ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो डण्डे के जोर से वहां हां कर आए, इनको चेता रहा हूं, अभी वक्त है अभी भी चेत जाओ, क्योंकि भविष्य का पता नहीं क्या राजनीतिक रूपरेखा हो हिन्दुस्तान की।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): भविष्य तो मेरे से पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां पंडित हैं न आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं याद दिला दूं आपको अगर आप इजाजत दें तो आप यहीं प्रतिपक्ष में थे, वैट भी हमारे समय पर आया था और आपने वैट के लिए भी ऐसे ही बोला था, वैट से राज्य को फायदा हुआ है। आप ध्यान कर लो, पुरानी बातें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं ही वैट का बिल लेकर आया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बाद में आया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वैट का बिल मैंने ही पास कराया था। वैट का बिल पास कराया था तब वैट पर राज्य का कण्ट्रोल था, वैट के ऊपर राज्य का कण्ट्रोल था, जीएसटी पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कण्ट्रोल रहेगा, आपका कण्ट्रोल है कहां? वैट और जीएसटी में यह फर्क है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वर्तमान की जो वैश्विक स्थिति है, इण्टरनेशनल काम्पीटिशन है, देश के विकास को हमें आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से जीएसटी की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप एक्सपर्ट को बैठा लीजिए, केवल उद्योगपतियों को मत बैठाइए, एक्सपर्टस को बैठा लीजिए, सारे इकोनोमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं, जीएसटी एक विकासशील कदम है, विकासशील टैक्स है, राज्यों को इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष: मोहनलाल जी गुप्ता, स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मोहनलाल जी की राय आने के बाद अब कुछ बचा नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं जो कुछ मेरे विचार हैं वह बता रहा हूं। एक्सपर्टस के विचार कुछ हों, गुप्ताजी, अर्थशास्त्री के विचार कुछ हों, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरी यह अपनी राय है, मैं अपनी राय प्रकट कर रहा हूं। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ चीज कही हैं यहां पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के तो मैं टोटली खिलाफ हूं क्योंकि इतिहास इस बात का सबूत है, 1946 का इतिहास इस बात का सबूत है और भविष्य के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अन्दर भी क्योंकि एक बड़ा लम्बा एरा चल गया कोएलीशन सरकार का 15 साल का। भविष्य में क्या होगा और राज्यों के संग क्या खिलवाड़ होगा, आप अपने अधिकारों को न छोड़ें यही मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। तिवाड़ी जी ने कहा है कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, मैं पता लगा लूंगा अच्छी तरह से कि किन शर्तों पर समर्थन कर रही थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पीपीपी माडल की आपसे बात कर ही ली। आपको अपने सोर्सेज से अगर बनाना है, आपके पास रिसोर्सेज है तो आप करें, आप दूसरों का मुंह मत ताकिए, 15 महीने से फिर चिकित्सा मंत्रीजी, और तो और सड़कों की बात समझ में आती है चिकित्सा मंत्रीजी डिस्पेंसरियों को भी पीपीपी माडल पर चला रहे हैं। ऐसा नशा चढ़ा है देश में इस पीपीपी का कि बावळे हो रहे हैं लोग। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पीपीपी, एक पैग में ही सारा काम हो जाता है, फिर तीन पैग के बाद क्या बचता है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा नशा चढ़ा हुआ था। किसी वक्त में सक्सैसफुल था यह आज तो पेड़ हो गया है यह बिलकुल और कोई इसमें आप समझ लेना खराब। आप थोड़ा काम कर लो, जितना आप मुनासिब समझो उतना कर लो लेकिन इसको आप तिलांजलि देकर बैठे रहेंगे तो पूरे पांच साल आपके निकल जाएंगे, यह मेरा आपसे कहना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं रिफाइनरी की बात करता हूं। रिफाइनरी पर 15 महीने हो गए, प्राइस वाटर हाउस, कोई कम्पनी है उसको पता नहीं आपने काहे की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, दुबारा नेगोशिएशन करने के लिए किन टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स के ऊपर एचपीएल कम्पनी से आप बात करेंगे, समय खराब है। या तो हिम्मत होनी चाहिए सरकार की हम रिफाइनरी लगाने में इण्टरेस्टेड नहीं हैं, घाटे का सौदा है, साफ कीजिए और हिम्मत से कहिए कि हम नहीं लगाना चाहते लेकिन जो आड़ ली जा रही है, जैसे यह बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा, पैसा देंगे हम उनको जितना पैसा आप देंगे वह आपको लौटाएंगे, प्रोडक्शन शुरू करते ही वापस करेंगे वह पैसा। दे विल रिटर्न दैट मनी, यह नहीं कि वह पैसा लेकर बैठ जाएंगे, यह मेरा सोच है। मैंने पढ़ा है पूरा, मैंने पिछले साल भी कहा था कि रिफाइनरी का पैसा आप कितने दिन में कर लेंगे और फिर जिस कम्पनी को दिया है उस कम्पनी के बारे में तो अख़बार में आया था, काफी नामी कम्पनी है वह तो कोई मिनिस्ट्री

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से डाक्यूमेंट्स वगैरह की चोरी हुई है उसमें उस कम्पनी का नाम आ रहा है। पता नहीं कहां तक सच है या झूठ है मैंने एक अख़बार में पढ़ा था। अब आप ऐसी कम्पनी को दे रहे हैं काम....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह कम्पनी नहीं है, उसका एक अधिकारी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, वही तो मैंने कहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता काम करे तो सारी कांग्रेस बदनाम हो जाएगी क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या वह कम्पनी के नालेज में काम नहीं कर रहा? कम्पनी की नालेज में काम नहीं कर रहा क्या? वह तो करक्शन हो जाएगा, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन जिस कम्पनी का बड़ा अधिकारी, सीईओ, इन कामों में लिप्त हो उस कम्पनी की रेपुटेशन श्रीमान् क्या रहेगी, यह मेरा कहने का मतलब है। आपको लगाना है, आप लगाएं, नहीं लगाना है साफ कहें कि हमको नहीं लगाना है क्योंकि स्टेट के एक्सचैकर में 4 हजार करोड़ रुपया क्योंकि पिछले साल तो 6 हजार आया था इस साल शायद वह घटकर 5 हजार रह जाने वाला है पैट्रोलियम, आयल प्राइसेज कम होने की वजह से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात की और शिकायत करनी है इस सरकार से, 113 बैरल का 53 डालर बैरल रह गया, चलिए गैस सिलेण्डर पर 25 रुपए सब्सिडी मिलती थी वह खत्म कर दी आपने, आपका राज है, आपकी मर्जी है पर आपने वैट बढ़ा दिया उसके ऊपर, डीजल के ऊपर। जनता को राहत, चुनाव में वादे हुए, कितना महंगा डीजल बिक रहा है, तरह-तरह की बातें हुईं लेकिन आपने वैट बढ़ा दिया उसके ऊपर। जनता को जो पास ओन होना चाहिए था, जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए थी, कीमतें कम होनी चाहिए थी, भारत सरकार ने बढ़ा दिया, सात-सात रुपए की ड्यूटी पैट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर, कि अब हम कमा लें तो जनता को यह महंगाई का ढिंढोरा पीटा जाता था, वह तो हुआ नहीं, राजस्थान में भी आपने डीजल पर वैट बढ़ा दिया, गैस की सब्सिडी आपने कम कर दी तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि रिफाइनरी बड़ा मुद्दा था इसलिए श्रीमान, ...(व्यवधान) बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्ष: आपने चालीस मिनट कहा था पैंतालीस मिनट हो चुके हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो जवाब कौन देगा?

श्री अध्यक्ष: जवाब तो देंगे न, अभी आ जाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कालूलालजी, आप जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष: जवाब वह नहीं देंगे। जवाब तो आपको मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा लेकिन मैंने तो आपको इसलिए याद दिलाया ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जवाब तो देने वाले देंगे, आप तो समाप्त करेंगे तो देने वाला यहां उपस्थित हो जाएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप जवाब के लिए इन्तजार कर रहे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आप मेरे पास आए थे और मैंने पूछा था तो आपने कहा था कि चालीस मिनट में...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं खतम कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: मुझे नहीं एतराज है, आप बोलिए लेकिन मैं यह याद दिला रहा हूं कि 45 मिनट हो गए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): और यह भी हुआ था कि आपके बाद मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदन के नेता का जवाब आकर बिल पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या आप सबकी राय है समय बढ़ाने की?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, दो चीज कहकर बात खत्म करता हूं। दो बातें कहनी हैं आपदा प्रबंधन के बारे में...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जवाब मिल गया ना आपको, जवाब मिल गया। कालूलाल जी ने समय बढ़ा दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यहां मैट्रो की बात बहुत चलती है। हमेशा घाटे का सौदा है, मैट्रो जितने पैसे से बनती है उतने पैसे से इतनी सड़कें बन जातीं, इतने ओवरब्रिज बन जाते। क्या जयपुर के लिए मैट्रो जरूरी है या नहीं है? आप अधिकांश लोगों से बात कर लो। अब तो बहुत जान-पहचान हो गयी जयपुर के निवासियों से मेरी, मैट्रो को सब आवश्यक बताते हैं। रेलवे के पैसेंजर ट्रेफिक से रेलवे को नुकसान है श्रीमान, तो रेलवे को थोड़े ही बंद कर देंगे कि घाटा है। गुड्स से फायदा है, पैसेंजर ट्रैफिक से घाटा है तो Will you close those railways? No. ठीक है रोडवेज को अपनी मौत मरने के लिए आपने छोड़ दिया क्योंकि अलटरनेटिव प्राइवेट आपरेटर है, लेकिन जो आबादी जयपुर की बढ़ रही है, जयपुर में जो ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही है, लोगों का चलना दूभर हो रहा है, पोल्युशन की समस्या यहां पर बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार को एक सुझाव है। पिछले साल के बजट में जेटली साहब ने, अगर मैट्रो बुरी चीज होती तो दो शहरों में, लखनऊ का तो मुझे याद है 100 करोड़ रुपये दिया, एक और शहर के लिए दिया था, 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

एक माननीय सदस्य: नागपुर में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नागपुर में। 100-100 करोड़ का प्रावधान किया था। अध्यक्ष महोदय, आखिर में आपदा राहत मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, श्रीमान आपको जो भी रिलीफ देना है इस साल के बजट के अन्दर करीब हजार करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन में आपका शेयर व राज्य का शेयर होगा। मेरा आपसे निवेदन है, अखबारों में भी आ रहा है आपने कलक्टर्स को भी अथोराइज्ड कर दिया, लेकिन आपके जो रूल्स हैं जिसके अन्दर 50 परसेंट से ऊपर के लोसेज के ऊपर आपने सदन में भी कहा था, 25 परसेंट के लोसेज होंगे, हम उनको भी देने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि आपके पास सफिशिएंट फण्ड्स हैं यहां पर। इस साल 1 अप्रैल से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके पास पूर्व का पैसा बचा हुआ है। आप जितनी अधिक से अधिक राहत लोगों को, मैं जेनरस वर्ड यूज कर रहा हूं, जेनरसली आप दे सकें इस आपदा के वक्त में तो आपकी बड़ी कृपा होगी किसानों के ऊपर, जो दुख के अन्दर हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपको दिये हुए वचनानुसार।

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट ज्यादा ले लिये। श्री फूलचन्द भिण्डा। केवल 15 मिनट बोलेंगे, 5 बजे मुख्य मंत्रीजी का रिप्लाई होगा। केवल 15 मिनट में घण्टी बजा दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मानिक जी, आज आपने नाम दिया नहीं है। वैसे आप नाम देते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, कोई नाम देना आवश्यक है तो आइंदा उस फार्मलिटी को भी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप रोज दे रहे हैं। आवश्यक समझकर आप अपना रोज नाम भेजते हैं और उस हिसाब से मैं एडजस्ट भी करता हूं। अब आज भिण्डा साहब के बाद मुख्य मंत्रीजी का भाषण होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो भी हो, मैंने निवेदन यह किया कि मुझे भी दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हैं। आपकी इजाजत होगी तो उठाऊंगा, नहीं इजाजत होगी तो नहीं उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजें आप। होता नाम तो मैं ले लेता। मैंने सोचा आज आप बोलना नहीं चाहते। रोज भेजते हैं आप। जब भी भेजा है, मैंने लिया है। अब विराजें, अब इस पर बहस नहीं। भिण्डा साहब 15 मिनट में समाप्त कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, यह जो शब्दावली का उपयोग किया जाता है ''बजट'', इसका शाब्दिक अर्थ है ''अर्थ संकल्प''। संकल्प में केवल यही नहीं आता कि हम हाथ खड़े करके पास कर दें और फिर ब्यूरोक्रेसी को बजट संभला दें, यह अर्थ नहीं है। अर्थ-संकल्प का अर्थ है, जो जनता की पाई-पाई है उसको संकल्पपूर्वक हम जो जनता की भावना है, जनता की आवश्यकता है उसके अनुसार काम करें।

अभी माननीय सदस्य मालाखेड़ा वाले चले गये, मैं उनको बताना चाहता हूं...(व्यवधान) राजाखेड़ा। मैं उनकी 5 साल की परफोर्मेंस बता रहा हूं, इसी से बानगी आ जाएगी। अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हम पैसा ब्याज से लाते हैं। ब्याज हमारा औसत है 7.7 परसेंट तक 2010 में। अब वह 2013-14 में, क्योंकि रिजर्व बैंक ने थोड़ी उदारता दिखायी, केन्द्र ने कुछ उदारता दिखायी उस कारण से 7.3 है। लेकिन जो प्रतिफल है वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 100 रुपये पर

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

2009-10 में हमें प्राप्त हुआ केवल 40 पैसा। 2010-11 में प्राप्त हुआ केवल 20 पैसा। उसके बाद फिर 2011-12 में 40 पैसे हो गया। यह 100 रुपये पर बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट 100 रुपये कर रहे हैं उसका प्रतिफल बता रहा हूं। 2012-13 में वह 30 पैसा हो गया। अब 2013-14 में वह 10 पैसा हो गया, यह परिणाम है। जनता की मेहनत का पैसा है उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है, इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि किस प्रकार की स्थिति राज्य की है। इसके कारण हमें कर्जा ही कर्जा लेना पड़ेगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास में। कैसे पूरा करोगे? जो पैसा हम लगा रहे हैं वह पैदा नहीं करता तो रिइन्वेस्टमेंट काहे से करेंगे, फिर कर्जे पर कर्जा लेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं इनके काले कारनामे नहीं, पाप, महापाप। एक यूनिट बिजली आज जलाता है वह केवल इनके 5 साल के समय में 1 रुपये 81 पैसे केवल ब्याज चुका रहा है। ब्याज के रूप में वह एक यूनिट बिजली जलाता है। इस राजस्थान का उपभोक्ता 1 रुपये 81 पैसे केवल ब्याज के रूप में दे रहा है। कितना पाखण्ड है इस 5 साल के राज का, यह मैं इनको बता रहा हूं। कितनी दुर्गति इस राज्य की है। ये कहते हैं हमारा क्या बिगड़ गया?

मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्व प्राप्ति में भी ये कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया। अभी जब ये गये थे तब राजस्व की जो वृद्धि थी वह 9.75 थी और हमने एक साल में उसको 18.85 पहुंचा दिया। ये कहते हैं क्या किया, 15 महीने खो दिये। फिर भी जो राजस्व की प्राप्ति है उसकी वृद्धि 9.75 से हम 18.85 पर ले गये। इसके लिए मैं वर्तमान वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि एक वर्ष में आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमने इस प्रकार का कदम उठाया है।

बजट की जब तब परफोर्मेंस की बात न करें तब तक कोई बात नहीं आती। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। अगर हम परफोर्मेंस की बात नहीं करेंगे तो बजट पास करते ही रहें और खर्च करते रहें जो आज अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था कि आखिरी दो दिन में हम खर्च करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह लवाजमा क्या करता है? लेकिन मैंने देख लिया आज मेरी आंखों से, यह मालूम पड़ा कि वित्त मंत्रीजी आने वाले हैं उसके पहले सारी ब्यूरोक्रेसी आ गयी, उसके पहले तीन ब्यूरोक्रेट बैठे थे यहां पर। हम किसलिए बोल रहे थे पूरे चार घण्टे से? ये ही तो इम्प्लीमेंट करते हैं वहां जाकर। ये बैठना भी पसंद नहीं करते। जो हमारा बजट

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पास करने का पावर है और उसको इम्प्लीमेंट कराने का, निर्देश देने का भी हमें पावर है, इसलिए मंत्री होते हैं लेकिन वह स्थिति नहीं बनती। यह बात सदन में उठी थी। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं परफोर्मेंस के रूप में एक विषय आया कि 6 साल से 14 साल तक के जो ड्राप आउट हैं, यह हमने 2009 में मिशन के रूप में लिया पिछली सरकार ने कि 2013 तक हम इस ड्राप आउट को जीरो कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2013-14 के अंत तक राज्य में विद्यालयों से बाहर बच्चों की संख्या है 9 लाख 7 हजार। 12 लाख था उस समय जब इन्होंने ढिंढोरा पीटा और एक महीने तक स्कूलों को बंद किया। जो 15 परसेंट सरकारी स्कूलों में संख्या घटी उसका कारण है एक महीने तक हम पढ़ाते नहीं हैं, जुलाई में एडमिशन होती है। अभिभावक सोचता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। ड्राप आउट को पूरा करने के लिए लाते थे ये 5 साल से। मैंने एक बार उठाया भी था। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वे मेरे से नाराज भी हो गये कि ये सीधा क्यों बोलते हैं। मैंने पूछा था कि ड्राप आउट पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था उस समय कि केन्द्र सरकार हमको 70 परसेंट पैसा दे रही है पांचवीं के विद्यालयों को आठवीं कर दो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी गांव का बालक-बालिका है, पांचवीं तक का विद्यालय है उस पांचवीं तक के विद्यालय में पढ़ता है तो 10 साल में उसका पूरा हो जाता है। अब जिस प्रान्त में 4 साल की बच्ची के साथ ही बलात्कार हो जाता है वह कौन ऐसा अभिभावक है जो पड़ौस के गांव में आठवीं में पढ़ने के लिए भेजेगा। मैंने उस समय सदन में कहा था कि 5 हजार ऐसे गांव हैं जिनकी 500 से ज्यादा आबादी है, आप सबमें मिडिल स्कूल कर दीजिए, देखिए आपका ड्राप आउट कम होता है या नहीं। ऐसा तो करेंगे नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते। केवल यह कह देंगे, टोंक में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गये और कहा कि आप लोग फेल हो तो परवाह मत करो, आप तो मोहम्मद गौरी का वह करो।

आप तो मोहम्मद गौरी की तरह करो। गौरी था या गजनी था, 16 बार हारने के बाद, ऐसे हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। तो इस कारण से इस प्रकार की गड़बड़ होती थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के परफार्मेंस का एक उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। अब आपको उस समय ले चलता हूं 1991 से 2000 के बीच में जो शिक्षा के क्षेत्र में गोल्डन पीरियड था। उस समय 28 परसेंट ग्रोथ रेट थी और अभी पिछली सरकार 5 परसेंट ग्रोथ रेट करके चली गई इस कारण से जो हमारा

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लैंगिक अनुपात है शिक्षा का, उसमें हम राष्ट्रीय अनुपात से भी 2 परसेंट नीचे चले गये पिछले 5 साल में। हमारा 8 परसेंट रहा है राजस्थान में 5 साल का और केन्द्र का रहा है 10.22 परसेंट। यह 2.2 परसेंट कम है जबकि ज्यादा होना चाहिए। हमारे यहां शिक्षा में हम सबसे आखिरी पायदान पर हैं, 52.1 परसेंट हमारी महिला शिक्षा है और बालिका शिक्षा में आखिरी पायदान पर 35वें नम्बर पर हैं। इसके लिए दोषी कौन हैं? दोषी तो वो लोग हैं जो शिक्षा के बारे में जानते नहीं। पूरे पांच साल में एक भी स्कूल नहीं खोली लड़कियों की, बालिकाओं की एक स्कूल नहीं खोली, एक कालेज नहीं खोला इस प्रकार से। इतना ही नहीं, राजस्थान का उदाहरण है, बार-बार दोनों पार्टियां घोषणा कर रही हैं, मैं माफी चाहता हूं, दोनों सरकारें कह रही हैं, घोषणा पत्र छाप रहे हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में कोई फीस नहीं ली जाएगी। चार कालेज चालू करके गये हैं, बांदीकुई के कॉलेज में तो लड़कियां फीस देती हैं और अध्यापक पढ़ाने जाते हैं और वो सरकारी कालेज है सैल्फ फाइनेंस में। राजस्थान में चार लड़कियों के ऐसे कालेज हैं जिनमें लड़कियां फीस देती हैं और दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र में छापा है कि बालिकाओं से कोई फीस नहीं ली जाएगी। यह परफार्मेंस है क्या? इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से परफार्मेंस का मूल्यांकन नहीं होगा। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन की पूरी डिबेट केवल बजट के परफार्मेंस पर ही हो, 60 दिन के स्थान पर 30 दिन में हम करते हैं तो परफार्मेंस की आडिट तो होनी चाहिए।

फिर मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं बकाया की। आप कहते हैं न कि कहां से आएगा पैसा। 2009 से 2013 तक 1091 प्रकरण हैं, अनुच्छेद हैं बकाया के और उनके बारे में जो स्वीकार किए हैं पक्षकारों ने, वो 548 आए हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं इसका खुद को तो मालूम ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बोलने दो उनको।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं यह बोल रहा हूं, आपके कारनामे खोल रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जब प्रतिपक्ष के नेता बोल चुके उसके बाद में ये बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका बोला हुआ अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं किसकी समझ को दोष दूं? बैठिये। बैठिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं बजट की परफार्मेंस पर बोल रहा हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इतना बड़ा एक्सपर्ट बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप यह चाहते हो कि ये टेबल कर दें और आप रिकार्ड से लेकर पढ़ लो। यह चाहते हो न आप? ये मौलिक विचार ही सुनो यहां। आप यह चाहते हो कि भिण्डा जी टेबल कर दें और आप रिकार्ड से लेकर इसको पढ़ो। ऐसा नहीं है। मौलिक विचार हैं, सुनो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, नहीं, हमें तो इतना शौक नहीं है, हम तो सदन की नेता की सुनने के लिए आए हैं, भिण्डा जी की सुनने के लिए नहीं आए हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपका संरक्षण चाहता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। श्रवण जी की आदत है ऐसी फुलझड़ियां छोड़ने की। बैठो, ये फुलझड़ियां छोड़ देते हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): भिण्डा जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठो प्लीज।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ये किसान हैं इसलिए इनके कारनामे बता रहा हूं। किसान हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। चोरी के मुकदमे लगे, किसानों पर चोरी के वीसीआर के मुकदमे कितने लगाए? 49118 मुकदमे लगाये और पुलिस ने 44554 एफ.आर. लगा दी। झूठे मुकदमे कितने लगाए राजस्थान में? यह तो एक डिस्काम का बता रहा हूं जो इनके टाइम के कारनामे हैं। 49 हजार वीसीआर भरे गए और 45 हजार में एफआर लग गई। यह स्थिति है इनकी। यह मैं रिकार्ड की बात कर रहा हूं, आडिट रिपोर्ट की कर रहा हूं मैं बात।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अभी भी एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख की वीसीआर काटी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: बैठो-बैठो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अभी मैं पहले बोल चुका, माननीय सदस्या जी, अगर समझ में आया तो एक यूनिट पर 1 रुपया 81 पैसा केवल ब्याज के दे रहे हैं, 91 हजार। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, कुछ अनुभव हो जाएगा, 300 करोड़ का घाटा जब बिजली बोर्ड का था तो इस सदन में, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने, कांग्रेस के मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि 300 करोड़ का घाटा मैं सहन नहीं कर सकता, कम्पनी बनाऊंगा, बनाऊंगा, बनाऊंगा, ऐसे बोले थे और उन्हीं के तीन साल के कार्यकाल में 15 हजार करोड़ रुपये का घाटा देकर चले गये बिजली बोर्ड को। जब हमारा शासन आया, हमने केवल 376 करोड़ का घाटा बढ़ाया। इन्होंने फिर उसके बाद में आकर क्या किया कि 61 हजार करोड़ रुपये का घाटा पांच साल में कर दिया।

श्री अध्यक्ष: आप आसन को सम्बोधित कीजिये। इनका-उनका मत कीजिए, आसन को सम्बोधित कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं तो वो जवाब चाहते हैं वो दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि ऐसा घाटा क्यों हुआ। उस पर भी आ रहा हूं क्योंकि बजट की परफार्मेंस की बात है... (व्यवधान) वो ही बता रहा हूं मैं। एक बिन्दु है, यह जो घाटा लगा उसका एक उदाहरण है, मीटर खरीदे गये, दोषपूर्ण मीटर खरीदे गये। (व्यवधान) वो बात ही बता रहा हूं मैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी घोषणा के बावजूद बीकानेर में किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसान वैसे ही बर्बाद हो गया है....

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजें। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई माध्यम नहीं है, आप बैठ जाइये। कोई माध्यम नहीं है, आप बैठ जाइये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, जो अजमेर डिस्काम है उसमें मीटर खरीदे गये एक कम्पनी से। अब इनसे कोई यह पूछे कि ये एक नई स्कीम लाये एफआरपी में। वो सामान कहां है? फिर इनसे पूछें कि मीटर के लिए आपने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाएंगे, उस एक कम्पनी की स्थिति बता रहा हूं कि उन्होंने 3 लाख मीटर का आर्डर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, ये आप सब से हाथ जुड़वाकर ही बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठो आप। श्रवण जी, क्या बात करते हो? बैठो-बैठो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एफआरपी लेकर कौन आया था? यह बीजेपी राज ही तो लेकर आया था।

श्री हीरालाल (निवाई): यह इनके समझ में नहीं आयेगा, आप कोचिंग लो भिण्डा जी से।

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहें, कृपया शांत रहें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, खराब मीटरों की स्थिति यह थी कि सूरजगढ़ वाले एम.एल.ए. आते हैं वहां हाइएस्ट 30.33 प्रतिशत मीटर खराब रहे पूरे पांच साल में। चित्तौड़गढ़ के रहे 32.59 मीटर गड़बड़ रहे, इन्होंने ठीक नहीं किया इसलिए घाटा तो होना ही था। इतना ही नहीं, जो मीटर खरीदे गये, आर्डर दिया गया दो लाख दो हजार का, 21 हजार का और उसके बाद अगले साल दिया गया तीन लाख का, उसके बाद दिया गया एक लाख 78 हजार का। उसमें गारंटी थी कि अगर पांच साल तक खराब हुआ तो वापस लेंगे और जिसकी आयु 6 महीने खराब होने की थी उन मीटरों की संख्या थी....

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को बिजली पर चर्चा है, बिजली पर चर्चा है उस दिन बोल दें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो, आप बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, पता लग गया न जाट क्या चीज होती है।

श्री अध्यक्ष: आप राठौड़ साहब से क्या बात करते हो बार-बार। मिस्टर डोटासरा, बैठो आप, राठौड़ साहब से बात क्यों करते हो बार-बार।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अब मैं सदन की भावना के अनुसार ही शार्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और हैं आपके।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट जब भी चालू हुआ, जिस समय भी चालू हुआ, जिस देश में भी चालू हुआ लेकिन उसकी संकल्पना यही थी कि पार्लियामेंट्री या दूसरे रूप में कहो कि जनता का नियंत्रण बजट पर हो,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सार्वजनिक प्रापर्टी पर हो, सार्वजनिक कोष पर हो। यह इसकी भावना थी। लेकिन आज जो स्थिति बनी है...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): भिण्डा जी, कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं और मीटर लेकर भाग गये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पिछले एक वर्ष में पूंजीगत बजट था उसमें 2716 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष: भिण्डा जी, बोलो आप। बैठो आप। कृपया बैठिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आपके सामने दो निवेदन और करूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब दो नहीं, समय हो रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन स्थगित होने के बाद भिण्डा जी का दो घंटे का ना पक्ष लाबी में स्पीच कराया जाए। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसकी जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल परफार्मेंस पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। परफार्मेंस पर ही मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: सिर्फ आधा मिनट। नो, पहले दे दिया था आपको।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने 2013-14 में 32.94 करोड़ का लोन लिया और लोन किस बात के लिए लिया? आई.टी.आई. के प्रोग्रेस के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उन्नयन के लिए, इनके समझ में तब ही आएगा उन्नयन के लिए। उसमें से इन्होंने 70 परसेंट पैसा खर्च ही नहीं किया। लोन ले लिया, खर्च ही नहीं किया।

अब यह जनता का शोषण नहीं है क्या? ब्याज कौन चुकायेगा? धन्यवाद, साहब, आपको।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की बहस का प्रत्युत्तर दें।

(17.00 बजे)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब यहां औपचारिक रूप से बजट के ऊपर अभी तक जो भाषण वगैरह हुए हैं, डिबेट्स हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने बजट को पारित करने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के लिए इकट्ठा हुए हैं, सब लोग यहां इस सदन में बैठे हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पिछले दिनों के अन्दर अपनी-अपनी चिंताएं और अपनी-अपनी बातें इस सदन के अन्दर रखी हैं और मैं फिर से सब लोगों को बहुत-बहुत अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूं। बहुत सारे अमूल्य सुझाव भी आये, बड़ी इंट्रेस्टिंग डिबेट भी हुई। नौ मार्च को बजट जब मैंने प्रस्तुत किया तो इस बजट के द्वारा राजस्थान का एक नक्शा मैंने बनाने की कोशिश की जिसके अन्दर विकास की एक मजबूत बुनियाद सबको नजर आये और विकास के जो पहिये दिसम्बर, 2008-2013 के बीच में थम गये थे, उनको फिर से गति देने का काम, उनको फिर से दिशा देने का काम, इस बजट के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम हम लोगों ने किया है। अब भले ही प्रतिपक्ष के सब सदस्य सदन से बाहर रहें, परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के साथ-साथ आप लोगों ने भी मन ही मन में इस बजट को सराहा ही होगा। इतने डिफिकल्ट सरकम्स्टांसेज में यह बजट बना है और फिर आखिर में करोगे भी क्यों नहीं क्योंकि हम लोगों ने विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत की, सब समाजों से मुलाकात करने की कोशिश की। जन सामान्य से आन-लाइन सुझाव आमंत्रित किये, उनके ऊपर भी बहुत सारा विचार हुआ और डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर हम लोगों ने पार्टी के लोगों को भी भेजा। उन लोगों से भी, कार्यकर्ताओं से भी डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर भी जिन लोगों ने अपना विचार रखने की बात रखी, उनके विचारों को भी सुनने का काम हम लोगों ने किया। इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन हमारे पास आये, उन सबसे बात करने के बाद हम लोगों ने इस बजट को आपके सामने रखने का काम किया है। इस बजट में हमारी कोशिश यह रही कि सोशल एण्ड इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरीके से मजबूत कर सकें? अपने पैर पर किस तरीके से उसको खड़ा कर सकें? कैसे ठोस कदम उठा सकें? फण्ड्स को किस तरीके से एलोकेट कर सकें ताकि अधिक संतुलन बने और जो परिणाम हम चाहते हैं, उसको किस तरीके से हम प्राप्त करें? यह सुनिश्चित करने के लिए हमने पूरा सारा प्रयास किया है और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हर विभाग के आउट-ले के अन्दर वृद्धि हमने करके दिखाई Despite severe financial constraints और उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूंगी।

पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के अन्दर इस बार 68 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास, जनजाति और अल्पसंख्यक विभाग के अन्दर 10 प्रतिशत हुई है। शिक्षा विभाग

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के अन्दर 16 प्रतिशत है, चिकित्सा विभाग के अन्दर 28 प्रतिशत हुई है और होम के अन्दर बढ़ा ही है, घटा नहीं है। इसके साथ-साथ श्रम और रोजगार के अन्दर 22 प्रतिशत हमने इम्प्रूवमेंट किया है। सूचना-प्रौद्योगिकी के अन्दर 72 प्रतिशत अधिक बजट हमने देकर इस बजट को बनाने की बात रखी है। एमएसएमई और स्माल इण्डस्ट्रीज वगैरह, इन सबके अन्दर और मैं यह भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि 2003-2008 के अन्दर एमएसएमई का स्पेशल मेंशन कराकर उनके लिए एक अलग से पालिसी बनाने का काम हमारी सरकार ने तब किया था। पिछले पांच साल के अन्दर उसमें कोई बदलाव तो आया नहीं और इस बजट के अन्दर मैंने पूरा पोर्शन एमएसएमई के लिए अलग से दिया ताकि यह जो सैक्टर है, जो पूरी तरह से नैग्लैक्ट हुआ है पिछले पांच सालों के अन्दर, इनका उत्थान हम लोग मिलकर कर सकें।

इसके साथ-साथ मैं हमारे माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहूंगी कि यह तो बहुत अच्छा रहता, अगर हमारे प्रतिपक्ष के सब जन बजट की सामान्य बहस के अन्दर इस हाउस के अन्दर उपस्थित रहते क्योंकि जनता भी प्रतिपक्ष से कुछ अपेक्षा रखती है। डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखते हुए यह भी लोग सोचते हैं कि अपोजिशन से भी हमको कुछ फायदा मिलेगा। अपेक्षा यह करती है कि विपक्ष सरकार को कुछ अच्छे-अच्छे, सकारात्मक सुझाव देगी। यह अपेक्षा करती है कि हमारे क्षेत्र से जहां से इलैक्ट होकर आये हैं, उस क्षेत्र को और उसकी बात को आगे रखेंगे और इनका विकास का विजन क्या है, उस विजन को विधान सभा के अन्दर लाने का काम करेंगे। ये अपने विजन को सबके सामने रखेंगे और सरकार को भी उसके बारे में जताने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले राज्य में बहुत ही भयंकर ओलावृष्टि हुई है। हम सब चिंतित थे। किसानों की फसल को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। कई लोगों की जान भी गई। बहुत सारे मवेशी मारे गये। कच्चे-पक्के घर थे, वे भी क्षतिग्रस्त हुए और आज मैं उन लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूं, जिन लोगों ने ऐसे संकट की घड़ी में साथ मिलकर किसानों की सहायता की। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिन्होंने अपने एक दिन का वेतन इस बहुत बड़ी त्रासदी के लिए दिया। विधायकों को और सांसदों को, जिन्होंने एक महीने का अपना वेतन इसके लिए दिया है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के सब जिला प्रमुख और प्रधान, जिन्होंने अपने एक महीने का मानदेय भी इसके लिए दिया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पिछले पांच-सात दिन के अन्दर जिस तरीके से हमने काम करने की कोशिश की। हम दिखाना चाहते थे कि संवेदनशील सरकार है, जनता की बात को समझती है, किसान के आंसू पोंछने के लिए पूरी तरह से आगे चलने के लिए तैयार है और उसको ध्यान में रखकर ही एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर ही हमने कई काम कर लिये। जिला कलक्टर्स और अधिकारियों से बात हुई। विधान सभा के अन्दर हमने पैकेज घोषित किया और सब विधायक यहां से अपने-अपने क्षेत्रों में गये, किसानों से मिले और जो नुकसान था, उसको देखने का भी उनको एक मौका मिला। मैं भी क्षेत्र के अन्दर गई। उसके साथ-साथ केन्द्र से केन्द्र के मंत्री आये, उन लोगों ने भी जायजा किया। क्या प्राकृतिक विपदा हुई है, कहां-कहां नुकसान हुआ है। उसका भी उन्होंने पूरी तरह से जायजा किया। यह जो आपदा हुई थी, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर हम लोगों ने भी केन्द्र सरकार को भेज दिया है और यह मैं समझती हूं कि एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, उसके अन्दर-अन्दर ही हम लोगों ने यह काम किया। यह मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि मेहनत में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी।

हमने कोशिश यह की कि जो पैकेज 2007-2008 के अन्दर हमने बनाया था और जिस पैकेज के अन्दर कोई एडिशनलिटी पिछले पांच साल के अन्दर नहीं हुई, उसमें हम कुछ और चीजें ऐसी जोड़ दें जिससे किसानों को और मदद हो जाये। हमने यह प्रयास किया कि उनको भी जाकर हम लोग बांटें, मिलकर बांटें और उसके लिए हम लोग क्षेत्र में भी गये। परन्तु जिन लोगों को राजनीति की आदत है, उसके बारे में अपन लोग क्या कर सकते हैं। इसको तो हाउस में भी देखने का मौका मिलेगा, बाहर भी देखने का मौका मिलेगा। परन्तु हमारा काम तो हम लोग करते रहेंगे। इसीलिए प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हमने विधायक कोष के अन्दर भी रिलैक्सेशन दिया है। अब विधायक कोष से आप सब लोग 20 लाख रुपये या इससे अधिक अगर आप लोग मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष के अन्दर जमा कराना चाहते हो तो वह भी आप आराम से कर सकते हो। इस पैसे को घोषित पैकेज के अलावा आपके क्षेत्र के राहत कार्य में हम उपयोग में लेंगे। उसको अगर कोष में डालोगे तो वह तुरन्त ही आपके क्षेत्र के अन्दर उपयोग हो सकेगा। ऐसी भी स्थिति हमने बनाने की कोशिश की है।

साथ में सांसद लोग भी 50-50 लाख रुपये राहत कार्य के अन्दर आपदा प्रभावित क्षेत्र के अन्दर वह करवा सकते हैं। उसका भी हम लोगों ने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इंतजाम करवाया है। इतना सब कुछ बजट के अन्दर लाने के बाद भी और यह जैसा मैं बार-बार कहती हूं कि कितने सारे फाइनेंशल कन्सट्रेंन्ट्स होने के बावजूद भी मुझे इस बात का एहसास है कि आपकी सबकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और हमने इस बजट के अन्दर इन सबकी जो अपेक्षाएं हैं, उनको लाने की कोशिश की है जबकि हमारा यह सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद जितना था, उसको हमने सबके सामने पेश करने की कोशिश की है और आप सबने इस बजट को सराहा भी है। फिर भी कुछ ऐसे बिन्दु रह जाते हैं, जिनको मैं मानती हूं कि जिसके ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है।

सबसे पहले न्याय प्रशासन के अन्दर लम्बित प्रकरणों में जल्दी-जल्दी निस्तारण के लिए पाली, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, आबू रोड जिला सिरोही, मेड़ता जिला नागौर, तिजारा जिला अलवर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़ और सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय खोले जायेंगे। साथ ही बाड़मेर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भी खोले जायेंगे।

राज्य में जिन क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि बार-बार सब लोगों ने बात की है और यह बात हम लोग समझते भी हैं अच्छे तरीके से। यह कोई नई बात भी नहीं है कि आज हो रहा है...

पिछले कई सालों से डाक्टर्स की कमी अखरती है और इसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात की तो एक नया प्रयोग हम लोगों ने सोचा है कि इस क्षेत्र के अन्दर हम लोग आमजन की सुविधा के लिए प्रस्तुत करें। तो क्षेत्र के अन्दर एक गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हैल्थ रूट्स स्कीम, यह लागू हम लोग करेंगे जिसमें एक निश्चित समय में दिनांक और रूट पर वाहन जाएगा और रोगियों का सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार करके उनके मूल स्थान पर वाहन द्वारा फिर वापिस उनको छोड़ा जाएगा। यह योजना पायलट बेसिस पर हम पहले एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो पायलट बेसिस पर एक चयनित जिले में इसको प्रारम्भ करेंगे।

वर्ष 2015-16 में आमेर का किला, हवामहल, उदयपुर के सिटी पैलेस और कुंभलगढ़ के किले की थ्री-डी मैपिंग की जाएगी। जो हमको आगे चलकर के टूरिज्म क्षेत्र के अन्दर यूजफुल रहेगा। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संघटक आयुर्वेद महाविद्यालय में 2 नए विषय पंचकर्म, स्त्री और प्रसूति रोग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। वन और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पर्यावरण के अन्दर पिछले वर्षों में यह देखरेख और संरक्षण के लिए वर्क फोर्स की कमी हम लोग सबको महसूस हो रही है। इसको देखते हुए वन विभाग में वन रक्षक के 500 नवीन पद के सृजन की मैं घोषणा करती हूं और अलवर जिले में और जयपुर जिले में बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण उद्यमियों की सुविधा और ईज आफ डूइंग बिजनस को प्रोत्साहित करने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दो नए क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी जिला अलवर और जयपुर के अन्दर हम खोलेंगे।

राज्य की पुरानी सिंचाई परियोजनाओं में लम्बे समय से जीर्णोद्धार के लिए राशि का आबंटन नहीं होने की वजह से आज वे काफी खराब स्थिति में हैं। इस कारण ऐसी पुरानी सिंचाई परियोजनाओं का पूर्ण लाभ राज्य के किसानों को नहीं मिल पा रहा है और इसी क्रम में यह घोषणा है कि भीलवाड़ा जिले के उम्मेद सागर, अरवर और नाहर सागर सिंचाई परियोजनाओं को ये बांध के रखरखाव, सुदृढ़ीकरण और नहरों के जीर्णोद्धार और स्ट्रक्चर्स की मरम्मत के कार्य के लिए वर्ष 2015-16 में दस करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इन कार्यों को किए जाने से किसान को खास तौर पर टेल पर जो किसान हैं, उनको कुछ लाभ मिलेगा।

राज्य में बे-मौसम बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि से रबी की फसल और गेहूं, जौ, चना, सरसों, धनिया, ईसबग़ोल इन सब में अत्यधिक खराबा होने से प्रदेश के किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है। तो किसान की इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें राहत प्रदान करने के लिए 31.3.2014 तक का बकाया आबियाना शुल्क राशि जो दिनांक 30.6.2015 तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिए जाने की हम घोषणा करते हैं। इसी की निरन्तरता में दिनांक 01.07.2015 से 31.7.2015 तक जो बकाया राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर 75 प्रतिशत की, दिनांक 1.8.2015 से 31.8.2015 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर 50 प्रतिशत की तथा 1.9.2015 से 30.9.2015 के मध्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर जो दण्डनीय दर है या ब्याज राशि है, उसमें 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

जब गत बजट भाषण में हमने अनुसूचित क्षेत्र में एक नई खनन नीति लाने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने इस नीति को तैयार कर लिया है और इसे आगामी वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाएगा और इस नीति में कुछ निम्न प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए हैं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के तहत राजकीय भूमि में चिह्नित प्लाट के एक तिहाई खनन पट्टे या क्वारी लाइसेंस स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित किए जाएंगे और अगर किसी भी प्लाट पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए तो लाटरी के माध्यम से इनको आबंटित किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में खनिज, बजरी के पचास हैक्टेयर क्षेत्र के चिह्नित प्लाट को निविदा के माध्यम से आबंटित किया जाएगा। जिसमें उसी क्षेत्र की पंजीकृत अनुसूचित जनजाति की सोसाइटी के द्वारा आवेदन करने पर उसे खनन पट्टा आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

अब गत सरकार द्वारा पोटाश एण्ड स्टील ग्रिड डोलामाइट के खनन राजकीय उपक्रम के लिए आरक्षित करके एक रेस्ट्रिक्टिव नीति लागू की गयी थी जिससे उक्त खनिजों का एक भी खनन पट्टा अनुदान नहीं हुआ। खनन स्टील ग्रिड डोलामाइट के लगभग 250 मिलियन टन भण्डार जोधपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा और उदयपुर में उपलब्ध हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू इनमें पोटाश के 2476 मिलियन टन भण्डार 500 से 750 मीटर की गहराई पर प्रमाणित हैं। सो खनिज विकास और राजस्व को ध्यान में रखते हुए मैं खनिज पोटाश के खनन पट्टे और राजकीय भूमि में खनिज स्टील ग्रिड डोलामाइट के खनन पट्टे नीलामी के माध्यम से जारी करने की घोषणा करती हूं।

वर्तमान में आठवीं पास और दसवीं पास करने के बाद बच्चे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश ले लेते हैं और वहां पर दो साल के सफल प्रशिक्षण के बाद वो तकनीकी रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और मैंने आठवीं पास बच्चे को दसवीं पास का प्रमाण पत्र और दसवीं पास बच्चे को बारहवीं पास का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु समानीकरण या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत आठवीं और दसवीं के बाद आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को केवल हिन्दी और अंग्रेजी विषयों में आयोजित परीक्षा पास करने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्रमश: दसवीं और बारहवीं के प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेंगे। इस व्यवस्था से आईटीआई के पास करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अन्य विकल्प भी खुल सकेंगे और उच्च और तकनीकी शिक्षा को भी नई दिशा मिलेगी। रानी, जिला पाली और श्रीमाधोपुर जिला सीकर में एक-एक नए आईटीआई खोले जाने की मैं घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

देवस्थान विभाग के अन्दर इस वर्ष मंदिर श्री रूपनारायणजी सैवंत्री, राजसमंद, श्री वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, श्री गोटिया अम्बा महादेवजी, बांसवाड़ा, श्री मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, श्री चौथ माता मंदिर, सवाई माधोपुर, श्री बिहारीजी मंदिर, भरतपुर, श्री डिग्गी कल्याणजी, मालपुरा टोंक, श्री राजराजेश्वरी, टोंक, तीर्थगुरू पुष्कर राज अजमेर यानी कंप्लीशन आफ बूढा पुष्कर, श्री रामदेवरा जैसलमेर, श्री केशवरायजी का मंदिर, जो केशवरायटन में है, श्री झरनेश्वर मंदिर, झालावाड़ में, श्री नागणेचा मंदिर, बाड़मेर, श्री नागणेची मंदिर, बीकानेर में और इन सबका जीर्णोद्धार और विकास कार्य आरम्भ करेंगे। इसके साथ-साथ चारभुजा जी भी, उनका भी जीर्णोद्धार का काम चालू होगा इस साल। झुन्झुनूं जिले के अन्दर हिन्दू और मुसलमान समुदाय के जो आस्था के प्रतीक हैं नरहर दरगाह, इसके विकास और सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा और साथ में गोगामेढ़ी के बारे में भी पिछली बार हम लोगों ने व्यवस्था करने की कोशिश की थी, वहां पैनोरमा भी बनाया था। इस बार भी हम लोगों ने उसकी पूरी मैपिंग की है और मैपिंग करने के बाद उसको अच्छी तरह से डवलप करने का प्लान हाथ में लेकर अगले एक, डेढ़, दो साल के अन्दर उसको पूरा करने की हमारी व्यवस्था बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे अथक प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में जो निरस्त किए गए थे पारसा ईस्ट एण्ड कैंते बेसन जो कोल ब्लाक्स में हैं, को केन्द्र सरकार ने फिर से राजस्थान राज्य को आबंटित कर दिया है। इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी और आप सब लोग जानते हैं कि इसके अतिरिक्त एक नया कोल ब्लाक वह भी मिला है हमको पारसा कैंते जो राज्य को आबंटित कर दिया गया है। इन कोल ब्लाक के आबंटन से वर्तमान में जो चल रहे थे 250 बाई 250 मेगावाट छबड़ा स्थित दो इकाइयां 600x600 मेगावाट की कालीसिंध में दो इकाइयों को कोयले की आपूर्ति अब हम लोग सुचारु रूप से कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में आने वाले जो सुपर क्रिटिकल टैक्निक पर आधारित 660x660 मेगावाट की छबड़ा और दो इकाइयां 660x660 मेगावाट की सूरतगढ़ ये दोनों इकाइयों को भी कोयले की आपूर्ति अब सुनिश्चित हो गई है, तो अब हमको वहां भी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पिछली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय कुप्रबंधन की जितनी भी निंदा की जाए, उतनी ही कम है। बढ़ते घाटे के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कारण वितरण कम्पनियों का जो अडिट करवाया जाना आवश्यक अब हो गया है। सो मैं प्रस्तावित कर रही हूं कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का एक्सपेंडीचर आडिट और रेवेन्यू आडिट समयबद्ध रूप से अब करवाया जाएगा। साथ में इस आडिट के फलस्वरूप पाए जाने वाली अनियमिताएं जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध सख्त डिसिप्लेनरी एक्शन लेने की जरूरत है, वह ली जाएगी।

साथ ही विद्युत निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम भी हम लोग प्रारम्भ करने जा रहे हैं। विद्युत वितरण में हो रही छीजत हम सबके लिए चिंताजनक है और उसको किस तरीके से कम किया जाए उसको कम करने के लिए एक समग्र योजना बनाई जा रही है जिसके तहत उपखंडवार और फीडरवार एनर्जी आडिट भी लगातार की जाएगी और अधिक छीजत वाले क्षेत्रों में आवश्यक सुधार के लिए विशेष कदम उठाये जाएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूं कि हमें संयुक्त रूप से, क्योंकि ये प्रोब्लम हमारी एक अकेले की नहीं है ये पूरे प्रदेश की है और हम सबकी है और जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम लोगों को तो राज्य हित के बारे में बात करनी है, राज्य हित के बारे में सोचना है न कि खाली पार्टी हित में, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज के ऊपर हम सब लोगों को मिल कर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कैसे उसको कम कर सकते हैं इसके लिए पूरी तरह से हम लोगों को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में किसान से वर्तमान में दो हजार रुपये प्रति हार्स पावर कम्पाउंडिंग चार्जेज लिया जाता है। मैं कम्पाउंडिंग चार्जेज को कम करते हुए दस हार्स पावर तक की मोटर पर दो हजार रुपये प्रति हार्स पावर की जगह एक हजार रुपये प्रति हॉर्स पॉवर करती हूं और फिर दस हार्स पावर से अधिक भार वाली मोटर होने पर प्रथम दस हार्स पावर पर हजार रुपये प्रति हार्स पावर और फिर शेष हार्स पावर पर पाँच सौ रुपये प्रति हार्स पावर किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। अब इसका मतलब यह हुआ, इसको नीचे लाने का मतलब यह हुआ कि हम सबसे बातचीत करेंगे और मेरा यह विश्वास है कि मैं आप सबके ऊपर ये छोड़ रही हूं कि इसको जितना कम कर सकते हैं, जो यूजर्स हैं वो भी अगर उसको कम करने के लिए पूरी तरह से लग जाएंगे तो इसका फायदा हम सबको मिलेगा, किसी को नुकसान नहीं होगा और राजस्थान के पावर की सिचुएशन फिर से सशक्त हो जाएगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगी कि वीसीआर के प्रकरणों में सिविल लायबिलिटी रैगुलेटरी आथोरिटी द्वारा निर्धारित की जाती है और मैं घोषणा करती हूं कि वितरण निगमों द्वारा इसे कम करने के लिए विनियामक आयोग को याचिका प्रस्तुत की जाएगी और सिविल लायबिलिटी की राशि में कमी, ताकि इसमें हम लोग कमी ला सकें। यह अपेक्षा भी की जाती है कि इस व्यवस्था से वीसीआर के प्रकरणों में न केवल कमी आएगी, अपितु किसान भी खुद ही समय पर अपने विद्युत बिल की राशि भी जमा करायेंगे और अधिक से अधिक काश्तकारों को विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। मुझे जनप्रतिनिधियों व किसानों द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि कई किसान कुछ कारणवश कृषि कनेक्शन हेतु मांग राशि जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी पत्रावलियों को निरस्त कर दिया गया। अप्रैल, 2013 से पूर्व जारी मांग पत्रों की राशि जमा नहीं करने वाले किसानों को मांग राशि जमा कराने का एक अवसर पूर्व में दिया जा चुका है। ऐसे सभी कृषि आवेदकों के मांग पत्र जो 1 अप्रैल, 2013 एवं इसके बाद जारी किये गये हैं और मांग पत्र निर्धारित नब्बे दिन की अवधि में जमा न करने के कारण जिनकी पत्रावलियां निरस्त हो गयी हैं उन्हें दिनांक 15 मई, 2015 तक मांग पत्र की राशि जमा कराने का एक और अवसर देने की मैं अब घोषणा करती हूं।

बूंद-बूंद फव्वारा और डिग्गी सिंचाई योजना के अन्तर्गत 31 अक्टूबर, 2014 तक जो जमा आवेदन को कनेक्शन देने की कार्यवाही चल रही है उसमें 31 मार्च, 2015 तक प्राप्त ऐसे सभी आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में कनेक्शन जारी किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

मैंने अपने कर प्रस्तावों में जैम्स एंड स्टोन्स एवं सर्राफा डीलर्स के लिए कम्पोजिशन राशि की दर को 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित किया था। इस उद्योग द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए कम्पोजिशन की दर को 0.75 की दर से घटा कर 0.50 प्रतिशत करने की मैं घोषणा करती हूं।

मनोहरथाना जिला झालावाड़, ओसियां जिला जोधपुर, महुआ जिला दौसा, सुमेरपुर जिला पाली, खण्डार जिला सवाई माधोपुर में नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। साथ ही जालौर राजकीय कन्या महाविद्यालय में भूगोल संकाय खोले जाने की मैं घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दिनांक 1 जनवरी, 2004 तथा उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों हेतु जारी किये जा रहे मेडिक्लेम पालिसी के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा राजकीय एवं अनुमोदित चिकित्सालयों में चिकित्सा प्राप्त करने पर वर्तमान में अधिकतम दो लाख रुपये तक के दावों का पुनर्भरण किया जाता है, इस राशि को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की मैं घोषणा करती हूं।

1 अप्रैल, 2012 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक के किसी कालावधि के लिए रहा हो, को सात हजार पांच सौ रुपये पेन्शन दिये जाने का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2015 से पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाने की मैं घोषणा करती हूं। इसके साथ ही माननीय सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में अपनी कालावधि में मिलने वाले चालीस हजार रुपये प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर पचास हजार रुपये प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करती हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पशुधन के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस परिस्थिति से हम सब पूरे वाकिफ हैं। इस बारे में संवेदनशील भी हैं और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान जरूर करेंगे।

आखिर में मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ये बजट है इक्कीसवीं सदी के आधुनिक राजस्थान की नींव रखने वाला, नौजवान को रोजगार देने वाला, डिजीटल राजस्थान बनाने वाला, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने वाला, शिक्षा को नयी दिशा और गति देने वाला, किसानों को समृद्ध बनाने वाला, जल संसाधनों को नयी सोच के साथ विकसित करने वाला, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, हताशा और निराशा को दूर करने वाला, आशा और विकास का संचार करने वाला, सबका साथ देने वाला एक सशक्त और स्वाभिमानी राजस्थान का निर्माण करने वाला एक ऐसा बजट आपके सामने हमने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है इसके साथ ही सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि इस बजट में आप सब लोगों का साथ रहेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक पर खण्डश: विचार।

खण्ड – 2 एवं 3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड – 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड – 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड – 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड – 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड – 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 पर खण्डश: विचार।

खण्ड – 2 से 13 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड – 2 से 13 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड—2 से 13 स्वीकार किये गये।

खण्ड – 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड – 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड—1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

अब आप इसको पारित किये जाने का प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: दूसरे का भी कर दीजिये आप।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब आज इतनी बढ़िया घोषणाएं हुई हैं विधायकों के लिये, भूतपूर्व विधायकों के लिये इसलिए अब इस पर कोई बोलने की आवश्यकता तो है नहीं इसलिए मैं आप सबके सामने प्रश्न रख देता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 27 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

मेरी ओर से एवं भूतपूर्व विधायकों एवं वर्तमान विधायकों की ओर से भी आपको बहुत धन्यवाद।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.31 बजे शुक्रवार दिनांक 27 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में श्रमिकों हेतु नि:शुल्क साइकल योजना का पुन: संचालन

386. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्रदेश में श्रमिकों के लिए "नि:शुल्क साइकल वितरण (वाउचर) योजना'' संचालित की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना के क्या मानदण्ड निर्धारित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में प्रदेश के कितने श्रमिकों ने अपना पंजीकरण करवाया तथा उनमें से कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना को 31 मार्च, 2014 के बाद बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जनहित की उक्त योजना को श्रमिकों के लिए पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हिताधिकारियों के लिए दिनांक 27.11.2012 को अधिसूचित कर क्रियान्वित की गई थी। उक्त योजना में पात्रता के निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित हैं :-

1. प्रत्येक निर्माण श्रमिक का भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी होना आवश्यक है।
2. उक्त हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का पंजीयन की दिनांक से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक मण्डल का हिताधिकारी होना आवश्यक है।
3. हिताधिकारी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण योजनावार नहीं होकर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल में दिनांक 31.3.2013 तक 2,13,748 निर्माण श्रमिक पंजीकृत थे जिन्हें साइकिल वितरण योजना के साथ-साथ पात्रतानुसार सभी योजनाओं का लाभ देय था। दिनांक 31.1.2015 तक प्रदेश में 40865 पंजीकृत हिताधिकारियों को साइकिल सहायता से लाभान्वित किया गया है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। साइकिल सहायता योजना वर्ष 2012-13 में अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीयन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। उक्त योजना के प्रारम्भिक चरण में ऐसे हिताधिकारी जिनके द्वारा फरवरी, 2012 तक पंजीयन कराया गया था, उन्हें ही इस योजना के अन्तर्गत साइकिल दी जानी थी। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की 14वीं बैठक में उक्त योजना को आगामी वित्त वर्ष 2013-14 में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक का कार्यवाही वृतान्त परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है। अत: ऐसे हिताधिकारी, जो दिनांक 31.3.2014 तक पंजीयन की एक वर्ष की अवधि को पूर्ण कर चुके हैं, उनको वर्तमान में भी साईकिल सहायता का लाभ दिया जा रहा है। दिनांक 31.3.2014 के बाद मण्डल द्वारा योजना को नहीं बढ़ाया गया है।

(4) जी नहीं। साइकिल सहायता योजना वर्ष 2012-13 के लिए अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीयन हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भ की गई थी जिसकी अवधि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की 14वीं बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एक वर्ष के लिए और बढ़ाई गई थी। दिनांक 31.3.2014 के बाद आगामी अवधि के लिए योजना को लागू करने का निर्णय मण्डल की बैठक में ही लिया जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले की तहसीलों में वाहन चालकों के अभाव में अनुपयोगी वाहन

387. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सुशील कटारा)

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में विभिन्न तहसीलों के तहसीलदारों के लिए वाहन उपलब्ध हैं। लेकिन वाहन चालक के अभाव में गत एक वर्ष से उक्त वाहन अनुपयोगी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वाहनों के अभाव में गत वित्तीय वर्ष में तहसीलदारों ने क्षेत्र में भ्रमण किस आधार पर किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला डूंगरपुर में कुल 9 तहसील कार्यालय हैं एवं सभी तहसील कार्यालयों हेतु वाहन स्वीकृत हैं।

तहसील कार्यालयों हेतु इस जिले में कुल 7 पद स्वीकृत हैं, जिस पर 2 वाहन चालक कार्य कर रहे हैं एवं 5 पद रिक्त हैं।

तहसील कार्यालय चीखली एवं गलियाकोट में वाहन चालक के पद सृजित नहीं हैं।

तहसीलदार झोथरीपाल द्वारा वाहन का उपयोग वाहन चालक नहीं होने से नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपने निजी संसाधन से भ्रमण कार्य किया है। शेष अन्य तहसीलदारों द्वारा अपने स्तर से वाहन चालकों की व्यवस्था कर वाहनों का संचालन किया गया है।

(2) तहसीलदार डूंगरपुर एवं सीमलवाडा द्वारा राजकीय वाहन से भ्रमण कार्य किया गया है।

शेष उत्तर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार है।

प्रदेश के जनजाति बाहुल्य राजस्व ग्रामों को माडा योजना में सम्मिलित करने के मानदण्ड

388. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार जनजाति बाहुल्य पिछडे एवं अविकसित राजस्व गांवों को माडा योजना में स्थापित कर उन गांवों तथा वहीं की जनजाति आबादी के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वहां का विकास करती है? यदि हां, तो 'माडा' योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(2) क्या सरकार उक्त मानदण्डानुसार निम्बाहेड़ा तहसील के जनजाति बाहुल्य राजस्व गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार जनजाति बाहुल्य, पिछड़े एवं अविकसित राजस्व गांवों, जिन्हें जनगणना कोड प्राप्त हो गये है, को माड़ा योजना में स्थापित कर उन गांवों तथा वही की जनजाति आबादी के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वहां का विकास करती है।

माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार ने मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार को अधिसूचित किये जाने के पश्चात माडा क्षेत्र के विस्तार की कार्रवाई निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की जायेगी।

परिशिष्ट 'अ'

लघु खण्डों के गठन के सम्बन्ध में भारत सरकार से निम्न गाईड लाइन्स प्राप्त हुईः-

1. प्रत्येक लघु खण्ड में 10,000 से कम आबादी नहीं होनी चाहिये।
2. सम्मिलित ग्रामों की कुल आबादी का 50 प्रतिशत जनजाति की आबादी होनी चाहिये।
3. लघु खण्ड की सीमायें एक ही जिले में होना आवश्यक है।
4. ग्रामों की सीमाओं में निरन्तरता होना आवश्यक है।
5. लघु खण्ड के ग्रामों के बीच के सभी ग्रामों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
6. लघु खण्ड के ग्रामों की जनंसख्या एवं सीमायें सेन्सस 2011 के अनुसार होना आवश्यक है।
7. ग्रामों में निरन्तरता बनाये रखने के लिये एक या दो ग्राम जिनमें 50 प्रतिशत से कम जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं, को सम्मिलित किये जा सकते है, परन्तु इससे अधिक नहीं है।
8. लघु खण्ड की सीमा पर स्थित प्रत्येक ग्राम की जनजाति की आबादी का 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

जोधपुर शहर के बढ़ते भू-जल की रोकथाम हेतु कार्य योजना

389. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में गत कितने वर्षों से भू-जल का स्तर बढ़ रहा है और इससे जोधपुर शहर का कौन-कौनसा भाग अधिक व कौन-कौनसा भाग कम प्रभावित हो रहा है? सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने जोधपुर शहर में बढ़ते हुए भू-जल को रोकने हेतु कब से कितने स्थानों पर पम्पिंग से पानी निकालने का कार्य प्रारम्भ किया है? क्या इससे भू-जल स्तर बढ़ा या कम हुआ है और उक्त कार्य पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर की समस्या का चिन्हीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1998 में किया गया। इस समस्या से जोधपुर शहर में परकोटे के अन्दर पुराने शहर, पावटा, लक्ष्मी नगर, महामन्दिर, बी.जे.एस. कालोनी, राईका बाग, रातानाड़ा क्षेत्र एवं सरदारपुरा नेहरू पार्क के आस-पास का क्षेत्र इत्यादि अधिक रूप से तथा शहर के बाहरी भाग में डिफेन्स लैब, पांच बत्ती, एयर फोर्स क्षेत्र, रिक्तिया भैरूजी से न्यू कैम्पस, न्यू पावर हाउस, शास्त्री नगर, मेडिकल कालेज, देवनगर, काजरी पाल रोड, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, भदासिया, मगरा-पुंजला इत्यांदि कम रूप से प्रभावित हैं।

इस समस्या के निराकरण के लिये (अ) विभाग द्वारा वर्तमान में 89 भू-जल स्रोतों (कुएं, नलकूप व बावड़ी) से प्रतिदिन औसतन 30 मिलियन लीटर पानी निकाला जाकर 14 मिलियन लीटर पानी पेयजल के अतिरिक्त उपयोग (मय आर्मी व बी.एस.एफ. को आपूर्ति), 8 मिलियन लीटर पानी उद्यानों हेतु तथा शेष 8 मिलियन लीटर पानी सीवर/नालों में प्रवाहित किया जा रहा है। (ब) एन.आई.एच., रूड़की व एन.जी.आर.आई., हैदराबाद द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार शहर में वर्तमान में एकान्तरे पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर के नियंत्रण हेतु प्रभावी क्षेत्रों को चार जोन क्रमश: खरबूजा बावड़ी, बाईजी का तालाब, फतेहसागर एवं लक्ष्मीनगर-महामंदिर में विभक्त कर विभाग द्वारा माह अप्रैल, 2009 से 89

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

स्थानों से भू-जल की पम्पिंग की जा रही है । पम्पिंग के प्रभाव से तीन जोन खरबूजा बावड़ी, बाईजी का तालाब, फतेहसागर में क्रमश: 0.49 मीटर, 3.08 मीटर एवं 0.97 मीटर की गिरावट आंकी गई है । लक्ष्मीनगर-महामंदिर जोन में भू-जल स्तर में 0.74 मीटर की बढ़ोतरी पाई जाने के कारण विभाग द्वारा इस जोन में 7 नये अतिरिक्त नलकूपों का वेधन कार्य कराया गया है । इन नलकूपों को माह अप्रैल, 2015 में चालू करने के उपरान्त इस जोन में भू-जल स्तर में गिरावट का आंकलन किया जायेगा ।

शहर में भू-जल निकासी के कार्य (स्रोत निर्माण, पम्पिंग मशीनरी की स्थापना, विद्युत व्यय, संचालन एवं संधारण कार्य इत्यादि) पर माह अप्रैल, 2009 से माह फरवरी, 2015 तक रुपये 1396.55 लाख की राशि व्यय हो चुकी है।

श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पंजाबी अध्यापकों की नियुक्ति

390. **श्री गुरजण्ट सिंह** (सादुलशहर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 हेतु श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में कितने-कितने पद पंजाबी विषय हेतु विज्ञापित किये गये?

(2) उक्त विज्ञापित पदों में से कितने पदों पर अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले में पंजाबी विषय के अध्यापकों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है?

(4) हनुमानगढ़ जिले की तृतीय श्रेणी पंजाबी विषय भर्ती परीक्षा 2012 के परीक्षा परिणाम रोके जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार पंजाबी विषय के अध्यापकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 हेतु पंजाबी विषय के श्रीगंगानगर जिले में 136 पद एवं हनुमानगढ़ जिले में 85 पद विज्ञापित किये गये थे।

(2) राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक के

(पंचायती राज मंत्री)

सम्बन्ध में एसएलपी संख्या 23178-23182/2013 उनवानी विकास कुमार सांखला व अन्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2013 के द्वारा यथास्थिति के निर्देश होने के कारण पंजाबी विषय के कुल 221 पदों का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है।

(3) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 6235/2012 सुखदीप सिंह व अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य तथा 6236/2012 उनवानी लखवीर सिंह एवं अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य में तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पंजाबी विषय का परिणाम घोषित करने पर दिनांक 28.6.2012 को स्थगन आदेश दिया जाने के कारण इस विषय के लिये जिला परिषद हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर द्वारा विज्ञापित क्रमश: 85 एवं 136 कुल 221 पदों के लिये चयन की कार्यवाही नहीं हुई हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6.11.2013 को उक्त याचिकाओं की अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक 23.11.2013 से पूर्व उक्त परीक्षा का परिणाम जारी किये जाने के निर्देश दिये थे परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक के सम्बन्ध में दायर एस.एल.पी. 23178-23182/2013 उनवानी विकास कुमार सांखला व अन्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य में दिनांक 12.11.13 को पारित यथास्थिति के आदेश के कारण पंजाबी विषय के कुल 221 पदों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति के निर्देशों के कारण पंजाबी विषय का परिणाम जारी नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त यथास्थिति के निर्देश हटने पर पंजाबी विषय के उक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में आउटपुट परफोरमेंस आधारित सड़क योजना

391. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में आउटपुट परफोरमेंस आधारित सड़क योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2) क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त पायलट प्रोजेक्ट में अलवर जिले को भी शामिल किया गया है?

(3) उक्त योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत अलवर जिले में क्या-क्या कार्य करवाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आउटपुट एण्ड परफोरमेंस आधारित सड़क योजना के तहत सभी जिलों की डी.पी.आर. तैयार करवाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलवर व धौलपुर जिलों में यह योजना 2015-16 से लागू करना प्रस्तावित है। सभी जिलों के लिये आठ वर्षों के लिये राशि रु. 36956 करोड़ की आवश्यकता होगी। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त योजना में अलवर एवं धौलपुर जिलों को पायलेट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस हेतु दिनांक 12.03.2015 को दोनों जिलों में निविदाएं खोली जानी थीं, परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।

(3) पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अलवर जिले में 8 वर्षों के दौरान सड़क मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सुधारीकरण, आपातकालीन कार्य एवं सी.डी. कार्य कराये जाने का प्रावधान है। अलवर जिले में किये जाने वाले कार्यों की अनुमानित लागत 1757.73 करोड़ है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले में कृषि आधारित योजनाओं के लिए आफ लाइन आवेदन

392. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि कृषि आधारित योजनाओं का लाभ लेने हेतु आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया गया है? क्या यह भी सही है कि जनजाति व दूरस्थ क्षेत्र में आज भी आवेदन की आनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है? उक्त सुविधा के अभाव में कृषक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? क्या सरकार जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के कृषकों के हित में उक्त योजनाओं में

(श्री देवेन्द्र कटारा)

आफलाइन आवेदन करने की सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सोलर पम्प सैट व ग्रीन हाउस पर कृषक हिस्सा राशि अधिक होने से जिले के गरीब कृषक लाभान्वित नहीं हो रहे हैं? क्या सरकार जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के कृषकों को सहायता हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के परिपत्र क्रमांक F5(725)/DoIT/Tech/13/I/10501/2013 दिनांक 20.08.2013 द्वारा पांच विभागों की 26 सेवाओं हेतु आनलाइन आवेदन अनिवार्य किया गया है। इनमें कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं भी सम्मिलित हैं। कृषक एस.एस.डी.जी. पोर्टल पर राज्य के किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकता है। जिला डूंगरपूर में वर्तमान में 451 ई-मित्र कियोस्क कार्यरत हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा इन योजनाओं के आफलाइन आवेदन पत्र लेने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों पर कृषकों को केन्द्र सरकार (एमएनआरई) द्वारा एसी सौर पम्प संयंत्र पर 32,400 रु. प्रति एचपी व डीसी सौर पम्प संयंत्र पर 40,500 रु. प्रति एच पी अनुदान देय है जो कि आधार दर का लगभग 30 प्रतिशत है।

राज्य योजना से सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों पर कृषकों को आधार दर का 40 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार कुल देय अनुदान आधार दर का लगभग 70 प्रतिशत है।

ग्रीन हाउस की स्थापना हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना से दिया जा रहा है। लघु व सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य योजना से भी दिया जा रहा है।

वर्तमान में जनजाति बाहुल्य कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परबतसर (नागौर) में रीको औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर में समय से पूर्व उत्पादन पर देय प्रोत्साहन राशि

393. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रीको औद्योगिक ग्रोथ सेंटर परबतसर, नागौर में निर्धारित अवधि से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करने पर देय प्रोत्साहन राशि की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नीति की पालना रीको, परबतसर द्वारा में की जा रही है? यदि हां, तो कब से? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, परबतसर स्पिलट ग्रोथ सेन्टर की श्रेणी में आता है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कार्यालय आदेश संख्या आईपीआई/जीसी/96-97/341/665 दिनांक 05.08.2000 एवं कार्यालय आदेश संख्यां आईपीआई/जीसी/96-97/941/1124 दिनांक 04.08.2003 के अनुसार निर्धारित अवधि से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देय है:-

1. भूखण्ड आबंटन तिथि से 12 माह में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर 20 प्रतिशत राशि।
2. भूखण्ड आबंटन तिथि से 18 माह में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर 15 प्रतिशत राशि।
3. भूखण्ड आबंटन तिथि से 24 माह में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर 10 प्रतिशत राशि।

कार्यालय आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस नीति की पालना रीको औद्योगिक क्षेत्र परबतसर (स्पिलट ग्रोथ सेंटर) में भी की जा रही है तथा पात्र आबंटियों को नियमानुसार उत्पादन राशि दिनांक 04.08.2003 से दी जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा उपकर की संग्रहित राशि

394. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भवन अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड अधिनियम के तहत निर्माण दर का 1 प्रतिशत की दर से उपकर संग्रहित किया गया है? यदि हां, तो गत 4 वर्षों में कितना उपकर संग्रहित किया गया तथा संग्रहित उपकर में से कितनी-कितनी राशि का व्यय श्रमिकों के लाभार्थ किया गया? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि संग्रहित की जाने वाली राशि का बड़ा हिस्सा उपयोग के अभाव में अनुउपयोगी रखा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए आवश्यरक संसाधनों, स्वास्थ्य, शिक्षा, जोखिम सुरक्षा आदि में व्यय करने के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत प्रदेश में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर निर्माण कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26.9.1996 के द्वारा उपकर संग्रहित किये जाने हेतु दर निर्धारित की गयी है, प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में एक प्रतिशत की दर से उपकर संग्रहित किया गया है और किया जा रहा है। गत 4 वर्षों में उपकर संग्रहित की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**वर्ष**	**संग्रहित की गई राशि (करोड़ों में)**
1.	2010-11	85.52
2.	2011-12	154.01
3.	2012-13	173.83
4.	2013-14	251.95
5.	2014-15 (माह दिसम्बर 2014 तक)	155.00
	(अब तक संग्रहित उपकर) योग	**820.31**

(राज्य मंत्री, श्रम)

संग्रहित उपकर राशि में से योजनावार निर्माण श्रमिकों के लाभार्थ किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अब तक कुल संग्रहित उपकर राशि का व्यय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों से मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध पात्र हिताधिकारियों को परिलाभ देने के लिये किया जाता है और खर्च नहीं हुई संग्रहित उपकर राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा एवं फ्लेक्सी बचत खातों में जमा कराकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में निवेश किया जाता है।

मण्डल द्वारा अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर तथा नवीन योजनाओं का निर्माण कर व्यय नहीं की गई उक्त राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के हितार्थ ही किया जायेगा। इस प्रकार हिताधिकारियों को लाभ देने के उपरान्ती शेष राशि अनुपयोगी नहीं कही जा सकती है।

कल्याण मण्डल द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, जोखिम, सुरक्षा आदि के तहत निर्माण श्रमिकों को हितलाभ देने हेतु पूर्व से ही योजनाएं बनाकर संचालित की जा रही है, जिनका विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उल्ले,खित है।

इसके अतिरिक्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास हेतु आरएसएलडीसी द्वारा संचालित ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिलाने हेतु मण्डल से अनुबन्ध किया गया है जिसके तहत 10,000 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में मेवात विकास बोर्ड योजनान्तर्गत बालिका छात्रावास का निर्माण

395. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर जिला मुख्यालय पर मेवात विकास बोर्ड योजना के अन्तर्गत मेवात बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब व कहां? उक्त छात्रावास के लिए आबंटित भूमि के पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मेवात बालिका छात्रावास को, भवन का निर्माण कार्य

(श्री रामहेत सिंह यादव)

पूर्ण कर चालू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक पूर्ण कर सुचारु रूप से चालू कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मेवात बालिका छात्रावास के भवन निर्माण पर कब-कब व कितनी-कितनी राशि मेवात विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है और अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मेवात बालिका छात्रावास में उक्त राशि से क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये? उक्त सभी निर्माण कार्यों के दस्तावेज मय नक्शा और निर्माण के उद्देश्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त मेवात बालिका छात्रावास के संचालन हेतु नियम व दिशा-निर्देश बनाये जा चुके हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या मेवात विकास बोर्ड के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं के लिए जिला व उपखण्ड स्तर पर छात्रावासों के भवनों के बनाने व उनके संचालन की कोई योजना है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। अलवर जिला मुख्यालय पर मेवात विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में आबंटित राशि के विरुद्ध राज्य सरकार की स्वीकृति आदेश संख्या एफ. 4(2)ग्रावि/मेवात/अनु-6/2010 जयपुर दिनांक 20.1.2011 के द्वारा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मेवात बालिका छात्रावास का निर्माण अरावली विहार, अलवर में कराया जा रहा है।

उक्त छात्रावास के लिये आबंटित भूमि के पत्रों की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है ।

(2) जी नहीं। मेवात बालिका छात्रावास भवन का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है, जिसे कार्यकारी संस्था नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाकर चालू कराया जावेगा ।

(3) उक्त मेवात बालिका छात्रावास के भवन निर्माण हेतु आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2011 द्वारा 285.80 लाख रुपये तथा संशोधित आदेश क्रमांक एफ.4 (1)ग्रावि/मेवात/अनु.-6/2010 जयपुर दिनांक 11 मार्च, 2013 के आदेशानुसार 497.13 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। जिसकी जिला परिषद अलवर द्वारा कुल 472.54 लाख रुपये की संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

जिस पर कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा 228.00 लाख रुपये की राशि का व्यय कर दिया गया है ।

(4) मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिला मुख्यालय पर 100 कमरों का मय अटैच लेटबाथ मेवात बालिका छात्रावास निर्माण कार्य मय छात्रावास की बाउण्ड्री निर्माण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग निर्माण तथा सोलर उर्जा लाइट सहित, वार्ड/कोच तथा चतुर्थ श्रेणी क्वार्टर निर्माण, रसाई निर्माण क्षमता अनुसार, डाइनिंग हाल, लाइब्रेरी, रेकार्ड रूम स्टेडी रूम (हाल टाइप) कामन रूम, मनोरंजन कक्ष, स्टोर रूम तथा क्षमता अनुसार हाल, कमरों का निर्माण, चौकीदार/गार्ड रूम, विजिटर्स कक्ष, कम्प्यूटर रूम, खेल मैदान, फर्नीचर, बिजली, पानी की सभी सुविधाओं तथा अन्य वांछित सुविधाओं सहित कार्य निर्माणाधीन है। उक्त निर्माण के तकमीना मय नक्शा परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

मेवात योजनान्तर्गत दिनांक 11.06.2010 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला मुख्यालय पर निम्न उद्देश्य से बालिका छात्रावास निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. मेवात बाहुल्य क्षेत्र की सभी वर्ग की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आवासीय सम्बन्धी आने वाली परेशानी को दूर होने पर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु बढ़ावा मिलेगा।
2. मेवात क्षेत्र की सभी वर्ग की अध्ययनरत बालिकाओं के छात्रावास में रहने पर सामाजिक संगठन व नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
3. मेवात क्षेत्र की सभी वर्ग की बालिकाओं के लिये जिला मुख्यालय पर छात्रावास व्यवस्था होने पर शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जागृति मिलेगी।

(5) ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 4(2) ग्रावि/मेवात/अनु.-6/2010 जयपुर दिनांक 20 जनवरी, 2011 के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति उक्त छात्रावास का संचालन करेगी। (संलग्न परिशिष्ट-स)

(6) मेवात योजनान्तर्गत शामिल क्षेत्रों में छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य अनुमत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर में एन.आर.डी.ए. के तहत कराये गये कार्य

396. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री छोटू सिंह)

(1) जिला जैसलमेर में एन.आर.डी.ए. के तहत वर्ष 2009 से 2014 तक कितने जी.एल.आर. पशु खेली तथा पाइप लाइन का कार्य कराया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में कहां-कहां किस-किस गांव में क्या-क्या कार्य करवाये गये?

(3) क्या उक्त योजना में निर्मित जी.एल.आर. एवं पशु खेलियां वर्तमान में क्रियाशील हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्यू.पी.) के तहत जिला जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 266 भू-तल जलाशय एवं 03 पशु खेलियों का निर्माण तथा 1431.10 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया। ग्रामवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत जैसलमेर जिले में उक्त कार्यो के अतिरिक्त विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 36 नवीन नलकूप एवं 825 नवीन हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। ग्रामवार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी हां। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित कुल 266 भू-तल जलाशयों में से 40 आर.डी. जंजों की ढाणी की पूर्ण की गई पेयजल योजना पर विद्युत सम्बन्ध के अभाव में निर्मित एक भू-तल जलाशय से वर्तमान में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हो सकी है। शेष समस्त भू-तल जलाशय एवं पशुखेलियां वर्तमान में क्रियाशील हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास हेतु मास्टर प्लान

397. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के द्वारा गांवों के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जयपुर सम्भाग के किन-किन गांवों में मास्टर प्लान बनाये गये व किन-किन में बनाया जाना शेष है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें उक्त मास्टर प्लान में परिवर्तन करके कार्य कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम पंचायतों में निर्धारित मास्टर प्लान के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के लिये जिला एवं प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार का निरीक्षण/अंकेक्षण किया गया है? यदि हां, तो किस-किस का व कब-कब? जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर सम्भाग में गत तीन वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उसमें से कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001 की आबादी के अनुसार 10000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों के मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में 10000 से अधिक आबादी वाले जयपुर सम्भाग में सभी 28 गांवों का मास्टर प्लान बनाया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं वर्तमान में किसी ग्राम का मास्टर प्लान बनाने का कार्य बाकी नहीं है।

(2) जी नहीं। जयपुर सम्भाग के चयनित गांवों में मास्टर प्लान में परिवर्तन करके कोई कार्य नहीं कराये गये।

(3) जी हां। जिले एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा विलेज मास्टर प्लान में स्वीकृत विकास कार्यों के निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जयपुर सम्भाग के चयनित 28 गांवों को विकास कार्यों हेतु प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पिण्डवाड़ा-आबूरोड मार्ग नेशनल हाइवे 14 पर संचालित टोल प्लाजा

398. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिण्डवाड़ा-आबूरोड मार्ग नेशनल हाइवे 14 पर किंवली

(श्री समाराम गरासिया)
आबूरोड पर वर्तमान में टोल प्लाजा संचालित है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त टोल प्लाजा को जनहित में बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न में उल्लेखित किवरली टोल प्लाजा एन.एच.-27 (पुराना एन.एच.-14) से आबू तलेटी मार्ग (ओ.डी.आर.-11) के कि.मी. 0/050 पर स्थापित है। उक्त टोल प्लाजा पर ओ.डी.आर. सड़क के कि.मी. 1/0 पर स्थित हाई लेबल ब्रिज से गुजरने वाले वाहनों से माह नवम्बर 1996 से टोल वसूली की जा रही है।

वर्ल्ड बैंक ऋण सहायता से निर्मित उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 04.05.1989 को जारी की गई थी। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। कार्य दिनांक 27.02.1992 को प्रारम्भ किया जाकर दिनांक 25.01.1996 को पूर्ण किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.10.1994 (परिशिष्ट-2) के क्रम में उक्त कार्य पर दिनांक 03.11.1996 से पथकर वसूली की जा रही है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना एफ. 8(58)पीडब्ल्यू/77 दिनांक 26.10.1994 के अनुसार उक्त हाई लेबल ब्रिज की निर्माण एवं रख-रखाव लागत मय ब्याज के पूर्ण रूप से वसूल होने अथवा 30 वर्ष की अवधि (अक्टूबर 2026 तक) इनमें से जो भी पहले हो, तक उक्त टोल प्लाजा पर टोल वसूले जाने का प्रावधान है।

उक्त टोल प्लाजा पर 1 मार्च, 2015 को राशि रु. 194.70 लाख की वसूली शेष है टोल वसूली का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। यदि वर्तमान में हो रही टोल वसूली के अनुरूप ही टोल संग्रहण होता रहा तो वर्ष 2017-18 के अन्त तक टोल की पूर्ण राशि वसूल हो जाना सम्भावित है एवं तत्पश्चात टोल वसूली बन्द की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर में पी.पी.पी. माडल के तहत डेयरी विकास की योजना

399. **राजकुमारी दियाकुमारी** (सवाई माधोपुर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(राजकुमारी दियाकुमारी)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में डेयरी विकास से सम्बन्धित पी.पी.पी. माडल के तहत कोई प्रोजेक्ट स्वीकृत है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है व नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 2015-16 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई पी.पी.पी. माडल का प्रोजेक्ट लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 2015-16 के लिए विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में डेयरी विभाग से सम्बन्धित पीपीपी माडल के तहत कोई प्रोजेक्ट प्रस्तावित नहीं है।

सागवाड़ा (डूंगरपुर) में औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

400. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सागवाड़ा (डूंगरपुर) में वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में कितनी औद्योगिक ईकाइयां संचालित हैं? क्या आबंटित औद्योगिक ईकाइयां आबंटी के द्वारा संचालित हैं या अन्य के द्वारा संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में सागवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनकी कब-कब जांच की गई? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र सागवाड़ा में 26 इकाइयां संचालित हैं। वर्तमान में 25 भूखण्डों पर औद्योगिक इकाइयां एवं 1 भूखण्ड पर नर्सिंग इन्स्टीट्यूट संचालित है। आबंटन जिसके नाम से है अथवा अन्य कोई संचालित कर रहा है, इसकी विस्तृत सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) सागवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र को लेकर रीको को सीधे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अक्षत योजना से लाभार्थी

401. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(डा. किरोड़ी लाल)

(1) प्रदेश में कितने स्नातक/स्नातकोत्तर/डिग्रीधारी युवा बेरोजगार हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अक्षत योजना के तहत कितने लोग लाभान्वित हुए तथा कितने अलाभान्वित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 5 वर्ष में 15 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो अब तक कितने बेरोजगारों को नौकरी दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में रोजगार कार्यालयों की सजीव पंजिका पर दिनांक 28/2/2015 को 227887 स्नातक तथा 26663 स्नातकोतर डिग्रीधारी युवा बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में अक्षत योजना 2007 के तहत योजना प्रारम्भ की दिनांक 1/7/2007 से योजना की समाप्ति दिनांक 30/9/2009 तक योजना के तहत पात्र आवेदक कुल 67147 आशार्थी लाभांवित हुये हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है। इस योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले कोई पात्र व्यक्ति अलाभांवित नहीं है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार आगामी 5 वर्ष में 15 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजन किये जाने की घोषणा की गई है । इसके अन्तर्गत आगामी 4 वर्षो में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा लगभग 6 लाख युवाओं को रोजगार हेतु कौशल विकास से जोडा जायेगा । आई टी आई, पालिटेक्निक, राजस्थान आजीविका योजना, स्वयं सहायता समूह तथा उद्योगो की भागीदारी से किये जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 9 लाख युवाओं को जोड़ेंगे । राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 1 जनवरी, 2014 से 19 फरवरी, 2015 तक विभिन्न योजनाओं में 2100 से अधिक प्रशिक्षण बैचों के अन्तर्गत 52410 युवाओं को विभिन्न सैक्टर्स क्रमश: हास्पीटिलिटी, सूचना एवं संचार तकनीक, रिटेल, सिक्योरिटी, ट्रैवल एवं टयूरिज्ट, इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स, लोजिसिटक्स, निर्माण, मोटरवाहन मरम्मत, गारमेन्ट मेकिंग एवं मल्टी स्किल्स यथा बैंकिग, होटल मैनेजमेट, टेलीकालर इत्यादि क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़कर प्रशिक्षित किया गया। योजनावार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है। इन प्रशिक्षित युवाओं में

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

से 1 जनवरी 2014 से 18 फरवरी 2015 तक कुल 19884 इच्छुयक युवाओं को निजी क्षेत्र की संस्थाओं क्रमशः बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, कैफे काफी डे, जी4 एस सिक्यूरिटी, यूरेका, नवभारत फर्टीलाइजर, बजाज कैपिटल इत्यादि में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा चुके है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है। शेष प्रशिक्षित युवाओं में से इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उत्तर प्रदेश में प्रदेश की सम्पदाओं का संरक्षण/देखरेख

402. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदेश की सम्पदाएं हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्पदाओं के संरक्षण एवं देखरेख हेतु क्या व्यवस्था है तथा ये किसके अधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त सम्पदाओं के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु कोई विशेष योजनाएं प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदेश की सम्पदाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त सम्पदाओं की संरक्षण एवं देखरेख हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन कार्यालय स्थापित है।

उक्त कार्यालय में सहायक आयुक्त एवं उसके अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा सम्पदाओं का संरक्षण एवं देखरेख की जाती है।

सम्पदाओं के संरक्षण एवं देखरेख पर प्रशासनिक विभाग द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण रखा जाता है।

(3) विभाग द्वारा उक्त सम्पदाओं के संरक्षण एवं इनके रखरखाव हेतु समय-समय पर बजट उपलब्ध कराया जाकर संरक्षण एवं रखरखाव किया जाता है। गत पांच वर्षों में रखरखाव पर किये गये खर्चे का विवरण निम्नानुसार है:-

(देवस्थान राज्य मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	व्यय राशि (राशि लाखों में)
1	10-11	440.91
2	11-12	297.79
3	12-13	404.02
4	13-14	666.60
5	14-15	427.00
	योग	**2236.32**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-579

(स्थगित)

जहाजपुर में फव्वारा सिंचाई हेतु देय अनुदान

580. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2008 के बाद क्या-क्या प्रयास किए गए?

(2) भीलवाडा जिले की तहसीलों में फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई के अन्तर्गत उक्त अवधि में कितने हैक्टर कृषि क्षेत्रों की वृद्धि हुई तथा वर्तमान में कुल कितने हैक्टर कृषि क्षेत्र उक्त प्रणालियों से सिंचित किए जा रहे हैं?

(3) उक्त जिले में उक्त अवधि में फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिए कितने किसानों को कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में नियंत्रित सिंचाई द्वारा स्वचालित उर्वरक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए गए तथा कितने किसान इसका उपयोग कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2008 से क्षेत्र में उद्यान व कृषि विभाग के विस्तार कार्यकताओं द्वारा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषक भ्रमण कार्यक्रम, किसान मेले, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर कृषि विभाग के अन्य प्रायोजित कार्यक्रमों तथा किसान काल सेन्टर आदि के माध्यम से व्यापक प्रयास किये गये।

(2) जिले की तहसीलों में अवधि में फव्वारा सिंचाई के अन्तर्गत 21789 हैक्टेयर क्षेत्र एवं बूंद-बूूंद सिंचाई के अन्तर्गत 6933 हैक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्तमान में लगभग 35840 हैक्टेयर क्षेत्र उक्त प्रणालियों से सिंचित हैं। वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) भीलवाड़ा जिले में उक्त अवधि में फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिए कुल 21736 कृषकों को राशि रुपये 8216.54 लाख का अनुदान दिया गया। वर्षवार एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(4) जिले में नियंत्रित सिंचाई द्वारा स्वचालित उर्वरक अनुप्रयोग प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा कृषकों को इसकी उपयोगिता के बारे में विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत जानकारी दी गई है। इस हेतु आयोजित किये गये प्रशिक्षणों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। जिले में नियंत्रित सिंचाई द्वारा स्वचालित उर्वरक अनुप्रयोग हेतु वर्ष 2012-13 में कुल 134 कृषकों को एवं वर्ष 2013-14 में कुल 194 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फसल बीमा योजनान्तर्गत देय मुआवजा राशि

581. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब-कब तथा किन-किन जिलों में लागू की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस जिले में कितने किसानों को कितनी राशि का मुआवजा गत दो वर्षों में प्रदान किया गया तथा इससे सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मौसम आधारित फसल बीमा योजना से सम्बन्धित वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2012-13 व 2013-14 में मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत पात्र बीमित कृषकों को दिए गए बीमा क्लेम एवं प्रीमियम अनुदान (राज्यांश) स्वरूप दी गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 से परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कृषि नीति क्रियान्वयन हेतु किसान आयोग का गठन

582. श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं, उनके निदान एवं कृषि नीति क्रियान्वयन के सुझाव हेतु किसान आयोग का गठन किया गया था?

(श्री नरेन्द्र कुमार)

(2) क्या यह भी सही है कि किसान आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो कितने एवं कब-कब?

(3) क्या सरकार किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन-किन सुझावों पर?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 8 (4) कृषि-1/एमसी/2005 दिनांक 13.04.2007 द्वारा राज्य में "राजस्थान किसान आयोग" का गठन किया गया है।

(2) जी हां। किसान आयोग द्वारा अब तक कुल 2 प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 21.06.2012 को एवं द्वितीय प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2013 को प्रस्तुत किये गये थे।

(3) किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदनों में की गई प्रमुख सिफारिशें एवं उन पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं में पशु आहार संयंत्र की स्थापना

583. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं में पशुपालन विभाग के कौन-कौन से कार्यालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में किन-किन पशु चिकित्सालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? एवं कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इलाज हेतु कौन-कौन सी दवाइयां नि:शुल्क दी जाती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शेखावाटी क्षेत्र में अत्यधिक पशुपालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में नया मिल्क चिलर्स खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर एवं कहां-कहां पर व कब तक खोले जाऐंगे?

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में पशुपालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां पर?

(6) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशु आहार संयंत्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां?

(7) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में मिलावट को रोकने हेतु एडवांस्ड मिल्क टेस्टिंग लैब खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

(8) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र पशुधन आरोग्य चल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व कहां-कहां?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं में पशुपालन विभाग के निम्नलिखित कार्यालय कार्यरत हैं :—

1. कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुन्झुनूं।
2. कार्यालय उप निदेशक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, झुन्झुनूं।
3. कार्यालय जिला रोग निदान इकाई, झुन्झुनुं।

(2) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इलाज हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली औषधियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार खोले जाते हैं।

(6) जी नहीं।

(7) सीकर संघ झुन्झुनूं अवशीतन केन्द्र पर मिल्क टेस्टिंग लैब स्थापित है, जिसमें संघ क्षेत्र से आने वाले दूध का परीक्षण किये जाने की व्यवस्था है।

(पशुपालन मंत्री)

(8) प्रत्येक पशुधन आरोग्य चल इकाइयों के माध्यम से ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां वर्तमान में कोई पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत नहीं है, वहां प्रतिमाह पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। उक्त योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में लगाये जा रहे पशु चिकित्सा शिविरों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौवंश की नस्ल सुधार हेतु आर्थिक सहायता

584. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार गौवंश की नस्ल सुधार व पालन के लिए गाय पालकों एवं गौशालाओं को विशेष आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत समिति में गौशाला एवं गौशाला के अन्दर ही पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सुराज संकल्प में गौसंवर्धन एवं संरक्षण हेतु की गई घोषणा के प्रति सरकार गम्भीर है, नीतिगत निर्णय विचाराधीन है। निर्णयोपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में पशुपालकों के एवं गौशालाओं में संधारित गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, देशी उन्नत गौवंशीय सांड वितरण, बांझ निवारण शिविरों का आयोजन, पशुपालकों का प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा गौशालाएं नहीं खोली जाती हैं।

गौशालाओं को निकटतम पशु चिकित्सालय द्वारा नि:शुल्क पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। निकटतम पशु चिकित्सा संस्था के प्रभारी द्वारा माह में दो बार गौशालाओं का भ्रमण कर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है। साथ ही आपातकालीन स्थिति में गौशाला प्रबन्धकों द्वारा बुलाये जाने पर पशु चिकित्सा

(पशुपालन मंत्री)

सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। पशुधन आरोग्य चल इकाई तहसील स्तरीय के द्वारा भी आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

उदयपुर जिले में पशुओं की नस्लों के विकास हेतु अनुदान

585. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न पशुओं की नस्लों के विकास हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त योजना को उदयपुर जिले में कब से प्रारम्भ किया जायेगा?

उत्तर

जी नहीं। नस्ल सुधार हेतु अनुदानित दरों पर उन्नत नस्ल का सांड, पाडा, मेंढा, बीजू बकरा, नर शूकर आदि पशुपालकों को उपलब्ध कराये जाते हैं। यह योजना सभी जिलों में समान रूप से लागू है।

बड़ी सादड़ी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

586. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कितने भूखण्ड आबंटित किये गये हैं एवं वर्तमान में कितने-कितने उद्योग स्थापित हैं एवं कितने भूखण्ड रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में रीको का औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु भूमि अवाप्ति का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बड़ी सादड़ी तहसील मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर

(उद्योग मंत्री)

निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र कपासन की स्थापना वर्ष 1978 में की गई है जिसमें कुल 122 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में अभी भी 45 भूखण्ड आबंटन हेतु उपलब्ध हैं जिन्हें नियमानुसार मोहरबंद निविदाओं/नीलामी के माध्यम से आबंटन किया जा रहा है।

जायल में औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

587. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में गत 15 वर्षों में किस-किस स्थान पर, कब-कब औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुये तथा उनमें से किस-किस प्रकार के कौन-कौन से उद्योग वर्तमान में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु सरकार की क्या-क्या योजनायें वर्तमान में संचालित हैं तथा उक्त क्षेत्र में किस-किस प्रकार के उद्योगों के स्थापित होने की सम्भावनायें हैं?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय की जायेगी एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल नागौर में रीको द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है।

(2) राज्य में निवेश को आकर्षित कर औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 जारी की गई है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में नए उद्योग की स्थापना पर सहायता/सुविधाएं का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

राज्य के प्रत्येक जिले की भांति नागौर जिले में (जिसमें जायल विधान सभा क्षेत्र स्वत: ही शामिल है) उपलब्ध कच्चा माल व अन्य संसाधन उत्पादित माल की खपत कृषि उपज व औद्योगिक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर तैयार किये गये औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के अनुसार जिले में एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट, हैण्डटूल्स, आयल मिल, दाल मिल, लैदर आइटम्स, आयरन फेब्रिकेशन, स्टील फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, आटोमोबाइल रिपेयर्स, सीमेंट पाइप, लाइम, स्टोन ग्रिट, चाईना क्लें ग्राइण्डिंग, ब्रिक्स्, बेकरी एवं कन्फेक्श्नरी की औद्योगिक इकाइयां स्थाटपित हो सकती हैं।

(उद्योग मंत्री)

जायल विधान सभा क्षेत्र में खनिज एवं कृषि आधारित उद्योग लगने की सम्भावना है।

(3) राज्य सरकार क्षेत्र विशेष के लिए कोई योजना नहीं बनाती बल्कि सम्पूर्ण राज्य के (जिसमें जायल विधान सभा क्षेत्र स्वत: ही शामिल है) औद्योगिक विकास हेतु प्रयत्नशील है। राज्यं सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से उद्यम सहयोगी नीतियों के क्रियान्वहयन की व्यवस्था के माध्यम से सकारात्मक वातावरण सृजित किया जाता है ताकि राज्य में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित कर उद्योग स्थापित हो सकें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाएं

588. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश मे खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में क्या कार्यक्रम/योजनाएं चलायी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश में ग्रामीण व शहरी खेल मैदानों की स्थिति में सुधार के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत समिति, पंचायत तथा जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष कक्षा 10 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग व खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आवश्यक सहायता एवं प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में निम्नांकित योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:-

1. जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर नि:शुल्क खेल प्रशिक्षण।

2. केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की योजना।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

3. राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता।
4. राजस्थान खेल अनुदान नियमों के तहत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार।
5. अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा।
6. खेल रत्न पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार योजना ।
7. स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 चलाया जा रहा है।
8. राजीव गांधी, खेल अभियान योजना (RGKA) ।
9. स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 16(157)डीएलबी/91/266-470 दिनांक 21.01.1992 के द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड का आबंटन।
10. उपनिवेशन विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ 3(35)उप/93 दिनांक 29.09.2000 के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का आबंटन।
11. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक सं. एफ 5(31) डीओपी/ए-II/84 दिनांक 15.03.2013 के तहत सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2014 में राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान योजना प्रारम्भ की गई है। राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 से 2019 तक चरणबद्ध रूप से राज्य की समस्त ब्लाक पंचायतों में इण्डोर हाल हेतु 80.00 लाख रुपये एवं 80.00 लाख रुपये आउटडोर खेलों के लिए मैदान बनाये जाने हेतु दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये जाने की योजना है।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2014 से राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्थान पर राजीव गांधी खेल अभियान योजना प्रारम्भ की गई है। राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 से 2019 तक चरणबद्ध रूप से राज्य

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

की समस्त ब्लाक पंचायतों में इण्डोर हाल हेतु 80.00 लाख रुपये एवं 80.00 लाख रुपये आउटडोर खेलों के लिए मैदान बनाये जाने हेतु दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये जाने की योजना है इसके अतिरिक्त समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत सम्भाग, जिला एवं तहसील स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण Standardised Type Designs के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।

(4) इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग एवं युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की जायेगी ।

कोटा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वीकृत ऋण

589. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत वर्ष 2008 से 2015 तक कितने आवेदकों द्वारा आवेदन किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से कितने आवेदकों को किस-किस उद्देश्य हेतु कितनी राशि का त्रण स्वीकृत किया गया एवं स्वीकृत ऋण पर कितनी सब्सिडी दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का संचालन किया जा रहा है। जिसे राज्य में उद्योग विभाग, राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व राज. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, कोटा जिले में उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से फरवरी, 2015 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या वर्षवार सूची निम्नलिखित है:-

(उद्योग मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदन			
		आयुक्त, उद्योग विभाग	राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	राज. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	योग
1	2008-09	86	33	23	142
2	2009-10	310	65	97	472
3	2010-11	342	67	80	489
4	2011-12	74	35	0	109
5	2012-13	338	64	15	417
6	2013-14	242	50	30	322
7	2014-15 (फरवरी, 2015 तक	305	47	42	394
		1697	**361**	**287**	**2345**

(2) उक्त आवेदकों में से उद्योग एवं सेवा आधारित नये उद्यमों की स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये ऋण एवं दी गयी सब्सिडी की सूची निम्नानुसार है:-

क्रं. सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदन			
		आयुक्त, उद्योग विभाग	राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	राज. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	योग
1	आवेदकों की सं.	327	197	164	688
2	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रु.में)	1455.24	829.78	3011.42	5296.44
3	सब्सिडी राशि (लाख रु. में)	453.55	252.52	1018.86	1724.93

जिला क्रीड़ा परिषद् जयपुर की सम्पत्तियां

590. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर की कहां-कहां कौन-कौनसी सम्पत्तियां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में चौगान स्टेडियम, जयपुर में स्थित गोदामों/दुकानों के किराये से कितनी-कितनी आय हुई? उक्त अवधि में कब-कब इनका कितना-कितना किराया बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2015 तक चौगान स्टेडियम को किस-किस मद से कितनी-कितनी आय हुई? इसमें से राज्य सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) गत पांच वर्षों में स्टेडियम के तरणताल की सफाई/मरम्मत आदि पर कितना-कितना व्यय हुआ और तरणताल से स्टेडियम को कितनी-कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त तरणताल को ठेके पर दिया जाता है? यदि हां, तो ठेके पर देने के क्या कारण रहे? गत पांच वर्षों में किस-किस को ठेके पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर की सम्पत्तियां निम्न हैं:-

1. चौगान स्टेडियम, जयपुर।
2. शाहपुरा स्टेडियम, जयपुर।
3. गोविन्दगढ़ स्टेडियम, जयपुर।

(2) विगत पांच वर्षों में चौगान स्टेडियम, जयपुर में स्थित गोदामों/दुकानों के किराये से रुपये 28,46,596/- की आय हुई। प्रत्येक वर्ष गोदामों/दुकानों के किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।

(3) 1 जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2015 तक चौगान स्टेडियम को विभिन्न मदों से निम्न प्रकार आय हुई है:-

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

क्र.सं.	मद का नाम	राशि
1	क्रिकेट मैदान से आय	25,33,150/- रुपये
2	दुकानों/गोदामों से आय	22,94,378/- रुपये
3	कमरों के किराये से आय	84,300/- रुपये
4	बैंक से प्राप्त ब्याज	85,006/- रुपये
5	निविदाओं से आय	1500/- रुपये
6	मैदान की घास से प्राप्त आय	20,365/- रुपये
7	तरणताल से प्राप्त आय	12,43,310/- रुपये
8	जिम से प्राप्त आय	900/- रुपये
9	फुटबाल मैदान से आय	11,900/- रुपये
10	भारोत्तोलन हाल से प्राप्त आय	2700/- रुपये

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर को कोई राशि नहीं दी गई है।

(4) गत 5 वर्षों में स्टेडियम के तरणताल की सफाई/मरम्मत आदि पर व्यय का वर्षवार विवरण निम्नं प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	तरणताल से प्राप्त आय	तरणताल पर व्यय
1	1.04.2010 से 31.03.2011 तक	407120/-	160956/-
2	1.04.2011 से 31.03.2012 तक	120964/-	256767/-
3	1.04.2012 से 31.03.2013 तक	422860/-	128400/-
4	1.04.2013 से 31.03.2014 तक	345830/-	133920/-
5	1.04.2014 से 18.03.2015 तक	447620/-	144166/-

(5) जी हां। जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर में तकनीकी कर्मचारी एवं पर्याप्त कार्मिक नहीं होने के कारण तरणताल को ठेके पर दिया जाता है। गत पांच वर्षों में निम्नांकित फर्मों को ठेका दिया गया:-

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

क्र.सं.	फर्म का नाम	वर्ष
1	मैसर्स अरूण एन्टरप्राईजेज, जयपुर	2010-11
2	मैसर्स अरूण एन्टरप्राईजेज, जयपुर	2011-12
3	मैसर्स सुरेश लेबर सप्लायर्स, जयपुर	2012-13
4	मैसर्स जैमन रेफरीजनेशन केयर, जयपुर	2013-14
5	मैसर्स जैमन रेफरीजनेशन केयर, जयपुर	2014-15

टोंक में गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

591. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले की टोंक से सोनवा-अरनियामाल-ऊंम तथा छान से सांखना-ताखौली-बिनजारी दर्रा सडक का डामरीकरण का कार्य किस संवेदक द्वारा कब करवाया गया तथा डामरीकरण में कुल कितनी राशि व्यय हुई तथा उसकी गांरटी अवधि कब तक है? कार्य आदेश एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डामरीकरण करते समय अधिकारियों एवं संवेदक की मिलीभगत होने के कारण डामरीकरण में प्रयुक्त सामग्री की जांच नहीं करने के कारण गांरटी सीमा से पूर्व ही उक्त सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि नहीं, तो गारंटी सीमा से पूर्व सड़के क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण रहे? डामरीकरण में प्रयुक्त सामग्री की जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गारंटी सीमा में क्षतिग्रस्त उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत करने हेतु संवेदक को कब-कब पत्र जारी किया गया? क्या पत्र जारी करने के पश्चात उक्त सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं करने पर संवेदक पर पैनल्टी लगाई गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि की कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार संवेदक द्वारा उक्त सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री काम मे लेने व समय से पूर्व ही सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी अमानत राशि जब्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले की टोंक से सोनवा-अरनियामाल-ऊंम-बिनजारी दर्रा (राज्य राजमार्ग संख्या-34) सड़क का डामरीकरण कार्य मैसर्स हरदयाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर से वर्ष 2012 में करवाया गया। इस पर राशि रुपये 402.08 लाख व्यय हुए एवं गारण्टी अवधि 04.12.2017 तक है।

छान से सांखना ताखौली (राज्य राजमार्ग संख्या-37ए) सड़क का डामरीकरण कार्य मैसर्स बी. गौतम एण्ड कम्पनी, जयपुर से वर्ष 2012 एवं 2013 में करवाया गया। इस पर राशि रुपये 302.96 लाख व्यय हुए एवं गारण्टी अवधि 28.02.2018 तक है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

इन कार्यो के कार्यादेश की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-2 एवं 3 पर एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-4 एवं 5 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। बनास बजरी से भरे हुए ओवर लोडेड वाहनों के आवागमन के कारण उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। डामरीकरण में प्रयुक्त सामग्री की जांच विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों एवं गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गई हैं, जिसके अनुसार प्रयुक्त सामग्री निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सही पाई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त गारण्टी अवधि की सड़कों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर संवेदकों को पत्र लिखे गये हैं। पत्रों की प्रति परिशिष्ट-7 पर प्रस्तुत है। इनकी अनुपालना में सम्बन्धित संवेदकों द्वारा समय-समय पर मरम्मत कार्य कर इन सड़कों का रख-रखाव किया गया है। बनास बजरी से भरे हुए ओवर लोडेड वाहनों के आवागमन के कारण उक्त सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। गारण्टी अवधि में चूंकि संवेदकों द्वारा उक्त सड़कों का रख-रखाव किया जा रहा है, अत: उक्त संवेदकों के विरुद्ध कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई है।

(4) जी नहीं। उक्त सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। बनास बजरी से भरे हुए ओवर लोडेड वाहनों के आवागमन के कारण उक्त सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले में पंजीकृत टैक्सी परमिटधारी वाहन

592. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अशोक डोगरा)

(1) बूंदी जिला परिवहन कार्यालय में कुल कितने तिपहिया व फोर व्हीलर वाहन पंजीकृत हैं संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने फोर व्हीतलर्स वाहन टैक्सी परमिटधारी हैं?

(3) क्या सरकार बिना टैक्सी परमिट के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में ऐसे वाहनों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी जिला परिवहन कार्यालय में निम्नलिखित तिपहिया, फोर व्हीलर वाहन पंजीकृत हैं :-

क्र. सं.	**वाहन की श्रेणी**	**पंजीकृत वाहन संख्या**
1	तिपहिया वाहन	
	(क) आटो रिक्शा गुड्स	172
	(ख) आटो रिक्शा यात्री	1658
	कुल योग	**1830**
2	चार पहिया वाहन	
	(क) गैर परिवहन (5 सीट तक)	6360
	(ख) गैर परिवहन (5 से अधिक सीट	3579
	(ग) टैक्सी/मैक्सी कैब	1659
	(घ) बस/मिनी बस	468
	(ड) भार वाहन	4248
	कुल योग	**16314**

(2) बूंदी जिले में कुल 1659 टैक्सी परमिटधारी वाहन हैं।

(3) परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में बिना टैक्सी परमिट के चलने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा नियमित जांच के अतिरिक्त समय-समय पर ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

गत तीन वर्षों में अब तक ऐसे कुल 8803 वाहनों के चालान बनाये

(परिवहन मंत्री)

जाकर कुल 1096.03 लाख रुपये राशि वसूल की गई है। की गई कार्यवाही का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर पथ कर संग्रहण पर रोक

593. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 एवं कोटा लालसोट मेगा हाइवे का निर्माण किन कम्पनियों द्वारा किन शर्तों पर करवाया गया?

(2) क्या कम्पनी द्वारा निर्माण शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा निर्माण शर्तों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिया/राजमार्ग निर्माण में व्यय सीमा तक राशि वसूल हो जाने पर टोल टैक्स संग्रहण बंद कर दिया गया है, लेकिन अनेक स्थानों पर पथकर संग्रहण सतत रूप से वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त वसूली को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (I) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 :

उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रगतिरत निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन निर्माण कार्य

भा.रा.रा.प्रा. के क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र क्रमांक भाराराप्रा/21011/2/2014-क्षे.का.ज./वि.स./03841 दिनांक 20.03.2015 (परिशिष्ट-1) से प्राप्त जबाव के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

अ. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के भाग 18/700 से 165/0 तक का कार्य मैसर्स आई.आर.बी. से डी.बी.एफ.ओ.टी. पर आधारित पद्धति से करवाया है। यह कार्य बी.ओ.टी. टोल पर है एवं रियायत अनुबन्ध दिनांक 14.06.2010 से 25 वर्ष का है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ब. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के देवली कोटा अनुभाग (कि.मी. 165/0 से कोटा बाई पास पर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के जंक्शन तक) के चारलेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य बी.ओ.टी. अनुबन्धित शर्तों के अनुसार संवेदक मैसर्स जी.वी. के देवली-कोटा एक्सप्रेसवे प्रा. लि. द्वारा किया जा रहा है।'

स. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के झालावाड़ (कि.मी. 346/539) से राजस्थान/एम.पी. बोर्डर (कि.मी. 412/00) तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर के विस्तार एवं विकास का कार्य परियोजना के संवेदक M/s Dilip Buildcon Ltd. (EPC Mode) द्वारा किया जा रहा है।'

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के कि.मी. 233/0 से 236/400 एवं 255/500 से 346/539 का संधारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में है जिसमें कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं है।

(II) कोटा लालसोट मेगा हाइवे :

उक्त मेगा हाइवे का निर्माण रिडकोर द्वारा करवाया गया है। रिडकोर से प्राप्त जबाव (परिशिष्ट-2) के अनुसार :

'रिडकोर द्वारा जन सहभागिता के आधार पर मेगा हाइवे परियोजना के अन्तर्गत लालसोट से कोटा सड़क मार्ग का राजस्थान सरकार के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार निर्माण/विकास किया गया है। इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरूप इंडियन रोड़ कांग्रेस एवं MoRTH Specification के अनुरूप वर्ष 2009 में पूर्ण कर दिया गया था।'

(2) रा.रा. मार्ग संख्या 12 (खण्ड 18/700 से 165/0)

'हां, कम्पनी द्वारा निर्माण शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है।'

रा.रा. मार्ग संख्या 12 (कि.मी. 165/0 से कोटा बाइपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के जंक्शन तक)

'उक्त कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संवेदक द्वारा किया जा रहा है एवं कार्य प्रगति पर है।'

रा.रा. मार्ग संख्या 12 (कि.मी. 346/539 से 412/0)

'उक्त कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संवेदक द्वारा किया जा रहा है एवं कार्य प्रगति पर है।'

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कोटा-लालसोट मेगा हाइवे

'जी हां। रिडकोर द्वारा निर्माण शर्तों का पूर्ण रूप से पालना किया गया है। सड़क का निर्माण कार्य इंडियन रोड कांग्रेस एवं MoRTH Specification के अनुरूप किया गया है।'

(3) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के कि.मी. 89 पर स्थित बनास नदी पुल एवं कि.मी. 338 पर स्थित चन्द्रभागा पुल पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टोल वसूली का कार्य राज्य सरकार के आदेश क्रमांक म/सानिम/12/2567 दिनांक 31.08.2012 की अनुपालना में दिनांक 31.08.2012 से बन्द कर दिया गया है।'

तथापि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर भा.रा.रा.प्रा. द्वारा किये जा रहे टोल संग्रहण हेतु जबाव निम्नानुसार है:-

रा.रा. मार्ग संख्या 12 (खण्डा 18/700 से 165/0)

उपरोक्त मार्ग पर टोल टैक्स अनुबन्ध के आधार पर ही वसूला जा रहा है।'

(4) बिन्दु संख्या-3 के उत्तर के अनुसार सरकार द्वारा वर्तमान परिपेक्ष्य में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चवा से फलसूण्ड सड़क को चौड़ा करने की योजना

594. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के चवा से वाया बायतू फलसुण्ड राज्य मार्ग रामदेवरा को गुजरात से जोड़ता है? परन्तु यह सड़क मार्ग कम चौड़ा होने के कारण आमजन और रामदेवरा यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है?

(2) क्या सरकार चवा से फलसूण्ड राज्य सड़क मार्ग को डबल लेन सड़क मार्ग बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बाड़मेर जिले का चवा से फलसूण्ड वाया बायतू सड़क मार्ग रामदेवरा को गुजरात से जोड़ता है। उक्त चवा-बायतू-फलसूण्ड

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क (राज्य राजमार्ग संख्या-40) के कि.मी. 28/300 से 103/0 (कुल 74.700 कि.मी.) का भाग बाड़मेर जिले में आता है। कि.मी. 103/0 से 194/0 (कुल 91.00 कि.मी.) का भाग जैसलमेर जिले में आता है। इस सड़क की विभिन्न भागों में चौडाई निम्नानुसार है:-

जिला	**चैनेज (कि.मी.)**	**सड़क लम्बाई (कि.मी.)**	**कैरिजवे चौड़ाई (मीटर)**	**यातायात भार (पीसीयू**
बाड़मेर	28/300 से 29/0	0.700	7.00	2092
बाड़मेर	29/0 से 33/0	4.00	3.00	2092
बाड़मेर	33/0 से 44/0	11.00	3.66	3148
बाड़मेर	44/0 से 50/0	6.00	3.30	3148
बाड़मेर	50/0 से 103/0	53.00	3.66	3148/
जैसलमेर	103/0 से 162/0	59.00	3.66	6780
जैसलमेर	162/0 से 193/0	28.00	5.50	5630/
जैसलमेर	193/0 से 194/0	1.00	7.00	5682

आई.आर.सी. मापदण्डों के अनुसार समतल क्षेत्र में इण्टरमीडियेट लेन (5.50 मीटर कैरिजवे चौड़ाई) के लिये 6000 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं डबल लेन सड़क (7.0 मीटर कैरिजवे चौड़ाई) के लिये 15000 पी.सी.यू. प्रतिदिन से अधिक यातायात होना चाहिये।

(2) उक्त चवा से फलसूण्ड सड़क मार्ग को डबल लेन सड़क मार्ग बनाने की वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृति नहीं है। बाड़मेर जिले में कि.मी. 29/0 से 103/0 तक डबल लेन सड़क बनाने हेतु राशि रुपये 5920.00 लाख की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। जैसलमेर जिले में कि.मी. 103/0 से 194/0 डबल लेन सड़क बनाने हेतु राशि रुपये 6400.00 लाख की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इस प्रकार कुल राशि रु. 12320.0 लाख की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास हेतु स्वीकृत राशि

595. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास के लिए वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा किस-किस परियोजना के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं में से अधिकांश योजनाओं का काम या तो चालू ही नहीं हुआ है या अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो क्यों एवं सरकार उक्त योजनाओं के निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने हेतु क्या आवश्यक कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास के लिए वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से उनके पत्र क्रमांक भाराराप्रा/21011/2/2014-क्षे.का.ज./वि.स./03834 दिनांक 19.03.2015 द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार प्रदेश में उनके स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास हेतु उक्त अवधि में स्वीकृत विभिन्न/परियोजनाओं का ब्यौरा मय स्वीकृत राशि परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट-1 एवं 2 में उक्त स्वीकृत परियोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं वर्तमान स्थिति भी दर्शायी गयी है, जो स्वत: स्पष्ट है तथापि उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं विकास से

(श्री फूलसिंह मीणा)

सम्बन्धित सभी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मोनीटरिंग की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दूदू में सड़कों का निर्माण

596. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में जनवरी, 2011 से जनवरी, 2014 तक किस-किस योजना के तहत कहां-कहां कितनी लम्बाई की सड़कें बनाई गईं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) जनवरी, 2011 से जनवरी, 2014 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी सड़कों पर पेच वर्क कार्य/नवीनीकरण कार्य किया गया तथा उन पर कुल कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़कें गारण्टी अवधि में थीं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें तथा उनमें से कितनी सड़कों पर गारण्टी अवधि में ठेकेदार द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में जनवरी, 2011 से जनवरी, 2014 तक विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 131.36 कि.मी. लम्बाई की कुल 49 सड़कें बनाई गईं। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2011 से जनवरी, 2014 तक विभाग द्वारा सड़कों के 67 पैच मरम्मत कार्यों पर राशि रुपये 312.99 लाख व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। उक्त अवधि में 29 सड़कों का 170.06 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण कार्य करवाया गया, जिस पर राशि रुपये 2507.47 लाख व्यय हुए। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। जनवरी 2011 से जनवरी 2014 तक निर्मित नवीन सड़कें एवं नवीनीकरण सड़कें, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 3 पर है, गारण्टी अवधि में है। इन सभी सड़कों पर सम्बन्धित संवेदकों द्वारा आवश्यकता अनुसार मरम्मत/रखरखाव कार्य किया जा रहा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उक्त अवधि में निर्मित गारण्टी अवधि की 49 नवीन सड़कों में से 47 सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं 2 सड़कों पर दिनांक 14.03.2015 से 16.03.2015 की अवधि में हुई वर्षा के कारण पुन: कुछ पैच बन गये हैं जिनकी माह 15 अप्रैल, 2015 तक मरम्मत करवा दी जायेगी।

नवीनीकरण की गई 29 सड़कों में से 17 सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं, 12 सड़कों पर दिनांक 14.03.2015 से 16.03.2015 की अवधि में हुई वर्षा के कारण पुन: कुछ पैच बन गये हैं जिनकी माह 15 अप्रैल, 2015 तक मरम्मत करवा दी जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

597. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा चालू की गई ग्रामीण बस सेवा का उद्देश्य क्या है?

(2) क्या उक्त बसों को ठेका पद्धति पर चलाया जा रहा है? यदि हां, तो ठेका नियम तथा शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चालू की गई ग्रामीण बस सेवा का मूल उद्देश्य पंचायत/ग्राम पंचायत मुख्यालयों को नियमित परिवहन सेवा उपलब्ध करवाना है।

(2) जी हां। उक्त बसों को ठेका पद्धति (पीपीपी मोड) पर चलाया जा रहा है। ग्रामीण बसों के ठेका नियम तथा शर्तों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

1. पीपीपी मोड की बसों का संचालन RSRTC के नियंत्रण एवं RFP में निर्धारित मार्गो पर किया जायेगा। एक वाहन का एक ही RFP में अनुबन्धित मार्ग पर निर्धारित समय सारणी एवं अन्तराल अनुसार संचालन किया जायेगा।
2. अनुबन्ध अवधि 6 वर्ष की होगी। जिसे निगम व आपरेटर की आपसी सहमति से 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
3. अनुबन्धकर्ता को 30+बैठक क्षमता वाली मिडी बसें उपलब्ध करानी होगी। बस का लोगो व कलर स्कीम निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी।
4. वाहन का पंजीयन वाहन मालिक के नाम होगा व उक्त वाहनों को खरीदने के लिए ऋण की निगम द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जायेगी।
5. मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन संचालन पर लगने वाले समस्त टैक्स जैसे :- स्पेशल रोड टैक्स एवं अन्य किसी भी प्रकार के सभी कर वाहन संचालक द्वारा वहन किये जायेंगे।
6. वाहन संचालन के समस्त खर्चे अनुबन्धकर्ता द्वारा ही वहन किये जायेंगे जैसे:- ईंधन, आयल, लूब्रीकेन्ट, टायर, टयूब, स्पेयर पार्टस एवं वाहनों के रखरखाव का समस्त खर्चा तथा चालक/परिचालकों का वेतन इत्यादि।
7. चालक/परिचालक की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता/आपरेटर द्वारा की जायेगी तथा वेतन भत्ते अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
8. वाहनों पर मार्ग का DISPLAY संचालित मार्ग/स्टैण्डों की जानकारी इलेक्ट्रानिक मशीन द्वारा संचालक ही वाहन में लगायेंगे।
9. अनुबन्ध कर्ता अनुबन्ध के उपरान्त अन्य किसी व्यक्ति को RSRTC की अनुमति से फैन्जाइज नियुक्त कर सकता है जो सम्पूर्ण अवधि में एक बार ही दी जा सकती है।
10. संचालन में होने वाली अनियमितताओं/देरी पर अनुबन्ध में निर्धारित दरों से पैनल्टी की कटौती अनुबन्ध कर्ता से की जायेगी।
11. सभी यात्रियों को संचालित मार्ग पर ईटीएम मशीन द्वारा टिकट जारी किये जायेंगे।
12. अनुबन्ध कर्ता द्वारा यात्रियों से ली जाने वाली किराया राशि निगम द्वारा निर्धारित किराये के अनुरूप ही ली जायेगी।
13. अनुबन्धकर्ता को वाइबिलिटी गेप के रूप में अनुबन्ध की दरों के अनुसार प्रति कि.मी. VGF दिया जायेगा।

कठूमर में सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

598. श्री मंगल राम (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर की लक्ष्मणगढ़ से कठूमर सड़क किस योजना के अन्तर्गत निर्मित हुई है?

(2) क्या उक्त सड़क डबल लेन स्वीकृत हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा के कितने गांवों को प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़ दिया गया है व कितने गावों को जोड़ना शेष है?

(4) गत तीन वर्षो में विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कितनी सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर की लक्ष्मणगढ़ से कठूमर सड़क (स्टेट हाइवे-44) वर्ष 1960 से पूर्व की निर्मित है।

उक्त सड़क पर वर्ष 2013-14 में राज्य योजना मद में पूर्ण 24 कि.मी. लम्बाई की बी.टी. सड़क (चौड़ाई 3.00 मीटर) का नवीनीकरण कार्य सम्पादित कराया गया है।

(2) नरेगा योजनान्तर्गत हरित सड़क योजना के तहत वर्ष 2009-10 में उक्त सड़क का डबल लेन में डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक का चौड़ाईकरण कार्य स्वीकृत हुआ था। स्वीकृति पत्र परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। जिसके तहत अब तक 11.00 कि.मी. लम्बाई में जी-3 स्तर तक व 13.00 कि.मी. लम्बाई में जी-2 स्तर तक चौड़ाईकरण का कार्य किया गया है।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कठूमर विधान सभा क्षेत्र के 48 गांवों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। उक्त योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 500 व अधिक आबादी वाले सभी गांवों को जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में 500 या अधिक आबादी वाला कोई भी गांव डामर सड़क से जोड़ा जाना शेष नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में गत तीन वर्षो में 38 सड़कें, 144.90 कि.मी. लम्बाई एवं राशि रु. 2213.19 लाख लागत की नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

गत तीन वर्षो में उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के 47 पैच

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मरम्मत कार्यों पर राशि रु. 269.28 लाख का व्यय किया गया है। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर पूर्व की सड़कों का नवीनीकरण

599. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व में सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नई सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किन-किन इलाकों में कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने एवं नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व (शहरी क्षेत्र) में विभाग के अधीन सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नई सड़कों के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व में विभाग के अधीन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने एवं नवीनीकरण करने के वर्तमान में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं हैं। भविष्य में, उक्त कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

प्रदेश में नरेगा में संविदा पर कार्यरत रोजगार सहायकों का नियमन

600. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नरेगा में संविदा पर रोजगार सहायक पद पर वर्ष 2006 से 2010 तक कितने कार्मिकों को नियुक्त किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) प्रदेश में नरेगा में संविदा पर नियुक्त रोजगार सहायकों को

(श्री देवेन्द्र कटारा)

नियमित करते हुए कनिष्ठ लिपिक के पद पर कितने कार्मिकों को नियुक्ति दी गई एवं कितने कार्मिक कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित करने शेष हैं?

(3) क्या सरकार संविदा पर नियुक्त रोजगार सहायक जो सेवायें देते हुए आयु पार कर चुके हैं, उन्हें कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में संविदा पर नियुक्त रोजगार सहायक जो निर्धारित आयु पार हो चुके हैं एवं उनको कनिष्ठों लिपिक के पद पर नियमित नहीं किया गया है यदि हां, तो ऐसे कितने कार्मिक किस-किस जिले के हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक का पद संविदा पर सृजित किया गया था तदनुसार 9,177 ग्राम रोजगार सहायकों को वर्ष 2006 से 2010 तक संविदा पर नियुक्ति दी गई। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में नरेगा में संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित नहीं किया जाकर पंचायती राज विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंकों के आधार पर चयनित होने पर 4,984 ग्राम रोजगार सहायकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई। वर्तमान में 3,315 ग्राम रोजगार सहायक कार्यरत हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है।

(3) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) राज्य में नरेगा में संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित नहीं किया गया है अपितु नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने पर ही कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में कार्यरत आयु पार रोजगार सहायकों की संख्या 450 है, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जलग्रहण योजना के तहत पंचायत समिति बाड़मेर की पंचायतों में कार्य

601. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मेवाराम जैन)

(1) जलग्रहण योजना (कलस्टर) के तहत पंचायत समिति बाड़मेर में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी राशि के कार्य स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति बाड़मेर में वरियता अनुसार अब कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कलस्टर स्वीकृत होना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कलस्टर के तहत किस-किस प्रकार के कार्यों को ग्राम पंचायत कराने में अनुमति देनी है एवं इस हेतु कमेटी गठन में क्या-क्या प्रक्रियाएं सम्पन्न की जाती हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जलग्रहण योजना (कलस्टर) के तहत पंचायत समिति बाड़मेर में स्वीकृत परियोजनावार एवं ग्राम पंचायतवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति बाड़मेर में वरियता अनुसार स्वीकृत होने वाले प्रस्तावित कलस्टर की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार के कार्य को कराने की अनुमति नहीं दे सकती है।

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 यथा संशोधित-2011 के अनुरूप परियोजना के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक जलग्रहण समिति गठित किये जाने का प्रावधान है। ग्राम सभा आयोजन की तिथि से 15 दिवस पूर्व सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों यथा सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों, प्रधान, जिला प्रमुख स्थानीय विधायक एवं सांसद को सूचित किये जाने एवं स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने का प्रावधान है।

जलग्रहण समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्राम सभा द्वारा सरपंच/वार्डपंच/पंचायत समिति सदस्य भी चुने जा सकते हैं। जलग्रहण समिति के सदस्य के रूप में वही प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान है, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो। जलग्रहण समिति में ग्राम सभा द्वारा कम से कम 10 सदस्य चुने जाने का प्रावधान है, जिसमें से आधे सदस्य स्वयं

(पंचायती राज मंत्री)

सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों, 1/3 महिलाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। इसी ग्राम सभा द्वारा जलग्रहण समिति के सचिव का भी चयन किया जाता है, लेकिन वह एक स्वतन्त्र वेतनभोगी होता है। ग्राम सभा द्वारा सचिव का चयन योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाता है एवं गांव के शिक्षित व्यक्ति, जो कम से कम मैट्रिक पास हो, का ही चयन किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा चयनित जलग्रहण समिति के गठन के आदेश परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (पीआईए) द्वारा जारी किये जाते हैं।

जलग्रहण समिति के गठन हेतु जारी परिपत्र दिनांक 28.04.10 एवं 18.05.10 (दिशा निर्देश) की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां व अटरू पंचायत समिति की पंचायतों को विकास हेतु देय राशि

602. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो बारां जिले के किन-किन गांवों में मास्टर प्लान बनाया गया है व किन-किन में बनाया जाना शेष है ? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत के निर्धारित मास्टर प्लान के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर किसी प्रकार का निरीक्षण/अंकेक्षण किया गया है? यदि हां, तो किस-किस का व कब-कब? गत 2 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति बारां व अटरू में गत दो वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उसमें से कितनी व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001 की आबादी के अनुसार 10000 से अधिक आबादी वाले ग्राम के मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया था। बारां जिले का एक गांव सीसवाली में मास्टर प्लान बनाया गया है। वर्तमान में मास्टर प्लान बनाने का कार्य बाकी नहीं है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

केकड़ी में केन्द्र प्रवर्तित संचालित योजनाओं के तहत कार्य

603. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कौन-कौनसी केन्द्रीय परिवर्तित योजनायें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कौन-कौन से कार्य संचालित किये जा रहे हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों में केन्द्र से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उसमें प्रदेश का कितना हिस्सा था, उसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में निम्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
2. तेरहवां वित्त आयोग
3. जलग्रहण योजना
4. स्वच्छ भारत मिशन
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना
6. इन्दिरा आवास योजना

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य संचालित किये जा रहे हैं :-

योजना	अराई	भिनाय	केकड़ी	योग
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	18	1	3	22
तेरहवां वित्त आयोग	0	3	0	3
जलग्रहण योजना	8	3	16	27

(ग्रामीण विकास मंत्री)

योजना	अराई	भिनाय	केकड़ी	योग
स्वच्छ भारत मिशन	371	129	1302	1802
महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	49	24	90	163
इन्दिरा आवास योजना	15	1	25	41
योग	**461**	**161**	**1436**	**2058**

योजनावार एवं ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्नन है।

(3) उक्त योजनाओं में गत 5 वर्षों में प्राप्त राशि उसमें प्रदेश का हिस्सा एवं व्यय राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

योजनाओं में प्राप्ति राशि में केन्द्र एवं राज्य के हिस्से का अनुपात निम्नानुसार है :—

योजना	केन्द्र	राज्य
1 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	100	0
2 तेरहवां वित्त आयोग	100	0
3 जलग्रहण योजना	90	10
4 स्वच्छ भारत मिशन	75	25
5 महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	90	10
6 इन्दिरा आवास योजना	75	25

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षकों के परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर देय लाभ

604. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला परिषद द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्राप्त शिक्षकों का परीवीक्षा काल पूर्ण होने के बाद उनका स्थायीकरण एवं उनकी वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शुभकरण चौधरी)

(2) क्या सरकार नव नियुक्त शिक्षकों के परिवीक्षा काल की समयावधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नवनियुक्त कर्मचारियों का परिवीक्षा काल समाप्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम 273 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हेतु आरटेट के 20 प्रतिशत अंक जोड़कर वरियता निर्धारण का प्रावधान है। आरटेट के न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी सं. 23508-23513/2013 विचाराधीन है एवं भर्ती 2012 के अन्तर्गत नियुक्तियां उक्त एसएलपी के निर्णयाधीन की गई हैं। इसके अतिरिक्त विवादित प्रश्नों को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका सं. 10622/14 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2014 द्वारा परिणाम संशोधन कर तदनुसार नियुक्ति की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार विचाराधीन वादकरण से इन अध्यापकों की नियुक्तियां प्रभावित होने के कारण इनके स्थायीकरण की कार्यवाही नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जालौर में पेयजल हेतु योजनाएं

605. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के विभिन्न कस्बों/ढाणियों में गत तीन वर्ष में पेयजल की कितनी योजनाएं स्वीकृत कर कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनेक कस्बों/गांवों में पेयजल की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बों/गांवों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 में सायला उपखण्ड व अनेक गांव व ढाणियां पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वर्षों में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के शहर/ग्राम एवं ढाणियों में पेयजल आपूर्ति सुचारु बनाये रखने हेतु गत तीन वित्तीय वर्षों में (2011-12 से 2013-14 की अवधि) पेयजल सम्बन्धी कुल 116 योजनाएं/कार्यों की स्वीकृतियां राशि रुपये 15.09 करोड़ की जारी की गईं। उक्त स्वीकृत समस्त योजनाएं/कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्षवार स्वीकृत एवं पूर्ण कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर के विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं से लाभान्वित एवं वर्तमान में पेयजल की कमी वाले 20 ग्राम एवं इनकी 18 ढाणियों में से 9 ग्राम एवं एक ढाणी हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

शेष 11 ग्राम 17 ढाणियों की योजनाओं की स्वीकृति पर तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जायेगा। इन ग्राम/ढाणियों में ग्रीष्म, 2015 में मांग एवं आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन करना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जालौर के उपखण्ड सायला में विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं से लाभान्वित एवं वर्तमान में पेयजल की कमी वाले 15 ग्राम एवं इनकी 9 ढाणियों में से 4 ग्राम एवं एक ढाणी हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

शेष 11 ग्राम 8 ढाणियों की योजनाओं की स्वीकृति पर तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जायेगा। इन ग्राम/ढाणियों में ग्रीष्म, 2015 में मांग एवं आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन करना प्रस्तावित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु सतही जल स्रोत नर्मदा से उक्त क्षेत्र के कुल 102 ग्रामों में से 14 ग्रामों को उम्मेदाबाद कलस्टर परियोजना से माह जून, 2015 तक तथा 67 ग्रामों को एफ.आर. कलस्टर परियोजना से माह अक्टूबर, 2016 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

नर्मदा ई.आर. ट्रांसमिशन मेन की स्वीकृत एवं प्रगतिरत परियोजना

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

में उक्त क्षेत्र के शेष 21 ग्रामों की पेयजल मांग सम्मिलित है तथा इस परियोजना का कार्य माह अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। इन ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर में पेयजल हेतु स्वीकृत राशि

606. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र के श्रीमाधोपुर शहर को मानदण्डों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परिवर्तित योजना कब एवं कितनी राशि की स्वीकृत की गई थी? मदवार कार्य का विवरण एवं उसमें स्वीकृत राशि एवं अब तक की प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनान्तर्गत मदवार कार्य करवाने हेतु कब-कब निविदायें जारी कर किस-किस फर्म को ठेका दिया गया एवं उक्त अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य कब पूर्ण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अनुबंधित फर्म जिन्होंने समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया, के विरुद्ध शास्ति लगाने एवं ब्लैक लिस्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) सरकार ऐसी अनुबंधित फर्म जिन्होंने कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया है, का ठेका निरस्त करके अन्य फर्म को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की शहरी जल योजना, श्रीमाधोपुर में मानक अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पुनर्गठित योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 186वीं बैठक दिनांक 24.12.2010 द्वारा राज्य मद (शहरी) में राशि रुपये 923.44 लाख की जारी की गई। तकनीकी समिति की 516वीं बैठक दिनांक 11.04.2011 द्वारा उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 770.00 लाख की जारी की गई। योजना में प्रावधित कार्य मय राशि व इनकी अब तक की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) उक्त वर्णित योजना में स्वीकृत समस्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दो बार निविदा आमंत्रित की गई। प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने के कारण निरस्त की गई।

इसके बाद पुन: निविदा संख्या 38/11-12 आमंत्रित की जाकर इसे दिनांक 14.10.2011 को खोला गया। निविदाओं के विश्लेषण उपरान्त मैसर्स इण्डिया इंजीनियर्स एण्ड सप्लायर्स, जयपुर को राशि रुपये 595.56 लाख का कार्यादेश दिनांक 30.12.2011 को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार योजना का कार्य 18 माह अर्थात् दिनांक 07.07.2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था।

योजना अन्तर्गत स्वीकृत नलकूपों के स्थान पर विवाद होने के कारण कार्य की ले-आउट दिनांक 01.06.2012 को दी गई एवं योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(3) कार्य धीमी गति से करने के कारण विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधान क्लाज-2 (देरी के लिये क्षतिपूर्ति) के तहत कार्य की प्रगति में हुए विलम्ब के अनुसार आदेशित फर्म से माह जून, 2014 तक रुपये 3.02 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली गई है। मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2015 को फर्म के साथ आयोजित बैठक में फर्म ने योजना के शेष कार्य माह मई, 2015 तक पूर्ण करने की सहमति दी गई है।

इसके उपरांत भी यदि कार्य की गति नहीं बढ़ाई जाती है तो फर्म के विरुद्ध अंतिम रूप से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए फर्म की रिस्क एण्ड कोस्ट पर उक्त कार्य को रिसाइण्ड करने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल में पेयजल हेतु टंकियों का निर्माण

607. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा व पंचायत समिति पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में पेयजल समस्या के निवारण हेतु जनता जल योजना द्वारा पाइप लाइन बिछाकर टंकियों में पानी की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र घाटोल के किन-किन गांवों में उक्त योजना के अन्तर्गत

(श्री नवनीत लाल)

टंकिया उपलब्ध हैं? तथा उन निर्माण की गई टंकियों से किन-किन गांवों को पेयजल आपूर्ति हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र घाटोल के 9 गांवो देलवाडालोकिया, मुंगाणा, बांसलिखेडा, डूंगरिया, बड़ी पडाल, छोटी पडाल, सवनिया, भुवासा, नरवाली में टंकियां उपलब्ध है तथा इन टंकियों से पेयजल आपूर्ति हो रही है।

जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्राम पंचायत केशरपुरा के ग्राम केशरपुरा एवं ग्राम पंचायत घण्टापली के ग्राम घण्टाली में पेयजल हेतु जलदाय विभाग द्वारा पाइप लाइन एवं टंकी की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में पाइप लाइन व टंकी क्षतिग्रस्त होने से जलापूर्ति नहीं हो रही है।

दौसा जिले में बन्द एकल बिन्दुओं को चालू करने की योजना

608. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियंता खण्ड दौसा के पत्रांक 9101 दिनांक 31 मार्च, 2014 के तहत कार्य आदेश संख्या 830-833 दिनांक 21 मार्च, 2014 के तहत स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु सहायक अभियंता दौसा को अपने पत्र क्रमांक 1769 दिनांक 18 जुलाई, 2014 को आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में? क्या उक्त आदेशों की पालना सम्बन्धित अधिकारियों ने अब तक नहीं की है? यदि हां, तो क्यों? उक्त आदेशों की पालना न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं?

(2) क्या यह सही है कि अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपनी पत्र क्रमांक सत/वी 51289 दिनांक 23 नवम्बर, 2014 को अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग दौसा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े एकल बिन्दुओं को चालू करने हेतु आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उक्त आदेशों की पालना कर बंद एकल बिन्दुओं को अब तक चालू नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियंता खण्ड दौसा के पत्र क्रमांक 4083-85 दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 को सहायक अभियंता ग्रामीण

(श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा')
खण्ड दौसा को दौसा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बंद एकल बिन्दुओं को चालू करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो पालना नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार गर्मी के मौसम को देखते हुए उक्त क्षेत्र की जनता को बंद सभी एकल बिन्दुओं को चालू कर पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में दौसा शहर एवं ग्रामीण उपखण्ड में कितने एकल बिन्दु चालू हैं एवं कितने खराब हैं क्या सरकार बन्द एकल बिन्दुओं को इस वित्तीय वर्ष में चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। शहरी उपखण्ड, दौसा में सिंगल फेस नलकूपों के सबमर्सिबल पम्प सैट बदलने के कार्य की दरें अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त दौसा के पत्रांक 830-33 दिनांक 21.03.2014 द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, खण्ड दौसा के पत्रांक 9101-05 दिनांक 31.03.2014 द्वारा मैसर्स मनोहर इन्डस्ट्रीज, दौसा को कार्यादेश जारी किया गया।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड-दौसा के पत्रांक 1769-81 दिनांक 18.07.2014 के द्वारा अधीनस्थ समस्त सहायक अभियन्ताओं को उनके क्षेत्र में स्वीकृत एवं कार्यादेशित समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 31.03.2014 को जारी उक्त कार्यादेश के अन्तर्गत दौसा शहर में अत्यावश्यक सार्वजनिक स्थान क्रमश: तिवाड़ी शमशान घाट एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने स्थापित दो सिंगल फेज नलकूपों के सबमर्सिबल पम्प सैट बदलने का कार्य किया गया।

(2) जी हां। अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के पत्रांक 51289 दिनांक 21.11.2014 के द्वारा दौसा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े एकल बिन्दुओं को चालू करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेशों की पालना में उक्तानुसार दौसा शहर में दो सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित सिंगल फेज नलकूपों के सबमर्सिबल पम्प सैट बदलने का कार्य किया जाकर चालू किया गया।

(3) अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के पत्रांक 51289 दिनांक 21.11.2014 की पालना में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड दौसा के पत्रांक 4083-85 दिनांक 01.12.2014 द्वारा सहायक अभियन्ता, ग्रामीण व नगर उपखण्ड,

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

दौसा को दौसा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बंद पड़े एकल बिन्दुओं को चालू करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसकी पालना में दौसा शहर में अत्यावश्यक दो सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित सिंगल फेज नलकूपों के सबमर्सिबल पम्प सैट बदलने का कार्य किया जाकर चालू किया गया।

लिये गये निर्णय अनुसार सिंगल फेज नलकूपों को संचालित एवं संधारित करने का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय समिति/स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है।

इसी क्रम में सिंगल फेस नलकूपों में सबमर्सिबल पम्पिंग सैट के बदलने के कार्य हेतु आदेश क्रमांक 17993-95 दिनांक 30.03.2013 एवं 17480-82 दिनांक 03.10.2013 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के तहत जारी कार्यादेशों की समय सीमा समाप्त होने के कारण, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र-प्रथम, जयपुर के पत्रांक 9267-70 दिनांक 24.03.2015 के द्वारा उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया गया है।

(4) उपरोक्तानुसार। सिंगल फेज नलकूपों को संचालित एवं संधारित करने का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय समिति/स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है।

(5) आयुक्त, नगर परिषद दौसा से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में दौसा शहर में कुल स्थापित 147 सिंगल फेस नलकूपों में से 134 नलकूप चालू एवं 13 नलकूप बंद हैं तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दौसा से प्राप्ति सूचना के अनुसार ग्रामीण उपखण्ड, दौसा में कुल स्थापित 293 सिंगल फेस नलकूपों में से 193 नलकूप चालू एवं 100 नलकूप बंद हैं।

शेष बन्द पड़े सिंगल फेज नलकूपों को संचालित एवं संधारित करने का कार्य उपरोक्तानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय समिति/स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है।

पिलानी के डार्क जोन में मीठा पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

609. श्री सुन्दरलाल (पिलानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी की भुवाना, सूरजगढ़ एवं चिड़ावा पंचायत समिति के सम्पूर्ण क्षेत्र को डार्क जोन घोषित

(श्री सुन्दरलाल)

किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान हेतु मीठे पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में जलस्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु नये नलकूप खोदकर मीठा पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार के केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा जिला झुन्झुनूं की पंचायत समिति बुहाना, सूरजगढ़ एवं चिड़ावा को भू-जल विकास एवं प्रबन्धन के व्यवस्थापन एवं नियंत्रण हेतु अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।

समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार पंचायत समिति बुहाना, सूरजगढ़ एवं चिड़ावा के क्रमश: 44, 60 एवं 3, इस प्रकार कुल 107 ग्रामों (दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार) के स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

उक्त पंचायत समितियों के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित उक्त कुल 107 ग्रामों में से 22 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र स्थापित कर एवं 13 ग्रामों हेतु दूरस्थ जल स्रोत निर्मित कर मानक गुणवत्ता का उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 ग्रामों हेतु दूरस्थ जल स्रोत लेकर स्वीकृत व प्रगतिरत योजनाओं का कार्य तथा इसके अतिरिक्त 2 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र एवं एक ग्राम में डि-फ्लोरिडेशन इकाई पित करने का कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया जाकर स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय भू-जल संरक्षण एवं सलाहकार समिति से प्राप्त अनुमति के उपरान्त इन पंचायत समिति क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नलकूपों का निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला कलक्टर कार्यालयों में लिपिक वर्गीय पदों के संवर्ग का निर्धारण

610. श्री भजन लाल जाटव (वैर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भजन लाल जाटव)

(1) जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पद जिला संवर्ग के पद हैं या राज्य संवर्ग के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को किन आदेश से जिला अथवा राज्य संवर्ग का माना गया है? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर कार्यालय हेतु स्वीकृत मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के पदों का नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष सम्बन्धित जिला कलक्टर होता है। अत: उक्त पद जिला स्तर से होने के कारण जिला संवर्ग के पद हैं।

(2) कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(5)कार्मिक/क-2/97 दिनांक 31.05.1999 राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के भाग-6 के नियम-37 के अनुसार राजस्व मण्डल, खण्ड आयुक्तों तथा जिला कलक्टरों के कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के प्रत्येक पद की वरिष्ठकता अलग से संधारित की जायेगी। जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के पद जिला संवर्ग के पद हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि भूमि के आबंटन के नियम

611. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान राज्य से बाहर का किसी व्यक्ति या संस्था को कृषि भूमि का आबंटन या कृषि भूमि का विक्रय/क्रय नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो उक्त नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के बीकानेर एवं जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में सौर उर्जा व पवन उर्जा संयंत्रों को स्थापित करने हेतु उक्त क्षेत्र के कृषकों की भूमि राजस्थान से बाहर की संस्थाओं व कम्पनियों द्वारा क्रय की गई थी? यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों हेतु उक्त क्षेत्र के किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि कब-कब व किस-किस नियम के तहत किस-किस के द्वारा कितनी राशि में क्रय की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के उक्त क्षेत्र में राजस्थान से बाहर की

(श्री भंवरसिंह)

संस्था व कम्पनियों द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों हेतु क्रय की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में उनके नाम अंकन हो चुका है? यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु क्रय की गई भूमियों का राजस्व अभिलेखों में अंकन किस-किस नियम व किस-किस नामान्तरकरण के द्वारा कब-कब किया गया व नामान्तरकरण शुल्क की राशि कितनी बनी व राजकोष में कब-कब जमा हुई? नियमों एवं नामान्तरकरणों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने हेतु उस कृषि भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाना आवश्यक है? यदि हां, तो विभिन्न प्रयोजनार्थ हेतु कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने हेतु सरकार द्वारा किस-किस अधिकारी को अधिकृत कर रखा है? वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि में उपनिवेशन विभाग बीकानेर के क्षेत्राधिकार में ऐसी कितनी भूमियों का संपरिवर्तन कब-कब कहां-कहां की भूमि का किस-किस के नाम से हुआ और इससे राज्य को कितना राजस्व प्राप्त हुआ व कितने भू-राजस्व का नुकसान हुआ? संपरिवर्तन आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान राज्य से बाहर के व्यक्ति को कृषि भूमि का आबंटन या कृषि भूमि का विक्रय/क्रय नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्त, 1955 की शर्त संख्या 28 (1) में किया हुआ है तथा इसी के तहत शासन के परिपत्र क्रमांक: प.4(1)उप/2006 जयपुर दिनांक 01.12.2009 से भी राजस्थान के बाहर के व्यक्ति को उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का क्रय प्रतिबंधित किया हुआ है। उपर्युक्त शर्तो की शर्त संख्या 28(3) अनुसार उप शर्त संख्या (1) व (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी जहां भूमि सरकार द्वारा अनुमोदित, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विक्रय की जाती है या सरकार को या सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी निगम या संस्था या कम्पनी या सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत एवं अनुमोदित किसी शैक्षणिक संस्थान को विक्रय की जाती है तो विक्रय करने की अनुमति सामान्यत: प्रदान की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी पालिसी के अनुच्छेद 9.4.1 में भी विण्ड पावर डवलपर्स को क्रय की छूट दी गई है। नियमों, परिपत्र तथा पालिसी की आंशिक प्रति परिशिष्ट-क संलग्न है।

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) जी हां। राज्य के बीकानेर एवं जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में सौर उर्जा व पवन ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने हेतु 11 प्रकरणों में उक्त क्षेत्र के कृषकों की भूमि राजस्थान से बाहर की संस्थाओं व कम्पनियों द्वारा क्रय की गई है। विक्रेताओं की सूची एवं नामान्तकरणों की प्रतियां परिशिष्ट-ख संलग्न है। गंगापुरा की सूची के क्रम संख्या-5 पर खसरा नम्बर 430/411 में बेचान न होकर संपरिवर्तन होने से नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। इन दस प्रकरणों की रजिस्टरी की सूचना संलग्न प्रस्तुत है। इसके अलावा The Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for setting up of Power Plant based on Renewable Energy Sources) Rules, 2007 जो राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 4 (5) उप/2010 दिनांक 21.5.2010 से उपनिवेशन क्षेत्र में Adopt किया गया है, जिसके तहत सौर एवं पवन ऊर्जा हेतु 12 प्रकरणों में विभाग द्वारा 30 वर्ष की लीज पर भूमि का आबंटन किया गया हैं जिसकी सूची परिशिष्अ-ग पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य के उक्त क्षेत्र में राजस्थान से बाहर की संस्था व कम्पनियों द्वारा सौर एवं पवन उर्जा संयत्रों हेतु क्रय की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में उनके नाम अंकन हो चुका है। समस्त नामान्तकरणों की मांग ढाल बाछ में कायम की जा चुकी है व राशि वसूल होना शेष है। सूची परिशिष्ट-ख संलग्न है।

(4) जी हां। कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने हेतु उस कृषि भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाना पड़ता है। संपरिवर्तन राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 में विहित प्राधिकारीगण द्वारा अपनी सक्षमता तक भूमि का संपरिवर्तन करते हैं। ये नियम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत सृजित है तथा भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सशक्त कलक्टर के बतौर उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर, जैसलमेर, नाचना, सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत, छतरगढ़ मुकाम बज्जू, मोहनगढ़ ए एवं मोहनगढ़ बी तथा उपनिवेशन तहसीलदारों को अपने प्रादेशिकता क्षेत्राधिकार में वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि में किये गये संपरिवर्तनों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-घ अनुसार है। परिशिष्ट में राजस्व आय का ब्यौरा अंकित है। आय को देखते हुए भू-राजस्व का न्यूनतम नुकसान होगा। बारानी क्षेत्र में भू-राजस्व माफ होने के कारण राजस्व हानि नहीं होगी। भू-राजस्व की दरें 1.58 रुपये कमाण्ड व 0.08 रुपये अनकमाण्ड प्रति बीघा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत नगरपालिका क्षेत्र में भू-आबंटन से आय

612. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोजत नगरपालिका क्षेत्र में गोचर, सिवायचक व अन्य सरकारी भूमि किस-किस खसरे में कितनी-कितनी दर्ज है?

(2) क्या उक्त नगरपालिका द्वारा लैण्ड बैंक बनाया गया है? यदि हां, तो उसमें कितनी भूमि दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगर पालिका क्षेत्र में किस-किस संस्थान (सरकारी व निजी) को कितनी-कितनी भूमि गत 10 वर्षों में किन मानदण्डों के तहत आबंटित की गई?

(4) गत 10 वर्षों में आबंटित की गई भूमि से कितनी आय प्राप्त हुई एवं प्राप्त आय से क्या-क्या कार्य करवाये गये?

उत्तर

(1) सोजत नगरपालिका क्षेत्र में गोचर भूमि का कुल खसरा 11 का क्षेत्रफल 203.68 हैक्टेयर है व सिवायचक व अन्य सरकारी भूमि का कुल खसरा 441 का रकबा 1152.3976 हैक्टेयर भूमि है, जिसमें से न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर शेष भूमि को दिनांक 17.7.14 एवं 14.9.14 को सिवायचक व अन्य सरकारी भूमियां नगरपालिका सोजत को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। नामातरण संख्या 3056 दिनांक 17.7.14 व नामान्तरण संख्या 3746 दिनांक 14.9.14 के द्वारा नगरपालिका सोजत को हस्तान्तरित की गई।

(2) नगरपालिका सोजत के लैण्ड बैंक में 372.5390 हैक्टेयर सिवायचक भूमि वर्ष 2013-14 व 2014-15 में दर्ज है।

(3) नगरपालिका क्षेत्र सोजत में गत 10 वर्षों में निम्न संस्थाओं को भूमि आबंटन किया गया:-

1. श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज विकास संस्थान, सोजत को ग्राम सोजत I में 0.64 हैक्टेयर भूमि छात्रावास हेतु नि:शुल्क आबंटन की गई है।
2. सोजत मारवाड़ राजपूत संस्था, सोजत को सोजत चक ।। के ख.नं. 1230 रकबा 0.32 हैक्टेयर छात्रावास हेतु कीमत 60,000/- रुपये।
3. मेघवाल समाज सेवा संस्थान, सोजत को सोजत चक ।। के ख.नं. 1230 रकबा 0.25 हैक्टेयर छात्रावास हेतु नि:शुल्क आबंटन की गई।

(राज्य मंत्री , राजस्व)

इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों को निम्न अनुसार भूमि का आबंटन किया गया है:-

1. पुलिस थाना सोजत के प्रशासनिक एवं आवासीय भवन हेतु सोजत चक ।। के ख.नं. 587 रकबा 4.68 हैक्टेयर किस्म गै.मु. में से 0.68 है. भूमि।

2. पुलिस विभाग को ट्रेफिक एड सेंटर हेतु ग्राम सोजत चक । के ख.नं. 6219 रकबा 5.59 है. में से आरक्षित की गई 0.20 है. भूमि का आबंटन।

3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जवाई पाइप लाइन परियोजना के हैण्ड वर्क्स हेतु मौजा सोजत चक ।। के ख.नं. 587/5 रकबा 4 है. किस्म गै.मु. में से 0.42 है. तथा ख.नं. 1230 रकबा 7.15 है. किस्म गै.मु. गोवा में से 1.35 है. भूमि का आबंटन किया गया है।

4. नगरपालिका सोजत द्वारा उप शासन सचिव स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक/भूमि/एफ 7(ड) ()डीएलबी/12/9849 दिनांक 20.6.13 द्वारा ख.नं. 1068 चक नं. 2 में बीपीएल आवास योजना में आवासहीन परिवारों एवं गाडौलिया लौहार परिवारों को नि:शुल्क भूमि का आबंटन किया गया।

(4) बिन्दु संख्या 3 के प्रत्युत्तर अनुसार सोजत मारवाड़ राजपूत संस्था सोजत को कीमतन 60,000/- रुपये पर आबंटन किया गया है, जो राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करवाई गई थी।

जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत ग्राम सांवली में भूमि का पुनर्ग्रहण

613. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अर्न्तगत ग्राम सांवली तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में भूतपूर्व जागीरदार श्री सवाई सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह की जमीन पुनर्ग्रहीत की गई है? यदि हां, तो भूमि के खसरे नं. व रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूतपूर्व जागीरदार को मुआवजा की कितनी राशि का भुगतान किया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूतपूर्व जागीदार के पास खुदकास्त भूमि भी थी? यदि हां, तो कितनी? भूमि के खसरे एवं रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(4) वर्तमान में उक्त खुदकाश्त भूमि किन-किनके नाम दर्ज है? उक्त के वर्तमान खसरे नं. व रकबा सहित सदन की मेज पर रखें। उक्त के नामान्तरण किस आधार पर खोले गए? दस्तावेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सांवली तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भूतपूर्व जागीरदार श्री सवाईसिंह पुत्र श्री भगवतसिंह की जमीन पुनर्ग्रहित की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

खसरा नम्बर	**रकबा**
किता 76	319 बीघा 07 बिस्वा
किता 13	20 बीघा 02 बिस्वा
किता 02	01 बीघा 15 बिस्वा

(2) बिन्दु एक के अनुसार मुआवजा 4300 रुपये का भुगतान कर दिया है।

(3) जी हां। उक्त भूतपूर्व जागीरदार के पास खुद काश्त भूमि प्रथम सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में 79 बीघा 1 बिस्वा भूमि थी। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) उक्त खुद काश्त भूमि में 71 बीघा बेचान व बक्शीश हो गई है एवं 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि भूतपूर्व जागीरदार के वारिसान के नाम रिकार्ड में दर्ज है। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। बेचान व बक्शीश के नामान्तरकरणों की प्रति एवं जमाबन्दी खतौनी व सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

प्रश्न संख्या-614

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-615

(स्थगित)